उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. SE-92

पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) अनुकूलन तथा मूल्यांकन (बौद्धिक अक्षमता)

खण्ड – एक : पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) 03–52

इकाई 1 : संकल्पना, सिद्धान्तों एवं प्रारूप (डिजाइनिंग)

इकाई 2 : पाठ्यक्रम के क्षेत्र

इकाई 3 : पाठ्यक्रम के विकास

खण्ड – दो : विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम 53–92

इकाई 4 : प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं इसके क्षेत्र

इकाई 5 : परिवार और स्कूल में संवेदनशीलता

इकाई 6 : हस्तक्षेप, प्रलेखन, रिकार्ड रख–रखाव एवं रिपोर्ट लेखन का विद्यालय पूर्व एवं प्रारम्भिक स्तर के शिक्षण में निहितार्थ

खण्ड – तीन : माध्यमिक स्तर, पूर्व व्यावसायिक स्तर एवं व्यावसायिक स्तर के पाठ्यक्रम 93–134

इकाई 7 : माध्यमिक स्तर, पूर्व व्यावसायिक स्तर एवं व्यावसायिक स्तर के पाठ्यक्रम के कौशल क्षेत्र (डोमेन)

इकाई 8 : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय कौशल विकास योजना

इकाई 9 : समुदाय में शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के निहितार्थ, प्रलेखन, रिकार्ड रख–रखाव एवं रिपोर्टिंग

खण्ड – चार : पाठ्यक्रम अनुकूलन 135–178

इकाई 10 : पाठ्यक्रम अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

इकाई 11 : पूर्व शैक्षणिक पाठ्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम के लिए अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

इकाई 12 : विद्यालयी विषयों के पाठ्यक्रम के लिए अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

खण्ड – पाँच : पाठ्यक्रम मूल्यांकन **179–216**

इकाई 13 : पाठ्यक्रम मूल्यांकन, अवधारणा, प्रकार एवं दृष्टिकोण

इकाई 14 : मूल्यांकन में उभरती प्रवृत्तियाँ

इकाई 15 : समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों का विभेदित मूल्यांकन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. SE-92

पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) अनुकुलन तथा मूल्यांकन (बौद्धिक अक्षमता)

खण्ड – 1

पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप)

इकाई – 1	**7**
संकल्पना, सिद्धान्तों एवं प्रारूप (डिजाइनिंग)	
इकाई – 2	**23**
पाठ्यक्रम के क्षेत्र	
इकाई – 3	**39**
पाठ्यक्रम के विकास	

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो. के. एन. सिंह.	**कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय	**प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
प्रो0 सीमा सिंह	**आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी**
प्रो0 सुषमा पाण्डेय	**आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग डी0डी0यू0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर**
प्रो0 रजनी रंजन सिंह	**आचार्य, विशेष शिक्षा विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ**
डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी	**सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
डॉ0 दिनेश सिंह	**सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

लेखक

डा. महेश कुमार	**असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**

सम्पादक

प्रो0. प्रेम शंकर राम सोनकर	**प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**

परिमापक

प्रो0 रजनी रंजन सिंह	**प्रोफेसर, डॉ. शाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा	**परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज.**

सितम्बर, 2019 (मुद्रित)

© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020

ISBN:- 978-93-94487-08-6

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से कर्नल विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित – 2024

मुद्रक : सिग्नस इन्फार्मेशन सल्यूसन प्रा0लि0, लोढ़ा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

ETH-021

B.Ed.SE.-92/4

खण्ड परिचय

इस खण्ड में आप पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को समझेंगें। इस खण्ड में कुल तीन इकाइयाँ है।

इकाई–1 में आप पाठ्यक्रम की अवधारण, पाठ्यक्रम के सिद्धान्त एवं पाठ्यक्रम के डिजाइन (प्रारूप) को समझ सकेंगें। बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम के संदर्भ में इन सिद्धान्तों का क्या उपयोगिता है उसे भी समझ सकेंगे।

इकाई–2 में पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा विस्तार से किया गया है। इस इकाई में आप समान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम किस प्रकार भिन्न होता है, समझ सकेंगें। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जान सकेंगें।

इकाई–3 में आप पाठ्यक्रम के विकास के बारे में समझ सकेंगें। इस इकाई में पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न सिद्धान्तों एवं पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न चरणों की चर्चा की गई है।

इस तरह आप इस खण्ड के अध्ययन के उपरान्त।

- पाठ्यक्रम की अपधारणा को स्पष्ट कर सकेंगें।
- पाठ्यक्रम के विकास के विभिन्न सिद्धान्तों का वर्णन कर सकेंगें।
- पाठ्यक्रम के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कर सकेंगें।
- पाठ्यक्र विकास के कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगें।

पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का पालन कर सकेंगें।

इकाई–1

पाठ्यक्रम : संकल्पना, सिद्धान्तों एवं प्रारूप (डिजाइनिंग)

संरचना–

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 पाठ्यक्रम की अवधारणा
1.3.1 इक्कीसवीं सदी के पाठ्यक्रम
1.3.2 पाठ्यक्रम की प्रकृति
1.3.3 पाठ्यक्रम की परिभाषा
1.4 बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम
1.5 पाठ्यक्रम प्रारूप (डिजाइन) के प्रसंग
1.6 पाठ्यक्रम प्रारूप (डिजाइन) के सिद्धान्त
1.7 पाठ्यक्रम डिजाइन के कदम
1.8 पाठ्यक्रम रचना के विचार
1.9 पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) के प्रकार
1.9.1 पाठ्यक्रम के विषय केन्द्रित प्रारूप
1.9.2 पाठ्यक्रम को विद्यार्थी केन्द्रित प्रारूप
1.9.3 पाठ्यक्रम के समस्या केन्द्रित प्रारूप
1.10 सारांश
1.11 शब्द सूची
1.12 बोध प्रश्न एवं उत्तर
1.13 अभ्यास प्रश्न
1.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.1 प्रस्तावना

किसी भी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम एक अहम भूमिका निभाती है। पाठ्यक्रम में मूलतः वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित होती है जो एक विद्यार्थी को समाज में अपने सफल

जीवन यापन करने के लिए आवश्यक होती है। किसी भी शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण घटक माना जाता है – (1) शिक्षार्थी (2) शिक्षक (3) विषय–वस्तु। शिक्षक इन विषय वस्तु को अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए शिक्षार्थी तक पहुँचाने का पूर्णतः प्रयत्न करता है। पाठ्यक्रम एक खाका के समान विद्यार्थी को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में मदद करता है।

साधारण शिक्षा हो या विशेष शिक्षा सभी में पाठ्यक्रम अति आवश्यक है। किन्तु दोनों प्रकार की शिक्षा में पाठ्यक्रम के विषय वस्तु में काफी भिन्नता भी रहती है। खासकर सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय जैसेः– हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि सम्मिलित होते है। संवेदी अक्षमता वाले बच्चों के पाठ्यक्रम भी सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से काफी मिलता–जुलता होता है। किन्तु बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से काफी भिन्न होता है।

इस इकाई में विशेष बच्चों खासकर बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम के संकल्पना, सिद्धान्तों तथा इन पाठ्यक्रमों के डिजाइनिंग (प्रारूप) की चर्चा विस्तार से किया गया है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको पाठ्यक्रम की संकल्पना तथा पाठ्यक्रम के सिद्धान्तों को समझने में काफी सुविधा होगी।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप

- पाठ्यक्रम संकल्पना से परिचित हो सकेंगें।
- पाठ्यक्रम को परिभाषित कर सकेंगें।
- पाठ्यक्रम के सिद्धान्तों को जान सकेंगें।
- पाठ्यक्रम के उद्देश्य को जान सकेंगें।
- पाठ्यक्रम के अवधारणाओं से परिचित हो सकेंगें।
- पाठ्यक्रम प्रारूप के कदमों को समझ सकेंगें।
- पाठ्यक्रम प्रारूप के विभिन्न प्रकार को समझ सकेंगें।

1.3 पाठ्यक्रम की अवधारणा

पाठ्यक्रम को साधारणतः विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पढाए जाने वाले विषय–वस्तु के रूप में देखा जाता है। वास्तव में यह विषय वस्तु के साथ–साथ और भी कई चीजों की अपने में समाहित किया हुआ है।

पाठ्यक्रम में मूलतः वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होती है जो एक विद्यार्थी को समाज में अपने सफल जीवन यापन करने के लिए आवश्यक होता है। किसी भी शिक्षण प्रणाली में शिक्षा के मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। (1) शिक्षार्थी (2) शिक्षक एवं (3) पाठ्यक्रम। शिक्षक पाठ्यक्रम के इन सभी विषयवस्तु एवं क्रिया कलापों को अपने शिक्षण–प्रशिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी तक पहुँचाने का प्रयत्न करता है। पाठ्यक्रम एक खाका के समान शिक्षार्थी को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में मदद करता है।

यदि वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक के पाठ्यक्रम को देखे तो हम पाते है कि यह अनवरत परिवर्तनशील रहा है। पाठ्यक्रम के इस अनवरत् परिवर्तन का मुख्यः कारण उस समय के लोगों की आवश्यकताओं में परिवर्तन है। अर्थात समय एवं परिस्थिति समाज के लोगों की आवश्यकताएँ बदलती रहती है, परिणाम स्वरूप हमारे शिक्षण प्रशिक्षण के उद्देश्य भी बदलते रहते है और जब आवश्यकता एवं उद्देश्य बदल जाय तो पाठ्यक्रम बदलना स्वभाविक हैं उदाहरण के तौर पर आज से दो दशक पहले के पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो उस समय सूचना एवं संचार तकनिकी पर विशेष बल नहीं दिया जाता था। किन्तु अब यह इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लगभग सभी पाठ्यक्रमों में सूचना एवं संचार तकनिकी का अहम स्थान है।

अतः यह कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम की अवधारणा गतिशील है जो समाज में होने वाले परिवर्तनों से पूर्णतः प्रभावित है। व्यापक रूप से यह उन सभी शिक्षण अनुभवों को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति को न केवल स्कूलों में बल्कि समाज में भी मिलता है।

1.3.1 इक्कीसवी सदी के पाठ्यक्रम

इक्कीसवी सदी के पाठ्यक्रम युवाओं के परिवर्तनशील समय एवं स्वीकार्यता को दर्शाएगा। शिक्षार्थियों के रूप में युवाओं का यह परिवर्तनशील समय एवं स्वीकार्यता तथ चुनौतियों एवं माँगों भविष्य में उनके सीखने के एक आकार निर्धारण करता है। युवाओं को समाज की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने तथा अधिक उत्पादक, टिकाउ एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए व्यापक एवं अनुकूलित कौशलों की आवश्यकता होगी।

पाठ्यक्रम केवल एक तत्व है जो प्रमाणित करता है कि युवा अपनी भविष्य के लिए अपने शिक्षा के द्वारा कितना तैयार है। किन्तु यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके सीखने की अपेक्षा के स्तर को निर्धारित करता है। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए मूल्यवान है, एवं लोगों के समय, प्रयास और संसाधनों के निवेश को सही ठहराता है।

1.3.2 पाठ्यक्रम की प्रकृति

कैली (1999) में पाठ्यक्रम के तीन प्रकार की प्रकृति की चर्चा की है :–

(1) नियोजित पाठ्यक्रम (Planned Cirriculum)

(2) प्राप्त पाठ्यक्रम (Received Curriculum)

(3) छिपे हुए पाठ्यक्रम (Hidden Curriculum)

नियोजित पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन सभी विषय वस्तु से है जो एक पाठ्यचर्या (सिलेबस) में रखी गई हो। प्राप्त पाठ्यक्रम छात्रों के अनुभवों की वास्तविकता को संदर्भित करता है तथा छिपे हुए पाठ्यक्रम वह ज्ञान है जो विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में अर्जित ज्ञान को बाहर निकालने में मदद करती है। मॉरिस एवं एडमसन (2010) में कैली के इन तीन अवधारणाओं के अलावा पाठ्यक्रम के दो और प्रकृति की चर्चा की है। (1) शून्य पाठ्यक्रम और (2) बाहरी पाठ्यक्रम। शून्य पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन सभी विषय वस्तु से है जो पाठ्यक्रम से बहिष्कृत (encluded) है। जबकि बाहरी पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन सभी ज्ञान से है जो विद्यार्थी अपनी कक्षा और विद्यालय के बाहर सीखते है।

(i) पाठ्यक्रम एक योजना के रूप में :–

ओलिवा (1982) ने कहा कि "पाठ्यक्रम सभी के लिए एक योजना या कार्यक्रम है।" कार्टर वी0गुड (1959) जो पाठ्यक्रम को "शिक्षा की सामग्री या विशिष्ट सामग्री की एक सामान्य समग्र योजना के रूप में परिभाषित किया है जिसे स्कूल व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश एवं प्रमाणन के लिए छात्र को पेशकश करता है।"

टायलर एवं हिल्डा टाबा (1962) ने पाठ्यक्रम को "कार्रवाई की योजना या लिखित दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया है। वांछित लक्ष्य प्राप्त करने या समाप्त करने के लिए रणनीति शामिल होता है। गैलेन सायलर ने पाठ्यक्रम को "सीखने के अवसरों के समूह प्रदान करने के योजना के रूप में परिभाषित किया है।"

(ii) पाठ्यक्रम एक अनुभव के रूप में :–

टान्नर और टान्नर (1980) ने कहा कि पाठ्यक्रम ज्ञान और अनुभवों का पुनर्निर्माण है जो स्कूल द्वारा व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाता है तथा शिक्षार्थी जिसके द्वारा अपने ज्ञान एवं अनुभवों को नियंत्रित करता है।

क्रुग (1957) ने कहा पाठ्यक्रम सभी निर्देशों का साधन है जिसका उपयोग स्कूल में विद्यार्थी को सीखने के अनुभवों का अवसर प्रदान करने के लिए करता है।

(iii) पाठ्यक्रम विषय वस्तु के रूप में :–

डॉल (1978) ने कहा पाठ्यक्रम महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले औपचारिक एवं अनौपचारिक सामग्री तथा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कौशल विकसित करते है।"

(iv) पाठ्यक्रम एक उद्देश्य के रूप में :–

चेटर्स, डब्ल्यू, (1923) ने पाठ्यक्रम को उद्देश्यों की एक श्रृंखला के रूप में देखा जिसे छात्रों को सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्राप्त करना चाहिए। बी.एफ. स्किनर पाठ्यक्रम को व्यवहारवादी उद्देश्यों के रूप में मानता है।

पायन के अनुसार "पाठ्यक्रम किसी भी स्थितियों का समावेश होता है जो स्कूल अपने विद्यार्थियों को विकसित करने और उनमें व्यवहार परिवर्तन करने के उद्देश्य के लिए सचेत रूप से व्यवस्थित कर सकते है और चुन सकते है।

(v) पाठ्यक्रम एक प्रणाली के रूप में :–

पाठ्यक्रम को व्यक्ति एवं प्रक्रिया से निपटने के लिए एक प्रणाली के रूप में माना जा सकता है या किसी प्रणाली को लागू करने के लिए कर्मियों एवं प्रक्रियाओं को संगठित करने के रूप में देखा जाता है, (बैबॉक, मैकनीक, अनट्रूथ)।

(vi) पाठ्यक्रम एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में :–

पाठ्यक्रम को एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें अपने स्वयं के क्षेत्र, ज्ञान के साथ–साथ स्वयं के अनुसंधान एवं सिद्धान्त शामिल हो (ऑरयॉस्की एवं स्मिथ, शुबर्ट एवं बैनर)।

1.3.3 पाठ्यक्रम की परिभाषा

स्कूल के सभी घटकों में से पाठ्यक्रम को परिभाषित करना सबसे कठिन है क्योंकि पाठ्यक्रम स्कूल की जटिलता को दर्शाता है। यह औपचारिक स्कूल के सभी पहलू के साथ संबंधित है स्कूल की उचित भूमिका एवं वैधता के अनिश्चिताओं के कारण पाठ्यक्रम को परिभाषित करना काफी जटिल है।

अतः पाठ्यक्रम को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है। पाठ्यक्रम के विभिन्न परिभाषाओं को देखने के बाद जो मुख्य तीन प्रकार की परिभाषा निकल कर सामने आता है।

(1) विषम केंद्रित परिभाषा

(2) समाज केंद्रित परिभाषा एवं

(3) बच्चों केंद्रित परिभाषा।

विषम केंद्रित परिभाषा औपनिवेशिक काल से चली आ रही है जो आज भी हमारे पुस्तक में दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप केर (1968) के अनुसार स्कूल द्वारा योजनाबद्ध एवं निर्देशित रूप से जो भी सिखाया जाता है। पाठ्यक्रम कहलाता है।

दूसरी ओर समाज केंद्रित परिभाषा पाठ्यक्रम को एक उपकरण के रूप में देखती है जो छात्र के अनुभवों और गतिविधियों का उपभोग समाज के लिए करती है। इस पाठ्यक्रम में इस बात पर जोर दिया जाता है कि समाज के विकास के लिए पाठ्यक्रम हमेशा समाज के मूल्यों एवं बच्चों की जरूरतों पर आधारित है। उदाहरण स्वरूप विलियम फेवरस्टोन के अनुसार "पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को सिर्फ स्कूल के मार्गदर्शन में मिलने वाले अनुभव ही नहीं है। बल्कि समाज के सीमित एवं चयनित अनुभव भी शामिल है जो स्कूल जानबूझकर शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्कूल का प्रयोग करते है। जे0एस0 फर्रन्ट का मानना है कि यदि पाठ्यक्रम को वास्तविक उद्देश्यों के पूर्ति करना है तो वर्तमान और भविष्य के संबंध में अतीत के मूल्यों को देखना चाहिए, बच्चों को आधुनिक कौशलों से सुसज्जित करना चाहिए तथा बच्चों को समुदाय के एकीकृत सदस्य बनाए रखने में मदद करनी चाहिए।"

बच्चों पर केन्द्रित पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम को उन सभी गतिविधियों के रूप में देखा जाता है जिसका प्रयोग बच्चों के अपनी जरूरतों और विशेषताओं के आधार पर प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप डोरिस एवं मुर्रेले के अनुसार "पाठ्यक्रम में बच्चे के वे सभी अनुभव शामिल है जिसका स्कूल उपयोग करने या प्रभाव डालने के लिए करता है।"

डोलिस कैसवेल एवं डोक कैम्पवेल (1935) के अनुसार शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों को मिलने वाला सभी अनुमव पाठ्यक्रम कहलाता है।

डब्ल्यू.बी.रागन (1960) के अनुसार बच्चों को मिलने वाली वे सभी अनुभव जिसके लिए स्कूल जिम्मेदारी स्वीकार करता है पाठ्यक्रम कहलाता है।

डैनियल टैनर एवं लॉरेल टैनर (1995) के अनुसार पाठ्यक्रम ज्ञान एवं अनुभव का पुनर्निर्माण करने में मदद करता है जो बाद में शिक्षार्थी को अपने ज्ञान एवं बुद्धिमान को नियंत्रित रूप से उपभोग करने में सक्षम बनाता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि बच्चों के वे सभी अनुभव जो विद्यालय एवं घर के वातावरण समुदाय तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त अनुभव के सम्पूर्ण समावेश पाठ्यक्रम कहलाता है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 केली के अनुसार पाठ्यक्रम के कितने प्रकार की प्रकृति होती है ?

....

....

प्र02 मॉरिस एवं अध्यसन (2010) ने कैली के तीन अवधारणाओं के अलावा पाठ्यक्रम के किन दो प्रकृति की चर्चा की है ?

....

....

प्र03 पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अंश होता है । सही गलत ?

....

....

प्र04 होलिस कैसवेल एवं डोल कैम्पवेल (1935) अनुसार।

....

....

1.4 बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम

सामान्य तथा विशेष विद्यार्थी दोनों के लिए पाठ्यक्रम अति आवश्यक होता है। विशेष विद्यार्थी में यदि हम देखे तो दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों के ज्ञानेन्द्रियों में अक्षमता होती है। इनके बौद्धिक क्षमता सामान्य होती है। इसलिए इन बच्चों के लिए साधारण पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन करने से ये पर्याप्त सीमा तक लाभान्वित हो सकते है। लेकिन बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए कार्यात्मक पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी को (1) व्यक्तिगत पर्याप्तता (2) सामाजिक क्षमता एवं (3) आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की चेष्टा की जाती है। बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी अपनी अक्षमता के स्तर के आधार पर तीनों क्षेत्रों में आंशिक या पूर्ण रूप से क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञानेन्द्रियों से अक्षम बच्चों के विशेष शिक्षक को इनको सीखाने पढ़ाने के लिए बने बनाए पाठ्यक्रम एवं विषय सूची उपलब्ध होता है। अतः इन विशेष शिक्षकों को उसी के आधार पर योजना तैयार करनी पड़ती है। जबकि बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षकों को इन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकास करने की अतिरिक्त जिम्मेदार होती है। शिक्षक विद्यार्थी की क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। अतः

बौद्धिक अक्षम बच्चों के विशेष शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करने के विभिन्न प्रारूपों एवं सिद्धान्तों से अवगत होना अति आवश्यक है।

1.5 पाठ्यक्रम प्रारूप (डिजाइन) के प्रसंग

पाठ्यक्रम मुख्यतः सफल शिक्षार्थियों को आत्मविश्वास एवं रचनात्मक व्यक्तियों तथा सक्रिय एवं सूचित नागरिकों के रूप में विकसित करने का काम करता है।

पाठ्यक्रम डिजाइन :– यह शिक्षार्थियों में ज्ञान, समझ, कौशल एवं मूल्यों में एक ठोस आधार बनाने का काम करता है जिस पर वे आगे सीखने और वयस्क जीवन का निर्माण कर सकता है।

गहन ज्ञान, समझ, कौशल और मूल्यों को बढ़ावा देता है जो उन्नत शिक्षा और नए विचारों को बनाने और उन्हें व्यवहारिक अनुप्रयोगों में अनुवाद करने की क्षमता प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

सामान्य क्षमताएँ जो लचीली और विश्लेषणात्मक खोज को रेखांकित करती है। यह दूसरो के साथ काम करने की क्षमता और नई विशेषज्ञता विकसित करने के लिए विषयों को पार करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है।

1.6 पाठ्यक्रम प्रारूप (डिजाइन) के सिद्धान्त

निम्नलिखित सिद्धान्तों का उपयोग लक्ष्य एवं उद्देश्यों के विकास करने पाठ्यक्रम की संरचना करने तथा प्रत्येक इकाई के उद्देश्यों की पहचान करने के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करेगी।

- **लक्ष्य उन्मुख का सिद्धान्त (Principle of Target oriented) :**

  लक्ष्य उन्मुख का सिद्धान्त यह बताती है कि विद्यार्थियों का समय एवं कोशिश एक सुनियोजित तरीके से होना चाहिए, जिसमें कि उनको अधिकतम लाभ मिल सके। इनमें सभी शिक्षण एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ उस विशेष इकाई को सीखने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

- **शिक्षार्थियों के विभिन्नताओं को पूरा करने का सिद्धान्त (Caring for Individual differences among learners)**

  इस सिद्धान्त में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षार्थियों के विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए कक्षा में छात्रों की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही इन पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के फांउडेशन आधाररत भाग की पहचान की जाती है जो सभी विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास किय जाता है। इसके अलावा विशेष शिक्षक अपने छात्रों के लिए उपयुक्तता एवं प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय वस्तु या क्रिया कलाप का चयन करता है।

- **अध्ययन को प्रासंगिकता का सिद्धान्त (Relevance of Study) :**

  अध्ययन की प्रासंगिकता का सिद्धान्त यह बताती है कि जो क्रिया कलाप शिक्षार्थी के अनुभवों से संबंधित या जुड़ा हुआ होता है उसे सीखने में वे रूचि लेते है। इसमें खास कर दैनिक क्रिया कलापों पर विशेष बल दिया जाता है।

- **सामान्य क्षमताओं और कौशल को बढ़ावा देने का सिद्धान्त (Fostering general abilities and skills) :**

  ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही समाज जिस तरह से विकसित हो रहा है वहाँ नई–नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः यह आवश्यक है कि आज छात्रों को इन चुनौतियों से सामना करने की क्षमता को विकसित करना चाहिए, जिससे कि वे अपने जीवन में आने वाले समस्याओं का सामना सही तरह से कर सके।

- **बाल केन्द्रित का सिद्धान्त :**

  यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम हमेशा बच्चों की आवश्यकताओं एवं रूचियों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम डिजाइन के समय छात्रों के आयु, अभिवृत्तियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, बुद्धि, रूचियों एवं आवश्यकताओं आदि पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इन घटकों को ध्यान रखे बिना यदि कोइ पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तो यह छात्रों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होगा और फिर पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।

- **मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त :**

  इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार करते समय बच्चों के मनावैज्ञानिक अवस्था को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिक अवस्था का ध्यान रखने से पाठ्यक्रम बच्चों के क्षमता एवं रूचि के अनुरूप होगा और फिर बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करना आसान हो जाएगा।

- **उपयोगिता का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम का उद्देश्य समाज एवं मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहता है। जिस चीज की आज उपयोगिता है कुछ समय बाद उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। साथ ही एक नई चीजों की आवश्यकता महसूस होने लगती है। अतः पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए की पाठ्यक्रम से सीखने वाले कौशल की उपयोगिता हो।

- **जीवन के साथ संबंध का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम की शामिल विषय वस्तु या कौशलों का सीधा संबंध व्यक्ति के वास्तविक जिन्दगी की आवश्यकताओं एवं उपयोगिताओं से जुड़ी होनी चाहिए।

- **लचीलेपन का सिद्धान्त :**

  सभी छात्रों की क्षमता एवं रूचि एक समान नहीं होती है। अतः सभी छात्र एक जैसा रूचि नहीं लेते है। ऐसे में यदि पाठ्यक्रम कठोर होगा तो सभी छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होगा। अतः पाठ्यक्रम का लचीलापन होना अति आवश्यक है जिससे की सभी छात्र अपनी आवश्यकता एवं रूचि के अनुसार सीख सकेंगे।

- **रचनात्मक कार्य का सिद्धान्त :**

प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है। प्रत्येक विद्यार्थी में कुछ न कुछ सृजन करने की क्षमता होती है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों को अपने अन्दर छुपी हुई रचनात्मक शक्ति को पहचानने एवं उसे निखारने का एक अवसर प्रदान करें। रेमॉण्ट के अनुसार "जो पाठ्यक्रम, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव है।"

- **संबद्धता का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम में कई विषय वस्तु का समावेशन होता है। अतः यह विषय वस्तु सही तरीके से व्यवस्थित तथा निश्चित व्यवस्था से एक दूसरे से जुड़े होते है। पाठ्यक्रम के डिजाइन करते समय विषय वस्तु की संबद्धता को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए।

  शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय, संवैधानिक मूल्यों, बच्चों को निर्भय बनाने, बाल केन्द्रित तथा गति विधि आधारित प्रक्रिया को अपनाया जाए। यथा संभव मातृ भाषा में शिक्षा दी जाए तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की सुविधा शामिल हो।

1.7 पाठ्यक्रम डिजाइन के कदम

पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का शामिल होना अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय निम्नलिखित कदम को शामिल किया जाता है।

(i) आवश्यकताओं का पहचान करना :

पाठ्यक्रम डिजाइन करने में सबसे पहले व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं का पहचान करना आवश्यक हो जाता है। इनके आवश्कताओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण होता है।

(ii) उद्देश्यों का निर्माण :

व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। इसी उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम सामग्री का चयन किया जाता है।

(iii) सामग्री का चयन :

पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है।

(iv) सामग्री का संगठन :

पाठ्यक्रम के कई उद्देश्य होते है और फिर उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है। तत्पश्चात् इन पाठ्य सामग्री को विकासात्मक एवं मनोवैज्ञानिक तरीकों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि यह सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित की गई हो।

(v) सीखने के अनुभवों का चयन :

पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार सीखने के अनुभवों का चयन किया जाता है। सीखने के इन अनुभवों के द्वारा ही छात्र ज्ञान एवं अनुभव को अर्जित करता है।

(vi) सीखने के अनुभवों का संगठन :

पाठ्यक्रम के कई उद्देश्यों के अनुसार जितने भी सीखने के अनुभवों का चयन किया जाताहै उसे पाठ्यक्रम में सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करते समय इनकी आपसी संबंधता भी सुनिश्चित की जाती है।

(vii) मूल्यांकन करने के तरीकों का चयन :

पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाता है, कि वास्तव में छात्र पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या मूल्यांकन की जाय।

(viii) मूल्यांकन के तरीकों और साधनों का निर्धारण :

पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो मूल्यांकन किया जाना है, उसके लिए किन सामग्रियों एवं किन–किन तरीकों से की जाय जिससे की छात्रों का सही मूल्यांकन हो सकें।

1.8 पाठ्यक्रम रचना के विचार

यह खण्ड मुख्यतः पाठ्यक्रम विकसित करने वालो को पाठ्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान जिन घटकों का ध्यान रखना चाहिए उससे अवगत कराएगा।

पाठ्यक्रम विकसित करने के दौरान निम्नलिखित पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगें :–

- **सीखने एवं सीखने वालों की स्वभाव** : जिसमें इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं में विकासात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाएगा।
- **पूरा पाठ्यक्रम** : सीखने के क्षेत्रों से कैसे सम्बन्धित है।
- **संरचनात्मक मामले** : जिनमें स्कूल शुरू करना पूरा करना एवं संक्रमण के सभी घटक शामिल है।
- **शैक्षिक आवश्यकताओं** : पाठ्यक्रम बच्चों के शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाता है।
- **सामान्य क्षमताओं का वर्णन** : पाठ्यक्रम एक सामान्य क्षमताओं वाले छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाता है।
- **क्रॉस पाठ्यक्रम आयाम** : दृष्टिकोण का वर्णन करना जो प्रत्येक पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए।

1.9 पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) के प्रकार

पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) किसी भी पाठ्यक्रम के निर्माण की पहली कदम है। यह पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को दिशा निर्देशित करता है। हम सभी जानते है कि पाठ्यक्रम एक परिवर्तनशील तत्व है जो समय–समय पर बदलते रहता है। अतः पाठ्यक्रम

प्रारूप भी निरन्तर परिवर्तनशील रहता है। यह परिवर्तन समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं के परिवर्तन की पूर्ति करने के लिए होता है। इस परिवर्तनों के कारण पाठ्यक्रम के अनेक प्रारूप अस्तित्व में आये है।

चूँकि पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी राष्ट्र के शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए उसमें प्रचलित पाठ्यक्रम को अलग–अलग एव समग्र रूप से समझना पड़ता है। यानी पाठ्यक्रम के विभिन्न तत्वों के अलग–अलग प्रभावों को तथा समग्र प्रभावों को समझना पड़ता है। इन प्रभावों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारूप पर निर्भर करता है। अतः पाठ्यक्रम के प्रारूप के विभिन्न प्रकार को समझना आवश्यक है। किसी भी शिक्षा प्रणाली के संतुलित एवं समुचित विकास के लिए भी पाठ्यक्रम प्रारूप के विभिन्न प्रकार को समझना आवश्यक है, क्योंकि किसी एक प्रारूप पर आधारित पाठ्यक्रम से शिक्षा प्रणाली का समुचित एवं संतुलित विकास नहीं हो सकता है। अतः पाठ्यक्रम प्रारूप के विभिन्न प्रकार के विषय में जानकारी होना आवश्यक है।

पाठ्यक्रम प्रारूप के प्रकार :

पाठ्यक्रम में केन्द्रित मुख्य बिन्दु के आधार पर पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा जाता है।

(1) विषय केन्द्रित प्रारूप

(2) विद्यार्थी केन्द्रित प्रारूप

(3) समस्या केन्द्रित प्रारूप

1.9.1 पाठ्यक्रम के विषय केन्द्रित प्रारूप

इस प्रारूप के नाम से प्रतीत होता है कि पाठ्यक्रम का यह प्रारूप विभिन्न विषयों को केन्द्र में रखता है। इस प्रारूप को पारम्परिक प्रारूप भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रारूप में अधिगम के पारम्परिक क्षेत्रों के लिए पारम्परिक विषयों को, अंतर्नुशासनिक विषयों के लिए समस्या समाधान संबंधी तथा निर्णय क्षमता संबंधी प्रक्रिया को इस उद्देश्य के साथ शामिल किया जाता है, ताकि विद्यार्थी इनसे प्राप्त सूचनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सके।

- **विषय केन्द्रित प्रारूप की विशेषताएं :**

  विषम केन्द्रित प्रारूप का स्वरूप अत्यधिक संरचनात्मक होता है। अतः इसका निर्माण काफी सरल होता है।

  इस प्रारूप में विद्यार्थियों के किसी खास विषम या कोर्स से संबंधित ज्ञान के अधिकतम अर्जन पर बल दिया जाता है।

- **विषय केन्द्रित प्रारूप की सीमाएँ :**

  ➢ इस प्रारूप में अधिगम काफी सीमित हो जाता है।

  ➢ इसमें विषय वस्तु पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों एवं रूचियों की ओर ध्यान नहीं दे पाता है।

- **विषम केन्द्रित प्रारूप के प्रकार :**

    (1) विषय प्रारूप

    (2) अनुशासन प्रारूप

    (3) सहसंबंधात्म प्रारूप

    (4) प्रक्रिया प्रारूप

    (5) विस्तृत क्षेत्र प्रारूप

1.9.2 पाठ्यक्रम को विद्यार्थी केन्द्रित प्रारूप

पाठ्यक्रम के इस प्रारूप को विद्यार्थी केन्द्रित प्रारूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रारूप में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रूचियों को केन्द्र में रखकर बनाया जाता है। इस प्रकार के प्रारूप के सामान्य कार्य जैसे खेल चित्रकला, कहानी, नाट्य आदि होता है जिसमें कि बच्चों को शामिल किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को अध्ययन अध्यापन के केन्द्र में रखा जाता है। पाठ्यक्रम के विषयवस्तु अलग–अलग विषयों, भाषा, विज्ञान, कथन, कहानी आदि में विभाजित रहता है। विद्यालय पूर्व स्तर पर इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारूप को काफी महत्व दिया जाता है।

- **विद्यार्थी केन्द्रित प्रारूप की विशेषताएँ :**

    ➢ इस प्रारूप के थ्री आर (रिडिंग, राइटिंग एवं अर्थमेटिक) के संम्प्रेषण को विभिन्न कार्य कलापों में समाहित कर दिया जाता है।

    ➢ इसमें संरचनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है।

- **विद्यार्थी केन्द्रित प्रारूप की सीमाएँ :**

    ➢ यह प्रारूप विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के पक्ष को नकारता है।

    ➢ इसमें सार्वभौम पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

1.9.3 पाठ्यक्रम के समस्या केन्द्रित प्रारूप

पाठ्यक्रम के इस प्रारूप के अनुसार किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या को केन्द्र में रखकर पाठयक्रम के विषय वस्तु को संगठित किया जाता है। चूँकि इस प्रारूप के केन्द्र में वास्तविक या उपकल्पित समस्या होती है। अतः इसे समस्या केन्द्रित प्रारूप कहते है। इस प्रारूप में विद्यार्थी अधिक शामिल होते है। क्योंकि उनका उद्देश्य अपनी समस्या का समाधान करना होता है। इस प्रकार के प्रारूप में मुख्य रूप से जीवन की वास्तविक समस्याएँ, विद्यालयी जीवन की समस्याएँ स्थानीय परिस्थिति पर आधारित समस्याएं दार्शनिक एवं नैतिक समस्याएं शामिल की जाती है।

- **समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम प्रारूप की विशेषताएँ :–**

    ➢ इस प्रारूप के केन्द्र बिन्दु समस्याएँ होती है।

    ➢ इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होती है।

- **समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम प्रारूप की सीमाएँ :-**
  - इस प्रारूप में समय धन एवं आवश्यकता संसाधनों का अधिक व्यय होता है।
  - संसाधनों के अभाव में इस प्रारूप का क्रियान्वयन संभव नहीं हो सकता है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र05 बौद्धिक अश्रम विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। सही / गलत ?

....

....

प्र06 पाठ्यक्रम का उद्‌देश्य समाज एवं मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। सही / गलत ?

....

....

प्र07 पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) का सबसे पहला कदम उद्‌देश्यों का निर्माण करना है। सही / गलत ?

....

....

प्र08 पाठ्यक्रम प्रारूप मुख्यतः कितने प्रकार के होते है ?

....

....

1.10 सारांश

पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थियों के सर्वागीम विकास करने हेतु सभी घटक को शामिल किया जाता है। चूँकि मनुष्य एवं समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है। इसलिए हमारा पाठ्यक्रम भी सदैव परिवर्तनशील रहता हे। पाठ्यक्रम की अवधारणा गतिशील है क्योंकि यह समाज में होने वाले परिवर्तनों में पूर्णतः प्रभावित है। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकृति में से नियोजित पाठ्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रम छिपे हुए पाठ्यक्रम शून्य पाठ्यक्रम एवं बाहरी पाठ्यक्रम मुख्य है। पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) के सिद्धान्तों में लक्ष्य उन्मुख का सिद्धान्त अध्ययन की प्रासंगिकता का सिद्धान्त सामान्य क्षमताओं एवं कौशल को बढ़ावा देने का सिद्धान्त, बल केन्द्रित का सिद्धानत, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, उपयोगिता का सिद्धान्त, जीवन के साथ सम्बन्ध का सिद्धान्त, रचनात्मक कार्य का सिद्धान्त, संबंद्धता एवं लचीलेपन का सिद्धान्त प्रमुख है। पाठ्यक्रम प्रारूप के सभी कदमों का क्रमबद्ध तरीके से

पालन करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम प्रारूप के विषम केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित तथा समस्या केन्द्रित प्रारूप प्रमुख है।

1.11 शब्द सूची

- पाठ्यक्रम – बच्चों के वे सभी अनुभव जो विद्यालय एवं घर के वातावरण, समुदाय तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त अनुभव के सम्पूर्ण समावेश पाठ्यक्रम कहलाता है।
- विषय केन्द्रित प्रारूप – पाठ्यक्रम का वह प्रारूप जिसमें विभिन्न विषयों को केन्द्र में रखा जाता है, विषय केन्द्रित प्रारूप कहलाता है।
- विद्यार्थी केन्द्रित प्रारूप – पाठ्यक्रम का वह प्रारूप जिसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रूचियों को केन्द्र में रखा जाता है विद्यार्थी केन्द्रित प्रारूप कहलाता है।
- समस्या केन्द्रित प्रारूप – पाठ्यक्रम का वह प्रारूप जिसमें किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या को केन्द्र में रखा जाता है, समस्या केन्द्रित प्रारूप कहलाता है।

1.12 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 केली के अनुसार पाठ्यक्रम के कितने प्रकार की प्रकृति होती है ?

उत्तर–1 प्रकार की उल्लेख करें।

प्रश्न–2 मॉरिस एवं अध्यसन (2010) ने कैली के तीन अवधारणाओं के अलावा पाठ्यक्रम के किन दो प्रकृति की चर्चा की है ?

उत्तर–2 1. शून्य पाठ्यक्रम

2. बाहरी पाठ्यक्रम

प्रश्न–3 पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अंश होता है । सही गलत ?

उत्तर–3 सही।

प्रश्न–4 शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों को मिलने वाला सभी अनुभव पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है।

उत्तर–4 होलिस कैसवेल एवं डोल कैम्पवेल (1935) अनुसार।

प्रश्न–5 बौद्धिक अश्रम विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। सही / गलत ?

उत्तर–5 सही।

प्रश्न–6 पाठ्यक्रम का उद्देश्य समाज एवं मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। सही / गलत।

उत्तर–6 सही।

प्रश्न–7 पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) का सबसे पहला कदम उद्देश्यों का निर्माण करना है। सही / गलत।

उत्तर–7 गलत

प्रश्न–8 पाठ्यक्रम प्रारूप मुख्यतः कितने प्रकार के है ?

उत्तर–8 प्रकार का उल्लेख करें।

1.13 अभ्यास प्रश्न

(1) पाठ्यक्रम की अवधारणाओं को समझाएँ।

(2) पाठ्यक्रम की प्रकृति की चर्चा कीजिए।

(3) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अन्तर समझाएं।

(4) पाठ्यक्रम की परिभाषा को लिखिए।

(5) बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम समान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से किस प्रकार भिन्न है।

(6) पाठ्यक्रम प्रारूप के सिद्धान्तों को लिखिए।

(7) पाठ्यक्रम प्रारूप में पालन किये जाने वाले कदमों का वर्णन कजिए।

(8) पाठ्यक्रम प्रारूप के विभिन्न प्रकार को समझाइए।

1.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- बाइन, डी (1988) हेन्डी कैप्ड चिल्ड्रेन इन डवलपिंग कन्ट्रीज, एसेसमेंट, करिकुलम एण्ड इन्सट्रक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबर्टा, अलबर्टा।
- बॉस0सी0एस0 एवं वैगु0 एस0 (1994) स्ट्राटजी फॉर टिचिंग स्टुडेन्ट्स विद लर्निंग एण्ड विहेवियर प्रोबलैम्स, एलिन एवं ब्रेकन, बोस्टन।
- मायरेड्डी वी0 एवं नारायण जे0 (1998) फंक्सनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्ट विद माइल्ड मेन्टल रिटार्डेशन, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे0 (1990), टुआर्डन्स इनडिपेनडेन्ट सीरीज 1 से 9 एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे : मायरेड्डी वी0 एवं राव, एस0 (2002) फंक्सनल एसेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, एन0आई0एम.0एच0 सिकन्दराबाद।
- वोवरटन टी0 (1992) एसेसेमेन्ट इन स्पेशल एजुकेशन एन अप्लाइड एप्रोच, मैकमिलन न्यूयार्क।
- पांडा, के0सी0 (1997)। एजुकेशन ऑफ एकस्पेशनल चिल्ड्रेन, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- यादव, एस0 (2010), पाठ्यचर्या विकास, आगरा : श्री विनोद पुस्तक मंदिर।
- अग्रवाल, जे0सी0 (1990) करिकुलम रिफार्मस इन इंडिया नई दिल्ली।

- भट्ट, बी0डी0 एवं शर्मा एस0आर0 (1992) प्रिन्सपल्स ऑफ करिकुलम कन्स्ट्रक्शन, कनिष्का पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अगस्त (2008), पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन।

इकाई–2

पाठ्यक्रम के क्षेत्र

संरचना–

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 सामान्य एवं विशेष पाठ्यक्रम

2.4 पाठ्यक्रम के क्षेत्र (डोमेन)

2.4.1 व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र

2.4.2 सामाजिक कौशल क्षेत्र

2.4.3 शैक्षणिक कौशल क्षेत्र

2.4.4 व्यवसायिक कौशल क्षेत्र

2.4.5 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र

2.4.6 तकनीकी कौशल क्षेत्र

2.4.7 यौन शिक्षा कौशल क्षेत्र

2.4.8 भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल क्षेत्र

2.4.9 जीवन कौशल क्षेत्र

2.5 सारांश

2.6 शब्द सूची

2.7 बोध प्रश्न एवं उत्तर

2.8 अभ्यास प्रश्न

2.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

2.1 प्रस्तावना

पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव शामिल होता है जो एक छात्र को जीवन यापन के लिए समाज में आवश्यक होता है। चूँकि समाज एक अनवरत परिवर्तनशील व्यवस्था का स्वरूप है। अतः उस समाज में रहने वाले व्यक्ति की आवश्यकता भी बदलती रहती हैं परिणाम स्वरूप समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की घटक भी व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहता है। अर्थात समय एवं परिस्थित के अनुरूप समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती रहती है। चूँकि शिक्षा का

उद्देश्य इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। परिणाम स्वरूप शिक्षा का उद्देश्य भी बदलता रहता है और फिर ऐसे में शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के घटक का बदलना स्वभाविक है।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप

- समान्य एवं विशेष पाठ्यक्रम में अन्तर कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक कौशलों का वर्णन कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए जीवन कौशल का मूल्यांकन कर सकेंगें।

2.3 सामान्य एवं विशेष पाठ्यक्रम

सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए मानकों और संकेतकों का संसाधन आधार प्रदान करता है। सामान्य छात्र इन सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में पूरी तरह से भाग लेते है। जबकि बौद्धिक अक्षम बच्चों इन पाठ्यक्रम में पूर्ण भाग नहीं ले पाते है क्योंकि उनकी समस्याएं एवं आवश्यकताएं सामान्य बच्चे से काफी भिन्न होता है। अतः विशेष बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय इन बातों पर विशेष बल दिया जाता है कि पाठ्यक्रम विशेष बच्चों के आवश्यकताओं के अनुरूप हो साथ ही पाठ्यक्रम ऐसी हो जो विद्यार्थियों के उम्मीदों को बनाए रखने के साथ–साथ उन्हें उचित वातावरण एवं अवसर भी प्रदान करें।

2.3 बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम

सामान्य व्यक्ति के लिए हो या फिर बौद्धिक अक्षम बालक के लिए, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होता है। चूँकि सामान्य व्यक्ति के तुलना में बौद्धिक अक्षम बालक के पढ़ने–लिखने की क्षमता कम होती है। ऐसे में इन बालकों के लिए कार्यात्मक पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया जाता है जिससे कि ये बालक कम से कम क्षमता रखते हुए भी समाज में सही तरीके से समायोजन स्थापित कर सके तथा जीवकोपार्जन कर मर्यादापूर्वक अपना जीवन यापन कर सके।

2.4 पाठ्यक्रम के (डोमेन) क्षेत्र

पाठ्यक्रम को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने हेतु इसे कई डोमेन में बाँटा गया है। प्रत्येक डोमेन में कई कौशलों एवं क्रिया कलापों का संग्रह होता है। अक्सर देखा जाता है कि कई बार कई कौशल यह क्रिया कलाप पाठ्यक्रम के किसी एक डोमेन से नहीं बल्कि कई डोमेन से संबंधित होता है। बौद्धिक अक्षम थ्वद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कई क्षेत्र (डोमेन) शामिल किया गया है।

इन सभी डोमेन में से अधिकतर डोमेन बौद्धिक अक्षम बालक के आँकलन में प्रयोग होने वाले कई आँकलन उपकरण में शामिल किया गया है, किन्तु कुछ डोमेन किसी भी आँकलन उपकरण में शामिल नहीं किया गया है किन्तु इसकी उपयोगिता एवं महत्ता को

ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में इन डोमेन को शामिल करना अतिआवश्यक हो जाता है।

2.4.1 व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र

व्यक्तिगत कौशलों में शौच संबंधी कौशल, दाँत की सफाई, संबंधित कौशल, नहाना, खान, कपड़ा पहनाना, सजना संवरना आदि सभी कौशल शामिल है, जो एक व्यक्ति अपने नित्य प्रतिदिन के क्रिया कलाप में करते है। किन्तु इन व्यक्तिगत कौशल को पूरा करने के लिए व्यक्ति को और कई क्षेत्र के कौशलों पर आश्रित होना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे को अगर शोच का प्रयोग करना है तो वह पहले बताएगा (सम्प्रेषण), फिर वह शौचालय तक जाएगा (गामक), फिर शौचालय में बैठने से पहले शौचालय का दरवाजा लगाएगा (एकांत) आदि कौशल शामिल है। अतः हम देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र के कौशल को पूरा करने के लिए कई क्षेत्रों के कौशलों पर निर्भर होना पड़ता है। अतः ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी कौशल अलग नहीं होता है बल्कि अभिव्याप्त होते हैं। हम अपने सुविधानुसार इन कौशलों को अलग–अलग क्षेत्रों में बाँट कर अध्ययन करते है।

(1) शौच संबंधी कौशल क्षेत्र :

यह एक स्थिति जन्म क्रिया है। इस क्रिया से संबंधित कौशलों में प्रशिक्षण तभी दिया जा सकता है, जब बच्चों की इसकी आवश्यकता होगी। यह क्रियाएं स्कूल या घर पर समय के अनुकूल सिखाई जा सकती है।

शौच क्रिया सिखाने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान अवश्य दे :

- यह कौशल सिखाते समय बच्चों की निजी एकांतता का ध्यान रखना चाहिए। जब भी बच्चों को पैन्ट उतारना या पहनना सिखा रहे हो या फिर शौचालय में बैठना सिखा रहे हों तो उस समय बच्चों को दरवाजा बन्द करके यह क्रिया करना जरूर सिखाएं।
- बच्चें को वस्त्र उतारना अवश्य सिखाए। इस क्रिया को सीखने के लिए अनुकूलन का भी प्रयोग कर सकते है। उदाहरण के लिए जीप वाला पैंट की जगह पर रबर (इलास्टिक) वाला पैंट का प्रयोग कर सकता है।
- बच्चे को शौचालय में बैठने में असुविधा हो रहा हो तो दीवार के साथ हैन्डिल लगा सकते है जिससे कि बच्चे उसे पकड़कर शौचालय में बैठ सके।
- शौच के बाद खूद की सफाई करना, पानी डालना, हाथ साफ करना ये सभी कौशल बच्चों को सिखाया जाता है।
- पहले बच्चों को शोच के बाद खुद की सफाई सिखाने के लिए किसी एक को पानी, डालना पड़ता है और बच्चे सफाई करना सीखते है। बाद में बच्चे खूद पानी लेकर या फिर टोटी में अनुकूलन का प्रयोग कर खूद पानी लेकर सफाई करना सीख सकता है।

(2) दाँत की सफाई करना :

दाँत साफ करना घर या स्कूल दोनों जगह पर सिखाया जा सकता है। घर पर सुबह सो के उठने के बाद या रात में सोने से पहले सिखाया जा सकता है। स्कूल

में यह क्रिया दोपहर के भोजन के बाद सिखाया जा सकता है। इन क्रिया को सिखाने से पूर्व निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

- अगर बच्चे को ब्रश के पतली हेन्डल को पकड़ने में असुविधा हो रही, हो तो उसे लकड़ी, कपड़ा या अन्य चीजें लगाकर हेन्डल को मोटा कर दे जिससे की बच्चे आसानी से ब्रश पकड़ सके।
- जहाँ तक संभव हो सके दाँत साफ करते समय बच्चे को शीशे के सामने खड़ा कर दाँत साफ करने की प्रशिक्षण दें।
- बच्चे को अगर थूकना नहीं आता है तो शुरू में बिना पेस्ट का ब्रश करना सिखाए और साथ ही थूकना सिखाए।
- उसके बाद जो पेस्ट नुकसान दायक नहीं तो वह हल्की सी लगाए।
- दाँत साफ करने के बाद यदि बच्चा हाथ से पानी नहीं उठा पा रहा है तो छोटी ग्लास या अन्य वस्तु से पानी लेकर कुल्ला करना सिखाया जा सकता है।
- बच्चे को अपना ब्रश एवं पेस्ट का पहचान करना भी सिखाया जाना चाहिए।
- यदि बच्चा गाँव में रहता है और घर के लोग ब्रश के जगह पर दाँतून का प्रयोग करता है तो बच्चे को भी दाँतून से दाँत साफ करने की प्रशिक्षण देना चाहिए।
- बौद्धिक अक्षम बच्चे को भी बिना याद दिलाए दाँत साफ करने की आदत डलवानी चाहिए।

(3) स्नान करने का कौशल क्षेत्र :

स्नान करने की क्रिया अक्सर घर पर ही सिखाई जाती है। इस क्रिया को सिखाने में मुख्यतः माता–पिता या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता ली जाती है। इन कौशलों को स्कूल में सिखाया जााना संभव नहीं है। अतः शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्रिया से संबंधित पूरी जानकारी माता–पिता या अभिभावक को दिया जाए जिससे कि वे बच्चे को सही तरह से प्रशिक्षित कर सके।

माता–पिता या अभिभावक को निम्न सूचना अवश्य प्रदान करना चाहिए :

- माता–पिता को यह बताना चाहिए कि बच्चों को बढ़ावा दें कि वे अपने कपड़े का चुनाव खूद करें जिससे कि बच्चे उन कपड़ों को पहचान सकें एवं उसका नाम भी जान सके।
- बच्चे को मौसम के अनुसार गरम या ठंडा पानी का प्रयोग कर स्नान करने के लिए अवसर देना आवश्यक है।
- गरम पानी का आवश्यक तापमान जानने के लिए बच्चे को बताना चाहिए कि जग में थोड़ा पानी लेकर उसका तापमान उँगली से जाँच लें।
- बच्चे को यह अवश्य बताए कि स्नान करते समय या कपड़ा पहनते समय गोपनीयता बनाए रखने के लिए दरवाजा अवश्य बन्द कर दे।

- ऐसे बच्चों जिन्हें नहाते समय पीठ पर हाथ ले जाना मुश्किल होता है उन्हें पीठ साफ करने के लिए ऐसे तौलिया, कपड़े या नेट का प्रयोग करा सकते है जिनके दोनों ओर छल्ले लगे हो।

- यदि बच्चे को हाथ से साबुन पकड़कर लगाने में असुविधा हो रही है ऐसी स्थिति में स्पंज में साबुन लगाकर शरीर पर साबुन लगाना सिखा सकते है।

(4) कपड़े पहने संबंधित कौशल क्षेत्र :

इस कौशल को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है। कपड़ा उतारना एवं कपड़ा पहनना। कपड़ा उतारने संबंधित कौशल कपड़े पहनने संबंधित कौशल से आसान होता है। अतः पहले बच्चों को कपड़ा उतारना सिखाया जाता है।

कपड़ा उतारना :

कपड़ा उतारने संबंधित कौशल सिखाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :

- कपड़े बदलते समय गोपनीयता बनाए रखने हेतु दरवाजा बन्द करना सिखाना आवश्यक है।

- शुरू में बच्चे को कपड़े का चेन, बटन आदि खोल कर देना चाहिए और फिर उसे कपड़े उतारने के लिए कहना चाहिए।

- बाद में बच्चों को चैन या बटन खोलना सिखाना चाहिए।

- बच्चे को यदि जीप या बटन खोलने में असुविधा हो तो इलास्टिक वाले, वेल्क्रो या फिर टिप–टाप बटन वाले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए।

- निक्कर पैर से निकलते समय बच्चों को किसी कुर्सी या मेज का प्रयोग करना सिखाना चाहिए जिससे की बच्चें बैठकर आसानी से निक्कर निकाल सके।

(5) कपड़े पहनना :

बच्चों को कपड़े पहने की कौशल सिखाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :

- बच्चों को कपड़ा पहनना सिखाने की कौशल ऐसे कपड़े से करना चाहिए जिसे पहनना सबसे आसान है। उदाहरण स्वरूप निक्कर पहनना।

- निक्कर पहनने की कौशल सिखाते समय कुर्सी या मेज का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे बिना एक पैर पर संतुलन बनाए बैठकर निक्कर की अलग–अलग हिस्से में पैर डाल सकता है।

- बच्चे को अगर पेंट के बटन खोजने में असुविधा हो रहा हो तो इलास्टिक वाला पेंट का प्रयोग किया जा सकता है।

- फिर धीरे–धीरे बच्चे को शर्ट, टी–शर्ट, आदि भी पहनना सिखाना चाहिए।

- जब बच्चे कपड़े डालने लगे फिर उसे बटन, हुक या जीप लगाना भी सिखाना चाहिए।

- यदि बटन, हुक या जीप लगाने में कठिनाई हो तो इनकी जगह इलास्टिक, वेलक्रो या टिप–टाप बटन का प्रयोग करना चाहिए।

सजने सँवरने वाली कौशल क्षेत्र :

सामान्यतया आठ से नौ वर्ष के सामान्य बच्चा सजने सँवरने की क्रिया जैसे बाल में तेल लगाना, कंघी करना, पाउडर लगाना चप्पल या जूते पहनना सिख लेता है, किन्तु बौद्धिक अक्षम बच्चों को ये सभी क्रियाएँ व्यवस्थित रूप से विशेष विधियों द्वारा सिखाया जाता है। इन क्रियाओं को सिखाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

- सजने सँवरने के लिए हमेशा बच्चों को दर्पण के सामने खड़ा करें।
- तेल लगाना सिखाने के लिए बच्चे को पहले एक तलहथी पर थोड़ी सी तेल डाले और फिर दोनों तलहथी को आपस में रगड़ना सिखाए तत्पश्चात् दोनों तलहथी को बालों पर फेरने से बालों में तेल लग जाएगा।
- बाल झाड़ने के लिए मोटे हेण्डल वाले कंधे का प्रयोग करें।
- पाउडर लगाना सिखाने के लिए पफ का प्रयोग करें जिससे कि सभी जगह बराबर एवं हल्का पाउडर लगे। पफ के प्रयोग करने से किसी एक जगह पर ज्यादा पाउडर नहीं लगेगा।
- जूते या चप्पल पहनते समय यदि बच्चे दाहिना–बांया नहीं जानता है तो जूते चप्पल पर स्टिकर या रंग का निशान लगा दे जिससे बच्चे दाएं–बांए का पहचान कर सके।
- चूँकि जूते का फीता बांधना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में बाजार में उपलब्ध वेलक्रो या इलास्टिक वाले जूते या सेण्डल का प्रयोग कर सकते है।
- लड़कियों को बिन्दी लगाना भी सिखा सकते है।
- लड़कियों को यदि जुड़ा बनाना सिखाना है तो इसके लिए सबसे पहले तीन रंग के फीते का प्रयोग करे तत्पश्चात् तीन रंग के ऊन और फिर एक ही रंग के ऊन से जुड़ा बनाना खिखाए।
- इसके बाद कृत्रिम बालों से जुड़ा बनना सिखा सकते हैं।
- तत्पश्चात् दूसरों के बालों में जुड़ा बनना सिखाना चाहिए।
- अन्त में अपने नीचे के बालों में और फिर अपने पूरे बालों का जुड़ा बनना सिखा सकते है।
- यदि बच्चे बहुत ही कम योग्यता वाला है तो बाल छोटे रख सकते है।

(6) भोजन करने एवं पानी पीने संबंधी कौशल क्षेत्र :

भोजन करना या पानी एक स्थिति जन्म क्रिया है। यह क्रिया भी सिखा सकते है जब बच्चों को भूख या प्यास लगे। साथ ही स्कूल में यह क्रिया एक नियत समय पर ही करा सकते है, यानी खाने के समय में। खाने के समय के अलावा यदि हम

बच्चों को भोजन संबंधी क्रियाएँ सिखायेंगे तो बच्चे इस क्रिया के लिए समय पालन करना नहीं सिखेगा और फिर यह एक समस्या उत्पन्न करेगा।

- भोजन करने एवं पानी पीने संबंधी कौशल सिखाने हेतु निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।
- स्कूल में खाने संबंधी क्रिया सिखाने के लिए भोजन अवकाश का उपयोग किया जाना चाहिए।
- बच्चों को यह अवसर जरूर देना चाहिए कि जब भूख लगती है तो खाना खाते है।
- भोजन के पूर्व एवं भोजनोपरान्त बच्चे को हाथ धोना सिखाना चाहिए।
- बच्चे को अवसर देना चाहिए कि भोजन के समय वे अपने–अपने भोजन के डिब्बे खूद निकालें।
- भोजन के बाद अपने समान को यथा स्थान रखें।
- बच्चों को अपना खाना अपने दोस्तों के साथ बाँटने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- बच्चों को यदि चम्मच पकड़ने में असुविधा हो रही हो तो चम्मच के हेण्डल को मोटा करने के लिए कपड़े या लकड़ी लगा सकते है या फिर मोटे हेण्डल वाले चम्मच का प्रयोग कर सकते है।
- इसी तरह यदि बच्चों को चम्मच से खाना उठाने में असुविधा हो तो किनारे वाले प्लेट या कटोरी का प्रयोग कर सकते है। या फिर पानी पीते समय बच्चों को ग्लास पकड़ने में असुविधा हो तो हेण्डल वाले कप का प्रयोग कर सकते है।

पीने संबंधी कौशल सिखाते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए।

- शुरू में छोटे एवं हैण्डल वाले ग्लास या कप का प्रयोग कर सकते है।
- प्रारम्भ में सिर्फ एक चौथाई या फिर थोड़ी सी पानी कप में डालें।
- पानी की जगह पर बच्चे के पसन्द की वस्तु जैसे जूस या लस्सी भी ले सकते है। पसंद की चीजों के प्रयोग करने से बच्चे क्रिया करने में रूचि लेंगे।
- बाद में धीरे–धीरे कप में पानी, जूस या लस्सी की मात्रा बढ़ा सकते है।
- पीना सिखाते समय प्लास्टिक वाली छोटी एपरन का प्रयोग कर सकते है, जिससे कि बच्चे का कपड़ा गन्दा नहीं होगा।

भोजन संबंधी कौशल :

भोजन संबंधी कौशल सिखाने के लिए शुरू में ठोस खाद्य पदार्थ से शुरूआत करनी चाहिए जैसे बिस्कुल चीप्स, पराठा, पूरी तथा चपाती के टुकड़े आदि।

- प्रारम्भ में न चिपकने वाले भोजन सामग्री से सिखाने का शुरूआत करनी चाहिए।
- तत्पश्चात् बच्चे, दाल या सब्जी के साथ खाता हो तो वह भी रखना चाहिए जिससे कि रोटी, पराठा या पूरी दाल या सब्जी में लगाकर खाएं।
- चावल, दाल खिलाते समय चावल एवं दाल मिलाकर खाने के लिए दें।
- बच्चे यदि हाथ से खाता है तो चावल दाल के छोटे–छोटे गोले बनाकर रख दें जिसे बच्चे हाथ से उठाकर खा सकें।
- खाना खाते समय बच्चे को यह भी बताते रहना है कि वह क्या खा रहा है जिससे वे खाने की वस्तु का पहचान कर सके।
- खाना खाते समय थोड़ा–थोड़ा खाना प्लेट में रखना चाहिए। एक बार में पूरा खाना प्लेट में नहीं रखना चाहिए।
- बच्चे अगर बड़े है तो खाना देने से पूर्व पसन्द किया है ? वह क्या खाना चाहता है? यह सुनिश्चित कर ही खाना देना चाहिए।
- खाना खाने के बाद प्लेट ग्लास उठाकर यथा स्थान रखना या फिर साफ करना भी सिखाना चाहिए।

2.4.2 सामाजिक कौशल क्षेत्र

सामान्य या बौद्धिक अक्षम बच्चे दोनों के लिए यह कौशल सिखाना अति आवश्यक है। सामान्य बच्चों को एक बार बताने या सिखाने से वे सीख जाते है। कई सामाजिक कौशल तो वे दूसरों को करते देखकर सिख लेता हे। किन्तु बौद्धिक अक्षम बच्चे बहुत ही अवांछनीय व्यवहार करता है जिसके कारण ये बच्चे समूह में असमान्य दीखते है। उचित समूह के साथ सही समाजीकरण के अभाव में अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चे अपने हम उम्र के बच्चों के बजाय छोटे बच्चों के साथ खेलना पसन्द करते है। अतः इन बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों एवं वातावरण के तौर तरीकों के साथ–साथ समूह में कैसा सामाजिक व्यवहार किया जाना चाहिए यह खिखाना अति आवश्यक है। सामाजिक कौशलों को सिखाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

- सामाजिक कौशल सिखाने के लिए उचित परिस्थितियों का प्रयोग करना अति आवश्यक है।
- सामाजिक कौशल सिखाने के लिए स्कूल, पड़ोस या फिर समुदाय के परिस्थितियों का उपयोग कर सकते है।
- कई सामाजिक क्रियायें जैसे लाइन में खड़ा होना, अपनी बारी का इन्तजार करना, बाँटना सहयोग के साथ खेलना आदि क्रियाएँ सामान्यतया स्कूल में सिखाया जाता है।
- परेशान होने या पिटने की अवस्था में ऐसी हालात को प्रतिबंधित करना या सहायता माँगना भी एक सामाजिक कौशल है।
- स्कूल में सिखाए जा रहे सामाजिक कौशलों के बारे में बच्चे के माता–पिता या अभिभावकों को बताना आवश्यक है जिससे की वे भी इन कौशलों को घर पर

अभ्यास कर सके। इससे बौद्धिक अक्षम बच्चों में वांछनीय व्यवहार विकसित करने में सहायता मिलेगी।

- बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने सामानों की देखभाल करना दूसरों से धक्का न खाना, अपने अधिकारों का समझ रखना आदि कौशलों को सिखाना अति आवश्यक है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 पाठ्यक्रम परिवर्तनशील होता है। सही/गलत

....

....

प्र02 बौद्धिक अक्षम बच्चों का पाठ्यक्रम समान्य बच्चों के पाठ्यक्रम के जैसा ही होता है। सही/गलत

....

....

प्र03 शौच संबंधी कौशल व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सही/गलत

....

....

2.4.3 शैक्षिणक कौशल क्षेत्र

चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों में सोचने समझने की क्षमता कम होती है। अतः वे सामान्य पाठ्यक्रम में सामंजस स्थापित नहीं कर पाते है। फलतः इन बच्चों के लिए कार्यात्मक शैक्षणिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। कार्यात्मक शिक्षा से हमारा तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें विद्यार्थियों को मुख्यतः सक्षरता एवं गण्नात्मक संबंधित शिक्षा दी जाती है। इन बच्चों के लिए कार्यात्मक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि ऐसी शिक्षा से वे समाज में आत्मनिर्भर हो सकेंगे तथा अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे। इन बच्चों के पाठ्यक्रम में अनावश्यक शैक्षिक विषय को शामिल नहीं किया जाता है जिनका दैनिक जीवन क्रियाओं में अधिक महता नहीं हो। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया रोजमर्रा की आम क्रियाओं से संबंधित होनी चाहिए जिससे कि वे कक्षा में सिखाए गए कौशलों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें।

शैक्षणिक कौशल क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यात्मक पठन, कार्यात्मक लेखन एवं कार्यात्मक गणित शामिल है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल सिखाने से पहले सिखाने के चरण को ध्यान में रखना आवश्यक है। बच्चों को कोई भी अवधारण सिखाने से पहले सीखाने के चरण एवं क्रम को अवश्य ध्यान में रखें। बच्चों को पहले सुनने, बोलने, पढ़ने और फिर लिखने के कौशल सिखाए जाने चाहिए। सीखने के इस प्राकृतिक क्रम को ध्यान नहीं रखने पर किसी भी कौशल को सिखाने में काफी कठिनाई आएगी। कार्यात्मक

लेखन एवं कार्यात्मक गणितीय ज्ञान प्रदान करते समय इसे सिखाने के चरण को अवश्य ध्यान में रखे।

2.4.3 (1) कार्यात्मक पाठन

कार्यात्मक पाठन से हमारा तात्पर्य ऐसे मुद्रित शब्दों को पढ़ने से है जिसका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु करता है। कर्मात्मक पाठन कौशल को विकसित करते समय शिक्षकों एवं अभिभावकों को निम्न बिन्दु का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

- सबसे पहले बौद्धिक अक्षम बच्चों को पाठन कराने के उद्देश्यों को जानना अति आवश्यक है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठन का पहला उद्देश्य उनके संरक्षण हेतु है।
- पाठन का दूसरा उद्देश्य सूचना एवं निर्देश के लिए है। यानी उनको समाचार पत्र, टेलीफोन पुस्तक, नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र आदि सिखाना आवश्यक है।
- पाठन का तीसरा संतुष्टि, मनोरंजन एवं आनन्द के लिए है, जिसमें समाचार पत्र, टेलीफोन पुस्तक, नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र आदि सिखाना आवश्यक है।
- पाठन का तीसरा संतुष्टि, मनोरंजन एवं आनन्द के लिए है जिसमें ये पत्र, पत्रिकाएँ आदि पढ़ते है।

चूँकि बौद्धिक अक्षमता की गम्भीरता अल्प से लेकर अति गम्भीर तक होता है, अतः सभी बच्चे उपरलिखित सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। कुछ बच्चे सिर्फ एक–एक लक्ष्य हासिल कर पाता है तो कुछ दो और कुछ बच्चे तीनों लक्ष्य प्राप्त कर पाते है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों को पाठन कौशल सिखाने के लिए क्रमबद्ध चरण एवं तरीकों का पालन करना अति आवश्यक है। पाठन सिखाने के लिए पूर्ण शब्द विधि मिलान करना या फिर शब्दों का समूहीकरण विधि प्रमुख है। कार्यात्मक पाठन प्रशिक्षण के लिए मुख्यतः तीनों चरणों मिलान करना, पहचान करना तथा नामकरण करने को क्रमबद्ध तरीके से पालन करना आवश्यक है।

2.4.3 (2) कथात्मक लेखन

कार्यात्मक लेखन से तात्पर्य ऐसे लेखन से है जिसका प्रयोग बच्चों आपने दैनिक क्रिया कलाप में कर सकें तथा समाज में आत्मनिर्भर बन सके। लेखन लिखित सम्प्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। लेखन क्रिया को सम्पन्न करने के लिए कई क्रियाएँ शामिल होती है। उदाहरण के लिए आँख हाथ का समन्वय, गामक समन्वय, दिशा बोध, चिन्हों एवं प्रतीकों का पहचान आदि आवश्यक है। लेखन शिक्षण के लिए लेखन के चरणों के क्रमबद्ध तरीकों से पालन करना अति आवश्यक है। लेखन शिक्षण के मुख्यतः चार चरण होते है ट्रेसिंग, बिन्दुओं का मिलान करके लिखना, नकल करके लिखना तथा अपने आप स्मरण से लिखना। इन चारों चरणों का क्रमबद्ध तरीके से पालन किया जाना अति आवश्यक है। पहला चरण सीखने के बाद ही बच्चों को दूसरा चरण सिखाना चाहिए। कार्यात्मक लेखन में भी कौन सा बच्चा किस स्तर तक सीखता है यह उसके बौद्धिक अक्षमता के स्तर पर निर्भर करता है।

2.4.3 (3) कार्यात्मक गणित शिक्षण

कार्यात्मक गणित शिक्षण से हमारा तात्पर्य ऐसे अंकगणितीय ज्ञान से है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन में कर सकें। इससे व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक क्रिया कलाप को सफल बनाने के लिए अंकगणितीय ज्ञान होना अति आवश्यक है। अंकगणितीय शिक्षण प्रारम्भ करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि बच्चे पूर्व गणितीय अवधारणाओं जैसे ज्यादा–कम, पूरा–आधा, दूर–पास भारी–हल्का, बड़ा–छोटा आदि जानता है। अंकगणितीय शिक्षण प्रारम्भ करने से पहले शिक्षक एवं अभिभावक को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

- विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर लेना चाहिए।
- अवधारणाओं को सिखाते समय मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए।
- विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु कार्यक्रम को लचीला होना चाहिए।
- चयनित सामग्री का प्रयुक्त स्कूल तथा स्कूल के बाहर अर्थपूर्ण ढ़ंग से होना चाहिए।
- निर्देश व्यवहारिक एवं कार्यात्मक हो।
- शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए।
- संख्या कौशलों के लिए व्यवहारिक अनुभव एवं परिस्थितियाँ प्रदान करनी चाहिए।
- कौशलों का सामानीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- अंकगणितीय कौशल सिखाते समय सभी चरणों का क्रमबद्ध तरीकों से पालन करना आवश्यक है।

2.4.4 व्यवसायिक कौशल क्षेत्र

व्यवसायिक कौशल से हमारा तात्पर्य ऐसे कौशलों से है जिसका उपयोग भविष्य में व्यवसायिक कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवकोपार्जन के लिए किसी न किसी व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए किसी न किसी व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। एक बौद्धिक अक्षम बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सम्पूर्ण विकास एवं कौशलों में प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम विषय सूची, माध्यमिक एवं पूर्व व्यवसायिक स्तर की तुलना में काफी कम होती है। घर का रखरखाव, खाना बनाना, खरीदारी करना, यात्रा करना आदि व्यवसायिक कौशल के अन्तर्गत आता है। अधिकतर व्यवसायिक कौशल एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। शिक्षकों एवं अभिभावकों को व्यवसायिक कौशलों में प्रशिक्षण देते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

- व्यवसायिक कौशल बच्चों के स्तर एवं रूचि के अनुरूप हो।
- किसी एक क्रिया कलाप से संबंधित विभिन्न व्यवसायिक कौशलों का चयन प्रशिक्षण के लिए एक साथ चुने।
- इन कौशलों का अधिक से अधिक दैनिक जीवन में सामानीकरण करें।

- प्रशिक्षण देते समय अधिक से अधिक मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करें।
- प्राथमिक, माध्यमिक एवं पूर्व व्यवसायिक स्तर के व्यवसायिक कौशलों में आपसी सामंजस्य स्थापित हो।

2.4.5 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र

समाज के सभी स्तर एवं सभी उम्र के व्यक्ति को मनोरंजनात्मक क्रिया कलाप की आवश्यकता होती है। मनोरंजनात्मक क्रिया कलाप मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य रहने के लिए सभी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए समय निकाल लेता है तथा मनोरंजनात्मक क्रिया कलापों का चयन भी कर लेते है। किन्तु बौद्धिक अक्षम बच्चे अपने मनोरंजन के लिए न तो समय निकाल पाता है और न ही मनोरंजनात्मक क्रिया कलाप संबंधित निर्णय कर पाता है, क्योंकि इनमें सोचने समझने की क्षमता काफी कम होती है। अतः शिक्षकों एवं अभिभावकों को इन बच्चों को मनोरंजनात्मक क्रिया कलाप सिखाने के लिए भी योजना बनाना पड़ता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों की मनोरंजनात्मक क्रिया कलाप सीखाने के लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

- मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप बच्चों के स्तर एवं रूचि के अनुरूप होना चाहिए।
- मनोरंजनात्मक क्रिया कलापों के लिए प्रयोग होने वाले सामग्री में आवश्कता अनुसार अनुकूलन करना चाहिए।
- मनोरंजनात्मक कौशलों को सिखाने के लिए निश्चित समय का निर्धारण करना चाहिए।
- बच्चों को मनोरंजनात्मक क्रिया कलाप चयन करने का अवसर प्रदान करना चाहिएं।

2.4.6 तकनीकी एवं कम्प्यूटर कौशल क्षेत्र

21वीं सदी को तकनीकी युग कहा जाता है। आज कम्प्यूटर एवं तकनीकी के बिना एक कदम भी मुश्किल है। घर हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर बाजार हो तकनीकी पूर्ण रूप से छाया हुआ हे। हमारे हर क्रिया कलाप जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, संचार आदि हर क्षेत्र में तकनीकी पूर्ण रूप से जड़ जमा चुका है। इसके बिना एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थिति में बौद्धिक अक्षम बच्चों को कम्प्यूटर एवं तकनीकी संबंधी शिक्षा दिए बिना उनका पुनर्वास के बारे में सोचना ही बेकार है। आज समाज जिस दिशा में आगे बढ़ रही है बौद्धिक अक्षम बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण भी उसी दिशा में आगे पढ़नी चाहिए तभी उसका सही मायने में पुनर्वास हो सकेगा। यह कौशल क्षेत्र मुख्यतः सामूहिक एवं व्यक्तिगत सीखने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यह व्यक्ति को अपने सुविधा, समय एवं क्षमता के अनुरूप किसी भी कौशल को सीखने में मदद करता है। इस कौशल क्षेत्र में मुख्यतः कम्प्यूटर कौशल, इन्टरनेट का प्रयोग एवं अन्य तकनीकी उपकरणों का प्रयोग शामिल है।

2.4.7 यौन शिक्षा क्षेत्र

यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सामान्य बच्चे हो या फिर विशेष बच्चे सबों को यौन शिक्षा देना अति आवश्यक हो जाता है। सामान्य बच्चे बहुत कुछ घर या समाज में देखकर

सिख लेता है। किन्तु बौद्धिक अक्षम बच्चों में देखकर अपने आप सीखने की क्षमता बहुत कम होती है साथ ही इनमें अच्छे एवं बुरे का निर्णय करने की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे में इन बच्चों के लिए यौन शिक्षा अति आवश्यक हो जाता है। प्राथमिक स्तर के तुलना में माध्यमिक एवं पूर्व व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम में इस क्षेत्र में कौशलों की संख्या काफी अधिक होती है। पुरूष महिला का पहचान करना, विपरीत लिंग के साथ उचित व्यवहार करना, पुरूष एवं महिलाओं के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पोशाक एवं वस्तुओं का पहचान करना आदि इस क्षेत्र के मुख्य कौशल है। यौन शिक्षा हेतु योजना बनाते समय शिक्षकों एवं अभिभावकों को निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

- यौन शिक्षा के कौशलों का चयन बच्चों के उम्र एवं क्षमता को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
- यौन शिक्षा प्राथमिक स्तर से शुरू कर देना चाहिए।
- यौन शिक्षा हेतु वास्तविक अवसर का उपयोग किया जा सकता है। जैसे शौचालय करते समय महिला एवं पुरूष शौचालय का पहचान करना।

2.4.8 भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल क्षेत्र

भाषा एवं सम्प्रेषण के बिना मानव जीवन सम्भव नहीं है। सामान्य बच्चों में भाषा एवं सम्प्रेषण का विकास समयानुसार अपने आप होता चला जाता है। चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों के सभी क्षेत्रों में विकास पिछड़ा रहता है। अतः इनमें भाषा एवं सम्प्रेषण का भी विकास पिछड़ा रहता हैं। इसलिए बौद्धिक अक्षम बच्चों में भाषा एवं सम्प्रेषण को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के कौशलों को सही तरीकों से सीखाना अति आवश्यक हो जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों की भाषा एवं सम्प्रेषण संबंधी कौशलों को सिखाने हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों को निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

- बच्चों को उसी भाषा को सिखाना चाहिए जिसका प्रयोग वे घर स्कूल एवं समुदाय में करता हो।
- शब्दों एवं वाक्यों का चयन बच्चों के विकासात्मक स्तर के अनुरूप होना चाहिए।
- शुरू में ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो बच्चे अपने वातावरण में सुने एवं प्रयोग करें।
- गाना एवं कहानी क्षेत्रीय भाषा में ही चयन करें।
- सुग्राही भाषा के अधिक से अधिक विकास के लिए मूर्त वस्तु एवं सामग्री का प्रयोग कर सकते है।
- भाषा एवं सम्प्रेषण सिखाते समय शिक्षण सिद्धान्तों का पालन अवश्य करना चाहिए।
- कहानी, नाटक पढ़ने के लिए कठपुतलियों का प्रयोग कर सकते है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों में कई बार सुग्राही भाषा के तुलना में अभिव्यक्ति भाषा बहुंत कम होता है या फिर विकसित नहीं हो पाता है। ऐसी अवस्था में वैकल्पिक सम्प्रेषण कौशलों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

2.4.9 जीवन कौशल क्षेत्र

जीवन कौशल किसी भी व्यक्ति के अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की क्षमता है जो व्यक्ति को अपने जीवन की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों से प्रभावी ढ़ंग से निपटने

में सक्षम बनाता है। जीवन कौशल सामाजिक मानदंडों एवं सामुदायिक अपेक्षाओं के आधार पर बदलता रहता है। यह कौशल व्यक्ति को समुदाय के सक्रिय एवं उत्पादक सदस्य बनाने में मदद करता है। आत्म जागरूकता, रचनात्मक सोच, निर्णय लेना, प्रभावी सम्प्रेषण, तनाव में जुझना तथा भावना प्रबंधन करना आदि मुख्य जीवन कौशल है। सामान्य व्यक्तियों में समय एवं परिस्थिति के अनुसार जीवन कौशल विकसित हो जाता है। चूंकि बौद्धिक अक्षम बच्चों में सोचने समझने की क्षमता कम होती है अतः इन बच्चों को व्यवस्थित ढ़ंग से जीवन का कौशल सिखाना पड़ता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को जीवन कौशल सिखाने के लिए जोड़े में काम करना, भूमिका निभाना एवं खेल के द्वारा आदि विधियों का प्रयोग कर सिखाया जा सकता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को जीवन कौशल प्रशिक्षण देते समय शिक्षक एवं अभिभावकों को निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

- जीवन कौशल बच्चों के उम्र एवं क्षमता के अनुरूप होना चाहिए।
- कौशलों को व्यवस्थित रूप से सिखाना चाहिए।
- अधिक से अधिक वास्तविक परिस्थितियों का प्रयोग करना चाहिए।
- अपन सहायता धीरे–धीरे कम करना चाहिए।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र04 बौद्धिक अक्षम बच्चों को क्रिया कलाप सिखाने के लिए वस्तुओं में अनुकूलन नही किया जा सकता है। सही/गलत

....

....

प्र05 बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्यात्मक शिक्षा दी जाती है। सही/गलत

....

....

प्र06 व्यवसायिक कौशल में रोजगारोंनुमखी कौशल शामिल नहीं होता है। सही/गलत

....

....

2.5 सारांश

पाठ्यक्रम में स्कूल के अन्दर एवं स्कूल के बाहर के वे सभी अनुभव शामिल होता है जो एक छात्र को स्वतंत्र जीवन यापन के लिए समाज में आवश्यक होता है। सामान्य

विद्यालय में सामान्य बच्चों के लिए शिक्षकों को पाठ्यक्रम प्रदान की जाती है किन्तु बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों को बच्चों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम खूद विकसित करना पड़ता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए शिक्षकों को सिर्फ पाठ्यक्रम दिशा निर्देश मिलता है। क्योंकि इन बच्चों में काफी विभिन्नता होती है। पाठ्यक्रम को कई क्षेत्रों में बॉटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में अनेक कौशल होते है जो सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित होता है। प्रत्येक क्षेत्र के कौशल को सिखाने के लिए अलग–अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है।

2.6 शब्द सूची

- **व्यक्तिगत कौशल :** व्यक्तिगत कौशलों में शौच संबंधी कौशल, दाँत की सफाई, संबंधित कौशल, नहाना, खाना, कपड़ा पहनाना, सजना संवरना आदि सभी कौशल शामिल है, जो एक व्यक्ति अपने नित्य प्रतिदिन के क्रिया कलाप में करते है।
- **शौच संबंधी कौशल :** यह एक स्थिति जन्म क्रिया है। इस क्रिया से संबंधित कौशलों में प्रशिक्षण तभी दिया जा सकता है, जब बच्चों की इसकी आवश्यकता होगी।
- **कार्यात्मक पाठन :** कार्यात्मक पाठन से हमारा तात्पर्य ऐसे मुद्रित शब्दों को पढ़ने से है जिसका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु करता है।
- **कथात्मक लेखन :** कार्यात्मक लेखन से तात्पर्य ऐसे लेखन से है जिसका प्रयोग बच्चों आपने दैनिक क्रिया कलाप में कर सकें तथा समाज में आत्मनिर्भर बन सके।
- **कार्यात्मक गणित शिक्षण :** कार्यात्मक गणित शिक्षण से हमारा तात्पर्य ऐसे अंकगणितीय ज्ञान से है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन में कर सकें।

2.7 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 पाठ्यक्रम परिवर्तनशील होता है। सही/गलत

उत्तर–1 सही

प्रश्न–2 बौद्धिक अक्षम बच्चों का पाठ्यक्रम समान्य बच्चों के पाठ्यक्रम के जैसा ही होता है। सही / गलत।

उत्तर–2 गलत

प्रश्न–3 शौच संबंधी कौशल व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सही / गलत

उत्तर–3 सही

प्रश्न–4 बौद्धिक अक्षम बच्चों को क्रिया कलाप सिखाने के लिए वस्तुओं में अनुकूलन नही किया जा सकता है। सही / गलत

उत्तर–4 गलत

प्रश्न–5 बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्यात्मक शिक्षा दी जाती है। सही / गलत

उत्तर–5 सही

प्रश्न–6 व्यवसायिक कौशल में रोजगारोंनुमखी कौशल शामिल नहीं होता है। सही / गलत।

उत्तर–6 गलत

2.8 अभ्यास प्रश्न

1. पाठ्यक्रम से आप क्या समझते है ?
2. पाठ्यक्रम के कौन–कौन से क्षेत्र है ?
3. व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
4. सामाजिक कौशल क्षेत्र से आप क्या समझते है ?
5. कार्यात्मक शिक्षा से आप क्या समझते है ?

2.9 संदर्भ ग्रन्थ

- बॉस0सी0एस0 एवं वैगु0 एस0 (1994) स्ट्राटजी फॉर टिचिंग स्टुडेन्ट्स विद लर्निंग एण्ड विहेवियर प्रोबलैम्स, एलिन एवं ब्रेकन, बोस्टन।
- मायरेड्डी वी0 एवं नारायण जे0 (1998) फंक्सनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्ट विद माइल्ड मेन्टल रिटार्डेशन, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे0 (1990), टुआर्डन्स इनडिपेनडेन्ट सीरीज 1 से 9 एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे : मायरेड्डी वी0 एवं राव, एस0 (2002) फंक्सनल एसेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, एन0आई0एम.0एच0 सिकन्दराबाद।
- वोवरटन टी0 (1992) एसेसेमेन्ट इन स्पेशल एजुकेशन एन अप्लाइड एप्रोच, मैकमिलन न्यूयार्क।
- पांडा, के0सी0 (1997)। एजुकेशन ऑफ एकस्पेशनल चिल्ड्रेन, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- नारायण, जे0 एवं कुट्टी ए0टी0टी0 (1989) हेन्डबुक फॉर ट्रेनर्स ऑफ द मेन्टली रिटार्डेड प्रसंस प्री प्राइमरी लेवेल, एन0आई0एन0एच0 सिकन्दराबाद।
- यादव, एस0 (2010), पाठ्यचर्या विकास, आगरा : श्री विनोद पुस्तक मंदिर।
- अग्रवाल, जे0सी0 (1990) करिकुलम रिफार्मस इन इंडिया नई दिल्ली।
- भट्ट, बी0डी0 एवं शर्मा एस0आर0 (1992) प्रिन्सपल्स ऑफ करिकुलम कन्स्ट्रक्शन, कनिष्का पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अगस्त (2008), पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन।
- मुरूनालनी, टी (2008) करिकुलम डवलमेंट हैदराबाद नीलकमल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड।
- इग्नू (1997) करिकुलम एण्ड इन्स्ट्रक्शन (ब्लाक 1 एवं 2) नई दिल्ली : इग्नू।
- कैर, जॉन एफ0 (ed.) (1977) चेजिंग द करिकुलम, लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन प्रेस लिमिटेड।
- यादव, सियाराम (2011) पाठ्यचर्या विकास, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन।
- भरवद, जे0ए0 (2010), करिकुलम इवाल्युएशन, इन्टरनेशनल रिसर्च जरनल, सितम्बर, 1 (1) 72–74.

इकाई–3

पाठ्यक्रम के विकास

संरचना–

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 पाठ्यक्रम विकास के उद्देश्य
3.4 पाठ्यक्रम विकास के सिद्धान्त
3.5 पाठ्यक्रम विकास के लिए बुनियादी विचार
3.6 पाठ्यक्रम विकास के चरण
3.7 पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया
3.8 पाठ्यक्रम का विकास
3.9 सारांश
3.10 शब्द सूची
3.11 बोध प्रश्न एवं उत्तर
3.12 अभ्यास प्रश्न
3.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची

3.1 प्रस्तावना

शिक्षण प्रशिक्षण के तीनों घटकों में से पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण घटक है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षक एवं विशेष शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण की तैयारी करता है। इसके द्वारा ही मनुष्य एवं समाज की आवश्यकताओं तथा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षार्थियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास शिक्षकों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षकों को शिक्षण कार्य पूरा करने में एक मार्ग दर्शन का काम करता है। पाठ्यक्रम शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि किस विशेष कक्षा कब, क्या और कितना पढ़ाना है। यह शिक्षार्थियों को किस स्तर पर कितना पढ़ना–लिखना है यह लक्ष्य निर्धारण करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम शिक्षक के साथ–साथ शिक्षार्थियों का भी पथ प्रदर्शन का काम करता है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की अवधारणा काफी विस्तृत है। आज शिक्षार्थी कक्षा के अन्दर जो भी ग्रहण करता है, उसके साथ–साथ कक्षा के बाहर जो भी अनुभव प्राप्त करता है वह भी पाठ्यक्रम में शामिल है। पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों के बीच जोड़ने का काम करता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षक विद्यार्थियों को आवश्यक एवं नवीन ज्ञान की दिशा देने का काम करता है। वास्तव में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ–साथ व्यक्ति, समाज, देश एवं विश्व का सर्वांगीण विकास हो सके।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप –

- पाठ्यक्रम विकास के उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक व्याख्या सकेंगे।
- पाठ्यक्रम विकास के सिद्धान्तों को वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम विकास के चरणों का वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का विकास कर सकेंगे।

3.3 पाठ्यक्रम विकास के उद्देश्य

पाठ्यक्रम का उद्देश्य सामान्य एवं विशेष व्यक्तियों के जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। क्योंकि विद्यार्थी जो कक्षा के अन्दर एवं बाहर सीखता है सभी पाठ्यक्रम में शामिल है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को किसी एक क्षेत्र में सीमाबद्ध करना उचित नहीं होगा। किन्तु इसके मुख्य उद्देश्यों को चिन्हित करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम वे मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है –

- व्यक्तिगत पर्याप्तता हासिल करना।
- सामाजिक योग्यता प्राप्त करना।
- आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना।
- लोकतंत्रात्मक सोच का विकास करना।
- शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों को तैयार करना।
- विद्यार्थियों में सत्य, निष्ठा एवं ईमानदारी के भाव का विकास करना।
- आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास करना।
- ऐसे गुणों को बढ़ावा देना जिससे मनुष्य में मानवता का विकास हो।
- बच्चों को सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करना।
- नये ज्ञान प्राप्त करने हेतु सही वातावरण का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय बन्धुत्व के भावना का विकास करना।
- बच्चों को जागरूक नागरिक बनाना आदि।

3.4 पाठ्यक्रम विकास के सिद्धान्त

किसी भी पाठ्यक्रम को तैयार करते समय कई बिन्दुओं का ध्यान रखना पड़ता है। सामान्य या विशेष बच्चें के लिए पाठ्यक्रम बनाने के मुख्य सिद्धान्त तो एक जैसा ही है।

किन्तु जब हम विशेष बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते है तो सामान्य सिद्धान्तों के अलावा कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम सामान्य सिद्धान्तों की चर्चा करेंगे और फिर बाद में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकास करने के विशिष्ट सिद्धान्तों की चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम विकास करते समय निम्न सिद्धान्तों का ध्यान रखना आवश्यक है।

पाठ्यक्रम विकास के सामान्य सिद्धान्त :

- **जीवनोपयोगी का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम तैयार करते समय, पाठ्यक्रम में उन्हीं विषय वस्तुओं या क्रिया कलापों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चों के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए उपयोगी हो तथा उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयवस्तु तथा कार्यक्रमों का समावेषण हो जो बच्चों को इस योग बना दें कि वे बड़े होने के पश्चात् प्रभावपूर्ण ढंग से अपने व्यक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कार्यों में भाग ले सके तथा अपने वर्तमान जीवन को सरलता पूर्वक व्यतीत कर सके।

- **रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम में ऐसे सभी विषय वस्तु एवं क्रिया कलापों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चों के रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता को विकसित कर सके। प्रत्येक बच्चे में किसी न किसी रूप में या किसी न किसी क्षेत्र में रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य करने की योग्यता अवश्य होती है। अतः पाठ्यक्रम बच्चों के इन छिपी हुई योग्यताओं को विकसित करने में मदद कर सके।

- **क्रियाशीलता का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम में ऐसे क्रियाओं एवं अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मददगार सिद्ध हो सके। पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक दैनिक क्रिया–कलापों तथा अनुभवों को स्थान देना चाहिए।

- **उत्तम आदर्श एवं नैतिकता का सिद्धान्त :**

  समाज में सफल जीवन यापन के लिए बच्चों में शिष्टता एवं नैतिकता का गुण विकसित होना अति आवश्यक है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे घटक शामिल किए जाने चाहिए जिससे बच्चों को यह बताया जा सके कि नैतिक मूल्य क्या है ? इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? पाठ्यक्रम में ऐसे विषय वस्तु तथा कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे बच्चों में मानवता, समाज, देशभक्ति एवं परोपकार की भावनाओं का विकास हो सके।

- **लचीलेपन का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम का विकास करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम कठोर (rigid) न हो। पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए जिससे कि बच्चों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अनुरूप उसमें बदलाव किया जा सके। पाठ्यक्रम लचीला होगा तभी हम इनमें दिन प्रतिदिन बदलते चीजों को शामिल कर सकते तथा पुराने अनावश्यक चीजों को छोड़ सकते है।

- **विकास एवं प्रगतिशील का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम परिवर्तन शील होता है। व्यक्ति एवं समाज के आवश्कताओं के अनुसार समय–समय पर हमें पाठ्यक्रम बदलना पड़ता है, जो बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करता है। हमें व्यक्ति समय एवं राष्ट्र के विकास एवं परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम विकास करना चाहिए।

- **सह–सम्बन्धता का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम के सभी विषय वस्तुओं एवं क्रिया कलापों को एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी एक विषय वस्तु का ज्ञान दूसरे विषय वस्तु के ज्ञान के लिए आधार का काम करें। जब सभी विषय वस्तु एक दूसरे से जुड़ी होगी तभी पाठ्यक्रम प्रभावशाली हो सकता है।

- **सर्वांगीण विकास का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम में उन सभी विषय वस्तु या क्रिया कलापों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब बच्चों का सर्वांगी विकास होगा।

- **संतुलन का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम का विकास करते समय सभी विषय वस्तु एवं क्रिया कलापों को समान महत्व देना चाहिए तभी पाठ्यक्रम संतुलित होगा एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। किसी एक खास विषय या पहलू को यदि अधिक महत्व दिया जायेगा तो पाठ्यक्रम संतुलित नहीं होगा और न ही बच्चों का संतुलित विकास होगा।

पाठ्यक्रम विकास के विशिष्ट सिद्धान्त :

चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों में सोचने समझने तथा सीखने की क्षमता समिति होता है। अतः इन बच्चों के लिए पाठ्यक्रमों का विकास करते समय ऊपर वर्णित सिद्धान्तों के साथ–साथ निम्नलिखित सिद्धान्तों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है चाहे बच्चा किसी उम्र, लिंग या गंभीरता स्तर का हो।

- **आयु अनुरूपता का सिद्धान्त :**

  बौद्धिक सक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम उसके उम्र, क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप बदल जाता है। इन बच्चों का पाठ्यक्रम उनके स्तर से ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर बच्चे सीख नहीं पाते है और उनमें निराशा होती है। कम उम्र के बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा दैनिक क्रिया कलाप शामिल होता है और जैसे जैसे बड़े होते है पाठ्यक्रम में पूर्व व्यवसायिक स्तर के क्रिया कलापों की मात्र बढ़ता चला जाता है।

- **स्तर अनुरूपता का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम तैयार करते समय बच्चों का स्तर या ग्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामान्य स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु बच्चों के ग्रेड के अनुरूप होता है।

यही सिद्धान्त बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने से पहले उनके विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का वर्तमान स्तर का पता करना अति आवश्यक हो जाता है।

- **आवश्यकता आधारित का सिद्धान्त :**

विशेष शिक्षा मुख्यतः व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित है। बच्चों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न अनुभवों से अवगत कराना आवश्यक हो जाता है। इन बच्चों के पाठ्यक्रम इनके आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को पूरा करने योग्य होना चाहिए। इन बच्चों के विशिष्ट आवश्यकताओं का पता इनके आँकलन से लगाया जा सकता है।

- **लक्ष्य उन्मुखता का सिद्धान्त :**

किसी भी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने से पहले हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। सामान्य बच्चों को किसी खास विषय की जानकारी देने के लिए हमारा पाठ्यक्रम विषय केन्द्रित होता है। उसी तरह बौद्धिक अक्षम बच्चों में किसी खास कौशल के विकास करने के लिए हमारा पाठ्यक्रम कौशल या गतिविधि केन्द्रित होना चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम का आकार एवं दिशा उसके लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

- **रचनात्मकता का सिद्धान्त :**

प्रत्येक व्यक्ति में अपना व्यक्तित्व एवं सृजनात्मकता होता है। एक प्रेरक पाठ्यक्रम बच्चों में नए सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करता है तथा जीवन के नए समस्याओं एवं चुनौतियों से जूझने के लिए नए विचार विकसित करता है। सभी बच्चों को ऐसे शैक्षणिक अनुभव मिलने चाहिए जो उन्हें सृजनात्मक एवं अद्वितीय बनने में मदद करे। नई सोच, प्रयोग एवं नवाचार को आवश्यक रूप से बढ़ावा देना चाहिए। बौद्धिक अक्षम बच्चों में भी विभिन्न रूप में रचनात्मकता देखने को मिलता है बरार्ते कि उन्हें सही वातावरण मिले।

- **आधुनिकता का सिद्धान्त :**

विशेष शिक्षा एवं संबंधित विषयों में लगातार नई–नई शोध हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कई नई संकल्पना विकसित हो रही है। साथ ही अनवरत तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। अतः विशेष बच्चों का पाठ्यक्रम भी समय–समय पर संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि नई संकल्पना एवं तकनीकी को शामिल किया जा सके। पाठ्यक्रम में नए शिक्षण सामग्री, शिक्षण वस्तु, विधि एवं तकनीकी को शामिल करना अति आवश्यक हो जाता है जिससे की पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाया जा सके तथा सीखने के नए वातावरण प्रदान किया जा सके।

- **एकीकृतता का सिद्धान्त :**

पाठ्यक्रम हमेशा व्यापक एवं एकीकृत होना अति महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम के सभी गतिविधियाँ कार्यात्मक एवं व्यवहारिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम को जीवन के अनुभवों और दैनिक जीवन की गतिविधियाँ के लिए सामान्यीकृत अवश्य किया जाना चाहिए। बौद्धिक अक्षम बच्चों के संदर्भ में व्यवहारिक जीवन एवं पुर्नवास की आवश्यकता पर आधारित कौशल प्राप्त करना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।

- **व्यापकता का सिद्धान्त :**

  पाठ्यक्रम विषय वस्तु से काफी व्यापक होता है। पाठ्यक्रम में सभी गतिविधियों एवं सीखने के अनुभवों का विवरण दिया जाता है। इसमें शैक्षणिक, सह शैक्षणिक एवं अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे गाना, नाचना, नाटक, योगा, चित्रकला, खेल, सामुदायिक अभिविन्यास, स्थानीय दौरा भी शामिल होता है, जिससे बौद्धिक अक्षम बच्चे बहुत से कौशल सीखने के साथ–साथ इन कौशलों का सामान्यीकरण भी करते है।

3.5 पाठ्यक्रम विकास के लिए बुनियादी विचार

एक अच्छा पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कुछ बुनियादी घटकों पर विचार अवश्य करना चाहिए। इससे पाठ्यक्रम की व्यवहारता बनी रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण घटकों का वर्णन निम्नलिखित है। पाठ्यक्रम विकसित करने से पूर्व इन घटकों पर अवश्य विचार करना चाहिए।

- **सरकारी नीतियाँ :**

  हमारे देश एवं राज्य के कई मंत्रालयों के कई नीतियाँ है जो सामान्य एवं विशेष बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अलावा मानव संसाधन मंत्रालय एवं अन्य विभाग जैसे परिवार एवं बाल कल्याण, बाल विकास, श्रम विभाग आदि कई विभाग है। अतः सरकार के विभिन्न कानून एवं नीतियों की इन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकास करते समय उसमें शामिल करना अति आवश्यक हो जाता है। ये नियम एवं नीतियाँ शिक्षकों को प्रशिक्षण देने एवं अनुदेशन में दिशा–निर्देश देने का काम करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी नीतियाँ पाठ्यक्रम विकास एवं अनुदेशन को प्रभावित करता है।

- **स्कूल प्रशासनिक नीतियाँ :**

  प्रत्येक विद्यालय का अपना–अपना प्रशासनिक, नियम, नीतियाँ एवं विनियमन होता है। बच्चों के दाखिला का उम्र, बौद्धिक अक्षमता का स्तर, बच्चों का योग्यता स्तर आदि जो बच्चों के दाखिला के लिए आवश्यक है यह विद्यालय के अपनी–अपनी प्रशासनिक नितियों पर निर्भर करता है, यही घटक दूसरी तरफ पाठ्यक्रम के विकास को भी प्रभावित करता है।

- **उपलब्ध सहायता प्रणाली :**

  बौद्धिक अक्षम बच्चों को कई प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। विद्यालय में चिकित्सा सेवा, भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सेवाएँ आदि उपलब्ध हो सकती है या फिर उपलब्ध नहीं भी हो सकती है। अतः इन सेवाओं की उपलब्धता एवं अनउपलब्धता के आधार पर बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया जा सकता है।

- **पारिवारिक सहयोग की उपलब्धता :**

  विशेष शिक्षा में पारिवारिक भागीदारी आवश्यक हो जाता हैं। परिवार के सहयोग एवं भागीदारी के सीमा के आधार पर बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम में भिन्नता

हो सकता है। आवासीय विद्यालय के बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए अलग से पाठ्यक्रम विकसित किया जा सकता है।

- **सामुदायिक संसाधन की उपलब्धता :**

  बौद्धिक अक्षम बच्चों का समावेशन, व्यवसायिक एवं आर्थिक पुनर्वास समुदाय के पूर्ण भागीदारी के बिना संभव नहीं हैं।

  बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक सामुदायिक संसाधनों के उपयोग करने पर बल देना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम समुदाय विशिष्ट बनाया जाना चाहिए।

- **शिक्षकों में दक्षता की उपलब्धता :**

  कई बार प्रशिक्षित शिक्षक की उपलब्धता पाठ्यक्रम का निर्णय करता हूँ। एक सामान्य शिक्षक जिसे विशेष शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी एवं प्रशिक्षण हैं। इन शिक्षकों द्वारा विकसित पाठ्यक्रम एवं पूर्णरूप से प्रशिक्षित विशेष शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्यक्रम में काफी अन्तर होता है। कुछ विशिष्ट कौशलों का प्रशिक्षण सिर्फ विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा ही दिया जा सकता है।

- **छात्रों से संबंधित जानकारी :**

  छात्रों से संबंधित आधारभूत जानकारियाँ पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए अति आवश्यक होता है। छात्रों का बौद्धिक स्तर, उम्र, भाषा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, लिंग, योग्यता, संबंध स्थिति आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो पाठ्यक्रम निर्धारण में मदद करता है।

- **वित्तीय उपलब्धता :**

  विषय वस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रणाली, बुनियादी ढाँचा एवं अन्य सेवाएँ आदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर करता है जितनी ही ज्यादा वित्तीय उपलब्धता होगा उतनी ही अच्छी सक्षम व्यक्ति के पास पाठ्यक्रम होगा। हालांकि प्रभावी लागत के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती हैं।

बोध प्रश्न —

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये—

प्र01 सामान्य एवं बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम एक जैसा होता है। सही/गलत

....

....

प्र02 पाठ्यक्रम विकास करते समय सरकारी नीतियों का ध्यान रखना चाहिए।

सही/गलत

....

....

प्र03 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का विकास वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर करता है। सही/गलत

....

....

3.6 पाठ्यक्रम विकास के चरण

विशेष बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकास के कई दृष्टिकोण है। अलग–अलग दृष्टिकोण में पाठ्यक्रम विकास के चरण भी भिन्न–भिन्न हैं हालाँकि पाठ्यक्रम विकास लिए जो भी प्रारूप, दृष्टिकोण या मॉडल अपनाई गई हो, सभी में उसी एक क्षेत्र पर जोर दिया गया है जो व्यवहारिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए आवश्यक है।

जाइल्स, मैक्किचेन एवं जेकियल (1949) ने पाठ्यक्रम विकास के चार चरण मॉडल दिया है। इसके चार चरण इस प्रकार है –

(i) उद्देश्यों का चयन करना।

(ii) सीखने के अनुभवों का चयन करना।

(iii) सीखने के अनुभवों का संगठन करना।

(iv) मूल्यांकन करना।

इसमें पाठ्यक्रम विकास करने वाला उद्देश्यों का चयन सबसे पहले करता है, जो अन्य चरणों को बढ़ाता है, क्योंकि इसके सभी चरण उद्देश्यों के प्राप्ति पर बल देता है।

डेविड ई केर्ण ने पाठ्यक्रम विकास के छः चरण मॉडल दिया है। यह मॉडल बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकास करने में काफी प्रभावी है। इस मॉडल के चरण इस प्रकार है।

(i) समस्याओं का पहचान करना एवं सामान्य आवश्यकताओं का आँकलन करना।

(ii) लक्षित शिक्षार्थियों का आवश्यकताओं का आँकलन करना।

(iii) लक्ष्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का चयन करना।

(iv) शैक्षिक सामग्री एवं शैक्षिक रणनीतियों का चयन करना।

(v) पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करना।

(vi) कार्यक्रम का मूल्यांकन करना एवं प्रतिक्रिया देना।

पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न चरणों को नीचे चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। चित्र से यह स्पष्ट होता है कि इसके प्रत्येक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।

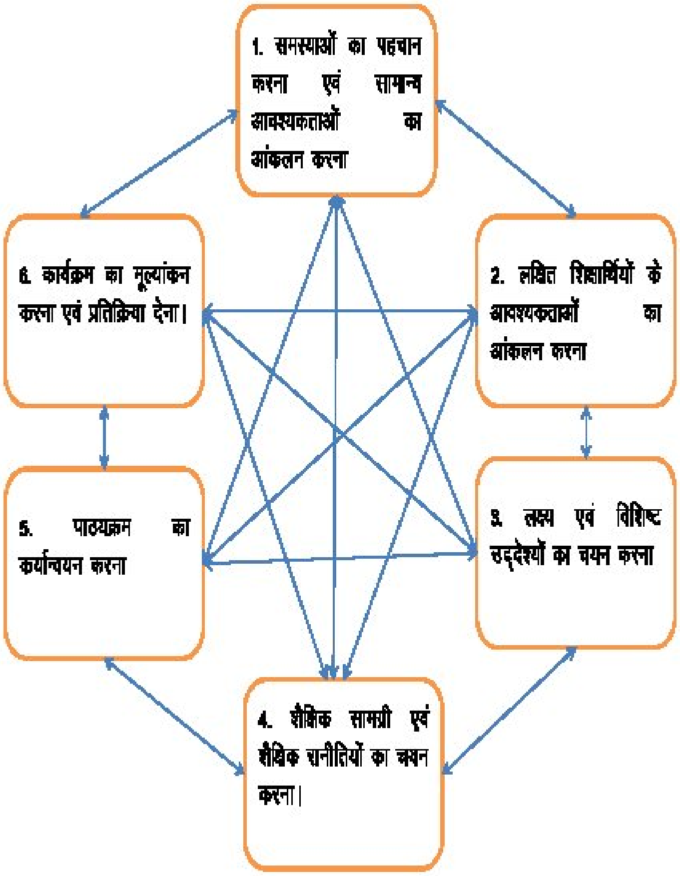

डेविड0 ई0 केर्ण मॉडल

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विशेष शिक्षक के द्वारा विकसित किया जाता है। चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों में विभिन्नता काफी होती है। अतः किसी भी दो बच्चों का पाठ्यक्रम एक समान नहीं होता है। प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है। इन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए निम्न चरणों का पालन किया जाता है।

(i) बच्चे के अनुरूप उपयुक्त आँकलन उपकरण का चयन करना।

(ii) बच्चे का आँकलन करना।

(iii) आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना।

(iv) अल्पकालिक उद्देश्यों को लिखना।

(v) उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री एवं शिक्षण प्रशिक्षण विधियों का चयन करना।

(vi) पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करना।

(vii) कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।

(viii) आवश्यक सुझाव एवं प्रतिक्रिया के अनुरूप पाठ्यक्रम में संशोधन करना।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय एक विशेष शिक्षक को इन सभी बिन्दुओं से गुजरना आवश्यक हो जाता है।

3.7 पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है तथा आवश्यकता एवं प्रतिक्रिया के अनुसार इसमें शैक्षणिक सत्र के दौरान भी कई बार संशोधन किया जाता है।

शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में सर्वप्रथम विशेष शिक्षक बौद्धिक अक्षम बच्चों के उम्र एवं बौद्धिक अक्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक आँकलन उपकरण का चयन करता है जिसका प्रयोग करते हुए इन बच्चों का आकलन किया जाता है।

चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण के अलावा अन्य सेवाएं जैसे चिकित्सीय, सेवा, भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, व्यवहार परिमार्जन आदि की भी आवश्यकता पड़ता है। इन सभी सेवाओं के अभाव में शिक्षण प्रशिक्षण संभव नहीं हो पाता है। अतः विशेष शिक्षक का यह जिम्मेदारी हो जाता है कि इन विषय विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित कर इन क्षेत्रों की आँकलन करवाएं। तत्पश्चात् पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक आदर्श तरीका यह है कि विशेष शिक्षक इन सभी शामिल विशेषज्ञों एवं माता–पिता या अभिभावक के साथ एक सुनिश्चित समय एवं स्थान पर सभा बुलाता है। इस सभा में सभी विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के लए अपने–अपने क्षेत्र में पाठ्यक्रम में वार्षिक लक्ष्यों एवं अल्पकालिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के संबंध में माता–पिता एवं अभिभावकों की राय एवं सुझाव को भी इसमें शामिल किया जाता है। तत्पश्चात् सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के उपरान्त पाठ्यक्रम तैयार होता है। इसके बाद सभी विशेषज्ञ अपने–अपने चयनित पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री एवं विधियों का चयन कर पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करता है। तत्पश्चात् इसके मूल्यांकन एवं प्रतिक्रिया के आधार पर पाठ्यक्रम में जो भी आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है किया जाता है। इस तरह पाठ्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया अनवरत चलता रहता है।

पाठ्यक्रम निर्माण में हमारे संस्कार संस्कृति, भाषा, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया नगण्य हो जाती है। हमारे पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया गतिशील, लचीली एवं परिवर्तनशील होनी चाहिए। यदि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया जटिल होगी तो उसमें बच्चों के आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार समय–समय पर बदलाव नहीं हो पाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप परिवार, छात्र एवं शिक्षक सभी प्रभावित होगा। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को सरल एवं परिवर्तनशील बनाए रखने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

- जिस स्तर के बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए पाठ्यक्रम का विकास किया जा रहा है, उसका पूर्व ज्ञान के स्तर की जानकारी होना चाहिए।
- छात्रों के वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए।
- पाठ्यक्रम विकास करते समय विभिन्न सिद्धान्तों एवं शिक्षण प्रशिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

- पाठ्यक्रम के विकास में वैधता, विश्वसनीयता एवं मानवीकरण का निर्धारण शिक्षण प्रशिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।
- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त क्रियाओं को स्थान दिलाने के लिए मूल्यांकन पद्धति को अपनाना आवश्यक है।

  बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में सहयोगात्मक दृष्टि को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया के पूरा होने के उपरान्त ही पाठ्यक्रम अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करता है।

3.8 पाठ्यक्रम का विकास

विशेष शिक्षा खास कर बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सभी विशेष शिक्षकों को पाठ्यक्रम का विकास करना पड़ता है। पाठ्यक्रम का सीधा संबंध बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण से होता है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम के विकास के बिना न तो हम बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर सकते है और न ही उनके जीवन को सरलता और सहजता प्रदान कर सकते है। बच्चों के आवश्यकताओं एवं कार्य करने के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास करते समय हमें नए शोध नये शिक्षण विधियाँ, नई तकनीकियों आदि का जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है तभी हम बच्चों के वर्तमान आवश्कयताओं को पूरा करने के लिए नए एवं विस्तृत पाठ्यक्रम का विकास कर सकते है।

चूँकि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, अतः प्रत्येक स्तर पर सावधानी रखना अति आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम विकसित करते समय, बच्चे एवं उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी, बच्चों के आवश्यकताओं की जानकारी, उनके रूचि, बौद्धिक स्तर, कर्म करने के वर्तमान स्तर की जानकारी आदि सूचनाएँ उपलब्ध होना अति आवश्यक होता है। तभी एक विशेष शिक्षक सही पाठ्यक्रम विकसित कर पाएगा, जिससे बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति होगा एवं उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र04 पाठ्यक्रम विकास का चार चरण मॉडल जाइल्स, मैक्किचन एवं जेकियल के द्वारा कब दिया गया था ?

....

....

प्र05 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में पारिवारिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं होती है। सही/गलत

....

....

3.9 सारांश

सामान्य बच्चा हो या विशेष पाठ्यक्रम सभी के लिए शिक्षण प्रशिक्षण का आधार होता है। पाठ्यक्रम के बिना शिक्षण प्रशिक्षण लक्ष्य विहीन हो सकता है। पाठ्यक्रम के विकास करते समय उन सभी घटकों एवं क्रिया कलापों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक आदि विकास हो सके। पाठ्यक्रम हमेशा बच्चों क उम्र, स्तर, बौद्धिक क्षमता आदि के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम हमेशा विस्तृत, प्रगतिशील एवं संतुलित होना चाहिए। इसके साथ–साथ पाठ्यक्रम एकीकृत एवं आधुनिक होना आवश्यक हो जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का विकास करते समय अन्य विशेषज्ञों, माता–पिता या फिर अभिभावक का भी शामिल होना अति आवश्यक होता है। तभी एक संतुलित एवं विस्तृत पाठ्यक्रम का विकास किया जा सकता है।

3.10 शब्द सूची

- **पाठ्यक्रम** – बच्चों को मिलने वाली वे सभी अनुभव जिसके लिए स्कूल जिम्मेदारी स्वीकार करता है पाठ्यक्रम कहलाता है।
- **बौद्धिक अक्षमता** – यह एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति का बुद्धिलब्धि 70 से कम होता है तथा अपने उम्र के व्यक्ति के तुलना में अनुकूलित व्यवहार में कमी होता है।
- **विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम** – ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम के केन्द्र में रखा जाता है विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम कहलाता है।
- **विद्यार्थी केन्द्रित पाठ्यक्रम** – ऐसे पाठ्यक्रम जिसका विकास विद्यार्थी के आवश्यकताओं, क्षमताओं एवं उम्र आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है विद्यार्थी केन्द्रित पाठ्यक्रम कहलाता है।
- **समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम** – जब किसी पाठ्यक्रम का विकास किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या के केन्द्र में रखकर किया जाता है, ऐसे पाठ्यक्रम समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम कहलाता है।

3.11 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 सामान्य एवं बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम एक जैसा होता है। सही/गलत

उत्तर–1 गलत

प्रश्न–2 पाठ्यक्रम विकास करते समय सरकारी नीतियों का ध्यान रखना चाहिए। सही/गलत

उत्तर–2 सही

प्रश्न–3 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का विकास वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर करता है। सही/गलत

उत्तर–3 सही।

प्रश्न–4 पाठ्यक्रम विकास का चार चरण मॉडल जाइल्स, मैक्किचन एवं जेकियल के द्वारा कब दिया गया था ?

उत्तर–4 1949 में।

प्रश्न–5 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में पारिवारिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं होती है। सही/गलत

उत्तर–5 गलत

3.12 अभ्यास प्रश्न

1. पाठ्यक्रम विकास के उद्देश्यों को लिखिए।
2. बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकास करते समय किन सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए ?
3. पाठ्यक्रम विकास करते समय किन बुनियादी विचारों का ध्यान रखना चाहिए ?
4. पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
5. पाठ्यक्रम विकास के डेविड.ई. केर्ण मॉडल का वर्णन कीजिए।
6. पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को समझाइए।

3.13 संदर्भ ग्रन्थ

- बाइन, डी (1988) हेन्डी कैप्ड चिल्ड्रेन इन डवलपिंग कन्ट्रीज, एसेसमेंट, करिकुलम एण्ड इन्सट्रक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबर्टा, अलबर्टा।
- मायरेड्डी वी0 एवं नारायण जे0 (1998) फंक्सनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्ट विद माइल्ड मेन्टल रिटार्डेशन, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे0 (1990), टुआर्डन्स इनडिपेनडेन्ट सीरीज 1 से 9 एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे : मायरेड्डी वी0 एवं राव, एस0 (2002) फंक्सनल एसेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, एन0आई0एम.0एच0 सिकन्दराबाद।
- वोवरटन टी0 (1992) एसेसेमेन्ट इन स्पेशल एजुकेशन एन अप्लाइड एप्रोच, मैकमिलन न्यूयार्क।
- पांडा, के0सी0 (1997)। एजुकेशन ऑफ एकस्पेशनल चिल्ड्रेन, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- नारायण, जे0 एवं कुट्टी ए0टी0टी0 (1989) हेन्डबुक फॉर ट्रेनर्स ऑफ द मेन्टली रिटार्डेड प्रसंस प्री प्राइमरी लेवेल, एन0आई0एन0एच0 सिकन्दराबाद।
- बी0 एण्ड एस0 ई0 एम0आर0 नोट्स ऑफ एम0पी0बी0ओ0यू0 मध्य प्रदेश, भोपाल।
- यादव, एस0 (2010), पाठ्यचर्या विकास, आगरा : श्री विनोद पुस्तक मंदिर।

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अगस्त (2008), पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन।
- मुरूनालनी, टी (2008) करिकुलम डवलमेंट हैदराबाद नीलकमल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड।
- टेलर, आर0 डब्लू0. (1949) बेसिक प्रिंसपल्स ऑफ करिकुलम एण्ड इन्स्ट्रक्शन चिकागो : यूनिवर्सिटी आफ चिकागो प्रेस।
- इग्नू (1997) करिकुलम एण्ड इन्स्ट्रक्शन (ब्लाक 1 एवं 2) नई दिल्ली : इग्नू।
- कैर, जॉन एफ0 (ed.) (1977) चेजिंग द करिकुलम, लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन प्रेस लिमिटेड।
- यादव, सियाराम (2011) पाठ्यचर्या विकास, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन।
- भरवद, जे0ए0 (2010), करिकुलम इवाल्युएशन, इन्टरनेशनल रिसर्च जरनल, सितम्बर, 1 (1) 72–74.
- ब्रेनमेन, डब्लू के (1982) करीकुलम फॉर स्पेशल नीड्स। मिल्टन नीस : ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- माइरेड्डी बी0 एण्ड नारायण जे0 (1997) फंक्शनल लिटरेसी सीरीज वर्कबुक (1998) एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. SE-92

पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) अनुकुलन तथा मूल्यांकन (बौद्धिक अक्षमता)

खण्ड – 2

विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम

इकाई – 4 57

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं इसके क्षेत्र

इकाई – 5 69

परिवार और स्कूल में संवेदनशीलता

इकाई – 6 81

हस्तक्षेप, प्रलेखन, रिकार्ड रख–रखाव एवं रिपोर्ट लेखन का विद्यालय पूर्व एवं प्रारम्भिक स्तर के शिक्षण में निहितार्थ

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक	
प्रो. के. एन. सिंह	**कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
विशेषज्ञ समिति	
प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय	**प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
प्रो0 सीमा सिंह	**आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी**
प्रो0 सुषमा पाण्डेय	**आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग डी0डी0यू0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर**
प्रो0 रजनी रंजन सिंह	**आचार्य, विशेष शिक्षा विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ**
डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी	**सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
डॉ0 दिनेश सिंह	**सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
लेखक	
डा. महेश कुमार	**असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**
सम्पादक	
प्रो0. प्रेम शंकर राम सोनकर	**प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**
परिमापक	
प्रो0 रजनी रंजन सिंह	**प्रोफेसर, डॉ. शाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**
समन्वयक	
डॉ. नीता मिश्रा	**परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज.**

सितम्बर, 2019 (मुद्रित)

© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020

ISBN:- 978-93-94487-08-6

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नही है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारो एवं आकड़ो आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविनालय, प्रयागराज की ओर से कर्नल विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित – 2024

मुद्रक : सिग्नस इन्फार्मेशन सल्यूसन प्रा0लि0, लोढ़ा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

खण्ड परिचय

खण्ड एक में आपने पाठ्यक्रम अवधारणा, सिद्धान्त एवं पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न चरणों को समझा। इस खण्ड में विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। इस खण्ड में तीन इकाईयाँ है।

इकाई—4 में आप प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जान सकेंगे। साथ ही आप प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्वों का वर्णन कर सकेंगे।

इकाई—5 में आप परिवार एवं स्कूल में संवेदनशील के बारे में जान सकेंगे। इस इकाई में आप प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा में परिवार की भूमिका को भी समझ सकेंगे।

इकाई—6 में हस्तक्षेप, प्रलेखन, रिकार्ड रख रखाव एवं रिपोर्ट लेखन के बारे में जान सकेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर के शिक्षण के निहितार्थ को जान सकेंगें।

इकाई–4

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं इसके क्षेत्र

संरचना–

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 प्रारम्भिक शिक्षा

1.4 प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व

1.5 प्रारम्भिक शिक्षा के लाभ

1.6 प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र

- 1.6.1 व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र
- 1.6.2 सामाजिक कौशल क्षेत्र
- 1.6.3 शैक्षिक कौशल क्षेत्र
- 1.6.4 व्यवसायिक कौशल क्षेत्र
- 1.6.5 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र

1.7 सारांश

1.8 शब्द सूची

1.9 बोध प्रश्न एवं उत्तर

1.10 अभ्यास प्रश्न

1.11 संदर्भ ग्रन्थ

1.1 प्रस्तावना

बच्चों के बाल्यावस्था के परिवर्तनशील प्रकृति ही आज लोगों के सोचने का मुख्य विषय हो गया है। आज के तकनीकी युग में बच्चे तकनीकी के क्षेत्र एवं प्रयोग में समय से आगे जा रहे है वहीं पर आज छोटे–छोटे बच्चों में कई ऐसे समस्या व्यवहार भी देखने को मिलता है जो समाज के लोगों एवं बुद्धिजीवियों को सोचने पर मजबूर कर देता है। हालांकि प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा सीधे विशेष शिक्षा या फिर विशेष शिक्षक के परिदृश्य में नहीं है। किन्तु प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा विकासात्मक रूप से पिछड़े एवं बौधिक अक्षम बच्चों के लिए प्रारम्भ करने का मुख्य आधार अवश्य है।

अब तक के अनुसंधानों से यह पता चलता है कि जीवन के प्रारम्भिक कुछ वर्ष व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे पता चलता है कि बच्चों के मानसिक व्यस्कता से पूर्व ही उनमें सीखने की क्षमता होती है। बच्चों के द्वारा अर्जित व्यवहार उन्हें नए वातावरण से शीघ्र एवं अर्थपूर्ण रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कई विशेषज्ञ बाल्यावस्था में तंत्रिकातंत्र अनुकूलन पर बल देता है जिसके परिणाम स्वरूप तंत्रिका तंत्र नई परिस्थितियों में अपने आप को संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से ढाल लेता है। बच्चों के बाल्यावस्था के अनुभव उनके आगे के सामाजिक, बौधिक एवं भावनात्मक विकास को काफी प्रभावित करता है। बच्चों एवं अभिभावकों के बीच का संबंध दृढ़ता प्रदान करता है, बच्चों एवं परिवार के अच्छे विकास के लिए आवश्यक है। प्रारम्भिक स्तर के शिक्षकों को हमेशा बाल विकास एवं परिपक्वता के सिद्धान्त पर भरोसा करना पड़ता है।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप

- बाल्यावस्था के विशेषता को सूचीबद्ध कर सकेंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा अवधारणा को बता सकेंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा के लाभ बता पाएंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या कर सकेंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र (Domains) का मूल्यांकन कर सकेंगे।

1.3 प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक बल्यावस्था शिक्षा से हमारा तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बच्चों को औपचारिक स्कूल जाने से पूर्व दिया जाता है। यानी वह शिक्षा जो सामान्यता तीन से छः वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। वह शिक्षा बच्चों को घर में दिया जा सकता है या फिर ऐसे विद्यालय में भी दिया जाता है जो मुख्यतया बच्चों को औपचारिक विद्यालय के लिए तैयार करता है। इस तरह के विद्यालय को प्रारंभिक विद्यालय भी कहते है। प्रारंभिक स्तर के शिक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षा शामिल है। यह शिक्षा बच्चों के विकास के लिए बहुत ही मौलिक है तथा बच्चों के बाद के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जब बच्चों के विकास की बात होता है तो उनके माता–पिता एवं अभिभावक के साथ संबंध को प्रथम वरीयता दिया जाता है। अर्थात माता–पिता को प्रथम शिक्षक कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय में सिखाए जाने वाले व्यवहार बच्चों के भावी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के सर्वांगींण या विकास के लिए एक प्रभावी प्रारंभिक शिक्षा अति आवश्यक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा संघ के अनुसार उच्च्य गुणवत्ता वाले प्रारंभिक शिक्षा के पाँच महत्वपूर्ण घटक होते है, जो निम्नलिखित है –

- इसे एक संतुलित पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए जो बच्चों के सर्वागीण विकास को बढ़ावा दें।
- इसे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार के आवश्यकताओं पर बल देना चाहिए।

- इस बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनका आंकलन करना चाहिए।
- इसे प्रशिक्षित शिक्षकों को नियोजित करना चाहिए।
- कक्षा में शिक्षक एवं छात्रों का अनुपात कम होना चाहिए यानी कक्षा में कम बच्चे होने चाहिए।

उपरलिखित पाँचों घटक प्रारंभिक शिक्षा के पाँच स्तम्भ माना जाता है जो प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है।

बच्चों के लिंग, स्वभाव, सीखने की शैली, मातृ भाषाएँ, विशेष आवश्यकताएँ एवं सांस्कृतिक रूप से विविध पृष्ठ भूमि उनके विकास के चरण में विभिन्नता उत्पन्न करता है। विभेदित निर्देश का सिद्धान्त छोटे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। जब शिक्षक विकासात्मक सूचनाएँ, अवलोकन एवं परिवार से प्राप्त जानकारियों का उपयोग करते है, तब वे निम्न में सक्षम होते है –

- व्यक्ति विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप वातावरण तैयार करने में।
- विभिन्न कौशलों के लिए विभिन्न प्रकार के सामग्री प्रदान करने में जिससे सभी शिक्षार्थी सफलतापूर्वक सीख सके।
- समय एवं बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीले योजना बनाने में।
- व्यक्तिगत, छोटे एवं बड़े समूहों में सीखने का अनुभव प्रदान करने में।
- समय के साथ विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन करने में।
- विकास के सामान्य तरीके से कोई अपवाद है तो उसका पहचान करने में।
- माता–पिता के साथ दो–तरफा संचार को सक्रियता प्रदान करता है जिससे कि दोनों में साझेदारी विकसित होता है तथा साथ ही अपने–अपने साक्ष्यों को भी साझा करते हैं।

प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना काफी जटिल होता है। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षकों को हमेशा चिंतनशील, सक्रिय एवं उत्साही होने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

1.4 प्रारंभिक शिक्षा के महत्व

एक बच्चे के प्रारंभिक वर्ष उसके भविष्य के विकास के लिए नींव का काम करता है। यह आजीवन सीखने की क्षमताओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अच्छी प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक है। बचपन के शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास उनके समग्र विकास पर प्रभाव डालता है। अधिकांश बच्चा बालबाड़ी के दौड़ान औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना शुरू करता है। कई शोध ने इस बात पर बल दिया है कि जन्म के तुरन्त बाद बच्चों में सीखने एवं मानसिक विकास शुरू हो जाता है। बच्चों के जीवन के पहले तीन वर्षों के दौड़ान, आवश्यक मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। अतः बच्चों को बालवाड़ी से पहले शिक्षा प्रदान करने से काफी लाभ होता है।

1.5 प्रारंभिक शिक्षा के लाभ

प्रारंभिक बाल्यावस्था शैक्षणिक कार्यक्रम एवं पूर्व स्कूल कार्यक्रम जैसे नर्सरी, किन्डर गार्डेन, आंगनबाड़ी, आदि बच्चों को पर्याप्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्कूल में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक होता हैं। उदाहरण स्वरूप एक बौधिक अक्षम बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा उनके भाषा सामाजिक कौशल तथा संज्ञानात्मक कौशल का विकास किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम बौधिक अक्षम बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तैयार करते है।

1.6 प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र

समानतया तीन से छः वर्षों के बच्चों को प्रारंभिक स्तर का माना जाता है। बौथिक अक्षमता के कारण इन बच्चों का विकास काफी धीमी होती है। यह कमी बच्चों के शैक्षणिक एवं अनुकूलित व्यवहार में परिलक्षित होता है। अतः वे व्यवहार एवं कौशल अति आवश्यक है जो इनके आत्मनिर्भर बनने एवं स्वीकृत तौर–तरीके सीखने में सहायक सिद्ध हो। प्रारभिक स्तर के पाठ्यक्रम में मुख्यतः स्वालम्बन, भाषा सम्प्रेषण, सामाजिक कौशल, पाठन पूर्व, लेखन पूर्व एवं पूर्व गणितीय शिक्षण पर बल दिया जाता है। इसके साथ–साथ गृह, व्यवसायिक एवं मनोरंजनात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के सभी क्रियाओं एवं कौशलों को बच्चों के आयु एवं क्षमता अनुरूप रखना चाहिए। शैक्षणिक कौशलों में हमें एक क्रम का पालन करना चाहिए जिससे कि बच्चों को सीखने में आसान हो साथ ही साथ सीखने के सिद्धान्त का भी पालन हो। बाल्यवस्था की शिक्षा एवं इसके शिक्षा क्षेत्रों के निहितार्थ में निम्नलिखित शामिल है।

- प्रारंभिक शिक्षा एवं विकास बहुआयामी होता है।
- विकासात्मक क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए होता है।
- छोटे बच्चों में क्षमता होती है तथा वे सक्षम होते है।
- बच्चों के विकास की दरों में विभिन्नता होती है।
- बच्चे विकास के किसी भी क्षेत्र में कौशल एवं दक्षता की एक श्रृंखला प्रदर्शित करता है।
- बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को अधिकतम करने के लिए कार्यक्रमों का विकास एवं कार्यान्वयन करने के लिए शिक्षकों को बाल वृद्धि एवं विकास का ज्ञान तथा अनवरत् उम्मीदों का होना आवश्यक है।
- परिवार छोटे बच्चों के प्राथमिक देखभाल करने वाले तथा शिक्षक होते है।
- छोटे बच्चे अपने वातावरण के सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से तथा बच्चे द्वारा शुरू किए गए एवं शिक्षक चयनित गतिविधियों के माध्यम से सीखते है।

ये सभी एक बाल शिक्षक को मजबूत, चुनौतीपूर्ण एवं आकर्षक कार्यक्रमों को तैयार करने तथा कार्यान्वन करने में लगातार मदद करते है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा किस उम्र के बच्चों के लिए होता है ?

....

....

प्र02 प्रारंभिक शिक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है। सही/गलत।

....

....

प्र03 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विद्यालय में नहीं दिया जाता है। सही/गलत।

....

....

प्र04 प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के भविष्य के विकास के लिए नींव का काम करता है। सही/गलत।

....

....

प्र05 प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा बौधिक अक्षम बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास नहीं होता है। सही/गलत।

....

....

1.6.1 व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र

वे सभी क्रिया–कलाप जो एक व्यक्ति की प्रत्येक दिन अपने सामान्य जीवन यापन के लिए सामुदायिक परिवेश में करना पड़ता है, व्यक्तिगत कौशल कहलाता है। सामान्तया ठोस वस्तु उठाकर मुँह में रखना, खाना चबाना, शौच जाने के लिए बोलना या इशारे करना, रूमाल से नाक पोछना, गिलास से पानी पीना आदि व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। किन्तु इन क्रियाओं को पूरा करने के लिए अन्य कौशल जैसे, गामक, भाषा, सम्प्रेषण आदि की आवश्यकता पड़ती है।

दिनचर्या के कोई भी क्रियाकलाप का पूरा करना गामक कौशल के बिना संभव नहीं है। चाहे वह दोस्तों के साथ खेलना हो, पानी पीना हो या फिर खाना खाना हो। सामान्यतया यह देखा गया है कि गम्भीर एवं अतिगम्भीर बौद्धिक अक्षम बच्चों के गामक कौशलों का विकास काफी धीमी गति से होता है किन्तु सामान्य क्रम से होता है। अतः ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गामक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देना चाहिए जिससे कि उनका गायक कौशल विकसित हो सके। गामक अनुक्रम यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि छात्र किस गामक कौशल को वास्तविक रूप से प्राप्त कर सकते है और किस

क्रम में प्राकृतिक दिनचर्या एवं गामक कौशल के कार्य पाठ्यक्रम के दायरे को परिभाषित करने में मदद करता है। परिवार के सदस्य व्यक्तिगत एवं गामक कौशल क्षेत्र को परिभाषित करने में मदद करता है, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह वर्णन कर सकते है कि बच्चा किस प्रकार व्यक्तिगत एवं गामक क्रिया को पूरा करता है।

1.6.2 सामाजिक कौशल क्षेत्र

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः प्रभावपूर्ण सामाजिक जीवन यापन के लिए कई कौशलों की आवश्यकता होती है। जैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करना, भावनाओं को व्यक्त करना आदि। सामाजिक कौशलों का विकास बचपन से शुरू हो जाता है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते है उनमें सामाजिक कौशलों की जटिलता भी बढ़ती जाती है। बड़े बच्चों के तुलना में छोटे बच्चों के सामाजिक कौशल सरल एवं विकासात्मक स्तर के समान होते है। चूँकि बौधिक अक्षम बच्चों के सीखने की क्षमता कम होता है। अतः उनको सभी सामाजिक कौशल व्यवस्थित रूप से सिखान पड़ता है। इन बच्चों के लिए कई सामाजिक क्रियाएँ निम्न प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति यदि बच्चे के पास है तो उसके तरफ देखना, यदि बच्चों को नाम लेकर पुकारा जाय तो वह जो कार्य कर रहा है उसे रोक देना तथा उस ओर देखकर प्रतिक्रिया देना, कोई देखकर मुस्कुराए तो मुस्कराना, अन्य दो बच्चों के साथ सहयोग से खेलना, घर या स्कूल में बड़ों एवं अध्यापकों का अभिवादन करना, परिवार एवं बाहर के सदस्यों में भेद समझाना, पूछने पर अपना नाम बताना आदि शामिल है। सामाजिक क्रिया कलापों में माता–पिता के साथ भाग लेना तथा समूह में खेलना भी सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देता है। चूँकि छोटे बच्चे खेल–खेल में सीखते है। अतः इन बच्चों में एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने को बढ़ावा देना चाहिए। मिलजुलकर खेलने से आपस में एक दूसरे के साथ संचार करते है जिससे उनमें ग्रहणशील एवं अभिव्यक्ति भाषा का भी विकास होता है। वे आपस में अपने–अपने बारी हेतु इन्तजार करना सीखते है साथ ही वे खेल के सामान्य नियम को समझने की कौशिश करता है। सामाजिक कौशल बच्चों के अन्य कौशलों के विकास में भी सहायक होता है।

1.6.3 शैक्षिक कौशल क्षेत्र

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के शैक्षिक कौशल क्षेत्र में मुख्यतः पठन पूर्व, लेखन पूर्व तथा पूर्व गणितीय शिक्षण को शामिल किया जाता है। इस कौशल क्षेत्र में पूछने पर शरीर के अंगों को बताना, शरीर के अंगों का नाम बताना, घर के सामान्य वस्तुओं को पहचानना एवं नाम बताना, स्क्रिबलिंग करना, चित्रों में रंग भरना, रेखाचित्र का ट्रेसिंग करना, आकृति का नकल करना, बिन्दु जोड़कर चित्र बनाना, वस्तुओं को समूहों में छांटना, सामान्य रंगों का नाम बताना, बड़ी छोटी वस्तुओं का पहचान करना, कम ज्यादा का पहचान करना, पैसे का पहचान करना आदि शामिल है। बौधिक अक्षम बच्चों को सभी कौशल व्यवस्थित रूप से सिखाना पड़ता है।

चूँकि खेल छोटे बच्चों का पहली एवं महत्वपूर्ण व्यवहार होता है। अतः इन बच्चों को खेल द्वारा सिखाया जाना चाहिएं। खेल बच्चों के विकास के सभी क्षेत्रों को बढ़ाने में मदद करता है। खेल के द्वारा सिखाने से बच्चे वस्तुओं के साथ–साथ सोच से भी खेलता है साथ ही अपने सहयोगी से बातचीत भी करता है। अपने ज्ञान का पुनः निर्माण करता है, अपना नियम लगाता है, अपने विचार को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है एवं जटिल समस्याओं के लिए समाधान को ढूढ़ता है। खेल के द्वारा बच्चे आपस में सहयोग करना, समस्या का समाधान करना, भाषा, गणित एवं विज्ञान के अवधारणाओं को समझना साथ ही अपनी भावनाओं को व्यक्त एवं नियंत्रण करना सीखता है। बच्चे को एक सही वातावरण देने की आवश्यकता होता है, जो शिक्षकों के द्वारा तैयार किया जाता है, जो

बच्चों को सीखने में मदद करता है। बच्चों को उनके खेलने से अर्थ निर्माण करने की क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता है। बच्चों का अकेले या दूसरों के साथ खेलना स्वयं के विकास में योगदान देता है एवं स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और समस्या समाधान के विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है। सिल्वा, ब्रूनर, एट, आल (1976) के अनुसार, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में खेल महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नामित सामग्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलते हैं, वे जिन्हें खेलने का अवसर नहीं दिया जाता है उनके तुलना में अधिक सोचने के कौशल एवं समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को प्रदर्शित करते है। वे अधिक लक्ष्य निर्देशित एवं दृढ़ होते है। खेलने में, बच्चे दृश्यधारणा, आँख एवं हाथ का समन्वय तथा प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है, इसके अतिरिक्त खेल विश्लेषण करने, निर्णय लेने, विश्लेषित करने, बनाने के साथ–साथ कारण एवं परिणाम के संबंधों को देखने की शक्ति भी विकसित करता है। बौधिक अक्षम बच्चों को खेल–खेल में सिखाना बहुत जरूरी एवं उपयोगी है। ये बच्चे लम्बे या अधिक समय तक किसी भी क्रियाकलाप पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते है किन्तु खेल में ये ज्यादा से ज्यादा देर तक ध्यान केन्द्रित करते है जिससे उन्हें अधिक से अधिक सीखने का अवसर मिलता है।

1.6.4 व्यवसायिक कौशल क्षेत्र

बौधिक अक्षम बच्चों को व्यक्तिगत, सामाजिक एवं शैक्षिक कौशलों के अलावा व्यवसायिक कौशल भी व्यवस्थित रूप से सीखाना पड़ता हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में इन बच्चों की कई व्यवसायिक कौशल इनके आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप सिखाया जाता है। इस कौशल क्षेत्र में कई कौशल शामिल है, जैसे घर या कक्षा में कुर्सी या बेंच को साफ करना, भोजन के पहले एवं बाद में अपना प्लेट तथा गिलास धोना, धोये गए बर्तन को कपड़े से पोछना, छोटे कपड़ों को तह लगाना, अपने कपड़े को यथास्थान रखना, मटर छीलना, बीन के छोटे–छोटे टुकड़ा करना, पत्ते वाले सब्जी के पत्ते तोड़कर अलग करना आदि। इन कौशलों को करने से बच्चों के व्यवसायिक क्षेत्र के अलावा अन्य विकास क्षेत्रों में भी विकास होता है। प्रारंभिक स्तर के बच्चों के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक क्षेत्रों के कौशलों की संख्या अन्य कौशल क्षेत्रों से कम होता है। साथ ही साथ इस स्तर पर व्यवसायिक कौशलों की संख्या माध्यमिक एवं पूर्व व्यवसायिक स्तर के तुलना में भी काफी कम होता है।

बौधिक अक्षम बच्चों को व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए अन्य कौशल क्षेत्रों के कार्यों के साथ भी शामिल कर सकते है। उदाहरण स्वरूप घरेलू कार्यों में मेज साफ करना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, सब्जियों या अनाजों को अलग–अलग डिब्बों में रखना, डिब्बों को यथास्थान रखना आदि क्रियाओं को शामिल कर सकता है जो व्यवसायिक कौशल के अन्तर भी आता है। इन कौशलों को भी बौधिक अक्षम बच्चों को व्यवस्थित रूप से सिखाना पड़ता है।

1.6.5 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र

सामान्य बच्चों की तरह बौधिक अक्षम बच्चे अपने मनोरंजन के लिए न तो समय निकाल पाता है और न ही अपने लिए क्रियाओं का निर्णय कर पाता है। कई बार ये बच्चे मनोरंजनात्मक क्रियाओं को आरम्भ भी नहीं कर पाते है। अतः इन बच्चों को घर के अन्दर एवं बाहर के मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों में प्रशिक्षण देना आवश्यक हो जाता है। घर के अन्दर टी.वी. देखना, संगीत सुनना, चित्रों में रंग भरना, भाई–बहन के साथ खेलना आदि क्रिया शामिल है। घर के बाहर, बॉल से खेलना, भाग दौड़ खेलना, पानी एवं बालू से खेलना आदि शामिल हैं।

बच्चों के सीखने के परिणामों को पूरा करने तथा उनके सक्रिय होने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहरी वातावरण अति आवश्यक है। बाहरी गतिविधियाँ जैसे खेल–धूप बच्चों के ग्रॉस (सकल) एवं सूक्ष्म गामक क्रियाओं को बढ़ावा देता है। दोस्तों के साथ समूह में खेलने से, खेल अन्य क्षेत्रों के क्षमताओं को भी विकसित करता है। खेल जैसे मनोरंजनात्मक विकास को भी बढ़ावा देता है। इस तरह हम देखते है कि यह मनोरंजन के साथ–साथ बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों के लिए कार्यक्रम तैयार करते समय ऐसे क्रिया कलापों का चयन करें जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरह हम देखते है कि बच्चों के एक कौशल क्षेत्र का क्रिया कलाप उनके विकास के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। तात्पर्य यह है कि विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी एक क्षेत्र का विकास नहीं होने पर अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करेगा।

इन प्रमुख कौशल क्षेत्रों के अलावा बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में तकनीकी कौशल क्षेत्रों में जैसे टी.वी. एवं कम्प्यूटर को ऑन करना, कम्प्यूटर पर चित्रों में रंग भरना सिखाया जा सकता है। इसके अलावा यौन कौशल क्षेत्रों में पुरूष एवं महिला के पोशाक में अन्तर करना, पुरूष एवं महिला शौचालय की पहचान करना आदि सिखाया जा सकता है। भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल क्षेत्र इन बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में बाल्यावस्था में सबसे अधिक विकास होता है। अतः बच्चों को अधिक से अधिक बातचीत करने या बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक उनके भाषा का विकास हो सके। यदि बौधिक अक्षम बच्चों में अभिव्यक्ति भाषा का विकास बहुंत कम हुआ है या फिर विकसित ही नहीं हो पाया है। ऐसी अवस्था में शिक्षकों एवं अभिभावकों को वैकल्पिक सम्प्रेषण कौशलों के विकास पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा इन बच्चों को जीवन कौशल क्षेत्र में प्रभावी सम्प्रेषण के साथ–साथ भावना प्रबंधन करना भी सिखाने की आवश्यकता होती है। जीवन कौशल बच्चों के उम्र एवं क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। जीवन कौशल सिखाने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक परिस्थितियों का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र के कोई भी कौशल सिखाने के लिए शिक्षकों को शुरू में अधिक से अधिक सहायता बच्चों को देना पड़ता है। इन सहायता को धीरे–धीरे कम करना चाहिए जिससे की बच्चा बिना सहायता का क्रियाकलाप को पूरा कर सके तथा आत्मनिर्भर बन सके।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र06 प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विभिन्न कौशल क्षेत्रों में बॉटा गया है। सही/गलत

....

....

प्र07 बच्चों के एक कौशल क्षेत्र का विकास अन्य कौशल क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। सही/गलत

....

....

प्र08 बाल्यावस्था शिक्षकों को बाल वृद्धि एवं विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। सही/गलत

....

....

प्र09 प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को खेल–खेल में देना अधिक लाभदायक नहीं होता है। सही/गलत

....

....

प्र010 प्रारंभिक शिक्षा में पठनपूर्व, लेखनपूर्व एवं पूर्व गणितीय शैक्षिक कौशल सिखाया जाता है। सही/गलत

....

....

1.7 सारांश

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बच्चों को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से स्कूल जाने से पूर्व दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा समान्यता तीन से छः वर्ष के बच्चों के लिए होता है। प्रारंभिक विद्यालय में सिखाए जाने वाले व्यवहार बच्चों के भावी जीवन के साथ–साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। बच्चों का प्रारंभिक वर्ष उनके भविष्य के विकास के लिए नींव का काम करता है। बचपन के शारीरिक, समाजिक एवं भावनात्मक विकास उनके समग्र विकास पर प्रभाव डालता है। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मुख्यतः पाँच कौशल क्षेत्रों में बॉटा गया है, जिनमें व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, व्यवसायिक तथा मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र शामिल है। ये सभी कौशल क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक कौशल क्षेत्र का विकास दूसरे कौशल क्षेत्र के विकास में भी लाभदायक होता है। इन कौशल क्षेत्रों के अलावा बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा, यौन शिक्षा भाषा एवं सम्प्रेषण तथा जीवन कौशल का भी शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। सभी कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। अतः प्रारंभिक शिक्षकों को बच्चों के उम्र, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों के कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करें जिससे कि बच्चों का विकास सभी क्षेत्रों में अधिकतम हो सके।

1.8 शब्द सूची

प्रारंभिक शिक्षा : वह शिक्षा जो बच्चों को तीन से छः वर्षों तक औपचारिक या अनौपचारिक रूप से दिया जाता है, प्रारंभिक शिक्षा कहलाता है।

औपचारिक शिक्षा : वह शिक्षा जो व्यवस्थित रूप से विद्यालय में दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा कहलाता है।

अनौपचारिक शिक्षा – वह शिक्षा जिसके लिए बच्चों को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है।

बाल वृद्धि : इससे बच्चों में मायात्मक वृद्धि से है जैसे लम्बाई एवं वजन का बढ़ना।

बाल विकास : इसका तात्पर्य बच्चों में गुणात्मक वृद्धि से है।

1.9 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा किस उम्र के बच्चों के लिए होता है ?

उत्तर–1 तीन से छः वर्ष के बच्चों के लिए।

प्रश्न–2 प्रारंभिक शिक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है। सही/गलत।

उत्तर–2 सही

प्रश्न–3 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विद्यालय में नहीं दिया जाता है। सही/गलत

उत्तर–3 गलत।

प्रश्न–4 प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के भविष्य के विकास के लिए नींव का काम करता है। सही/गलत

उत्तर–4 सही

प्रश्न–5 प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा बौधिक अक्षम बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास नहीं होता है। सही/गलत

उत्तर–5 गलत।

प्रश्न–6 प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विभिन्न कौशल क्षेत्रों में बॉटा गया है। सही/गलत।

उत्तर–6 सही

प्रश्न–7 बच्चों के एक कौशल क्षेत्र का विकास अन्य कौशल क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है सही/गलत।

उत्तर–7 सही

प्रश्न–8 बाल्यावस्था शिक्षकों को बाल वृद्धि एवं विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। सही/गलत

उत्तर–8 सही

प्रश्न–9 प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को खेल–खेल में देना अधिक लाभदायक नहीं होता है। सही/गलत

उत्तर–9 गलत

प्रश्न–10 प्रारंभिक शिक्षा में पठनपूर्व, लेखनपूर्व एवं पूर्व गणितीय शैक्षिक कौशल सिखाया जाता है। सही/गलत।

उत्तर–10 सही।

1.10 अभ्यास प्रश्न

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से आप क्या समझते है ?
2. प्रारंभिक शिक्षा के महत्वों को लिखिए।

3. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के कौन–कौन से लाभ है ?

4. प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

5. बाल्यावस्था की शिक्षा एवं इसके शिक्षण क्षेत्रों के निहितार्थ घटकों को लिखिए।

1.11 संदर्भ ग्रन्थ

- ब्रूस, टी (2004)। बचपन में सीखने का विकास करना। लन्दन पॉल फेरीवाला।
- बचपन विकास एवं शिक्षा के लिए केन्द्र (2005)। आयरलैण्ड में प्रारंभिक बचपन साक्ष्य और दृष्टिकोण। डबलिग सेन्टर फॉर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन।
- ब्रूजर, ले, (1990) अर्थ के कार्य। कैम्ब्रिज, एम0ए0 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- बेने, डी0 (1988) हैंडी कैप्ड चिल्ड्रेन इन डवलपिंग कन्ट्रीज : ऐसेसमेंट, करिकुलम एंड इन्स्ट्रक्शन एलबेटो यूनिवर्सिटी एलबेटो।
- कूपर, जे0ओ0 हैरन, टी0ई0 एण्ड हीवार्ड, डब्ल्यू, एल0 अप्लाइड बीहेवीयर एनालाइसिस कॉलम्बस : मैरिल पब्लिशिंग कम्पनी।
- रेड्डी वी0 एण्ड नारायण, जे0 (1998) फंक्शनल अकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्टस विद मैंटल रिटार्डेशन अ गाइड फॉर टीचर्स, सिकन्दराबाद एन0आई0एम0एच0।
- बाइन, डी (1988) हेन्डी कैप्ड चिल्ड्रेन इन डवलपिंग कन्ट्रीज, एसेसमेंट, करिकुलम एण्ड इन्सट्रक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबर्टा, अलबर्टा।
- बॉस0सी0एस0 एवं वैगु0 एस0 (1994) स्ट्राटजी फॉर टिचिंग स्टुडेन्ट्स विद लर्निंग एण्ड विहेवियर प्रोबलैम्स, एलिन एवं ब्रेकन, बोस्टन।
- मायरेड्डी वी0 एवं नारायण जे0 (1998) फंक्सनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्ट विद माइल्ड मेन्टल रिटार्डेशन, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे0 (1990), टुआर्डन्स इनडिपेनडेन्ट सीरीज 1 से 9 एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे : मायरेड्डी वी0 एवं राव, एस0 (2002) फंक्सनल एसेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, एन0आई0एम.0एच0 सिकन्दराबाद।
- वोवरटन टी0 (1992) एसेसेमेन्ट इन स्पेशल एजुकेशन एन अप्लाइड एप्रोच, मैकमिलन न्यूयार्क।
- पांडा, के0सी0 (1997)। एजुकेशन ऑफ एकस्पेशनल चिल्ड्रेन, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- नारायण, जे0 एवं कुट्टी ए0टी0टी0 (1989) हेन्डबुक फॉर ट्रेनर्स ऑफ द मेन्टली रिटार्डेड प्रसंस प्री प्राइमरी लेवेल, एन0आई0एन0एच0 सिकन्दराबाद।
- बी0 एण्ड एस0 ई0 एम0आर0 नोट्स ऑफ एम0पी0बी0ओ0यू0 मध्य प्रदेश, भोपाल।

- यादव, एस0 (2010), पाठ्यचर्या विकास, आगरा : श्री विनोद पुस्तक मंदिर।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अगस्त (2008), पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन।
- मुरूनालनी, टी (2008) करिकुलम डवलमेंट हैदराबाद नीलकमल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड।
- इग्नू (1997) करिकुलम एण्ड इन्स्ट्रक्शन (ब्लाक 1 एवं 2) नई दिल्ली : इग्नू।
- कैर, जॉन एफ0 (ed.) (1977) चेजिंग द करिकुलम, लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन प्रेस लिमिटेड।
- यादव, सियाराम (2011) पाठ्यचर्या विकास, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन।

इकाई–5

परिवार और स्कूल में संवेदनशीलता

संरचना –

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्‌देश्य

2.3 प्रारंभिक बाल शिक्षा में परिवार की भूमिका

2.4 पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बौद्धिक अक्षम बच्चों के आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ

2.4.1 शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

2.4.2 सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएँ

2.5 बच्चों को अनुकूल परिवेश मिलना

2.5.1 अनुकूलन पारिवारिक परिवेश

2.5.2 अनुकूल विद्यालय का परिवेश

2.6 घर एवं विद्यालय का पारस्परिक संबंध

2.7 परिवार एवं विद्यालय के पारस्परिक संबंध का महत्व

2.8 प्रभावी परिवार एवं स्कूल भागीदारी के सिद्धान्त

2.9 परिवार एवं स्कूल साझेदारी के मुख्य आयाम

2.10 परिवार एवं स्कूल भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियाँ

2.11 सारांश

2.12 शब्दावली

2.13 बोध प्रश्न एवं उत्तर

2.14 अभ्यास प्रश्न

2.15 संदर्भ ग्रन्थ

2.1 प्रस्तावना

किसी भी स्कूल में स्कूल स्टाफ, माता–पिता एवं छात्रों के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गतिविधियों में शामिल होना एवं उनके सहयोगात्मक संबंध को परिवार स्कूल की साझेदारी कहा जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षा के लिए ये आपसी जिम्मेदारी की साझेदारी करते है। प्रभावी साझेदारी आपसी विश्वास एवं सम्मान पर आधारित होता है।

परिवार अपने बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला तथा परिवार के सदस्य प्रथम शिक्षक होते है और वे अपने बच्चों के विकास एवं सीखने को अनवरत् प्रभावित करते रहते है। जहाँ एक ओर परिवारों को अपने बौद्धिक अक्षम बच्चों के भविष्य के लिए शैक्षिक नींव प्रदान करने के लिए स्कूलों पर भरोसा करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों के ऊपर भविष्य के पिढ़ियों को पोषण एवं सिखाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ठीक उसी समय स्कूलों को शिक्षा में परिवार की प्राथमिक भूमिका को पहचानने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि परिवारों और स्कूलों के लिए साझेदारी रूप से एक साथ काम करना महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार चाहे किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि का हो, उनका भागीदारी बच्चों के सीखने पर बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए स्कूलों में पारिवारिक भागीदारी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए केन्द्र माना जाता है। परिवार स्कूल साझेदारी रूप रेखा का मुख्य उद्देश्य स्कूल समुदाय के सभी सदस्यों जिनमें, शिक्षक, परिवार एवं छात्र शामिल है के बीच स्थायी एवं प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इन साझेदारियों को प्रत्येक साथी के योगदानों का सम्मान करते हुए समान रूप से मूल्यवान योगदान के रूप में देखना चाहिए बौद्धिक अक्षम छात्रों के जरूरतों एवं वरीयताओं का सम्मान करना चाहिए, परिवारों को स्कूलों में शामिल होने के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए, जो माता–पिता शामिल नहीं है उनको शामिल होने के लिए मदद देना चाहिए बौद्धिक अक्षम छात्रों को सीखने के लिए बेहतर कार्यक्रम एवं अवसर प्रदान करना चाहिए, विद्यालय निर्णय लेने एवं शासन में परिवार को उचित अवसर देना चाहिए तथा प्राचार्य एवं शिक्षकों के पेशेवर संतुष्टि में योगदान करना चाहिए।

परिवार स्कूल की साझेदारी विकसित करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए प्रतिबद्धता एवं समय की आवश्यकता होती है। दबावों और परिस्थितियों के कारण, कई परिवारों को अपने बौद्धिक अक्षम बच्चों के स्कूल जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए और अपने बच्चों को अधिक से अधिक स्कूल से लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती हैं कुछ स्कूलों एवं परिवारों को आपसी साझेदारी के रिश्तों को बनाने एवं आगे बढ़ाने के लिए अपने–अपने दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होती है जहाँ वे एक दूसरे को बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षा में सहयोगी के रूप में देखते है।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप

- प्रारंभिक शिक्षा में परिवार की भूमिकाओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
- पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बौद्धिक अक्षम बच्चों के शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बौद्धिक अक्षम बच्चों के सामाजिक एवं संवेगात्मक आवश्यकताओं एवं समस्याओं को रेखंकित कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों को सीखने के अनुकूल पारिवारिक एवं विद्यालय परिवेश तैयार कर पाएँगे।
- परिवार एवं विद्यालय के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कर सकेंगें।
- परिवार एवं विद्यालय के पारस्परिक संबंध के महत्वों को बता पाएँगे।
- प्रभावी परिवार स्कूल भागीदारी के सिद्धान्तों का वर्णन कर सकेंगे।

- परिवार स्कूल साझेदारी के मुख्य आयामों का वर्णन कर सकेंगे।
- परिवार एवं स्कूल भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियों का व्याख्या कर सकेंगे।

2.3 प्रारंभिक बाल शिक्षा में परिवार की भूमिका

सामान्य बच्चे हो या बौद्धिक अक्षम उनके जीवन के पहले पाँच वर्षो के दौरान माता–पिता का व्यवहार बच्चों में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक एवं स्व–संचालन कौशल जो उनके जीवन भर के अनुकूलन और काम काज के लिए मंच निर्धारित करता है। बच्चों के इस विकास के लिए उनका शुरूआती रिश्ता महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों को घर एवं परिवार में जो बातचीत एवं अनुभव प्राप्त होता है बच्चों को अपने दुनिया की व्याख्या करने एवं सांस्कृतिक रूप से तैयार की गई घटनाएँ के अर्थ देने के लिए ढांचा प्रदान करता है। बाद के स्कूली शिक्षा से बच्चों को किस हद तक लाभ होगा यह भी इसी बात पर निर्भर करता है।

माता–पिता के व्यवहार में अनन्त प्रकार की विशिष्ट क्रियाएँ होती है जो समय के साथ बच्चों के विकसित होने पर प्रकट होती है। माता–पिता के अनेकों व्यवहार में से उनके व्यवहार के तीन प्रमुख आयामों को उपयोगी पाया गया है। इन तीन आयामों में गर्मजोशी एवं संवेदनशीलता, बच्चों की उभरती स्वायत्ता के लिए समर्थन एवं सीखने में सक्रिय भागीदारी शामिल है। ये तीनों आयाम बच्चों के तंत्रिका क्षमता, सामाजिक भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं संचार क्षमता के विकास को प्रभावित करता है। नेशनल साइंटिफिक काउंसिल आफ द डेवलपिंग चाइल्ड, 2004, एन आई सी एच डी अर्ली चाइल्ड केयर रिसर्च नेटवर्क, 2002, शोकॉफ और फिलिप्स, 2000)।

2.4 पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बौद्धिक अक्षम बच्चों की आवश्यकताएँ एवं समस्याएं

पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बौद्धिक अक्षम बच्चों के अनेक क्रियाएँ घर से स्कूल तक होती है। अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों के विकासात्मक आवश्यकताओं को समझे तथा उनकी पूर्ति करने के लिए प्रयास करें साथ ही इन आवश्यकताओं के पूर्ति करने में जो समस्याएँ उत्पन्न हो, उन्हें भी समझने की कोशिश करें। बच्चों के विकास के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने पर भी माता–पिता एवं शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। बौद्धिक अक्षम बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी होने से उनके लिए शारीरिक, बौद्धिक, समाजिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए घर एवं विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों की योजना बनाने में मदद मिलती है।

2.4.1 शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ

सामान्य बच्चा हो या बौद्धिक अक्षम बच्चा, सभी का शैक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अन्य क्षेत्रों का विकास बच्चों के शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चों में सुनने, देखने या बोलने की समस्या है तो उनका विकास भी पिछड़ जाता है। यदि बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पहचान शुरूआत में हो जाता है तो उसके लिए आवश्यकता अनुरूप कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है जिससे कि इन बच्चों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। अक्सर बौद्धिक अक्षम बच्चों में बौद्धिक अक्षमता के साथ–साथ अन्य विकलांगताएँ या अवस्थाएँ भी जुड़ी हुई होती है। अतः ऐसे बच्चों के लिए

कार्यक्रम तैयार करते समय उनकी सभी अवस्थाओं का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है।

2.4.2 सामाजिक संवेगात्मक समस्याएँ

बौद्धिक अक्षम बच्चे हो या सामान्य बच्चे सबों के लिए सामाजिक व्यवहार अति आवश्यक है। बच्चा प्रारंभिक अवस्था में जो सामाजिक व्यवहार सीखता है, उसका प्रभाव उस पर आजीवन रहता है। कई बार बौद्धिक अक्षम बच्चे अपने दोस्तों एवं शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करने या फिर काम से छुटकारा पाने के लिए ऐसे व्यवहार करता है जो दूसरों के लिए परेशानी उत्पन्न करता है। ऐसे व्यवहार को समस्या व्यवहार भी कहते हैं। अतः अभिभावकों एवं शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे व्यवहार को पहचान कर उसके व्यवहार परिमार्जन के लिए कार्यक्रम जरूर तैयार करें। कई बार घर में एक दूसरे को तंग किया जाता है या फिर अक्सर झगड़ा होता रहता है। ऐसे स्थिति में बच्चों के सामाजिक विकास में बाधा पहुँचाती है।

कई बार घर एवं विद्यालय का कड़ा अनुशासन, अनावश्यक मांगे, योग्यता से अधिक सीखने का अत्यधिक दबाव, बच्चों के मौलिक काम में शिक्षकों एवं अभिभावकों के द्वारा कमियों निकालना, बच्चों पर अपना विचार थोपना, घर में जरूरत से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना या फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देना आदि, बच्चों को द्वेषी एवं तनावमुक्त बनाता है साथ ही उन्हें अवांछनीय व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। अतः ऐसे में शिक्षकों एवं अभिभावकों को बच्चों के आक्रामक व्यवहार के कारणों को समझना चाहिए तथा बच्चों को आवश्यकतानुसार उचित व्यवहार एवं वातावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चों को खेलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक है।

2.5 बच्चों को अनुकूल परिवेश बच्चों के सीखने या मिलना

व्यवहार करने के लिए परिवेश की अहम भूमिका होती है। सामान्य बच्चे हो या बौद्धिक अक्षम उन्हें घर या विद्यालय में जैसा परिवेश मिलता है बच्चे वैसा ही व्यवहार करना सीखता है। बच्चों को सीखने एव उचित व्यवहार करने के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करना चाहिए जिससे कि बच्चे सकारात्मक व्यवहार सीख सके।

2.5.1 अनुकूल परिवारिक परिवेश

किसी भी बच्चे के व्यवहार में उसके परिवार के मूल्य, संस्कृति एवं भाषा परिलक्षित होता है। बच्चों को संवेगात्मक, सामाजिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में उसके परिवार का प्रतिबिम्ब दिखता है। चूँकि बच्चों का पहला विद्यालय घर होता है तथा पहला शिक्षक उनके माता–पिता होता है। विद्यालय में प्रवेश के बाद भी बच्चे अधिक से अधिक समय अपने घर पर माता–पिता के साथ ही बिताता है। अतः बच्चों के विकास पर परिवारिक परिवेश एवं अभिभावक का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। बच्चे घर में रहकर अपने माता–पिता से जो भी अच्छा बुरा व्यवहार सीखता है वह आजीवन उसी का अनुकरण करता है। यदि बच्चों का पालन–पोषण विभिन्न प्रकार के अनुभवों तथा जिम्मेदारियों से भरे परिवेश में हुआ है जहाँ बच्चों को अनेक प्रकार के अभिव्यक्ति करने का अवसर मिले हों तो ऐसे बच्चे अधिक सहयोगी, विचारशील, सक्षम एवं आत्मनिर्भर होता है। जबकि दूसरी ओर असंतोषजनक परिवेश में जिन बच्चों का पालन–पोषण होता है उनका संबंध बाहर भी अवांछनीय होता है।

2.5.2 अनुकूल विद्यालय परिवेश

विद्यालय के कई घटक बौद्धिक अक्षम एवं सामान्य बच्चों के विकास एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। विद्यालय में शिक्षक के व्यक्तित्व, छात्र एवं अध्यापक का संबंध, कक्षा का परिवेश, बच्चों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अध्यापक की संवदेनशीलता आदि बच्चों के व्यवहार एवं विकास को प्रभावित करता है। बच्चों अपने शिक्षकों के विचारों एवं आदर्शों से काफी प्रभावित होता है। यदि शिक्षक बच्चों से मित्रतापूर्ण एवं शिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है तो बच्चों में लोगों की सहायता करने और हर बात पर ध्यान देने की भावना विकसित होती है। उसी तरह यदि शिक्षक एवं विद्यार्थी का संबंध अच्छा होता है तो कक्षा में अभिप्रेरण, रूचि प्रदर्शन, एवं कार्यक्रमों में बच्चों के हिस्सेदारी संबंधित समस्याएँ उत्पन्न नहीं होती है। शिक्षण के समय कक्षा का परिवेश भी महत्वपूर्ण होता है। कक्षा में मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

शिक्षक को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, तभी वे बच्चों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को समझ पाएँगे। शिक्षकों को बच्चों के वृद्धि एवं विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अलग–अलग आयुवर्ग के बच्चे किस प्रकार का विशेष व्यवहार करता है, शिक्षक को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को विद्यालय में अनुकूल परिवेश प्रदान करना शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। अनुकूल विद्यालय वातावरण बच्चों को अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है तथा उनका सर्वागीण विकास होता है। अनुकूल परिवेश सीखने एवं विकास को अधिकतम अवसर प्रदान करता है।

2.6 घर एवं विद्यालय का पारस्परिक संबंध

किसी भी बच्चों के विकास के लिए घर एवं विद्यालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों के संदर्भ में इन दोनों का एक साथ मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है तभी बौद्धिक अक्षम बच्चों का अधिकतम एवं सर्वागीण विकास हो पाएगा। परिवार एवं विद्यालय के मिलकर काम करने तथा दोनों में अनुभवों के आदान–प्रदान रहने से बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचता है। चूँकि माता–पिता एवं शिक्षक दोनों ही बच्चों के विकास एवं सफलता में रूचि रखता है अतः दोनों को मिलकर समूह भावना से काम करने पर बच्चों का अधिक से अधिक विकास होगा तथा बच्चे अधिकतम लाभान्वित हो पाएँगे।

विद्यालय को बच्चे के किसी भी समस्या का समाधान परिवार के सहायता एवं सहयोग के बिना करने में काफी कठिनाई आती है। घर एवं विद्यालय का मुख्य कार्य बच्चों को अनुकूल अवसर प्रदान करना है। घर एवं विद्यालय गाड़ी के दो पहिए के समान है जिसके साथ–साथ चलने से गाड़ी यानी बच्चा आगे बढ़ते चला जाता है तथा दोनों में से किसी एक की खराबी से गाड़ी यानी बच्चे का विकास अवरूध हो जाता है। अतः घर एवं विद्यालय को एक साथ मिलकर बच्चों के सर्वागीण विकास के दिशा में काम करना चाहिए जिससे कि बच्चे को घर एवं विद्यालय दोनों जगह सीखने के अनुकूल परिवेश मिले तथा एक दूसरे को बच्चों से संबंधित समस्या का भी समाधान करने में मदद करना चाहिए।

2.7 परिवार एवं विद्यालय के पारस्परिक संबंध के महत्व

जहाँ एक ओर माता–पिता अपने बच्चे के पहले शिक्षक होते है। वे अपने बच्चे के सीखने एवं विकास को काफी समय तक प्रभावित करता है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के पास इन बच्चों के भविष्य के लिए शैक्षिक नींव प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। माता–पिता को इन शैक्षिक नींव के लिए स्कूल पर भरोसा करना पड़ता है। साथ ही स्कूल

को शिक्षा में परिवार के प्राथमिक भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है। अर्थात परिवार एवं विद्यालय एक दूसरे के लिए पूरक का काम करता है। एक के अभाव में दूसरा अधूरा है। इसमें किसी की भी भूमिका कम या अधिक नहीं आंकी जा सकती है। परिवार एवं विद्यालय के पारस्परिक संबंध से –

- ये दोनों एक दूसरे के भागीदारी का सम्मान करते है।
- दोनों बच्चों के आवश्यकताओं एवं वरीयताओं का सम्मान करते है।
- दोनों छात्रों के लिए शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर कार्यक्रम एवं अवसर प्रदान करते है।
- दोनों बच्चों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में एक दूसरे की मदद करते है।
- बच्चों को सीखने का अच्छा परिवेश एवं अवसर मिलता है।
- बच्चों में समस्या व्यवहार बढ़ने की संभावनाएं कम होती है।
- परिवार एवं विद्यालय एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते है।
- बच्चों में अधिकतम विकास की संभावना होती है।

इस तरह परिवार एवं विद्यालय के पारस्परिक संबंध से इन दोनों के साथ–साथ बच्चों को भी अधिकतम लाभ पहुँचता है।

2.8 प्रभावी परिवार स्कूल भागीदारी के सिद्धान्त

परिवार स्कूल भागीदारी का ढाँचा स्कूल, शिक्षक एवं अभिभावक तथा अन्य व्यक्तियों को एक साथ काम करने के लिए साझेदारी विकसित करता है। प्रभावी स्कूल–परिवार की भागीदारी कई सिद्धान्तों पर आधारित है। ये सिद्धान्त निम्नलिखित है।

- सभी परिवार एवं स्कूल अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते है।
- बौद्धिक अक्षम एवं अन्य सभी बच्चों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के अवसर पाने का अधिकार है।
- परिवार अपने बच्चों को शिक्षित करने वाला प्रथम एवं निरन्तर शिक्षित करने वाला शिक्षक है।
- प्रभावी स्कूल सभी बच्चों को पोषण एवं सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करता है।
- परिवार एवं विद्यालय गुणवत्ता शिक्षण एवं शिक्षकों के पेशेवर विशेषज्ञता का सम्मान करते हैं।
- परिवार एवं विद्यालय परिवारों की विविधता को महत्व देते हैं तथा इस संसाधन का प्रयोग साझेदारी एवं समुदायों के निर्माण के लिए करते हैं।
- किसी भी परिवार एवं विद्यालय की साझेदारी आपसी जिम्मेदारी, सम्मान एवं विश्वास पर आधारित होता हैं।

- परिवार विद्यालय के साझेदारी का निर्माण, रख–रखाव एवं नवीनीकरण करने के लिए नेतृत्व महत्वपूर्ण है।
- परिवार स्कूल भागीदारी छात्र प्रेरणा एवं सीखने में सुधार करता है।
- परिवार स्कूल की भागीदारी स्कूलों एव इनके समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करता है।
- भागीदारी में वे सभी संगठन शामिल हो सकते हैं जो परिवारों और स्कूलों का समर्थन करते हैं।

इस तरह ये सभी सिद्धान्त परिवार स्कूल की भागीदारी को बढ़ाता है जिससे बौद्धिक अक्षम बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 बच्चे के शारीरिक स्थिति उसके सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। सही/गलत

....

....

प्र02 बच्चे के सामान्य विकास के लिए आवश्यक है कि उसमें पारस्परिक सौहार्द एवं मित्रता का गुण विद्मान हो। सही/गलत

....

....

प्र03 बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य में वृद्धि होने से वह विद्यालय कार्य को अधिक रूचि के साथ करता है। सही/गलत

....

....

2.9 प्रभावी स्कूल साझेदारी के मुख्य आयाम

सामान्य एवं बौद्धिक अक्षम बच्चों को अनुकूल परिवेश प्रदान करने तथा अधिकतम विकास के लिए विभिन्न आयामों की चर्चा निम्नलिखित है। इन निम्नलिखित आयामों की तरह साझेदारी गतिविधियों की योजना बनाना चाहिए।

- **संचार :**

  संचार सबसे महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। इसमें प्रभावी संचार पर बल दिया जाता है। यह मुख्य आयाम बौद्धिक अक्षम बच्चों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रभावी संचार पर बल देता है। इसमें सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं बल्कि स्कूलों एवं परिवारों को एक दूसरे के बारे में जानने का अवसर भी शामिल

है। इसमें परिवार द्वारा दी गई सूचनाओं को स्वीकारने तथा उसको मानने पर बल दिया जाता है। प्रभावी संचार से विद्यालय एवं परिवार के बीच की दूरी कम हो जाती है। दोनों ही आपसी सहयोग एवं तालमेल से बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में सफल हो सकते हैं जिससे बच्चों का अधिकतम विकास होता है।

- **घर एवं विद्यालय में सीखने के एक ही लक्ष्य :**

इस आयाम के अन्तर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि बौद्धिक अक्षम बच्चे जो घर या स्कूल में सीखता है जिसका आपसी संबंध स्थापित कर सके। अक्सर घर एवं स्कूल के वातावरण काफी हद तक मिलता जुलता है। प्रत्येक बौद्धिक अक्षम बच्चों के सीखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए स्कूल एवं परिवार एक साथ मिलकर काम करे। घर एवं स्कूल दोनों ही वातावरण का उपयोग सीखने के लिए किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक सीख सके तथा दोनों जगह सिखाए गए तथ्यों में संबंध स्थापित कर सके।

- **परिवार की भूमिका को पहचानना :**

यह आयाम इस बात पर बल देता है कि माता–पिता बच्चों के प्राथमिक शिक्षक है जिसका प्रभाव स्कूल में बच्चों के दृष्टिकोण एवं उपलब्धियों पर स्थाई रूप से पड़ता है। परिवार बच्चों की स्कूल एवं स्कूल के बाहर भी सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा स्कूल के लक्ष्यों, निर्देशों एवं लोकाचार का समर्थन करते है। बौद्धिक अक्षम बच्चे के माता–पिता चाहते हैं कि स्कूल बच्चों को सुरक्षित और देखभाल करने वाले वातावरण प्रदान करें। स्कूल को माता–पिता के संवेदना के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। साथ ही माता–पिता की भागीदारी को बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में सुनिश्चित करना चाहिए।

- **परामर्शी निर्णय लेना :**

साझेदारी का यह आयाम इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक माता–पिता को अपने बौद्धिक अक्षम बच्चों के विषय में कोई भी सलाह लेने या निर्णय लेने में अधिकार पूर्वक भाग लेना चाहिए। अभिभावक स्कूल के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सार्थक भूमिका निभा सकते है। स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माता–पिता के मूल्यों एवं हितों को सुने और उसका सम्मान करें। तभी स्कूल अपने समुदाय के प्रति अधिक जवाबदेह हो सकता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए कोई भी कार्यक्रम तैयार करते समय उनके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय या फिर व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करते समय स्कूल को माता–पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए तभी वह कार्यक्रम सफल हो सकेगा तथ अभिभावक अपना योगदान दे पाएगा। अन्यथा के दशा में कार्यक्रम लक्ष्यहीन हो जाएगा और फिर उसे प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।

- **सामुदायिक संसाधनों का उपयोग :**

यह आयाम इस बात पर बल देता है कि स्कूलों को परिवार के साथ–साथ सामुदायिक संसाधनों का भी पता लगाकर एकीकृत करने पर जोर देना चाहिए, जिससे बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण में काफी आसानी होती है साथ ही काफी प्रभावी होता है। यह सिर्फ बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में ही नहीं बल्कि उनके माता–पिता को भी सुदृढ़ करने में मदद करता है। स्कूल,

परिवार एवं छात्र बदले में परिवेश में सामुदायिक संसाधन समुदाय की भी सहायता कर सकते है। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं उनके परिवार को सुदृढ़ करने के लिए सामुदायिक संसाधनों का पता लगाना एवं उसका उपयोग करना आवश्यक हो जाता है।

- **भागीदारी** :

  यह आयाम इस बात पर बल देता है कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के परिवारों का समय, उर्जा एवं विशेषज्ञता कई मायनों में बच्चो के सीखने एवं स्कूल कार्यक्रमों में सहायता कर सकता है। ऐसे कई कार्यक्रम है जिसमें परिवार के सदस्य शामिल हो सकते है। ये कार्यक्रम निम्नलिखित है।

  - कक्षा में सीखाते समय सीखने की गतिविधियों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के साथ काम कर सकते है।
  - कक्षा के बाहर स्कूल के अन्य गतिविधियों में भाग ले सकते है जैसे बच्चे को पिकनिक या भ्रमण हेतु ले जाने में।
  - कक्षा के बाहर बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में।
  - स्कूल के लक्ष्यों को अभ्यास करने में आदि।

इस तरह हम देखते है कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता–पिता के भागीदारी से बच्चों के शिक्षा एवं विकास काफी प्रभावित होता है।

2.10 परिवार एवं स्कूल के भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियाँ

कोई भी विद्यालय अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। किसी भी बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं सर्वागीण विकास के लिए स्कूल को परिवार एवं समुदाय के संसाधनों का उपयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। इसी इकाई में स्कूल परिवार के साझेदारी के कई आयामों की चर्चा की गई है। प्रत्येक आयाम के अन्तर्गत भागीदारी बढ़ाने के लिए कई रणनीतियाँ है। प्रभावी भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियाँ निम्नलिखित है –

- बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता–पिता को बच्चों के वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाय।
- बच्चों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष से अवगत कराया जाए।
- बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करने तथा अन्य कार्यक्रम में अभिभावकों को शामिल किया जाए।
- माता–पिता को बौद्धिक अक्षम बच्चों के साथ स्कूल में एवं स्कूल से बाहर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- बच्चों के छोटे–छोटे विकास एवं उपलब्धि से माता–पिता को अवगत करना चाहिए।
- आवश्यकता पड़ने पर माता–पिता को परामर्श भी देना चाहिए।

इस तरह विद्यालय एवं शिक्षक माता–पिता के भागीदारी को बढ़ाकर बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं विकास सुनिश्चित कर सकते है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र04 बच्चा कक्षा में अनुशासनहीनता इसलिए करता है ताकि वह शिक्षक एवं साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। सही/गलत

....

....

प्र05 प्रारंभिक बाल शिक्षा में परिवार की कोई भूमिका नहीं होती है। सही/गलत

....

....

प्र06 अनुकूल परिवारिक परिवेश मिलने से बौद्धिक अक्षम बच्चों में समस्या व्यवहार होने की संभावना बढ़ जाती है। सही/गलत

....

....

2.11 सारांश

बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं विकास के लिए परिवार एवं स्कूल में संवेदनशीलता की अत्यधिक आवश्यकता है। चूँकि बच्चों का प्रथम शिक्षक माता–पिता माना जाता है साथ ही वे बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं विकास को अनवरत् प्रभावित करता है। अतः बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में उनका भागीदारी होना अति आवश्यक है। माता–पिता की भागीदारी के अलावा बच्चों को अधिकतम सीखने के लिए घर एवं स्कूल में अनुकूलित परिवेश का होना भी आवश्यक है। अतः शिक्षक एवं माता–पिता को मिलकर, बच्चों को अनुकूलित परिवेश प्रदान करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उनके आवश्यकताओं एवं समस्याओं का जानना भी आवश्यक हो जाता है। अतः शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे बच्चों के विकासात्मक आवश्यकताओं को समझे तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयत्न करें। इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में बच्चों में जो समस्याएँ उत्पन्न हो उन्हें भी समझने की कोशिश करें। अतः बच्चों के अधिकतम विकास के लिए उन्हें अनुकूल परिवेश एवं सहयोग प्रदान करना चाहिए।

2.12 शब्दावली

परिवारः परिवार से तात्पर्य है माता पिता या अभिभावक एवं अन्य सदस्य जिसके साथ बच्चा रहता है।

अनुकूल परिवेशः अनुकूल परिवेश का तात्पर्य है ऐसे वातावरण वे है जो शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु अति उपयोगी माना जाता है।

2.13 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 बच्चे के शारीरिक स्थिति उसके सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। सही/गलत

उत्तर–1 सही

प्रश्न–2 बच्चे के सामान्य विकास के लिए आवश्यक है कि उसमें पारस्परिक सौहार्द एवं मित्रता का गुण विद्‌मान हो। सही/गलत

उत्तर–2 सही

प्रश्न–3 बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य में वृद्धि होने से वह विद्यालय कार्य को अधिक रूचि के साथ करता है। सही/गलत

उत्तर–3 सही

प्रश्न–4 बच्चा कक्षा में अनुशासनहीनता इसलिए करता है ताकि वह शिक्षक एवं साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। सही/गलत

उत्तर–4 सही

प्रश्न–5 प्रारंभिक बाल शिक्षा में परिवार की कोई भूमिका नहीं होती है। सही/गलत

उत्तर–5 गलत

प्रश्न–6 अनुकूल परिवारिक परिवेश मिलने से बौद्धिक अक्षम बच्चों में समस्या व्यवहार होने की संभावना बढ़ जाती है। सही/गलत

उत्तर–6 गलत

2.14 अभ्यास प्रश्न

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में परिवार की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए।
2. बौद्धिक अक्षम बच्चों की आवश्यकताएँ एवं समस्यायें उनके विकास को कैसे प्रभावित करता है ?
3. बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्‌यक्रम के विकास करने में बच्चों के सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएँ कैसे प्रभावित करता है ?
4. अनुकूल परिवारिक परिवेश से आप क्या समझते है ?
5. बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रशिक्षण के लिए घर एवं विद्यालय के पारस्परिक संबंध के भूमिकाओं का मूल्यांकन कीजिए।
6. बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल एवं परिवार के भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियों की व्याख्या कीजिए।

2.15 संदर्भ ग्रंथ

- नारायण, जे0 एवं कुट्‌टी ए0टी0टी0 (1989) हेन्डबुक फॉर ट्रेनर्स ऑफ द मेन्टली रिटार्डेड प्रसंस प्री प्राइमरी लेवेल, एन0आई0एन0एच0 सिकन्दराबाद।

- नारायण जे0 (एनु) (1999) स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड। एन0आई0एम0एच0 सिकन्राबाद।
- वर्नर डी0 (1994) डिसएबल विलेंज चिल्ड्रन अ गाइड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्क्स, देहली, बी0ए0एच0आई।
- लोनमोन, जे0 (1986), टीचिंग रिटार्डेड लर्नर्स करिकुलम एण्ड मेथडस और इम्प्रूविंग इन्स्ट्रक्शन, बोस्टन : ऐलीन एण्ड बेकन इन्क।

इकाई–6

हस्तक्षेपण, प्रलेखन, रिकार्ड रख–रखाव एवं रिपोर्ट लेखन का विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर के शिक्षण में निहितार्थ

संरचना–

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा

3.4 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

3.5 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा पर निहितार्थ

- 3.5.1 हस्तक्षेपण का
- 3.5.2 समग्र विकास का
- 3.5.3 प्रलेखन का
- 3.5.4 रिकार्ड रख–रखाव का
- 3.5.5 रिपोर्ट लेखन का

3.6 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा का बौधिक अक्षम बच्चों के लिए निहितार्थ

3.7 सारांश

3.8 शब्द सूची

3.9 बोध प्रश्न एवं उत्तर

3.10 अभ्यास प्रश्न

3.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

3.1 प्रस्तावना

बच्चों के प्रारंभिक अवस्था को विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। बच्चे के विभिन्न क्षेत्रों का अधिकतम विकास प्रारंभिक अवस्था में हो जाता है, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है। बच्चों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन शिक्षा को माना जाता है। यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के विकास का एक आधारशीला माना जाता है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौधिक, नैतिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक आदि सभी विकास उनके प्रारंभिक एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा पर निर्भर करता है। प्रारंभिक विद्यालय पूर्व शिक्षा

बच्चों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही विकास में तेजी लाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस तरह प्राथमिक शिक्षा बच्चों के साथ–साथ समाज एवं देश के समग्र विकास में उपयोगी सिद्ध होता है।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेंगे –

- विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा के अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
- विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे।
- हस्तक्षेपण एवं समग्र विकास के लिए पूर्ण विद्यालय एवं प्राथमिक शिक्षा के कार्यान्वयन को मूल्यांकन कर सकेंगे।
- पूर्व विद्यालय एवं प्राथमिक स्तर के निहितार्थ के व्याख्या कर सकेंगे।

3.3 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा

विद्यालय पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्षों के उम्र तक दी जाती है। पूर्व विद्यालय को पहले एक ऐसे जगह के रूप में माना जाता था, जहां छोटे बच्चे अपने सह उम्र साथियों के साथ खेलते थे एवं आनन्द लेते थे। किन्तु आज विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा का महत्व काफी बढ़ गया है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। पूर्व विद्यालय एवं प्राथमिक शिक्षा बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें वास्तविक विद्यालयी शिक्षा के लिए भी तैयार करता है। यह बच्चों के वास्तविक विद्यालयी शिक्षा के लिए नींव का काम करता है। चूँकि बच्चों में भाषा का अधिक से अधिक विकास प्राथमिक अवस्था में हो जाता है। अतः पूर्व विद्यालय एवं प्राथमिक शिक्षा बच्चों को भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनके भाषा का विकास काफी तेजी से होता है। इस स्तर पर बच्चों में अभिव्यक्ति एवं ग्रहणशील दोनों ही भाषा का विकास होता है।

बौधिक अक्षम बच्चों के संदर्भ में विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। चूँकि ये बच्चे विकासात्मक दृष्टि से काफी पिछड़े होते है। अतः विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा इन बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में विकास की सुविधा प्रदान करता है साथ ही इन बच्चों को सामाजिक समावेशन का अवसर भी प्रदान करता है। इस प्रकार विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है जो बच्चों के विकास के साथ–साथ विद्यालयी शिक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है।

3.4 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

शोध से पता चलता है कि बच्चों के सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उम्र विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक स्तर के उम्र होता है। इस उम्र में बच्चों के मस्तिष्क के वृद्धि एवं विकास काफी तेजी से होता है। यह ऐसी अवस्था होती है जब पोषण एवं उपयुक्त उत्तेजना बच्चों के लिए आजीवन लाभप्रद होता है क्योंकि इससे बच्चे आत्म–मूल्य एवं नए कौशल विकसित करते है जो उनको आजीवन मदद करता है। इसके साथ–साथ पूर्व विद्यालय एवं प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है।

- पूर्व विद्यालय एवं प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को विकास करने में मदद करता है।
- यह बच्चों में अभिव्यक्ति एवं ग्रहण भाषा के विकास को बढ़ावा देता है।
- बच्चों को आपसी संबंध बनाने का अवसर प्रदान करना है।
- बच्चों को अपने कौशल का विस्तार करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
- बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करना है।
- बच्चों में स्वयं सहायता गुणों का विकास करना है।
- बच्चों में गामक, व्यक्तिगत, सामाजिक, बौधिक, व्यवसायिक, भावात्मक क्षमता का विकास करना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास करना है।
- बौधिक अक्षम बच्चों के विकास को बढ़ावा देना इकसा मुख्य उद्देश्य होता है।
- बौधिक अक्षम बच्चों को अपने तरीके एवं गति से कौशल सीखने का अवसर प्रदान करता है।
- बौधिक अक्षम बच्चों के सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है।

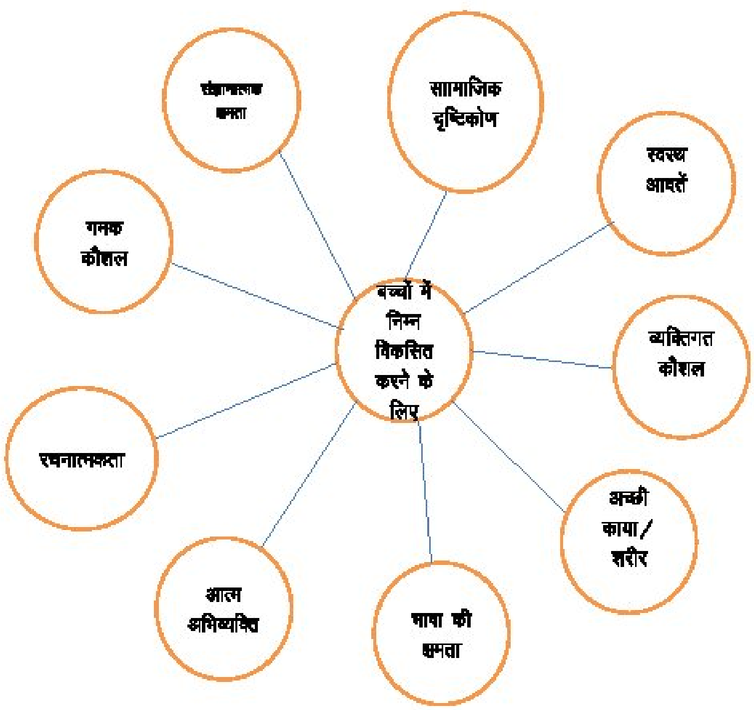

विद्यालय पूर्व शिक्षा के उद्देश्य

स्रोत : एन0सी0ई0आर0टी0 रिपोर्ट (1987)

इस तरह विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा न केवल ज्ञान का अधिग्रहण करता है बल्कि क्षमता, कौशल एवं चरित्र के गुणों का विकास करता है। इसीलिए पूर्व स्कूली उम्र बच्चों के जीवन काल में महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है।

3.5 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा के निहितार्थ

यह निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है कि विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा का व्यवस्थित प्रावधान बच्चों के बाद के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अधार प्रदान करता है। विद्यालय पूर्व शिक्षा का बच्चों के संज्ञानात्मक और भाषा पर महत्वपूर्ण एवं स्थाई प्रभाव पड़ता है तथा उनके क्षमताओं एवं स्कूली प्रगति को भी बढ़ावा देता है। विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक स्तर के शिक्षा पर सकारात्मक निहितार्थ हस्तक्षेपन, प्रलेखन, रिकार्ड रख रखाव एवं रिपोर्ट लेखन का भी पड़ता है।

3.5.1 हस्तक्षेपन का

विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर के हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रारंभिक वर्षों को सीखने के अनुभवों के माध्यम से विशेष बनाता है जो संचार, गामक, सज्ञानात्मक, सामाजिक एवं स्वयं सहायता कौशल में सुधार करने में मदद करते है। हस्तक्षेप के दृष्टि से प्रारंभिक वर्ष काफी महत्वपूण्र होता है, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में ही बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास तीव्र गति से होता है साथ ही यह बच्चों में भविष्य में होने वाले विकास के लिए एक आचारशीला का काम करता है। दिव्यांग बच्चों खास कर बौधिक अक्षम बच्चों के लिए यह ओर भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन बच्चों का विकास काफी धीमी गति से होता है। अतः यदि इन बच्चे को प्रारंभ के वर्ष में हस्तक्षेप नहीं दिया जाएगा तो उसका विकास और भी धीमा हो जाएगा परिणाम स्वरुप भविष्य में होने वाला विकास भी काफी धीमी हो जाएगी या फिर विकास नहीं हो पाएगी क्योंकि विकास हमेशा क्रमब्ध तरीके से होता है। जब एक विकास का एक चरण या स्तर पूरा नहीं होता है तब तक दूसरा चरण या स्तर का विकास नहीं होता है। इस तरह विद्यालय पूर्व एवं प्रारम्भिक शिक्षा का निहितार्थ हस्तक्षेपन के लिए महत्वपूर्ण है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए आवश्यक है। सही/गलत

....

....

प्र02 विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा का विद्यालयी शिक्षा में कोई भूमिका नहीं होती है। सही/गलत

....

....

प्र03 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मस्तिष्क का विकास काफी तेजी से होता है। सही/गलत

....

....

3.5.2 समग्र विकास का

बच्चों का अधिक से अधिक विकास प्रारंभिक वर्षो में होता है। इस दृष्टि से विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर अति महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भाषा, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं सौन्दर्यात्मक विकास अधिकतम होता है। इस तरह बच्चों के समग्र विकास के लिए विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे बाहरी दुनियाँ का अनुभव प्राप्त करने तथा बाहरी दुनियाँ का प्रभाव समझने के लिए अपने पाँचों ज्ञान इन्द्रियों का उपयोग करता है। इन्हीं ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा वे संदेश प्राप्त करते एवं वितरित करते है। अतः सभी सीखने एवं संचार, शरीर की नियंत्रण क्षमता सकल एवं सूक्ष्म गामक कौशल के विकास तथा संवेदी क्षमता के अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। इस तरह बच्चें शारीरिक गतिविधि और संवेदी अनुभव के माध्यम से दुनिया के ज्ञान का निर्णय करता है। ये क्षमताएँ बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने एवं वास्तविक जीवन की स्थितियों और अनुभवों के माध्यम से अपनी बुद्धि विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक, भावनात्मक एवं संवेदनात्मक विकास होता है, जो एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है।

इस तरह हम देखते है कि विद्यालय पूर्व एवं प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास अधिकतम होता है। एक क्षेत्र के विकास प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देती है। यदि किसी एक क्षेत्र का विकास अवरूध होता है तो वह अन्य क्षेत्र के विकास को भी प्रभावित करता है। अर्थात विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तथा एक दूसरे के विकास को भी प्रभावित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर बच्चों के समग्र विकास के लिए अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

3.5.3 प्रलेखन का

- बच्चों की वृद्धि एवं विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विभिन्न चरणों में उनके विकास के चिन्हित करने वाले महत्वपूर्ण विकासात्मक पड़ाव होता है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों की वृद्धि एंव विकास के प्रमाण के रूप में इन जानकारी को दर्ज करें। बच्चों का पोर्टफोलियों बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का एक व्यवस्थित प्रलेखन है। इस तरह प्रलेखन छात्रों के सीखने, सोचने या फिर विकास को उल्लेखित करने का एक तरीका है। यह छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं आगंतुकों सबों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर के प्रलेखन क महत्वपूर्ण निहितार्थ निम्नलिखित है।

- बच्चे के विकास के किस चरण में कौन सा विकास हुआ है यह जानने के लिए प्रलेखन आवश्यक है।

- नए शिक्षकों को उनके संदर्भ एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पुराने शिक्षकों द्वारा दिया जाता है जब बच्चे नीचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है।

- यह माता–पिता को बच्चों संबंधी सूचना देने के लिए किया जाना आवश्यक है।

- आवश्यक पड़ने पर यह एक संदर्भ का काम करता है। इसके लिए भी प्रलेखन आवश्यक है।

- प्रलेखन बच्चों के निरन्तर समीक्षा के लिए आवश्यक होता है।

- प्रलेखन बौधिक अक्षम बच्चों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
- प्रलेखन बौधिक अक्षम बच्चों के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है।
- प्रलेखन बच्चों के विकास एवं सीखने संबंधित साक्ष्य के रूप में काम करता है।
- बच्चों के संबंधित सूचनाओं को लंबे समय तक रखने के लिए भी प्रलेखन आवश्यक है।
- प्रलेखन आवश्यकतानुसार इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों को समायोजित या संशोधित करने में मदद करती है।
- बच्चों से संबंधित प्रलेखन करने से समय के साथ बच्चों के विभिन्न विकास के रूझान एवं पैटर्न देखने में मदद मिलती है।
- माता–पिता अभिभावकों, प्रशासकों एवं अन्य व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए भी प्रलेखन आवश्यक है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सूचना प्रदान करने, विकासात्मक समीक्षा करने, बच्चो के लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार करने या फिर आवश्यक रणनीतियों के समायोजित या संशोधित करने के लिए प्रलेखन अति आवश्यक है।

3.5.4 रिकॉर्ड रख रखाव का

विद्यालय पूर्व एवं प्रारभिक स्तर के पाठ्यक्रम के कुशल संचालन एवं प्रबंधन के लिए रिकॉर्ड का रख रखाव आवश्यक होता है। स्कूल एवं शिक्षक द्वारा भेजी गई सूचना एवं संचार कोई भी बच्चा स्कूल में कैसा कर रहा है, इसकी पूरी तस्वीर चित्रित करता है। उदाहरण स्वरूप ग्रेड टेस्ट एवं गृह कार्य यह दिखा सकता है कि बच्चा विभिन्न विषयों एवं कार्यों में संघर्ष कर रहा है या उसमें सुधार कर रहा है। उसी तरह बच्चों का रिपोर्ट कई बच्चों के शैक्षणिक प्रगति का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसके अलावा मानवीकृत परीक्षण स्कोर यह दिखाता है कि कोई भी बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में कैसा कर रहा है। स्कूल या शिक्षक द्वारा बच्चों के कक्षा में व्यवहार सामाजिक कौशल या उपस्थिति के मुद्दों के बारे में भेजे गए टिप्पणी उन मुद्दों को इंगित करता है जिनके बारे में माता–पिता को शिक्षक से बात करने की आवश्यकता है। यह बात उस दिन के लिए सूचना या जानकारी होता है किन्तु इस सूचना को रखकर पुनः देखने से बच्चे के रूझान को देख सकते है।

बच्चों के लिए शिक्षक एवं स्कूल के अन्य कर्मचारी क्या कर रहा है इसका रिकार्ड रखना भी आवश्यक होता है। अभिभावकों एवं स्कूलों के बीच की गई संचार का रिकार्ड रखना भी आवश्यक होता है। इससे दस्तावेज पैटर्न में मदद मिलता है तथा जो निर्णय लिया गया उन पर नजर रखा जा सकता है। किसी विशिष्ट जानकारी को इंगित कर आप बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सकते है।

पूर्व विद्यालय एवं प्रारम्भिक स्तर पर कई रिकार्ड रखे जाते है। इनमें बच्चों के प्रवेश रिकार्ड, बच्चों के व्यक्तिगत सूचनाएं डाटाशीट, बच्चों के विस्तृत पृष्ठभूमि की जानकारी, विभिन्न विकास पहलुओं में बच्चों की प्रगति के रिकार्ड, बच्चों का काम, शिक्षक के अवलोकन एवं शिक्षक के डायरी प्रमुख है। इसके अलावा कर्मचारी एवं बच्चों के

उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं स्टाफ रजिस्टर प्रमुख है। इन रिकॉडो के अलावा कुछ अन्य रिकॉर्ड जो रखना चाहिए उसका वर्णन निम्नलिखित है।

- **उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड (ऐनेकडोटल रिकॉर्ड) :**

  उपाख्यानात्मक रिकार्ड (ऐनेकडोटल रिकॉर्ड) एक छोटी कहानी की तरह है जो शिक्षक एक महत्वपूर्ण घटना को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करते है जिसे उन्होंने देखा है। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड आमतौर पर अपेक्षाकृत कम होते है और इसमें व्यवहार एवं प्रत्यक्ष उद्धहरण के विवरण शामिल होते है।

- **संचयी रिकार्ड :**

  संचयी रिकॉर्ड वह रिकॉर्ड है जिसमें किसी बच्चों के अध्ययन के दौरान समय–समय पर आयोजित विभिन्न मूल्यांकन और निर्णय के परिणाम शामिल होते है।

  आमतौर पर एक संचयी रिकॉर्ड में तीन से चार साल की अवधि में सीखने वाले की वृद्धि और विकास के बारे में जानकारी होती है। यह शिक्षार्थियों के कई तरफा विकास की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है।

  इस तरह विद्यालय पूर्व एवं प्रारमिक स्तर के रिकॉर्ड का निहितार्थ निम्नलिखित है।

  - यह बौधिक अक्षम बच्चों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
  - यह बौधिक अक्षम बच्चों के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
  - इससे बच्चों के वार्षिक एवं शार्ट टर्म लक्ष्य का निर्धारण करने में मदद मिलता है।
  - इससे बच्चों के क्षमताएं एवं सीमाएं पता लगाया जा सकता है।
  - इससे बौधिक अक्षम बच्चों के व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलती है।
  - इससे बच्चों के बारे में सूचनाएं दूसरे शिक्षकों एवं अभिभावकों को देने में मदद मिलती है
  - यह बच्चो के बारे में विशिष्ट विवरण प्रदान करता है।
  - ये रिकॉर्ड नैदानिक सेवाओं में सहायता करता है।
  - यह बच्चों के विकास के पैटर्न को दर्शाता है।
  - अभिलेखों से बच्चों के विकास रूझान एवं पैटर्न देखने को मिलता है।
  - इससे बच्चों के विभिन्न क्षेत्रो के विकास के बारे में पता चलता है।
  - इससे बच्चों के समग्र विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलती है।

- अभिलेखों से बच्चों के लिए आगे की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलता है।

- इससे अन्य प्रशासनिक निर्णय लेने में मदद मिलता है।

इस तरह विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर के विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिलेख बच्चो से संबंधित विभिन्न निर्णय लेने तथा कार्यक्रम तैयार करने के साथ–साथ आवश्यक सहायता देने हेतु आवश्यक होता है।

3.5.5 रिपोर्ट लेखन का

रिपोर्ट लेखन एक संरचित दस्तावेज का निर्माण है जो किसी घटना, व्यक्ति, परिस्थिति या व्यवहार का सटीक वर्णन करता है। रिपोर्ट एक लघु दस्तावेज है जो विशेष रूप से एक विशेष उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर पर आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट लिखे जाते है। इनमें नैदानिक, शैक्षणिक एवं प्रशसनिक आदि कुछ प्रमुख प्रकार के रिपोर्ट है। इस स्तर पर विभिन्न प्रलेखन एवं अभिलेखों में से रिपोर्ट एक प्रमुख अभिलेख है। रिपोर्ट लेखन के कुछ महत्वपूर्ण निहितार्थ निम्नलिखित है।

- बच्चों से संबंधित उपलब्ध सूचनाओं से अर्थपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए रिपोर्ट लिखना आवश्यक है।

- यह निदान के लिए आवश्यक है।

- प्रमाणीकरण के लिए रिपोर्ट आवश्यक है।

- उपयुक्त स्कूल या कक्षा में प्लेस करने के लिए भी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है।

- विभिन्न प्रकार के सरकारी लाभ उठाने के लिए भी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।

- बच्चों के आवश्यक अधिकार सिद्ध करने में भी रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है।

- बच्चों के लिए उचित एवं अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने में भी रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है।

- माता–पिता, अभिभावक, अन्य शिक्षण एवं पेशेवर को सूचना प्रदान करने के लिए रिपोर्ट का होना बहुत जरूरी है।

- बच्चों के बारे में आवश्यक सूचनाओं एवं निर्णयों को संरक्षित रखने के लिए भी रिपोर्ट लिखना आवश्यक है।

- आज से पहले बच्चे के साथ किस प्रकार के कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया तथा वह कार्यक्रम कितना प्रमावी रहा यह जानने में रिपोर्ट मदद करती है।

- विभिन्न रिपोर्ट के आधार पर बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विकास के रूझान का पता लगाया जा सकता है।

- पूर्व के रिर्पोटों के आधार पर बच्चों के लिए भविष्य के कार्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है।

- रिपोर्ट एक विशिष्ट क्षेत्र में बच्चों की समस्या या उनके विकास की जानकारी प्रदान करता है।

- विभिन्न क्षेत्रों के रिपोर्ट से बच्चों के समग्र विकास के बाधक तत्वों का पता लगाया जा सकता है तथा उसके लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

- इस तरह रिपोर्ट लेखन बच्चों के साथ–साथ माता–पिता, शिक्षक एवं अन्य पेशेवर के लिए भी अति महत्वपूर्ण है।

इस तरह हमने देखा कि रिपोर्ट लिखने के अनेक निहितार्थ है। अतः रिपोर्ट भी उसी तरह लिखा जाना चाहिए जिससे की उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग–अलग प्रकार से रिपोर्ट लिखा जाता है तथा अलग–अलग प्रकार के रिपोर्ट में सूचनाऐं भी अलग–अलग प्रकार के होते है। उदाहरण स्वरूप यदि एक बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रमाणीकरण के लिए रिपोर्ट लिखा जाता है तो उसमें बच्चों के बुद्धि लब्धि तथा अन्य संबंधित अवस्था का उल्लेख होना आवश्यक हो जाता है। किन्तु यदि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए रिपोर्ट लिखा जाता है तो बच्चों के लेखन, पठन एवं गणित के क्षेत्र में उसके क्षमताओं का उल्लेख होना चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है कि रिपोर्ट लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संबंधित व्यक्तियों के लिए अनेक निहितार्थ है जो विभिन्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। इसीलिए रिपोर्ट विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप लिखा जाता है तथा उस रिपोर्ट में संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया जाता है।

3.5.6 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक शिक्षा का बौधिक अक्षम बच्चों के लिए निहितार्थ

इस इकाई के उप इकाई के **6.5** में इस बात का वर्णन किया गया है कि बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर के शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। इसका निहितार्थ किन–किन क्षेत्रों में ज्यादा है इसका भी वर्णन किया गया है।

बौधिक अक्षम बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा का निहितार्थ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बौधिक अक्षम बच्चे समान बच्चों की तुलना में विकासात्मक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है। इन बच्चों को यदि प्रारंभिक अवस्था में हस्तक्षेपन नहीं दिया जाएगा तो ये बच्चे विकासात्मक दृष्टि से और भी पिछड़ता चला जाएगा और फिर बाद की अवस्था में उसे पूर्ण करना असंभव हो जाएगा। अतः इन बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा अति महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इन बच्चों को हस्तक्षेपण से उनके विकास में बढ़ोत्तरी होने की अधिक से अधिक संभावनाएँ होती है। साथ इस स्तर पर दिए गए हस्तक्षेपण एवं शिक्षा का प्रलेखन एवं अभिलेख और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी के आधार पर अन्य शिक्षक एवं पेशेवर इन बच्चों के लिए आगे के कार्य योजना तैयार करते है। इस स्तर के अभिलेखों के आधार पर इन बच्चों में होने वाले विकास के रूझान एवं पैटर्न का पता लगाया जा सकता है। इन बच्चों के रिपोर्ट के आधार पर इनको विभिन्न सरकारी सुविधाएँ एवं सेवाऐं भी प्रदाण की जा सकती है। अतः आवश्यकतानुसार उद्देश्यों

के अनुरूप इनका रिपोर्ट तैयार करना भी आवश्यक है। इस तरह बौधिक अक्षम बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा के अनेकों निहितार्थ निहित है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र04 बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों का विकास की गति क्या होती है।

....

....

प्र05 बच्चों का विकास किस तरीके से होता है। अनुक्रमिक / गैर अनुक्रमिक ।

....

....

3.7 सारांश

विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा बच्चो के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकतम विकास उसके प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाता है। अतः इस अवस्था में बच्चों को हस्तक्षेपण एवं शिक्षा में शामिल करना बहुत जरूरी है। बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक दृष्टिकोण, स्वस्थ आदतें, व्यक्तिगत कौशल सम्बन्धी भाषा, भाषाई क्षमता, आत्म अभिव्यक्ति, रचनात्मक सोच तथ गामक कौशल के अनुकूलतम विकास के लिए विद्यालयपूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा अति आवश्यक है। इस स्तर की शिक्षा में हस्तक्षेपण, प्रलेखन, अभिलेखों एवं रिपोर्ट लेखन के अनेक निहितार्थ सम्मिलित है। बौधिक अक्षम बच्चों के लिए तो इसका निहितार्थ अति महत्वपूर्ण है। अर्थात किसी भी बच्चे के लिए अनुकूलतम विकास तथा भविष्य के शिक्षा के लिए यह नींव का काम करता है।

3.8 शब्द सूची

हस्तक्षेपन – हस्तक्षेपन विभिन्न कार्यक्रमों एवं रणनीतियों का एक संयोजन है जो किसी भी व्यक्ति के सम्पूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने या व्यवहार परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है।

प्रलेखन – विभिन्न दस्तावेजों के समूह (कागजात या ऑनलाइन) इकट्ठा करना दस्तावेजीकरण या प्रलेख कहलाता है।

अभिलेख – किसी कार्यक्रम या क्रिया कलाप से संबंधित सूचनाओं को प्रणालीगत तरीकों से रखना अभिलेख या रिकार्ड कहलाता है।

रिपोर्ट लेखन – यह एक संरचित दस्तावेज का निर्माण है जो किसी घटना, व्यक्ति परिस्थिति या व्यवहार का वर्णन करता है।

3.9 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। सही/गलत

उत्तर–1 सही

प्रश्न–2 विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा का विद्यालयी शिक्षा में कोई भूमिका नहीं होती है। सही/गलत

उत्तर–2 गलत

प्रश्न–3 विद्यालय पूर्व एवं प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मस्तिष्क का विकास काफी तेजी से होता है। सही/गलत

उत्तर–3 सही

प्रश्न–4 बच्चों के प्रारंभिक वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों का विकास..........गति से होता है। तीव्र/धीमी

उत्तर–4 तीव्र

प्रश्न–5 बच्चों का विकास किस तरीके से होता है।

अनुक्रमिक / गैर अनुक्रमिक

उत्तर–5 अनुक्रमिक

3.10 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 विद्यालय पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के अवधारणाओं को लिखिए।

प्रश्न–2 विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–3 विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा के निहितार्थ की चर्चा कीजिए।

प्रश्न–4 हस्तक्षेपण से आप क्या समझते है? विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर में हस्तक्षेपण के महत्वों की चर्चा कीजिए।

प्रश्न–5 विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक स्तर पर रिकार्ड रखने की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–6 उपाख्यान रिकार्ड से आप क्या समझते है ? इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

3.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- डेकर, सी0ए0 एवं डेकर, जे0आर0 (2005), प्लानिंग एवं एडमिनिस्ट्रेटिंग अरली चाइल्डहूड प्रोग्राम न्यू जर्सी : मैरिज प्रेनटिस होल।
- डोगलस, डी (1999) चाइल्ड डवलपमेंट : ए प्राक्टिसनर गाइड न्यू मार्क : गुलीफोर्ड प्रेस
- सेरीडन, एम0डी0 (1997) जन्म से लेकर पाँच वर्ष तक : बच्चों का विकास प्रगति। लंदन : रूटलेज।
- वोर्टहम, एस0सी0 (2002). प्रारंभिक बचपन पाठ्यचर्या। न्यू जर्सी : मेरिज प्रेटिस हॉल।

- पांडा, के0सी0 (1997) असाधारण बच्चों की शिक्षा। विकास प्रकाशन, नई दिल्ली।
- शर्मा पी (1995) एक बच्चे के विकास और विकास पर मूल बातें, नई दिल्ली, रिलाइन्स।
- नारायण, जे0 (1990), टुआर्डन्स इनडिपेनडेन्ट सीरीज 1 से 9 एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे0 एवं कुट्टी ए0टी0टी0 (1989) हेन्डबुक फॉर ट्रेनर्स ऑफ द मेन्टली रिटार्डेड प्रसंस प्री प्राइमरी लेवेल, एन0आई0एन0एच0 सिकन्दराबाद।
- कैर, जॉन एफ0 (ed.) (1977) चेजिंग द करिकुलम, लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन प्रेस लिमिटेड।
- नारायण जे0 (एनू) (1999) स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड। एन0आई0एम0एच0 सिकन्राबाद।
- वर्नर डी0 (1994) डिसएबल विलेंज चिल्ड्रन अ गाइड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्क्स, देहली, बी0ए0एच0आई।
- www.ncdc.go.ug
- www.undp.org
- www.nou.ac.in

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. SE-92

पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) अनुकुलन तथा मूल्यांकन (बौद्धिक अक्षमता)

खण्ड – 3

मध्यमिक स्तर, पूर्व व्यावसायिक स्तर एवं व्यावसायिक स्तर के पाठ्यक्रम

इकाई – 8 97

माध्यमिक स्तर, पूर्व व्यावसायिक स्तर एवं व्यावसायिक स्तर के पाठ्यक्रम के कौशल क्षेत्र (डोमेन)

इकाई – 9 111

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय कौशल विकास योजना

इकाई – 10 125

समुदाय में शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के निहितार्थ, प्रलेखन, रिकार्ड रख–रखाव एवं रिपोर्टिंग

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो. के. एन. सिंह. — **कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय — **प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

प्रो0 सीमा सिंह — **आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी**

प्रो0 सुषमा पाण्डेय — **आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग डी0डी0यू0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर**

प्रो0 रजनी रंजन सिंह — **आचार्य, विशेष शिक्षा विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ**

डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी — **सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

डॉ0 दिनेश सिंह — **सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

लेखक

डा. महेश कुमार — **असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**

सम्पादक

प्रो0. प्रेम शंकर राम सोनकर — **प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**

परिमापक

प्रो0 रजनी रंजन सिंह — **प्रोफेसर, डॉ. भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा — **परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज.**

सितम्बर, 2019 (मुद्रित)

© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020

ISBN:- 978-93-94487-08-6

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नही है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्ववितालय, प्रयागराज की ओर से कर्नल विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित – 2024

मुद्रक : सिग्नस इन्फार्मेशन सल्यूसन प्रा0लि0, लोढ़ा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

खण्ड परिचय

अभी तक आपने खण्ड–1 पाठ्यक्रम प्रारूप के अन्तर्गत पाठ्यक्रम की अवधारणाएं, पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों तथा पाठ्यक्रम विकास के बारे में पढ़ चुके है। खण्ड–2 में आपने प्रारंभिक शिक्षा एवं उसके विभिन्न क्षेत्रों तथा विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा के प्रभावों के बारे में भी पढ़ चुके है।

खण्ड–3 में कुल तीन इकाई है जिसका वर्णन नीचे किया गया है।

इकाई–7 इस इकाई में माध्यमिक स्तर, पूर्व व्यवसायिक स्तर एवं व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है। इस इकाई में आप इन विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन विस्तार से करेंगे।

इकाई–8 इस इकाई में आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय कौशल विकास योजनाओं का अध्ययन करेंगे जो दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में मदद करता है।

इकाई–9 इस इकाई मुख्यतया बौद्धिक अक्षम बच्चों को समुदाय शामिल करने के लिए प्लेसमेंट उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे साथ ही इससे सम्बन्धित प्रलेखन, अभिलेखों एक रख–रखाव एवं रिर्पोटिंग के बारे में भी अध्ययन करेंगे।

इकाई–7

माध्यमिक स्तर, पूर्व व्यवसायिक स्तर एवं व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम के कौशल क्षेत्र (डोमेन)

संरचना–

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 पाठ्यक्रम की अवधारणा

1.4 बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम

1.5 पाठ्यक्रम के क्षेत्र

1.6 माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम

- 1.6.1 व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र
- 1.6.2 सामाजिक कौशल क्षेत्र
- 1.6.3 शैक्षिक कौशल क्षेत्र
- 1.6.4 व्यवसायिक कौशल क्षेत्र
- 1.6.5 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र
- 1.6.6 तकनीकी एवं कम्प्यूटर कौशल क्षेत्र
- 1.6.7 यौन शिक्षा कौशल क्षेत्र
- 1.6.8 भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल क्षेत्र
- 1.6.9 जीवन कौशल क्षेत्र
- 1.6.10 (एडवोकेसी) आत्म समर्थन

1.7. पूर्व व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम

- 1.7.1 व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र
- 1.7.2 साामजिक कौशल क्षेत्र
- 1.7.3 शैक्षिक कौशल क्षेत्र
- 1.7.4 व्यवसायिक कौशल क्षेत्र

1.7.5 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र

1.7.6 प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर कौशल क्षेत्र

1.7.7 यौन शिक्षा कौशल क्षेत्र

1.7.8 भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल क्षेत्र

1.7.9 जीवन कौशल क्षेत्र

1.7.10 आत्मसमर्थन कौशल क्षेत्र

1.8 व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम

1.8.1 कार्य एवं व्यापार कौशल क्षेत्र

1.8.2 सेवा उन्मुख कौशल क्षेत्र

1.8.3 उत्पादन उन्मुख कौशल क्षेत्र :

1.8.4 वयस्क जीवन कौशल क्षेत्र

1.9 सारांश

1.10 शब्दावली

1.11 बोध प्रश्न एवं उत्तर

1.12 अभ्यास प्रश्न

1.13 संदर्भ ग्रन्थ

1.1 प्रस्तावना

किसी भी शिक्षा व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु पाठ्यक्रम होता है जिसके चारों तरफ विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप विकसित किया जाता है। विद्यालय में बच्चों को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते है। ये सभी क्रियाकलाप किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते है। ये सभी क्रियाकलाप उद्देश्यपूर्ण होते है। इन्हीं के द्वारा विद्यार्थी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते है। ये सभी क्रियाकलाप विद्यार्थी के जीवन को उपयोगी बनाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम को शिक्षा का आधार कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्यक्रम हमें शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेंगे –

- पाठ्यक्रम की अवधारणा समझ सकेंगे

- पाठ्यक्रम के विभिन्न कौशल क्षेत्रों का वर्णन कर सकेंगे
- माध्यमिक, पूर्व व्यवसायिक एवं व्यवसायिक स्तर के बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम विकसित कर सकेंगे।

1.3 पाठ्यक्रम की अवधारणा

पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षा प्रणाली का मुख्य घटक माना जाता है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधनों का उद्देश्य पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना होता है। प्रत्येक समाज अपने युवा पीढ़ी के समाजीकरण के लिए एक निश्चित शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करता है, जिसका क्रियान्वयन विद्यालय के माध्यम से किया जाता है। किसी भी शिक्षा का आधार पाठ्यक्रम होता है। इन्हीं के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। पाठ्यक्रम के संदर्भ में कनिंघम ने कहा है, "पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार (Artist) के हाथ में वह साधन (tool) है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थरूपी शिष्य (material) को अपने कलागृह रूपी स्कूल (studio) में अपने आदर्श (उद्देश्य) के अनुसार विकसित अथवा रूप (Mould) प्रदान करता है। वर्तमान के बदलते परिवेश में अध्यापक की भूमिका भी काफी बदल गई है। तत्पश्चात् भी अध्यापक के हाथ में पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा वह शिक्षार्थियों को सही रूप दे पाता है।

1.4 बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम

सामान्य शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी का पाठ्यक्रम बहुत ही शैक्षिक उन्मुख होता है। सामान्य शिक्षा व्यवस्था में सभी छात्रों को समाज विषयों से अवगत कराया जाता है। इसके विपरीत बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम का सिर्फ दिशा निर्देश तैयार किया जाता है जिसके आधार पर विशेष शिक्षक द्वारा अलग–अलग विद्यार्थियों के लिए उसके आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है। चूँकि बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों को जो ज्ञान एवं कौशल सिखाया जाता है उन्हें बनाए रखने के लिए काफी कठिनाई होती है। इसीलिए इन बच्चों को नए शैक्षणिक एवं कार्यात्मक कौशलों का अभ्यास कराने के लिए लगातार अवसरों की आवश्यकता होती है।

हम सभी जानते है कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के सोचने समझने की क्षमता सामान्य व्यक्ति के तुलना में कम होता है। इनके बौद्धिक अक्षमता के स्तर जैसे–जैसे बढ़ता है वैसे–वैसे ही इनके सोचने समझने की क्षमता घटती चली जाती है। अतः इन बच्चों के लिए कार्यात्मक पाठ्यक्रम की आवाश्यकता होती है। इनके पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत पर्याप्तता, सामाजिक क्षमता एवं आर्थिक स्वतंत्रता से सम्बन्धित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चे अपने क्षमता के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में अंश या पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करते है। सामान्य शिक्षकों को तैयार पाठ्यक्रम विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जबकि बौद्धिक अक्षम बच्चों के विशेष शिक्षकों को इनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।

1.5 पाठ्यक्रम के क्षेत्र

आज के तकनीकी युग में व्यक्ति, समाज एवं देश की आवश्यकताएँ लगातार बदलती रहती है। शिक्षा इन बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होता है। इसीलिए हमारा शिक्षा के उद्देश्य भी बदलता रहता है। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। बदलते

परिस्थिति में सामान्यता बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम में भी कई कौशलें एवं क्रियाकलाप बदल जाते हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम को मुख्यतः व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, व्यवसायिक, मनोरंजनात्मक तकनीकी, लैंगिक, भाषा एवं सम्प्रेषण, जीवन कौशल तथा आत्मसमर्थन कौशल क्षेत्रों में बाँटा गया है।

पूर्व प्रारंभिक स्तर से लेकर, प्राथमिक, माध्यमिक, पूर्व व्यवसायिक एवं व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम में इन्हीं कौशल क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम के मुख्य क्षेत्र जो प्राथमिक स्तर पर होते है वही माध्यमिक, पूर्व व्यवसायिक एवं व्यवसायिक स्तर पर भी होते है, लेकिन इन क्षेत्रों में मौजूद कौशलों की जटिलता बच्चों के स्तर की विशेषताओं के आधार पर बढ़ा दी जाती है। यही सामान्य शिक्षा में भी देखने को मिलता है। सामान्य शिक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक कक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ता है। लेकिन प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक विषय की जटिलता बच्चों की शिक्षण विशेषताओं के आधार पर बढ़ा दी जाती है। उसी प्रकार बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए भी माध्यमिक, पूर्व व्यवसायिक एवं व्यवसायिक स्तर का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का वृहद् रूप होता है।

1.6 माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम

समान्तया माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप माना जाता है। विशेष शिक्षकों को कौशलों का चयन करते समय बच्चे के उम्र, लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है।

1.6.1 व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र

साधारणतया उच्च योग्यता वाले बौद्धिक, अक्षम बच्चे माध्यमिक स्तर तक पहुँचते–पहुँचते स्वयं से खाना खाना, पानी पीना, शौच के बाद सफाई करना, नहाना, कपड़ा पहनना आदि क्रियाएँ करना सीख जाते है। किन्तु कुछ बच्चे जिनका कार्यात्मक स्तर कम होता है उन्हें नहाने, कपड़ा पहने में थोड़ा बहुत सहायता करना पड़ता है। अतः इस स्तर पर प्राथमिक स्तर के विस्तृत रूप को लिया जाना आवश्यक हो जाता है। इस स्तर पर मुख्यतः शौच के समय एकान्त बनाए रखना, छोटे–छोटे कपड़ा धोना, छोटे कपड़े पर स्त्री करना, कपड़े को तह लगाना, खाते समय चम्मच एवं कांटे का प्रयोग करना, नैपकिन का प्रयोग करना, पानी लाना, बोतल में पानी भरना, बाल में कंघी करना, स्नान करना, मौसम के अनुसार कपड़े का चयन करना, खाना खाने के बाद अपना टिफिन या थाली धोना, बाहर जाने के लिए उपयुक्त कपड़े पहनना, खाने के डिब्बे को खोलना एवं बन्द करना आदि कौशलों को शामिल किया जाता है। कई कौशलों का प्रशिक्षण विद्यालय में दिया जा सकता है। अभिभावकों को सूचित करके उस क्रिया के प्रशिक्षण एवं सामान्यीकरण घर पर कराया जा सकता है।

1.6.2 सामाजिक कौशल क्षेत्र

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उनका जीवन समाज के बिना नहीं गुजर सकता है। प्रत्येक समाज के एक तौर तरीका होता है जिसके अनुसार व्यक्ति को उस समाज में काम करना पड़ता है। बौद्धिक अक्षम बच्चे अक्सर समूह में स्वीकृत तरीके से कौशल करने में असफल रहते है। अतः इन बच्चों को सामाजिक कौशल में प्रशिक्षण देना आवश्यक हो जाता है। इस कौशल क्षेत्र में विभिन्न क्रियाएं जैसे मन्दिर, या मस्जिद जाना दुकान, डाकघर, बैंक आदि जाना, भोजन के समय नम्रता से कोई व्यंजन मांगना, घर आये दोस्तों

या परिजनों को अभिवादन करना, उन्हें बैठने के लिए कहना, साइन बोर्ड पढ़ना, रेस्तरां में अपने पसन्द के भोजन या वस्तु मांगना, बातचीत के दौरान संबंधित प्रश्न पूछना आदि शामिल है। बच्चों को छोटे–छोटे खेलों में शामिल कर सकते है जहाँ उन्हें छोटे–छोटे वाक्यों में बोलने का अवसर मिलें।

1.6.3 शैक्षिक कौशल क्षेत्र

बौद्धिक अक्षम बच्चों को शैक्षणिक कौशल में कार्यात्मक पठन, लेखन एवं गणित सिखा जाता है। चूँकि इन बच्चों के पढ़ने–लिखने की क्षमता सीमित होती है। अतः इनको कार्यात्मक शिक्षा दिया जाता है जो उनके लिए आवश्यक हो। इन कौशल क्षेत्र में मुख्यतः अपना एवं परिवार के अन्य सदस्यों का नाम लिखना एवं पढना, घर एवं विद्यालय का पता लिखना एवं पढ़ना, सप्ताह के दिनों एवं महीनों का नाम लिखना पढ़ना, फल एवं सब्जियों का नाम लिखना, पढ़ना, वस्तुओं पर लिखे मूल्य को पढ़ना, एक अंक का जोड़ एवं घटाव करना, दो अंकों का जोड़ एवं घटाव करना, दूकान एवं रेस्तरां में भुगतान करने वाले बिल पढ़ना, घंटे एवं आधे घंटे में समय बताना, एक, दो एवं पाँच रूपये से दस, बीस एवं पचास रूपये का, खुला देना आदि क्रियाएँ शामिल है। ध्यान रहें कि क्रियाओं का चयन एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी होती है तथा शिक्षण सिद्धान्त का पालन होता है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 सामान्य बच्चों एव बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं होता है। सही/गलत

....

....

प्र02 प्रत्येक बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अलग–अलग तैयार किया जाता है। सही/गलत

....

....

प्र03 पूर्व व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का वृहद रूप है। सही/गलत

....

....

1.6.4 व्यवसायिक कौशल क्षेत्र

माध्यमिक स्तर के बच्चे अभिभावकों को मदद करने लगता है। वे घरेलू कामों में घर के सदस्यों को मदद करना शुरू कर देता है। कई बार व्यवसायिक कौशल को पूरा करने के लिए बच्चों को अन्य कौशलों की भी आवश्यकता होती है। इस कौशल क्षेत्र में मुख्यतः रसोई को साफ करना, फर्श पर झाडू लगाना, फोन पर संदेश सुनना, दाल–चावल साफ करना, चाय या जूस बनाना, सब्जी को छोटे–छोटे टुकड़ों में काटना, सलाद बनाना,

भोजन के बाद टेबल साफ करना आदि क्रियाएँ शामिल है। व्यवसायिक कौशलों को विद्यालय तथा घर दोनों जगह लिखाया जा सकता है। विद्यालय में सिखाए गए कौशलों को घर पर कराने से कौशल के अभ्यास एवं सामान्यीकरण में आसानी होती है।

1.6.5 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र

बौद्धिक अक्षम बच्चे अपने आप मनोरंजनात्मक कौशलों का चयन नहीं कर पाता है। अतः इन बच्चों को मनोरंजनात्मक कौशल सिखाने के लिए भी कार्य योजना बनाना पड़ता है। इन कौशल क्षेत्र में बच्चों को टी0वी0 देखकर कहानी समझना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना, आदि घर के क्रिया कलाप सिखाया जा सकता है। बाहर के क्रिया कलाप में इन्हें परिवार दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना, घर के लोगों के साथ घूमने जाना, पौधे का देखभाल करना, आदि सिखाया जा सकता है। कौशलों का चयन करते समय बच्चे का उम्र, लिंग एवं कार्यात्मक क्षमता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

1.6.6 तकनीकी एवं कम्प्यूटर कौशल क्षेत्र

वर्तमान समय में बच्चों को विभिन्न तकनिकी कौशलों का जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। इस कौशल क्षेत्र में बच्चों को कम्प्यूटर आन करना, कम्प्यूटर कीबोर्ड का प्रयोग करना, कम्प्यूटर पर लिखने पढ़ने के पैकेज का प्रयोग करना, बैंक एवं मैट्रो ट्रेन में टोकन एवं कार्ड का प्रयोग करना आदि शामिल है। प्रोद्योगिकी एवं कम्प्यूटर कौशल को सिखाते समय शिक्षक एवं माता–पिता को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है।

1.6.7 यौन शिक्षा कौशल क्षेत्र

माध्यमिक स्तर के बच्चों को लैंगिक शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। इन कौशल क्षेत्रों में महिला एवं पुरूष शौचालय का पहचान करना, अनजान व्यक्तियों से सावधान रहना, अनजान जगहों पर अपने आप को सुरक्षित रखना आदि शामिल है। बच्चों के उम्र एवं योग्यतानुसार कौशलों का चयन करना चाहिए।

1.6.8 भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल क्षेत्र

यह एक महत्वपूर्ण कौशल क्षेत्र है। इस कौशल क्षेत्र में अपने समस्या बताना, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से मदद मांगना, दूसरे व्यक्ति के गुस्सा एवं दुखी भावना को समझना, गुस्सा या दुःख व्यक्त करना आदि शामिल है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को समय एवं परिस्थिति के अनुरूप उचित माध्यम से सम्प्रेषण करना सिखाया जाना आवश्यक है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र04 बौद्धिक अक्षम छात्र के लिए पाठ्यक्रम उनके संबंधित शिक्षक द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। सही/गलत

....

....

प्र05 व्यवसायिक स्तर का पाठ्यक्रम पूर्व व्यवसायिक स्तर से पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप है। सही/गलत

....

....

प्र06 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम का एक कौशल क्षेत्र है। सही/गलत

....

....

1.6.9 जीवन कौशल क्षेत्र

यह एक महत्वपूर्ण कौशल क्षेत्र है जिसमें माध्यमिक स्तर के बौद्धिक अक्षम बच्चों को सहानुभूति, रचनात्मक सोच, समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना, पारस्परिक संबंध बनाए रखना, अपने भावना पर नियंत्रण करना आदि सिखाया जाना आवश्यक है। इन कौशलों को सिखाने के लिए वास्तविक स्थितियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

1.6.10 (एडवोकेसी) आत्म समर्थन कौशल क्षेत्र

यह एक महत्वपूर्ण कौशल क्षेत्र है अक्सर बौद्धिक अक्षम बच्चे अपने अधिकार एवं कर्तव्य को नहीं समझ पाते है। अतः माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में आत्म समर्थन कौशलों का विकास करना आवश्यक हो जाता है। इन कौशल क्षेत्रों में उन्हें उनके मूल अधिकारों जैसे खुश रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आजादी का अधिकार क्रिया कलाप चयन करने का अधिकार अपने इच्छानुसार भोजन करना, अपने इच्छानुसार कपड़े पहनना, सामाजिक उत्सवों में जाना आदि सिखाया जा सकता है। अक्सर आत्मसमर्थन के कौशल को सीखाने से ज्यादा उसके प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।

1.7 पूर्व व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम

पूर्व व्यवसायिक स्तर के बौद्धिक अक्षम बच्चों का उम्र पन्द्रह से अठारह वर्ष होता है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (पूर्व में राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान) सिकन्दराबाद द्वारा विकसित एफ0ए0सी0पी0 के अनुसार पूर्व व्यवसायिक स्तर के योग्यता के अनुसार दो समूह होता है। पूर्व व्यवसायिक प्रथम (उच्च योग्ता समूह) तथा पूर्व व्यवसायिक द्वितीय (अल्प योग्यता समूह)। इस स्तर के बच्चों को जहाँ तक हो स्वतंत्र रूप स रहने के लिए कौशल सिखाने की आवश्यकता होती है इसलिए इन स्तरों के बच्चों के कार्यात्मक पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। इन बच्चों का पाठ्यक्रम मुख्यतः माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का वृहद रूप होता है।

1.7.1 व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र

इस स्तर पर बच्चे अधिकतर व्यक्तिगत काम अपने आप कर लेते है साथ ही दूसरों को भी मदद करते है। पूर्व व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम में मुख्यतः बटन टांकना, साबुन से कपड़ा धोना, कपड़े पर स्त्री करना, चोट लगने पर पट्टी बांधना घर के समान का ठीक से रख–रखाव करना, सब्जी बनाना, हलवा य उपमा बनाना, आदि कौशल शामिल है। इन बच्चों के लिए उम्र एवं लिंग के अनुसार क्रिया कलापों का चयन करना चाहिएं जैसे पुरुष के लिए दाढ़ी बनाना एवं महिलाओं के लिए मासिक धर्म के समय स्वच्छता से संबंधित कौशल का चयन कर सकते है। इन कौशलों को सिखाने के लिए माता–पिता का सहयोग

ले सकते है। इन कौशलों को सिखाने के लिए वस्तुओं में अनुकुलन कर सकते है या फिर बाजार में उपलब्ध अनुकुलित वस्तुओं का प्रयोग कर सकते है।

1.7.2 सामाजिक कौशल क्षेत्र

किसी भी व्यवसायिक पुनर्वास के लिए सामाजिक व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय एवं परिस्थिति के अनुरूप सामाजिक व्यवहार करें। इस स्तर के बच्चों में स्वच्छन्द रूप से सामाजिक अवसरों पर भाग लेने की योग्यता होनी चाहिए। इस कौशल क्षेत्र में, अभिवादन करना, समूह खेलों में सम्मिलित होना, मुख्य खबरों पर चर्चा करना, अतिथियों का स्वागत करना, परिवार द्वारा मनाये जाने वाले त्यौहार में हिस्सा लेना, परिवार के साथ बाहर जाना आदि कौशल शामिल है। इन बच्चों में उचित सामाजिक व्यवहार विकसित करने के साथ–साथ अवांछनीय व्यवहार (यदि कोई है) को कम करना भी आवश्यक हो जाता है।

1.7.3 शैक्षिक कौशल क्षेत्र

बौद्धिक अक्षम बच्चों में समिति बौद्धिक क्षमताएँ होती है। अतः इन बच्चों को अनावश्यक विषय या कौशल नहीं सिखाया जाना चाहिए। बौद्धिक अक्षम बच्चों का शैक्षिक पाठ्यक्रम भी इनके दिन–प्रतिदिन के क्रिया कलापों से संबंधित होना चाहिए जिससे कि वे कक्षा में सिखाए गए कौशलों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। इसमें कौशल का अभ्यास एवं सामान्यीकरण भी हो जाता है। इन बच्चों के कार्यात्मक शैक्षिक पाठ्यक्रम में मुख्यतः साधारण वाक्य पढ़ना, छोटे–छोटे कहानी पढ़ना, आवश्यक निर्देशों को पढ़ना, पत्र लिखना, आवेदन पत्र लिखना, प्रपत्र भरना, आवश्यकता होने पर साधारण वाक्य लिखना, जोड़ एवं उधार वाले घटाव करना, पचास, सौ, दौ सौ, पाँच सौ आदि नोटो का पहचान करना, पचास, सौ एवं दौ सौ रूपये का खुला देना, मिनट में समय बताना, विभिन्न इकाईयों में मापना, स्वयं की देश एवं राज्य के नाम बताना आदि कौशल शामिल है। कार्यात्मक क्षमता के अनुरूप इन कौशलों को क्रमब्ध तरीके से सिखाना चाहिए।

1.7.4 व्यवसायिक कौशल क्षेत्र

पूर्व व्यवसायिक स्तर के बच्चों को मुख्यतः किसी न किसी व्यवसाय के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाता है। इस स्तर पर बच्चों को उन सामान्य कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो सभी व्यवसाय के लिए उपयोगी होता है जैसे नियमितता, निरंतरता एवं समयनिष्ठा आदि। इस कौशल क्षेत्र में मुख्य रूप से सिलना, बुनना, पैकेट बनाना, दुकान सजाना, बैंक जाना, समूह कार्य समय पर समाप्त करना, खरीदी जाने वाले वस्तुओं की सूची बनाना, बिजली, पानी तथा टेलीफोन का बिल का भुगतान करना आदि क्रियाएँ शामिल है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए क्रियाओं का चुनाव करते समय बच्चों के उम्र, लिंग, योग्यता, आर्थिक स्थिति आदि पर विचार करना चाहिए।

1.7.5 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र

पूर्व व्यवसायिक स्तर के बच्चे मुख्य रूप से अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना चाहता है। वे सामान्यतया समूह खेल खेलना पसन्द करते है। इस स्तर के बच्चे अपने परिवार वालों के साथ से ज्यादा अपने हम उम्र दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना पसन्द करते है। पूर्व व्यवसायिक स्तर के बच्चे घर के अन्दर के क्रियाकलाप एवं खेल से ज्यादा बाहरी क्रिया कलाप एवं खेल पसन्द करते है। बच्चों की क्षमता के अनुसार इसमें

अन्तर हो सकता है। इस क्षेत्र में फुटबॉल, वॉलीवाल, थ्रोबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट खेलना, पिकनिक पर जाना, सिनेमा देखना, साइकलिंग करना, चित्र बनाना, शिल्प एवं नाटय में भाग लेना, नाचना, टी0वी0 देखना आदि कौशल शामिल किए जा सकते है। बच्चो के उम्र, लिंग एवं रूचि के अनुरूप कौशलों का चयन करना चाहिए। बच्चों के योग्यता एवं क्षमता भी कौशल के चयन को प्रभावित करता है।

1.7.6 प्रौद्योगिक एवं कम्प्यूटर कौशल क्षेत्र

आज के सूचना एवं प्रौद्योगिक के दौड़ में कम्प्यूटर एवं प्रौद्योगिक ज्ञान के बिना जीवन यापन दुर्लभ है। अतः पूर्व व्यवसायिक स्तर के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके दैनिक जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देना अति आवश्यक हो जाता है। इस कौशल क्षेत्र में मुख्यतः गतिशीलता, संचार, सीखने, खेलने एवं दैनिक जीवन से संबंधित सभी प्रौद्योगिकी कौशल शामिल किया जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए कौशल का चुनाव करते समय पारिवारिक पृष्ठ भूमि, बच्चों के योग्यता तथा बच्चा गाँव या शहर में रहता है इसकी जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है।

1.7.7 यौन शिक्षा कौशल क्षेत्र

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए यौन शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय बच्चों के उम्र, बौद्धिक स्तर एवं कार्यात्मक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। इस कौशल क्षेत्र में मुख्य रूप से अपने लिंग का पहचान करना, स्त्री एवं पुरूष में भेद बताना, उचित अधोवस्त्रों का प्रयोग करना, लड़की एवं औरत में भेद करना, लड़के एवं आदमी में भेद करना, लड़के की दाढ़ी बनाने की तथा लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता की आवश्यकताओं को समझना, समालिंगी मित्रों के समूह में बात करना तथा विपरीत लिंगी से मैत्रीपूर्वक बात करना आदि शामिल है। यौन शिक्षा मुख्य रूप से व्यक्तिगत होना चाहिए।

1.7.8 भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल क्षेत्र

पूर्व व्यवसायिक स्तर के बच्चों के लिए मुख्यतया माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप माना जाता है। माध्यमिक स्तर के जिन कौशलों को बच्चे नहीं सीख पाते है उन्हें भी सीखाना आवश्यक हो जाता है। इस स्तर पर बच्चों को विपरित लिंग, बड़े एवं छोटे से उपयुक्त भाषा एवं सम्प्रेषण करना आवश्यक होता है।

1.7.9 जीवन कौशल क्षेत्र

पूर्व व्यवसायिक स्तर पर इस क्षेत्र में खोज, चयन, सूचना का विश्लेषण, समस्याओं को सुलझाना, निर्णय लेना एवं रचनात्मकता आदि कौशल शामिल है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के क्षमता, योग्यता एवं आवश्यताओं के अनुरूप प्रशिक्षण हेतु कौशल का चयन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वास्तविक परिस्थिति का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जाना चाहिए।

1.7.10 आत्मसमर्थन कौशल क्षेत्र

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को जब सामान्य व्यक्तियों का कम से कम सहायता लेकर अपने काम आयोजित करने, बैठकें करने, निर्णय लेने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विकास को "आत्मसमर्थन" कहते है। इस कौशल क्षेत्र में मुख्यतः अपने मानव अधिकारों

को जानना, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना, अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेना आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के क्षमता एवं योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण के लिए कौशल का चयन करना चाहिए।

1.8 व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम

जिस तरह विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार व्यवसायिक शिक्षा के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। किन्तु स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम से व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम काफी भिन्न होता है। व्यवसायिक पाठ्यक्रम, विषयसूची की ऐसी योजनाबद्ध व्यवस्था है जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण व्यवसायिक एवं संबंधित क्रियाओं का अनुक्रम उपलब्ध कराना है जो विद्यार्थी के हित में उसके आर्थिक रूप से लाभदायक व्यवसाय के लिए किसी भी शाखा द्वारा आयोजित किया जाता है। व्यवसायिक पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए सबसे पहले समुदाय में व्यवसायिक अवसर के खेज करने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात् बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का विशेष कार्यक्रमता एवं आवश्यक व्यवसायिक अनुक्रमों का पहचान की ओर आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया में वह क्रियाएँ शामिल है जो रोजगार अवस्थाओं से संबंधित कौशलों पर प्रकाश डालने के साथ–साथ विशेष सामाजिक कार्यो से संबंधित बेजोड़ कार्य क्षमताएँ प्रकट करती है।

समुदाय में व्यवसायिक अवसरों के खोज एवं व्यक्ति के आकलनोपरान्त के पश्चात् मूल व्यवसायिक व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद अनुकूल व्यवसाय का पहचान कर चयन किया जाता है। इसके बाद चयनित व्यवसाय से संबंधित मुख्य कार्य एवं संबंधित कार्य का विश्लेषण किया जाता है और फिर व्यक्ति के आवश्यकताओं में अनुरूप संबंधित कौशलों का प्रशिक्षण हेतु चयन कर प्रशिक्षण की योजना तैयार किया जाता है। इसके प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला या फिर वास्तविक व्यवसायिक जगह का भी चयन किया जाता है। व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम को मुख्यतयः दो भागों या क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। पहला कार्य एवं व्यापार कौशल क्षेत्र जिसके अन्तर्गत सेवा उन्मुख कार्य तथा उत्पाद उन्मुख व्यापार आता है। दूसरा व्यस्क जीवन जीने के कौशल क्षेत्र है।

1.8.1 कार्य एवं व्यापार कौशल क्षेत्र

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए कार्य एवं व्यापार का चयन बच्चों के क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप किया जाता है। प्रत्येक कार्य एवं व्यापार के लिए मुख्य एवं संबंधित कौशल भिन्न होता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः दो कार्य है। प्रथम सेवा से संबंधित कार्य तथा दूसरा उत्पाद से संबंधित कार्य है। प्रत्येक कार्य से संबंधित कौशलों का वर्णन नीचे किया गया है।

1.8.2 सेवा उन्मुख कौशल क्षेत्र

सेवा संबंधित रोजगार में मुख्यतः वे कौशल सम्मिलित है जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदान किया जाता है। सेवा संबंधित कार्य मुख्यतःअति अल्प बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए सही होता है। इस कौशल क्षेत्र में मुख्य रूप से विशेष शिक्षक के सहायक, कार्यालय प्रेषण (डिस्पैच) अनुभाग में सहायक औषधि एवं किराने दुकान में सहायक, कैन्टीन के सहायक, पुस्तकालय सहायक, मुद्राणालय सहायक, कार्यालय में चपरासी, डेयरी फार्म में सहायक आदि कौशल शामिल है। इन सभी कौशलों के अन्तर्गत कुछ मुख्य तथा कुछ संबंधित क्रियाएं करनी होती है जिसे प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाना आवश्यक है। जहाँ

तक संभव हो सके प्रशिक्षण वास्तविक परिस्थितियों में ही देना चाहिए जिससे की सामान्यीकरण की समस्या नहीं होगी।

1.8.3 उत्पादन उन्मुख कौशल क्षेत्र

उत्पादन संबंधित रोजगार मुख्यतः अल्प एवं गम्भीर बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। वाणिज्य संबंधित उत्पादक केन्द्र में विभिन्न स्तर के बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का समायोजन किया जा सकता है। चूँकि उत्पादक कौशल में कुशल, अकुशल तथा साधारणतया पुनरावृत्ति वाले कार्य होते है। अतः इसमें बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के क्षमता के अनुरूप उन्हें अलग–अलग कार्यों में शामिल किया जा सकता है। इस कौशल क्षेत्र में स्क्रीन प्रिंटिंग, सफाई एवं लेखन सामग्री तैयार करना, सामान्य खाद्य सामग्री तैयार करना, कार्यालय लिफाफा एवं फाइल तैयार करना आदि कौशल शामिल है। उत्पादन संबंधित कौशल में विभिन्न स्तर के बौद्धिक अक्षम बच्चों को उसके क्षमता के अनुरूप–विभिन्न कार्यों पर लगाया जा सकता है।

1.8.4 वयस्क जीवन कौशल क्षेत्र

इस कौशल क्षेत्र में ऐसे विशिष्ट कौशलों को सम्मिलित किया गया है जो सभी कार्य एवं व्यापार के लिए उपयोगी हैं। चूँकि इस कौशल क्षेत्र के कौशल सभी तरह के कार्य एवं व्यापार के लिए अति आवश्यक है। अतः ये कौशल सभी बौद्धिक अक्षम बच्चों को सिखाया जाना आवश्यक है। चाहे वे सेवा से संबंधित कार्य में हो या फिर उत्पादन से संबंधित कार्य में। इस कौशल क्षेत्र में मूल कौशल जैसे स्वयं, परिवार, कार्यस्थल की जानकारी, संकेत एवं चिन्हों की जानकारी शामिल है। कार्य स्थल से संबंधित कौशल जैसे समय निष्ठा, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार एवं सम्प्रेषण आदि कौशल सम्मिलित किए जा सकते है। नियोज्य के अन्तर्गत स्वंय बोध, कार्य पर टिकना, आत्मविश्वास को बढ़ाना आदि कौशल सम्मिलित किया जाता है। जबकि यौन शिक्षा के अन्तर्गत अपने शरीर के संरचना, समलिंग व्यवहार, विपरित व्यवहार, परिपक्वता, एवं शरीर में होने वाले परिवर्तन से संबंधित कौशलों में जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। जबकि आत्म समर्थन क्षेत्र के मूल अधिकार, जीने के अधिकार, निर्णय लेना तथा आत्म समर्थन समूह बनाने में संबंधित कौशलों में प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। इस तरह इन विभिन्न कौशलों से संबंधित कई क्रियाएं है जिनमें बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है तभी वे सही तरह से व्यस्क जीवन यापन कर सकते है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र07 जीवन कौशल क्षेत्र माध्यमिक, पूर्व व्यवसायिक एवं व्यवसायिक सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में है। सही/गलत

....

....

प्र08 पूर्व व्यवसायिक स्तर के बच्चों का उम्र सीमा कितना होता है ?

....

....

1.9 सारांश

बौद्धिक अक्षम बच्चों का पाठ्यक्रम सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से काफी भिन्न होता है। प्रत्येक बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विशेष शिक्षक को बच्चों के उम्र, लिंग, आवश्यकता, क्षमता एवं कार्यात्मक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ता है। इस इकाई में माध्यमिक एवं पूर्व व्यवसायिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम का दिशा निर्देश दिया गया है। इनके सभी कौशल क्षेत्र समान है। पूर्व व्यवसायिक स्तर का पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का विस्तृत रूप है। अतः इनमें कई बार कौशलों का पुनरावृत्ति देखने को मिलता है। व्यवसायिक स्तर पर मुख्यतः कार्य एवं व्यापार तथा व्यस्क जीवन से संबंधित कौशलों पर विशेष रूप से आधारित है। व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम बौद्धिक अक्षम बच्चों को व्यस्क जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से तैयार करता है जिससे कि वे अपने समाज में आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें।

1.10 शब्दावली

माध्यमिक स्तर – ग्यारह से चौदह वर्ष के बच्चे माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत आता है।

पूर्व व्यवसायिक स्तर – पंद्रह से अठारह वर्ष के व्यक्ति इस स्तर के अन्तर्गत आता है।

व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम– यह पाठ्यक्रम अठारह वर्ष से ऊपर के उम्र के व्यक्तियों के लिए तैयार किया जाता है।

व्यवसायिक कौशल क्षेत्रः– इस कौशल क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित कौशल शामिल किये जाते है।

जीवन कौशलः– जीवन कौशल से तात्पर्य ऐसे कौशल से है जो बौद्धिक अक्षम बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है।

1.11 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 सामान्य बच्चों एव बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं होता है। सही/गलत।

उत्तर–1 गलत

प्रश्न–2 प्रत्येक बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अलग–अलग तैयार किया जाता है। सही/गलत।

उत्तर–2 सही

प्रश्न–3 पूर्व व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का वृहद रूप है। सही/गलत।

उत्तर–3 सही।

प्रश्न–4 बौद्धिक अक्षम छात्र के लिए पाठ्यक्रम उनके संबंधित शिक्षक द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। सही/गलत

उत्तर–4 गलत

प्रश्न–5 व्यवसायिक स्तर का पाठ्यक्रम पूर्व व्यवसायिक स्तर से पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप है। सही/गलत।

उत्तर–5 गलत

प्रश्न–6 मनोरंजनात्मक कौशल क्षेत्र व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम का एक कौशल क्षेत्र है। सही/गलत।

उत्तर–6 गलत।

प्रश्न–7 जीवन कौशल क्षेत्र माध्यमिक, पूर्व व्यवसायिक एवं व्यवसायिक सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में है। सही–गलत।

उत्तर–7 सही।

प्रश्न–8 पूर्व व्यवसायिक स्तर के बच्चों का उम्र सीमा कितना होता है ?

उत्तर–8 पन्द्रह से अट्ठारह वर्ष।

1.12 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 पाठ्यक्रम की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न –2 बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न –3 (एडवोकेसी) आत्म समर्थन से आप क्या समझते है ? संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

प्रश्न –4 सेवा उन्मुख कौशल का क्या तात्पर्य हैं ? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न –5 जीवन कौशल से आप क्या समझते है ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

1.13 संदर्भ ग्रन्थ

- बकैंल, डी.ई. ब्राउन, जे0एम0 ट्रांजीशन. फ्राम स्कूल टू वर्क कार पसेन्सविद डिसएबिलिटिव लंदन, लॉममैन
- क्राफट ए. (1982) सेक्स एजुकेशनल काउनसिलिंग आफ मैन्टली हैन्डीकैप्ड बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी पार्क प्रेस
- डी0वी0टी0ई0 (एम0आर0) नोट्स एन0आई0एम0एच0 सिकन्दरा बाद
- थ्रेसिया कुटी, ए0टी0 और राव, एल0जी0 (2004) मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों का पाठशाला से कार्य तक परागमन एक गाइड, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- मायरेट्रडी बी0 एंड नारायण, जे (1998) फंक्शनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टूडेन्टस विद मेंटल रिटार्डेशन ए गाइड फोर टीचर्स सिकन्दराबाद एन0आई0एम0एच0
- नारायण, जे एण्ड कुट्टी ए0टी0टी0 (1990), टुआर्डस इन्डीपेनडेन्ट सीरीज 1–9 सिकन्दराबाद। एन0आई0एम0एच0।

- वर्नर, डी0 (1994), डिसऐबल विलेज चिल्ड्रेन अ गाइड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्क्स, देहली, वी0एच0ए0आई।
- प्रैसिया कुटी, ए0टी0 (1998) वी.ए.पी.एस., एन.आई.एम.एच. सिकन्दराबाद।
- मायरेड्डी वी0 एवं नारायण जे0 (1998) फंक्सनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्ट विद माइल्ड मेन्टल रिटार्डेशन, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे0 (1990), टुआर्डन्स इनडिपेनडेन्ट सीरीज 1 से 9 एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।

इकाई–8

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय कौशल विकास योजना

संरचना–

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 योजना की पृष्ठ भूमि

2.4 योजना का परिचय

2.5 योजना से पूर्व कौशल प्रशिक्षण की स्थिति

2.6 योजना की आवश्यकता

2.7 योजना के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

2.8 राष्ट्रीय कार्य योजना के लक्ष्य

2.9 योजना के उद्देश्य

2.10 प्रशिक्षणार्थी की पात्रता

2.11 प्रशिक्षण प्रदाता के पात्रता

2.12 प्रशिक्षण प्रदाता के लिए आवेदन प्रक्रिया

2.13 प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम

2.14 प्रशिक्षण के लिए अनुदान के स्रोत

2.15 अनुदान के मानदंड

2.16 समीक्षा एवं निगरानी

2.17 योजना का क्षेत्राधिकार

2.18 दिव्यांगता वार प्रशिक्षण हेतु रोजगार सूची

2.19 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण हेतु रोजगार सूची

2.20 सारांश

2.21 शब्दावली

2.22 बोध प्रश्न एवं उत्तर

2.23 अभ्यास प्रश्न

2.24 संदर्भ ग्रन्थ

2.1 प्रस्तावना

सामान्य हो या दिव्यांग किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए व्यक्तिगत पर्याप्तता, सामाजिक क्षमता एवं आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है। वर्तमान परिपेक्ष में एक सामान्य व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थिति में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। पूरे विश्व स्तर में विभिन्न देश अपने–अपने तरह से दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार एवं आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए अनवरत् कोशिश कर रहें है। यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के अध्याय सताइस में दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार की चर्चा की गई है। अनेक देशों में से भारत भी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुसमर्थक है। अतः भारत इस दिशा में उनके कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण योजना उसी दिशा में एक अहम कदम है। इस योजना में विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों के उनके दिव्यांगता के प्रकार, उनके क्षमता एवं आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न कौशल एवं रोजगार की पहचान कर, उन रोजगारों में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने का एक अवसर मिलने के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी जो उनको समाज में गरिमापूर्ण जीवन यापन का एक अवसर प्रदान करेगा तथा साथ ही हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) में भी वृद्धि करेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है खास कर आर्थिक पुनर्वास के लिए।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेंगे –

- राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की आवश्यकताओं की व्याख्या कर सकेंगे।
- योजना के राष्ट्रीय कार्य योजना बता सकेंगे।
- इस योजना के उद्देश्य का वर्णन कर सकेंगे।
- प्रशिक्षणार्थी के पात्रता बता सकेंगे।

2.3 योजना की पृष्ठभूमि

हमारे देश में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 एक बहुगर्भित अधिनियम है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एवं शक्तिकरण की चर्चा की गई है। इस अधिनियम में दिव्यांगता को स्वास्थ्य एवं कल्याण के मुद्दे के बजाय नागरिक अधिकारों के मुद्दे के रूप में देखा गया है। चूँकि हमारा देश यू0एन0सी0आर0पी0डी0 2008 के समर्थक रहा है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंण के उपरान्त भारत को भी यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के तर्ज पर कानून बनाना आवश्यक हो गया। अतः दिसम्बर 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हमारे देश में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016

लागू हुआ। इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों के सम्पूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद भी विकलांग व्यक्तियों को वर्तमान में श्रम बाजार में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

हम अपने देश में यदि दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या को देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति निवास करते है। इनमें से लगभग 1.82 करोड़ जनसंख्या गॉवों में निवास करती है। शहर की तुलना में गाँवों में दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या अधिक होने का मुख्य कारण गरीबी एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। गाँव के दिव्यांग व्यक्ति रोजगार के बाजार से कटे हुए होते है और उनमें कौशलों की भी कमी होती है। अनेक दिव्यांग व्यक्तियों के मन में काम करने, आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने की इच्छा होती है, किन्तु कौशल एवं अवसर के अभाव में वे इसे प्राप्त नहीं कर पाते है।

दिव्यांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों में सुधार करने से दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अतः व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभों के अतिरिक्त श्रम शक्ति सहभागिता में वृद्धि करने की बड़ी आर्थिक आवश्यकता है। इससे एक तरफ जहाँ हमें कुशल श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी वहीं दूसरी तरफ कल्याणकारी आत्मनिर्भरता से संबंधित आर्थिक दबाव भी कम होगा। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने वर्ष 2014 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नई कौशल पहल तैयार करने हेतु विभाग, कौशल विकास मिशन के साथ सहयोग करने का निर्णय किया जो राष्ट्रीय कौशल विकास योजना का रूप लिया।

2.4 योजना का परिचय

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का योजना है। यह पूर्णतया केन्द्र सरकार की योजना है। इस केन्द्र पोषित योजना के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस योजना से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकर अधिनियम 2016 एवं अन्य भारतीय अधिनियम में उल्लेखित दिव्यांग व्यक्ति लाभान्वित हो पाते है। यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करने में अहम् भूमिका निभा रही है।

2.5 योजना से पूर्व कौशल प्रशिक्षण की स्थिति

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना से पूर्व भी भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण चलाए जा रहे थे, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

- दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एन0एच0एफ0डी0सी0), राष्ट्रीय न्यास आदि द्वारा चलाये जा रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन0एस0डी0सी0)
- दिव्यांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा रोजगार कार्यालायों का पर्यवेक्षण कर रहा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कार्यक्रम।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्स।

- व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर केन्द्रित गैर–सरकारी संगठन।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- शहरी विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आजीविका कार्यक्रम।
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0) के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण आदि।

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के प्रारम्भ से पूर्व की स्थिति को देखने से साफ जाहिर होता है कि कौशल विकास की मांग एवं आपूर्ति में बहुत बड़ा अन्तराल है। देश के कुल दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या में से लगभग 1.34 करोड़ व्यक्ति 15 से 59 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के है जिन्हें कौशल विकास की आवश्यकता है। अतः इतनी बड़ी जनसंख्या को मुठ्टी भर प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित करना संभव नहीं है। अतः ऐसे में एक सशक्त कौशल विकास योजना की आवश्यकता स्वभाविक है।

2.6 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की आवश्यकता

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के पहले हमारे देश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण जो विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा दिया जाता था वह पूर्ण नहीं था कई बार यह पुनरावृत्ति होता था। प्रशिक्षण की जो व्यवस्था था वह ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांग व्यक्तियों के पहुँच से काफी दूर था। इन सभी कारणों से दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं आपूर्ति में बहुत बड़ा अन्तर था। इस अन्तर को दूर करेन हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की आवश्यकता हुई। यह योजना निम्नलिखित कारण से अति आवश्यक है।

- गुणवत्ता व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु।
- समरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं प्रणाली हेतु।
- प्रशिक्षण में नए प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु।
- प्रशिक्षण एवं नियुक्ति में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों की सहभागिता हेतु।
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0) के अधिकतम उपयोग करने हेतु।

उपरोक्त सभी कारणों से राष्ट्रीय कौशल विकास योजना का शुरू करना आवश्यक था।

2.7 योजना के लिए कार्य योजना

हमने इकाई 8.5 में देखा कि दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल विकास करने के लिए विभिन्न केन्द्र एक राज्य सरकार के मंत्रालय, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रम अपने–अपने तरीके से शामिल है। अतः इन इकाईयों को एक मंच पर लाकर दिव्यांग व्यक्तियों को कुशल बनाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू करने की आवश्यकता हुई। परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

तैयार किया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में एक परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट स्थापित करने की बात कहीं गई जिसमें निम्नलिखित प्रमुख घटक है –

- प्रशिक्षण की आवश्यकता आकलन इकाई।
- विषय वस्तु सृजक इकाई।
- प्रशिक्षण निगरानी एवं प्रमाणन इकाई।
- नियोजक को जोड़ने वाली इकाई।
- आई0टी0 इकाई जो ई0 लर्निंग मॉड्यूल के सृजन, प्रशिक्षण की निगरानी, प्रशिक्षण केन्द्रों के ई–प्रमाणन आदि के लिए सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के तहत यह भी कहा गया कि राज्य सरकार इन व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को आधारभूत सुविधाएं और संसाधन सहायता प्रदान करके सकारात्मक सहायता प्रदान करेगी।

2.8 राष्ट्रीय कार्य योजना के लक्ष्य

राष्ट्रीय कार्य योजना के कई लक्ष्य रखा गया। इस योजना के अनुसार तीन वर्षों में पाँच लाख दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि तीन वर्षों में हम एक बड़े ऑनलाइन मंच का सृजन कर लेंगे जिसके द्वारा हम प्रत्येक वर्ष पाँच लाख व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे। इस योजना में यह भी लक्ष्य रखा गया कि योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं का प्रशिक्षकों में लगभग एक सौ समूहों का एक नेटवर्क होगा। ये प्रत्येक समूह द्वारा प्रथम वर्ष में लगभग एक हजार दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि की जाने का भी प्रस्ताव है।

2.9 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के मुख्य उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होगा जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होगा तथा उनके पास सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होगा।
- इस योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुल सीट का तीस प्रतिशत शीट महिलाओं के लिए निर्धारित किया जायेगा।
- यह योजना इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संचालित होगी।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के किस अध्याय में दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार की चर्चा की गई है ?

....

....

प्र02 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना केन्द्र/राज्य पोषित योजना है।

....

....

प्र03 इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा क्या है ?

....

....

2.10 प्रशिक्षणार्थी की पात्रता

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना का लाभ वहीं व्यक्ति उठा पाएगा जो निम्नलिखित पात्रता रखता है।

- भारत का नागरिक है।
- जिस व्यक्ति की दिव्यांगता चालीस प्रतिशत से कम नहीं हो तथा उसके पास सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो। इसमें वे सभी दिव्यांगता शामिल है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में शामिल है।
- प्रशिक्षणार्थी की आयु पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को पंद्रह वर्ष से कम तथा उनसठ वर्ष से अधिक नहीं हो।
- आवेदनकर्ता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले दो वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा प्रायोजित किसी अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यालय में भाग नहीं लिया हो।

2.11 प्रशिक्षण प्रदाता के लिए पात्रता

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन विभिन्न, केन्द्र एवं राज्य सरकार के संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों तथा निजी संस्थानों या संगठनों के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के विभाग को।
- केन्द्रीय/राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों सहित केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित स्वायत निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों को।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थान/सी0आर0सी0/डी0आर0सी0/आर0सी0 आउट रिच केन्द्रों को।

- सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत संगठन जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों या अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त है।
- संगठन के पास कम से कम तीन वर्षों का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन करने का अनुभव हो।

इन पात्रता को पूरा करने वाला संस्था ही प्रशिक्षण देने के लिए आवेदन कर सकता है।

2.12 प्रशिक्षण प्रदाता के लिए आवेदन प्रक्रिया

ऐसी संस्था या संगठन जो इकाई 8.11 में वर्णित पात्रता सूची पूरी करती हो वही प्रशिक्षण देने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।

आवेदन प्रक्रिया को मुख्यतः दो चरणों में बाँटा गया है। पहला चरण आवेदन प्रक्रिया से संबंधित है तथा दूसरा चरण चयनित संगठन द्वारा परियोजना तैयार कर जमा करने से है। पहले चरण में परियोजना युनिट द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर सक्षम एवं पात्रता रखने वाले संगठन से 'प्रशिक्षण भागीदार' बनने के लिए विकसित किए गए प्रारूप में अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों से प्राप्त आवेदनों का जांच कर चयन समिति के सक्षम रखा जाएगा। चयन समिति संस्था के पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, बुनियादी ढ़ाँचे, उपलब्ध जनशक्ति एवं अन्य प्रासंगिक विचारों के आधार पर संस्था का चयन करेगा।

दूसरे चरण में इन चयनित संस्थानों द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट परियोजना हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदनों की जांच की जाएगी और यदि चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया तो अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी। यह वित्तीय सहायता विभिन्न चरणों में निर्गत किया जाता है।

2.13 प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास करने में राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का अहम भूमिका है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद विभिन्न क्षेत्र के कौशल परिषदों से बात करके दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नौकरी की भूमिका एवं मानक तय करने का प्रस्ताव रखा गया था। तत्पश्चात् इन्हीं भूमिका एवं मानक के आधार पर विभिन्न कौशल प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम विकास करने का प्रस्ताव था। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा गया कि जब तक राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का पूरी तरह परिचालन नहीं होता है तब तक चयन समिति द्वारा परियोजनाओं के मंजूरी देते समय ही प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम का मंजूरी देगा। दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान एवं भारतीय पुनर्वास परिषद भी समिति के साथ विभिन्न नौकरियों के लिए एक समरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाने में सहयोग करेगी। इस तरह विभिन्न कौशल एवं नौकरियों के लिए तैयार समरूप पाठ्यक्रम पूरे देश में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किये जायेंगे।

2.14 कौशल प्रशिक्षण के लिए धन के स्रोत

इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 2.5 करोड़ दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अतः इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैबिनेट के

मंजूरी के उपरान्त अलग से बजट की आवश्यकता होगी। अतः इस प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट हैड बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। जब तक इस तरह की स्वीकृति नहीं मिलता है तब तक इस योजना का वित्त पोषण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित सिपडा (SIPDA) योजना के द्वारा किये जाने का प्रावधान रखा गया। इस तरह प्रशिक्षण के लिए धन पूर्ति की व्यवस्था करने का प्रावधान रखा गया।

2.15 अनुदान के मानदंड

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अनुदान हेतु निम्नलिखित मानदंड रखा गया–

- प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह सभी खर्च मिलाकर 5000 रूपया रखा गया।
- इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं के वजीफा का भी प्रावधान रखा गया। इसके तहत छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षुओं के लिए 2000 रूपया तथा जो छात्रावास में नहीं रहते है उनके लिए 1000 रूपया वजिफा का प्रावधान रखा गया।
- इस योजना में छात्रावास में रहने वालों के लिए 500 रूपया तथा छात्रावास में नहीं रहने वालो के लिए 2500 रूपया मासिक भत्ता का भी प्रावधान रखा गया।
- इस योजना के तहत उच्चतर प्लेसमेंट दर प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण भागीदारों के लिए प्रोत्साहन की भी व्यवस्था किया गया।

2.16 समीक्षा एवं निगरानी

इस योजना में यह प्रावधान किया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग एक तंत्र विकसित करेगा जो प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी रखेगा। इस निगरानी तंत्र का नियम कानून एवं मानदंड सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

2.17 योजना का क्षेत्राधिकार

इस योजना के दिशा निर्देशों का क्षेत्राधिकार दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इस योजना में प्रशिक्षुओं के राजगार के पहलुओं को शामिल नहीं किया गया है और न ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कहीं भी रोजगार प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने की बात कहीं गई है।

2.18 दिव्यांगता वार प्रशिक्षण हेतु रोजगार सूची

क्रम सं0	ट्रेड/व्यवसाय अस्थि/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए	प्रशिक्षण अवधि
(i)	ऑटोमोबाइल उद्योग संबंधित ट्रेड	
1.	ऑटो मैकेनिक (थ्री व्हीलर)	3 महीने

2.	टायर रिट्रेडिंग बल्लेमाइजिंग एवं रेबटिंग	3 महीने
(ii)	बिजली एवं इलेक्ट्रानिक्स से संबंधित ट्रेड	
1-	बिजली मोटर वाइडिंग	
2-	बिजली एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण मरम्मत	3–6 माह
3-	घर का वायरिंग एवं मरम्मत	3–6 माह
4-	बिजली या इलेक्ट्रॉनिक समान का एसेम्बल करना	3–6 माह
5-	कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं प्रोग्रामिंग कौशल	3–6 माह
6-	वेब डिजाइनिंग इन्टरनेट प्रबंधन	3–6 माह
7-	टेलीफोन ऑपरेशन	3–6 माह
8-	मोबाइल की मरम्मत	3–6 माह
(iii)	मैकेनिकल उद्योग संबंधित ट्रेड	
1-	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)	3–6 माह
2-	ड्रिलिंग (फिटर)	3–6 माह
3-	मैकेनिकल वॉच एवं क्लॉक	3–6 माह
4-	सामान्य यांत्रिकी	3–6 माह
5-	शीट मेटल वर्कर, लोहार एवं वेल्डिंग	3–6 माह

2.19 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण हेतु रोजगार सूची

1.	लिफाफा बनाना	6 माह
2.	कार्ड बोर्ड बॉक्स बनाना	6 माह
3.	मोमबत्ती बनाना	3 माह
4.	कुर्सी कैनिंग	6 माह
5.	मुद्रण, बुनाई एवं रंगाई	6 माह

6.	बढ़ई गीरी	12 माह
7.	फाइल कवर बनाना	6 माह
8.	अगरबत्ती बनाना	3 माह
9.	छाता बनाना	6 माह
10.	लाइट इंजीनियरिंग	12 माह
11.	साबुन एवं डिटर्जेन्ट बनाना	6 माह
12.	पेपर बैग बनाना	6 माह
13.	मसालो को पीसना	4 माह
14.	हस्तकला	6 माह
15.	ब्यूटीशियन	6 माह
16.	राखी बनाना	3 माह
17.	दीया बनाना	3 माह
18.	ज़री काम	6 माह
19.	मशरुम की खेती	6 माह
20.	सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग	6 माह
21.	हाथ कढ़ाई	6 माह

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र04 इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 2.5 करोड़ दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। सही/गलत

....

....

प्र05 इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

सही/गलत

....

....

प्र06 इस योजना के प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है ?

....

....

2.20 सारांश

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग जन सशिक्तकरण विभाग के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक योजनाएँ चलाए जा रहे है। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना उन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। यह पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजना है। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 2.5 करोड़ दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान में देखे तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति है जिनमें से लगभग अरसठ प्रतिशत गॉवों में रहते है। इनमें से लगभग 7.34 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति 15 से 59 वर्ष के बीच के उम्र के है जो हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में अहम भूमिका निभा सकता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को कौशल प्रशिक्षण देने से हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने के साथ–साथ कुशल श्रम शक्ति के कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा कल्याणकारी आत्मनिर्भरता से संबंधित आर्थिक दबाव भी कम होगा। अतः राष्ट्री कौशल विकास योजना व्यक्ति, परिवार, समाज एवं देश को कई तरह से लाभ पहुँचाने वाली विभिन्न योजनाओं में से महत्त्वपूर्ण योजना है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास में काफी सहायक है।

2.21 शब्दावली

बौद्धिक अक्षमता – बौद्धिक क्षमता से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिसका बुद्धि लब्धि 70 से कम हो।

प्रशिक्षण प्रदाता – प्रशिक्षण प्रदाता से तात्पर्य उन सभी संगठनों एवं संस्थाओं से है जो दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देता है।

प्रशिक्षण भागीदार – उन संस्थाओं एवं संगठनों को कहा जा रहा है जिनका चयन कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देने के लिए लिए किया गया है।

2.22 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के किस अध्याय में दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार की चर्चा की गई है

उत्तर–1 अध्याय सताइस में।

प्रश्न–2 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना केन्द्र/राज्य पोषित योजना है।

उत्तर–2 केन्द्र पोषित योजना है।

प्रश्न–3 इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा क्या है ?

उत्तर–3 15 से 59 वर्ष

प्रश्न–4 इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 2.5 करोड़ दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। सही/गलत

उत्तर–4 सही

प्रश्न–5 इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। सही/गलत

उत्तर–5 गलत

प्रश्न–6 इस योजना के प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है ?

उत्तर–6 तीस प्रतिशत

2.23 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के उद्देश्यों को लिखिए।

प्रश्न–2 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना का परिचय दीजिए।

प्रश्न–3 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के आवश्यकताओं को लिखिए।

प्रश्न–4 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के लाभ लेने वाले प्रशिक्षाणार्थी के पात्रता को लिखिए।

प्रश्न–5 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

2.24 संदर्भ ग्रन्थ

- नारायण, जे0 (1990), टुआर्डन्स इनडिपेनडेन्ट सीरीज 1 से 9 एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- नारायण, जे : मायरेड्डी वी0 एवं राव, एस0 (2002) फंक्सनल एसेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, एन0आई0एम.0एच0 सिकन्दराबाद।
- वोवरटन टी0 (1992) एसेसेमेन्ट इन स्पेशल एजुकेशन एन अप्लाइड एप्रोच, मैकमिलन न्यूयार्क।
- कनफ्लुऐंस (2016), मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, भारत सरकार आई0जी0 प्रिंटर्स, नई दिल्ली।
- यादव, एस0 (2010), पाठ्यचर्या विकास, आगरा : श्री विनोद पुस्तक मंदिर।
- अग्रवाल, जे0सी0 (1990) करिकुलम रिफार्मस इन इंडिया नई दिल्ली।

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अगस्त (2008), पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन।
- टाबा, हिल्डा (1962), करिकुलम डवलपमेंट, थ्योरी एण्ड प्राक्टिस न्यूयार्क हारकोर्ट।
- डॉल, आर0सी0 (1986), करिकुलम इम्प्रुवमेंट : डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रोसेस बोस्टन : एलेन एण्ड बेकन।
- इग्नू (1997) करिकुलम एण्ड इन्स्ट्रक्शन (ब्लाक 1 एवं 2) नई दिल्ली : इग्नू।
- कैर, जॉन एफ0 (ed.) (1977) चेजिंग द करिकुलम, लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन प्रेस लिमिटेड।
- एन्ड्रेशन डी0सी0 (1989) इवाल्युएटिंग करिकुलम प्रपोजल, ए क्रिटिकल गाइड0 विलय, न्यूयार्क।
- ब्रेनमेन, डब्लू के (1982) करीकुलम फॉर स्पेशल नीड्स। मिल्टन नीस : ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- www.ncdc.go.ug
- www.undp.org
- www.nou.ac.in
- www.nic.in

इकाई–9

समुदाय में शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के निहितार्थ, प्रलेखन, रिकॉर्ड रखरखाव एवं रिपोर्टिंग

संरचना –

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्‌देश्य

3.3 सामुदायिक समावेश

3.4 बौद्धिक अक्षम बच्चों का प्लेसमेंट एवं सामुदायिक समावेश

3.5 समुदाय में बौद्धिक अक्षम बच्चों को शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के निहितार्थ

3.6 बौद्धिक अक्षम बच्चों को समुदाय में शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के व्यक्तिगत निहितार्थ

3.7 बौद्धिक अक्षम बच्चों को समुदाय, में शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के सामुदायिक निहितार्थ

3.8 प्रलेखन या दस्तावेजीकरण

3.9 रिकार्ड रखरखाव

3.10 रिपोर्टिंग

3.11 सारांश

3.12 शब्द सूची

3.13 बोध प्रश्न एवं उत्तर

3.14 अभ्यास प्रश्न

3.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची

3.1 प्रस्तावना

यूनिस कैनेडी श्राइवर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अलग–अलग क्षमताएं हो सकती है किन्तु वे अपना योगदान दे सकता है, आनन्द का स्रोत हो सकता है तथा गर्व एवं प्यार के साथ जीवन यापन कर सकता है। सच्चा समावेशन जीवन के सभी पहलुओं में मौजूद है (श्लेयन एवं हेने, 1997)। सभी समावेशी विद्यालय छात्रों के जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण निर्धारित करते है। समावेशी समुदाय का माता–पिता अपने दिव्यांग, बच्चों के लिए आत्म सम्मान को बढ़ाने, शारीरिक गतिविधि की आदत के निर्माण एवं अपने भाई बहनों और साथियों के साथ सदस्यता की भावना के रूप में लाभ देखते है। एक समावेशी समुदाय में माता–पिता, शिक्षकों, समुदाय के सदस्यों एवं छात्रों को एक नई

संस्कृति का हिस्सा बनने के लिए तथा एक साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करना महत्त्वपूर्ण है। चूँकि कोई भी व्यक्ति सामान्य या दिव्यांग समाज का एक अंग होता है। जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज में अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा अच्छे एवं बुरे समय एक दूसरे का सहायता एवं सहयोग भी करता है। अतः उस व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से अलग कर उसका पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का वास्तव में उसी समाज में पुनर्वास हो सकता है जिस समाज या समुदाय में वह रहता है तथा अपनी जिन्दगी जिस समुदाय में वह व्यतीत करने वाला है। समावेशी समुदाय में व्यक्ति एवं समुदाय दोनों एक दूसरे की सीमाओं एवं क्षमताओं से परिचित हो जाता है तथा एक दूसरे के लिए पूरक का काम करता है।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेंगे –

- समावेशी समुदाय का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे।
- समुदाय में बौद्धिक अक्षम बच्चों को शामिल करने के निहितार्थ का वर्णन कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्लेसमेंट एवं सामुदायिक समावेशन से व्यक्ति एवं समुदाय को होने वाले लाभों की व्याख्या कर सकेंगे।
- प्रलेखन की उपयोगिता को स्पष्ट कर सकेंगे।
- रिकॉर्ड रख रखाव एवं रिपोर्टिंग की महता एवं उपयोगिताओं का वर्णन कर सकेंगे।

3.3 सामुदायिक समावेश

सामुदायिक समावेश समुदाय में रहने का एक अवसर है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं विशिष्टताओं के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सामुदायिक समावेश में आवास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की स्थिति, मनोरंजन, मान्य सामाजिक भूमिकाएँ साथियों का समर्थन एवं आत्मनिर्णय आदि शामिल है। सामुदायिक समावेश एक अवधारणा नहीं बल्कि सभी लोगों का अधिकार हैं इसके लिए हमारे देश के विभिन्न कानूनी एवं नीतिगत आधार है। उदाहरण स्वरूप दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय नियास अधिनियम एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम आदि शामिल है। वास्तविक समुदाय समावेश के लिए समुदायों, शिक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, श्रम बाजार, परिवहन प्रणाली एवं राजनीतिक प्रणाली के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सामुदायिक समावेश केवल भलाई की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह एक मानवीय अधिकार भी है। कई कारणों से दिव्यांग व्यक्तियों का पूर्ण सामुदायिक समावेश आज भी नहीं हो पाया है। सामुदायिक समावेश को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को समुदाय में भाग लेने के कई अवसर, सभी के स्वागत के लिए समुदायों का समर्थन तथा सेवाओं को एक मानव अधिकार के रूप में सुनिश्चित करना होगा।

3.4 बौद्धिक अक्षम बच्चों का प्लेसमेंट एवं सामुदायिक समावेश

अन्य सामान्य या दिव्यांग बच्चों के तरह बौद्धिक अक्षम बच्चे भी समुदाय का एक अभिन्न अंग है। इन बच्चों का भी अन्य बच्चों के तरह सामान्य अधिकार है। अतः इन बच्चों का भी सामुदायिक समावेश आवश्यक है। अन्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक अक्षम बच्चों के

सोचने समझने की क्षमता कम होती है। ऐसी स्थिति में इन बच्चों को नए वातावरण या फिर एक परिस्थिति में सीखे गए क्रिया कलाप को दूसरे परिस्थिति में करने अर्थात सामानीकरण में इन बच्चों को काफी असुविधा होती है। अतः इस दृष्टि से बौद्धिक अक्षम बच्चों का सामुदायिक समावेश आवश्यक हो जाता है। चूँकि अन्य व्यक्तियों की तरह बौद्धिक अक्षम बच्चों की भी अपने समुदाय में ही अपना जीवन यापन करना है। अतः इन बच्चों का सामुदायिक समावेश बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे की ये बच्चे अपने समुदाय से पूर्ण रूप से परिचित होने के साथ–साथ अन्य बच्चों के तरह ही अपने सुख सुविधा का आनन्द उठा सके यानी इनको भी अन्य बच्चों के तरह समान अधिकार मिले साथ ही समुदाय में भी इन बच्चों के क्षमताओं एवं विशिष्टताओं से परिचित हो सके जिससे की आवश्यकतानुसार इन बच्चों को समुदाय के लोगों का समर्थन एवं सहयोग मिल सके। इससे बौद्धिक अक्षम बच्चे अपने समुदाय में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगे तथा समुदाय में एक–दूसरे के सहयोग से अपना गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सकेंगे। इससे व्यक्ति, समुदाय तथा देश के विकास में ये बच्चे भी अपना योगदान दे सकेंगे।

3.5 सामुदाय में बौद्धिक अक्षम बच्चों को शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के निहितार्थ

ऊपर के उप इकाई 9.4 में इस बात की चर्चा की गई है कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के सोचने समझने की क्षमता सीमित होता है। अतः इन बच्चों को शिक्षण–प्रशिक्षण के साथ–साथ सिखाए गए क्रिया कलाप के समानीकरण में काफी असुविधा होती है। इसलिए इन बौद्धिक अक्षम बच्चों के भागीदारी तथा समावेश को सुनिश्चित करने के लिए समावेश में प्लेसमेंट आवश्यक है। इन बच्चों को समावेशी शिक्षा में प्लेसमेंट करने के लिए कुछ विशिष्ट समावेशन एवं संशोधन करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि इन बच्चों को समुदाय में सम्मिलित होने में आसानी होती है। हालाँकि कोई भी सहायता या सुविधा नहीं उपलब्ध है जो इन बच्चों का पूर्ण समावेश सुनिश्चित करें। बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए प्लेसमेंट के द्वारा सिर्फ भौतिक पहुँच आवश्यक नहीं है बल्कि इनके लिए कक्षा, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण रणनीतियों के पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। इसी तरह समुदाय में वास्तविक समावेश के लिए समुदाय में शिक्षा प्रणाली, परिवहन प्रणाली एवं राजनीतिक प्रणाली आदि का परिर्वतन आवश्यक होता है। यू0एन0सी0आर0पी0डी0 (दिव्यांग लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) के अनुच्छेद 19 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए "स्वतंत्र रूप से जीने" और समुदाय में शामिल होने के अधिकार को संदर्भित करता है।

बौद्धिक अक्षम बच्चे को समावेश हेतु प्लेसमेंट करने के लिए परिवार एवं समुदाय के सहयोग की आवश्यकता होती है। साथ ही परिवार एवं समुदाय का यह सहयोग इन बच्चों को "स्वतंत्र रूप से रहने" के लिए सक्षम बनाता है। यदि बौद्धिक अक्षम बच्चों का समावेश में प्लेसमेंट नहीं किया जाय तो इन बच्चों को बाद में समुदाय में शामिल करना काफी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में न तो बौद्धिक अक्षम बच्चे समुदाय से अवगत होता है और न ही समुदाय इन बच्चों के विशिष्ट क्षमताओं एवं सीमाओं से अवगत होता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों का समावेश में प्लेसमेंट होने के कारण ये बच्चे वास्तविक वातावरण में अपने क्रिया कलाप करते है। परिणाम स्वरूप इन क्रिया कलापों का समानीकरण करने की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। जबकि दूसरी तरफ इन बच्चों के विशिष्ट क्षमताओं तथा सीमाओं से समुदाय के लोग अवगत रहते है, अतः इन बच्चों को आवश्यक सहायता एंव सहयोग भी समुदाय से प्राप्त हो जाता है जिससे कि ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन समुदाय में कर सकता है।

इस तरह हम देखते है कि बौद्धिक अक्षम बच्चों का समावेश में प्लेसमेंट करने से या फिर समावेशी शिक्षा में प्लेसमेंट करने से इन बच्चों को तो लाभ होता हीं है साथ ही

इन बच्चों के साथ पढ़ने, खेलने या रहने वाले समान बच्चों को भी कई फायदा होता है। इसके अलावा माता–पिता अभिभावक एवं समुदाय को भी इससे कई लाभ मिलता है। आगे के उप इकाई में इन सबों को मिलने वाले लाभों की चर्चा विस्तार से किया गया है। इस तरह आप देखेंगे कि बौद्धिक अक्षम बच्चों को समुदाय में शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के निहितार्थ इन बच्चों के साथ–साथ, समान बच्चों, परिवार एवं समुदाय के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को मिलने वाले सहायता से उसके भागीदारी तो सुनिश्चित किया जा सकता है, किन्तु ये बच्चे अपने आप सम्मिलित महशूस तब तक नहीं कर सकते जब तक की समुदाय इन बच्चों के साथ–साथ इनकी विशिष्ट योग्यता एवं क्षमता का स्वागत नहीं करता है और यह तभी संभव होगा जब इन बच्चों का प्लेसमेंट किया जाएगा।

3.6 बौद्धिक अक्षम बच्चों को समुदाय में शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के व्यक्तिगत निहितार्थ

बौद्धिक अक्षम बच्चों को समावेश में प्लेसमेंट के अनेक निहितार्थ है। ये निहितार्थ व्यक्तिगत यानी बौद्धिक अक्षम बच्चों एवं समान बच्चों के लिए है साथ ही इसके सामुदायिक निहितार्थ भी सम्मिलित है। यहाँ हम व्यक्तिगत निहितार्थ की चर्चा करेंगे।

1. बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए निम्न निहितार्थ है।

   - इनके सामाजिक साझेदारी एवं सामाजिक रिश्ते में बढ़ोत्तरी होती है।
   - इन बच्चों को सामान्य बच्चों से दोस्ती करने का अवसर मिलता है।
   - समान बच्चे इनके शैक्षणिक, सामाजिक एवं व्यवहार कौशल के लिए सहकर्मी रोल मॉडल का काम करता है।
   - शिक्षा के दौरान इन बच्चों को सामान्य पाठ्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलता है।
   - संबंर्धित कौशल अधिग्रहण एवं सामान्यीकरण को बढ़ावा मिलता है।
   - अन्तः क्रियाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलता है।
   - एक दूसरों के सहयोग में वृद्धि होता है।
   - इन बच्चों के परिवार समुदाय में अधिक से अधिक एकीकृत होता है।
   - इनके अन्दर भलाई एवं आत्मसम्मान की भावनाओं में बढ़ोत्तरी होती है।
   - अन्य उपलब्ध संसाधनों तक इनका पहुँच बनता है।
   - विभिन्न परिस्थितियों में क्रिया कलाप करने तथा अपने अनुभवों को विस्तार करने का अवसर मिलता है।
   - नए दोस्त बनाने एवं नय और विविध संबंधों को विकसित करेन का अवसर मिलता है।
   - एक सामुदायिक समूह का हिस्सा होने का उत्साह महसूस करता है।
   - उपयुक्त सामाजिक व्यवहार सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों को शामिल करने के लिए प्लेसमेंट का निहितार्थ जितना बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण निहितार्थ सामान्य बच्चों के लिए भी है।

2. सामान्य बच्चों के लिए निम्नलिखित निहितार्थ है।

- इन बच्चों को भी सार्थक दोस्ती का अवसर मिलता है।
- इन बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करने तथा उन विभिन्नताओं की प्रशंसा करने के आदतों का विकास होता है।
- इनके अन्दर विविधताओं की समझ और स्वीकृति का विकास होता है।
- इनके अन्दर सबों के प्रति सम्मान की भावनाओं का विकास होता है।
- इससे बच्चे समावेशी समाज में व्यस्क जीवन के लिए तैयार होते है।
- चूँकि इसमें सभी बच्चों के लिए संसाधनों की प्रचुरता रहती है अतः सबों की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाता है।

इस तरह बौद्धिक अक्षम बच्चे का समावेशी शिक्षा या समुदाय में प्लेसमेंट के निहितार्थ सिर्फ बौद्धिक अक्षम बच्चों को ही नहीं बल्कि सामान्य बच्चों के लिए भी अनेक निहितार्थ है। इसके साथ ही इसके अनेक सामुदायिक निहितार्थ है, जिसकी चर्या इसी इकाई में आगे की गई है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र01 सामुदायिक समावेश लोगों का ....है। अवधारणा/अधिकार

....

....

प्र02 सामुदायिक समावेश से बौद्धिक अक्षम बच्चों को क्रिया कलाप के समानीकरण में आसान होगा। सही/गलत

....

....

प्र03 यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के अनुच्छेद – में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से जीने और समुदाय में शामिल होने के अधिकार की संदर्भित करता है। 19/20/36

....

....

3.7 बौद्धिक अक्षम बच्चों को समुदाय में शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के सामुदायिक निहितार्थ

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को आजीवन सहायता की आवश्यकता पड़ती हैं। इनके आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आमतौर पर सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी इनके परिवारों को आता है। यदि समुदाय इनका स्वागत नही करता है तथा समुदाय में सेवाएं एवं समर्थन उपलब्ध नहीं है तो माता–पिता इनके बुनियादी मानव अधिकारों की पूर्ति करने में असमर्थ पाता है। जब कभी भी व्यक्ति को उनके समुदायों में शामिल किया जाता है एवं उनको बहुत ही स्वाभाविक रूप से सहायता प्रदान किया जाता है तो वह सहायता अक्सर अदृश्य होते है किन्तु वह सहायता समावेश के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों का स्वभाविक रूप से समावेश होना सबसे महत्वपूर्ण सामुदायिक निहितार्थ हैं इसके अलावा उनके रिश्तों में अधिक से अधिक विविधता, लोगों को समर्थन देने के लागत का कम होना एवं दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा अपने उपहारों तथा प्रतिभाओं को समुदाय के साथ साझा करना महत्वपूर्ण सामुदायिक निहितार्थ के रूप में देखा जाता है।

जब भी बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का प्लेसमेंट के द्वारा समुदाय में समावेश होता है तब उनके ऊपर सेवाओं का लागत कम हो जाता है। यदि बौद्धिक अक्षम व्यक्ति रोजगार या नौकरी करता है तथा कर का भुगतान करता तो इसको भी एक महत्वपूर्ण सामुदायिक निहितार्थ के रूप में देखा जाता है। इस तरह किसी व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक या सामुदायिक सेवाओं के लागत का कम होना, व्यक्ति का एक उत्पादक सदस्य होना, व्यक्ति द्वारा सेवा या आयकर का भुगतान करना आदि महत्वपूर्ण सामुदायिक निहितार्थ है।

3.8 प्रलेखन या दस्तावेजी करण

विभिन्न दस्तावेजों के समूह को इक्ठ्ठा करना प्रलेखन या दस्तावेजीकरण कहलाता है। दस्तावेजी करण कागजात के रूप में (हार्ड कॉपी) या आनलाइन (सॉफ्ट कॉपी) के रूप में इक्ठ्ठा किया जा सकता है। किसी भी चीज, क्रिया कलाप या घटना का दस्तावेजीकरण उसके आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है। यह अभिलेख, प्रमाण पत्र, फोटो आदि के रूप में हो सकता है। किसी भी घटना या क्रिया कलाप से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही उसके सच्चाई को सुनिश्चित किया जाता है तथा उससे संबंधित सूचनाओं का अदान–प्रदान किया जाता है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट से संबंधित दस्तावेजीकरण मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है।

- बच्चों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए।
- बच्चों के प्लेसमेंट से संबंधित उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से।
- समय के साथ बच्चों में आने वाले परिवर्तन को जानने के लिए।
- बच्चों के लिए आगे के पुर्नवास कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से भी प्रलेखन तैयार किया जाता है।
- अन्य पेशेवर को उन्मुख करने के उद्देश्य से भी प्रलेखन तैयार किया जाता है।
- संबंधित एवं अन्य समुदाय को सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से भी दस्तावेजी करण महत्वपूर्ण है।

- बच्चों के लिए उपलब्ध सेवाएं एवं सहयोग संबंधी सूचना रखने एवं दूसरों के देने के लिए दस्तावेजी महत्वपूर्ण है।

- सभी सूचनाओं को लम्बे समय तक संरक्षित करने के लिए भी प्रलेखन आवश्यक है।

- इस प्रकार दस्तावेजी करण विभिन्न आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

3.9 रिकार्ड रखरखाव

किसी भी कार्यक्रम में रिकार्ड का रख रखाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह कार्यक्रम को मुख्यरूप से प्रणाली आधारित बनाता है। यह कार्यक्रम का निष्पक्ष रूप से समीक्षा करने एवं मूल्यांकन करने में मदद करता है। इस तरह यह कार्यक्रम के गुणवत्ता को बनाए रखने तथा भविष्य में सुधार करने में मदद करता है। बौद्धिक अक्षक बच्चों से संबंधित कार्यक्रम के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अद्वितीय होती है तथा इन बच्चों का कार्यक्रम तैयार करने के लिए बहुविषयक की आवश्यकता होती है। इन बच्चों के लिए सेवा प्रदाता भी कई होते है साथ ही कई सेटिंग में सेवा प्रदान किया जाता है। अतः इन सबों के लिए व्यवस्थित रिकार्ड के साथ साथ व्यवस्थित कार्रवाई की योजना होना भी आवश्यक है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए जन्म से लेकर उनके दिव्यांगता संबंधित पहचान, निदान, प्रमाणन, शैक्षणिक कार्यक्रम संबंधी सूचनाएँ, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट आदि सभी से संबंधित रिकार्ड का रखना अति आवश्यक होता है। किसी भी कार्यक्रम या क्रिया कलाप से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए रिकार्ड का पुनः अवलोकन किया जा सकता है। इन बच्चों से संबंधित प्रशासनिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक आदि प्रकार के रिकार्ड हो सकता है। प्रत्येक प्रकार के रिकार्ड रखने का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है तथा उसकी आवश्यकता उससे संबंधित निर्णय लेने में होती है। ये सभी प्रकार के रिकार्ड प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बौद्धिक अक्षम बच्चों के सामुदायिक समावेश में मदद मिलता है जिससे कि वे समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर अपना जीवन यापन कर सके तथा इसके लिए आवश्यक सेवाओं एवं सहायता प्रदान करने के लिए भी रिकार्ड का रख रखाव आवश्यक है।

3.10 रिपोर्टिंग

किसी भी कार्यक्रम, घटना या प्रक्रिया के संबंध में जानकारी या सूचना प्रदान करना रिपोर्टिंग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी बच्चे के व्यवहार या कार्यात्मक स्तर की जानकारी प्राचार्य या उनके माता पिता को प्रस्तुत करते है तो वह रिर्पोटिंग कहलाता है। किसी भी कार्यक्रम, क्रियाकलाप या घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हमें रिकार्ड की आवश्यकता होती है। रिकार्ड के आधार पर ही कोई रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जैसे यदि किसी बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट हम तैयार करते है तो हमें उस बच्चे के परीक्षा के प्रदर्शन, कार्य नमूना आदि रखते है जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए हम कई प्रकार के रिपोर्ट तैयार करते है। रिपोर्ट का प्रारूप एवं आधार रिपोर्ट के प्रयोग करने के उद्देश्य पर निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप बौद्धिक अक्षम बच्चों को कोई भी सरकारी लाभ दिलाने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की

आवश्यकता होती है। इसके लिए हम मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करते है। इसका प्रारूप एवं विषय वस्तु शैक्षणिक रिपोर्ट के प्रारूप एवं विषय वस्तु से काफी भिन्न होता है। उसी तरह बौद्धिक अक्षम बच्चों के सामुदायिक समावेश से संबंधित रिपोर्टिंग का प्रारूप एवं विषय वस्तु अन्य रिपोर्टिंग से काफी भिन्न होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि रिपोर्ट एक स्पष्ट उद्देश्य और एक विशेष दर्शकों के लिए तैयार किया जाता है। एक अच्छा रिपोर्ट तथ्यात्मक, सत्यापित जानकारी एवं मान्य प्रमाणों पर आधारित होता है। अच्छी रिपोर्ट स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य, बिना तकनीकी शब्दजाल के तथा त्रुटि मुक्त होता है।

बौद्धिक अक्षम बच्चे के सामुदायिक समावेश से संबंधित रिपोर्टिंग अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। सामुदायिक समावेश एक नई संकल्पना है जिसके बारे में कई भ्रांतियाँ सुनने को मिलता है। इससे से संबंधित शोध सूचनाएँ बहुत कम उपलब्ध है। साथ ही विभिन्न लोगों की अवधारणाएं भी अलग–अलग है। अतः ऐसी स्थिति में इससे संबंधित रिपोर्टिंग एक नींव के पत्थर का काम करता है। रिपोर्टिंग के मुख्य लाभ निम्नलिखित है –

- रिपोर्टिंग उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है।
- इससे उद्देश्य के पूर्ति करना आसान होता है।
- इसमें बच्चो, क्रिया कलापों, क्षमताओं आदि की जानकारी तथ्यों पर आधारित होता है।
- इससे बच्चों के संबंध में कोई निर्णय लेना आसान होता है।
- एक दूसरे तक बच्चों संबंधित सूचनाएँ पहुँचाने में आसानी होती है।
- इन बच्चों से संबंधित शैक्षणिक, व्यक्तिगत व्यवहारिक, व्यवसायिक आदि प्रकार के रिपोर्टिंग हो सकता है।
- यह रिपोर्ट माता–पिता, शिक्षक एवं संबंधित अन्य व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होता है।
- रिपोर्टिंग से अन्य लोगों को भी सूचनाएँ प्राप्त होता है जिसके आधार पर अन्य व्यक्ति निर्णय लेते है।
- यह दूसरों के लिए उदाहरण एवं प्रोत्साहन का काम करता है।

इस तरह हम देखते है कि रिपोर्टिंग किसी भी क्रिया कलाप, घटना एवं कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। यह दूसरों के लिए सूचना एवं मार्गदर्शन का कार्य करता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के सामुदायिक समावेश संबंधित रिपोर्टिंग से समुदाय के अन्य लोगों में इन बच्चों के स्वीकार को बढ़ावा मिलता है। इससे सामुदायिक समावेश को बढ़ावा मिलेगा।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र04 समान बच्चे बौद्धिक अक्षम बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं व्यवहार कौशल के लिए एक सहकर्मी रोल मॉडल का काम करता है। सही/गलत

....

....

प्र05	सामुदायिक समावेश से समान बच्चों में सबों के प्रति सम्मान की भावनाओं का विकास नहीं होता है। सही/गलत ....

3.11 सारांश

बौद्धिक अक्षम बच्चों का सामुदायिक समावेश की अवधारणा को सफल बनाने के लिए विभिन्न घटकों का सहयोग होना आवश्यक है। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए सामुदाय बहुआयामी और जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। परिवारों, शिक्षकों, नियोक्ताओं, सामुदायिक हितधारकों, सरकारों एवं अन्य लोगों के साथ–साथ बौद्धिक अक्षम व्यक्ति इन चुनौतियों के लिए जिम्मेदार है। बौद्धिक अक्षम बच्चों का सही मायने में पुनर्वास तभी हो सकता है जब उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति जिस समाज में अपना जीवन यापन करता है उससे अलग करके उसका पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। जब ये बच्चे अपने समुदाय के साथ रहेंगे तो वे एक दूसरे के क्षमताओं एवं सीमाओं से परिचित होंगें तथा आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। समावेशी समुदाय में रहकर बौद्धिक अक्षम व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ–साथ समाजोपगी व्यवहार सीखेंगे और अन्ततः समाज के एक उत्पादक नागरिक के रूप में स्थापित होंगे।

3.12 शब्द सूची

सामुदायिक समावेश – ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोग चाहे उनकी, योग्यता, अक्षमता एवं अन्य आवश्यकताएं भिन्न हो किन्तु वे उस समुदाय में मूल्यवान सदस्यों के रूप में अपना जीवन यापन कर सके उसे सामुदायिक समावेश कहते है।

प्रलेखनः – विभिन्न दस्तावेजों के समूह इकठ्ठा करना दस्तावेजीकरण या प्रलेखन कहलाता है।

रिपोर्टिंग – किसी घटना, क्रियाकलाप या व्यवहार का तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित वर्णन करना रिपोर्टिंग कहलाता है।

3.13 बोध प्रश्न

प्रश्न–1 सामुदायिक समावेश लोगों का ....है। अवधारणा/अधिकार

उत्तर –1 अधिकार है

प्रश्न–2 सामुदायिक समावेश से बौद्धिक अक्षम बच्चों को क्रिया कलाप के समानीकरण में आसान होगा। सही/गलत

उत्तर–2 सही

प्रश्न–3 यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के अनुच्छेद – में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से जीने और समुदाय में शामिल होने के अधिकार की संदर्भित करता है। 19/20/36

उत्तर–3 19

प्रश्न–4 समान बच्चे बौद्धिक अक्षम बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं व्यवहार कौशल के लिए एक सहकर्मी रोल मॉडल का काम करता है। सही/गलत

उत्तर–4 सही

प्रश्न–5 सामुदायिक समावेश से समान बच्चों में सबों के प्रति सम्मान की भावनाओं का विकास नहीं होता है। सही/गलत

उत्तर–5 गलत

3.14 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 समावेशी समुदाय की अवधारणाओं को समझाइए।

प्रश्न–2 बौद्धिक अक्षम बच्चों को समुदाय में शामिल करने के निहितार्थ को समझाइए।

प्रश्न–3 प्रलेखन की उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–4 रिपोर्टिंग से आप क्या समझते है ? इसके महत्वों को समझाइए।

प्रश्न–5 समुदाय में बौद्धिक अक्षम बच्चों को शामिल करने के लिए प्लेसमेंट के निहितार्थ को समझाइए।

3.15 संदर्भ ग्रन्थ

- पारकर, सी (2011) अ कम्युनिटी जार ऑफ चेकलिस्ट : इम्पलिमेंटिंग आर्टिकल 19 ऑफ द कनवेन्शन ऑन द राइट ऑफ पिपुल विद डिसएबिलिटी वोपन सोसाइटी फॉनडेशन न्यूयार्क।
- वोल्फेंसवर्गर डब्ल्यू (1972) द प्रिंसिपल ऑफ नार्मलाइजेशन इन हुमेन सर्विस। टोरंटो, एन आइ एन आर
- स्टीवर्ड, सी एवं मिर्फिन विच, बी (2006) द इमपेक्ट ऑफ डीइनस्टीट्युशनलाइजेशन ऑफ द फैमिलिज ऑफ द किम्बरली सेंटर रेसिडेन्ट, एवं जेड डोनाल्ड इंस्टीट्यूट।
- नारायण जे0 एण्ड कुट्टी ए0टी0टी0 (1989) हेण्ड बुक फॉर दी ट्रेनर्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, प्री प्राइमरी लेवल, सिकन्दराबाद, एन0आई0एम0एच।
- डॉल, आर0सी0 (1986), करिकुलम इमप्रुवमेंट : डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रोसेस बोस्टन : एलेन एण्ड बेकन।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. SE-92
पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) अनुकुलन तथा मूल्यांकन (बौद्धिक अक्षमता)

खण्ड – 4

पाठ्यक्रम अनुकूलन

इकाई – 10 139

पाठ्यक्रम अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

इकाई – 11 153

पूर्व शैक्षणिक पाठ्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम के लिए अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

इकाई – 12 167

विद्यालयी विषयों के पाठ्यक्रम के लिए अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक	
प्रो. के. एन. सिंह.	**कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
विशेषज्ञ समिति	
प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय	**प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
प्रो0 सीमा सिंह	**आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी**
प्रो0 सुषमा पाण्डेय	**आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग डी0डी0यू0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर**
प्रो0 रजनी रंजन सिंह	**आचार्य, विशेष शिक्षा विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ**
डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी	**सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
डॉ0 दिनेश सिंह	**सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
लेखक	
डा. महेश कुमार	**असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**
सम्पादक	
प्रो0. प्रेम शंकर राम सोनकर	**प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**
परिमापक	
प्रो0 रजनी रंजन सिंह	**प्रोफेसर, डॉ. भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**
समन्वयक	
डॉ. नीता मिश्रा	**परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज.**

सितम्बर, 2019 (मुद्रित)

© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020

ISBN:- 978-93-94487-08-6

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ो आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्ववितालय, प्रयागराज की ओर से कर्नल विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित – 2024

मुद्रक : सिग्नस इन्फार्मेशन सल्यूसन प्रा0लि0, लोढ़ा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

खण्ड परिचय

खण्ड तीन में आपने माध्यमिक स्तर एवं पूर्व व्यवसायिक स्तर के पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा आपने विभिन्न राष्ट्रीय कौशल विकास योजना तथा समावेशन में प्लेसमेंट के क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी पढ़ा।

खण्ड चार में पाठ्यक्रम अनुकूलन के बारे में चर्चा किया गया है। इस खण्ड में कुल तीन इकाई है।

इकाई–10 में पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता की चर्चा की गई है। साथ ही पाठ्यक्रम समायोजन एवं संशोधन के बारे में भी चर्चा किया गया है।

इकाई–11 में पूर्व शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पाठ्यक्रम के समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन का चर्चा किया गया है।

इकाई–12 में विभिन्न विद्यालय विषयों जैसे भाषा (अंग्रेजी या हिन्दी) विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के समयोजन, संशोधन एवं अनुकूलन की चर्चा किया गया है।

B.Ed.SE.-92/138

इकाई–10

पाठ्यक्रम अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

संरचना–

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 पाठ्यक्रम के अवयव

1.4 पाठ्यक्रम अनुकूलन

  1.4.1 समायोजन

  1.4.2 संशोधन

1.5 पाठ्यक्रम अनुकूलन के प्रकार

1.6 अनुकूलन के स्वरूप

1.7 अनुकूलन के चरण

1.8 पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकताएँ

1.9 पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धान्त

1.10 दिव्यांगता विशिष्ट अनुकूलन

1.11 बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम अनुकूलन

1.12 सारांश

1.13 शब्दावली

1.14 बोध प्रश्न एवं उत्तर

1.15 अभ्यास प्रश्न

1.16 संदर्भ ग्रन्थ

1.1 प्रस्तावना

शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए समान है, चाहे वे समान्य बच्चे हो या दिव्यांग। किन्तु ये उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जरूरतों के अनुरूप संतुलित एवं सुव्यवस्थित होनी चाहिएं। समावेशी शिक्षा को संभव बनाने तथा विभिन्न क्षमताओं वाले छात्र छात्रा को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली, संरचना, एवं प्रथाओं को अधिक लचीला, समावेशी और अधिक सहयोगी बनाने की आवश्यकता है। हमारे देश में समावेशी शिक्षा की अवधारणा अभी तक शिक्षा शास्त्र (पेडागोजी) एवं शिक्षा की गुणवत्ता की व्यापक

चर्चा से जुड़ी नहीं है। विशेष बच्चों की आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थियों को शामिल किए बिना शिक्षा में कोई व्यापक सुधार लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि पूरे देश में कई शिक्षक है जो समावेशी शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुसार अपने शिक्षण में कुछ अनुकूलन (समायोजन एवं संशोधन) करते है। उनके द्वारा मुख्य रूप से समूह शिक्षण, सहकर्मी, शिक्षण, स्पष्ट रूप से बोलना, आदि शिक्षण राणनीतियों का प्रयोग किया जाता है।

चूँकि भारत में शिक्षा को सार्वजनिक रूप से मूलभूत अधिकार स्वीकार किया गया है। अतः विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं पर गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार एवं विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है। जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। शिक्षा के तीनों घटकों (शिक्षार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम) में से पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण घटक है। विशेष बच्चों के अधिक से अधिक शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करने तथा सहभागिता के लिए पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम अनुकूलन (समायोजन एवं संशोधन) विशेष बच्चों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करती है।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप अवगत हो सकेंगे –

- पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक को स्पष्ट कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम अनुकूलन को उदाहरण सहित समझा सकेंगे।
- पाठ्यक्रम समायोजन एवं संशोधन में अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे।
- विभिन्न प्रकार के अनुकूलन बता सकेंगे।
- पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धान्त का वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम अनुकूलन के चरण बता सकेंगे।

1.3 पाठ्यक्रम के अवयव

किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण के तीन मुख्य स्तंभ माना जाता है, शिक्षार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। इन तीनों के अलावा शिक्षण विधि एवं शिक्षण के वातावरण भी शिक्षण को प्रभावित करता है। किसी भी कक्षा के सभी थ्वद्यार्थियो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सभी घटकों में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इस इकाई में हम पाठ्यक्रम के उन सभी अवयवों की चर्चा करेंगे जिसका समायोजन एवं संशोधन थ्वद्यार्थियो की आवश्यकतानुसार किया जाता है। थ्वद्यार्थियो की मदद करने तथा कक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया, आँकलन एवं मूल्यांकन के साथ–साथ भौतिक वातावरण का समायोजन या संशोधन करने की आवश्यकता होती है।

चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों के सोचने समझने तथा कार्य करने की क्षमता काफी कम होती है। साथ ही बौद्धिक अक्षमता के कारण इनमें काफी विविधता होती है। अतः इन विभिन्न स्तर के थ्वद्यार्थियो के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों का समायोजन एंव संशोधन करने की आवश्यकता होती है। यानी विद्यार्थी को क्या पढ़ाया या सिखाया जाय (पाठ्यक्रम), कैसे पढ़ाया या सिखाया जाय (निर्देश) कहाँ सिखाया

जाय (शिक्षण के वातावरण) तथा उनका किस तरह आँकलन एवं मूल्यांकन किया जाय (मूल्यांकन), इन सभी में अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

कारक जिनका अनुकूलन करते है

- शिक्षण निवेश
  - पाठ्यक्रम क अवयव
    - पाठ्य उद्देश्य
    - पाठ्य सामग्री
    - क्रिया कलाप
    - शिक्षण साधन अन्य निवेश
    - कक्षा एवं आसपास के अनुकूल वातावरण
- शिक्षण प्रक्रिया
  - शिक्षण के अवयव
    - शिक्षण सामग्री
    - शिक्षण विधि
    - निजी क्षमता
    - कक्षा संगठन
- शिक्षण परिणाम
  - सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

इस इकाई में हम विद्यार्थी को किया सिखाया जाय (पाठ्यक्रम) उसके अनुकूलन की चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय हम पाठ्यक्रम के विभिन्न या फिर किसी एक अवयव में समायोजन या संशोधन करते है। बच्चों में आवश्यकता के अनुसार हम पाठ्य के उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, पाठ्य के क्रियाकलाप तथा पाठ्य से संबंधित संसाधन में अनुकूलन करते है। कई बार हमें इन सभी अवयवों में अनुकूलन करना पड़ता है और कई बार एक या एक से अधिक अवयवों के अनुकूलन से बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। किसी भी पाठ्यक्रम में अनुकूलन करने क लिए पाठ्यक्रम के इन अवयवों को जानना अति आवश्यक है, तभी हम पाठ्यक्रम का अनुकूलन प्रभावी ढ़ंग से कर सकते है और तभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकता है।

1.4 पाठ्यक्रम अनुकूलन

पाठ्यक्रम अनुकूलन, पाठ्यक्रम का समायोजन और/या संशोधन है जो सभी थ्वद्यार्थियो (सामान्य एवं दिव्यांग) को सामान्य पाठ्यक्रम तक पहुँचने में मदद करता है। व्यक्तिगत शिक्षण का मुख्य तत्व पाठ्यक्रम समायोजना एवं संशोधन है। पाठ्यक्रम अनुकूलन में पाठ्यक्रम घटकों की एक श्रृंखला में परिवर्तन किया जाता है जैसे, पाठ्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधि, तथा थ्वद्यार्थियो के सीखने के परिणाम आदि। पाठ्यक्रम अनुकूलन शैक्षिक वातावरण में अनुमेय परिवर्तन है जो थ्वद्यार्थियो को शामिल होने, उपलब्धि स्तर तक पहुँचने एवं लाभ प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करता है। कुछ पाठ्यक्रम अनुकूलन मूलभूत रूप से किसी मानकों या अपेक्षाओं को परिवर्तन या नीचा नहीं करता है जिसे हम समायोजन कहते है। समायोजन थ्वद्यार्थियो को कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। कुछ अनुकूलन मानकों एवं अपेक्षाओं को नीचा/परिवर्तन करता है जिसे संशोधन कहते है। यह संशोधन थ्वद्यार्थियो को भाग लेने का अवसर तो प्रदान करता है किन्तु इस स्थिति में मूल्यांकन घटकों का

चयन करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस तरह पाठ्यक्रम का अनुकूलन हम या तो पाठ्यक्रम का समायोजन करके और/या फिर पाठ्यक्रम का संशोधन करके कर सकते है। अर्थात पाठ्यक्रम का समायोजन करके या फिर संशोधन करके या दोनों करके हम पाठ्यक्रम का अनुकूल कर सकते है। जहाँ तक संभव हो सके पाठ्यक्रम का समायोजन करना चाहिए। यदि समायोजन करने पर भी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रहा हो तभी पाठ्यक्रम का संशोधन करना चाहिए। विशेष बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कई बार समायोजन या संशोधन या फिर दोनों करना आवश्यक हो जाता है।

1.4.1 पाठ्यक्रम समायोजन

समायोजन शब्द मुख्य रूप से निर्देशात्मक सामग्रियों के वितरण या फिर शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के तरीकों को संदर्भित करता है। इसमें पाठ्य सामग्री या वैचारिक कठिनाईयों को नहीं बदल जाता है। एक सामान्य पाठ्यक्रम के निर्देशात्मक परिणामों को समान रूप से प्राप्त करने के लिए इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों हीं निर्देशात्मक रणनीतियों के परिवर्तनों में एक प्रमुख भूमिका निभाते है। इस परिवर्तन में विभिन्न प्रकार के शिक्षण, शिक्षण विधियों और तकनीकों को शामिल किया जा सकता है। इनमें अब दृश्य सामग्री, का उपयोग, प्रोजेक्टर का उपयोग, चित्रमय प्रस्तुतीकरण, निवेश मात्रा में परिवर्तन, सीखने सीखाने के समय सीमा में बदलाव आदि शामिल है। ये सारे तकनीकी शिक्षार्थियों को समावेशी शिक्षा में लाभ पहुँचाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत शिक्षार्थी के आवश्यकताओं को पूरा करना है।

अतः यह कहा जा सकता है कि वे अनुकूलन जिसमें पाठ्यक्रम के किसी मानक को नहीं बदला जाता है और न ही सीखने के स्तर में बदलाव किया जाता वह समायोजन कहलाता है। अर्थात वह उपाय जो विशेष आवश्यकता वाले थ्वद्यार्थियो को अन्य थ्वद्यार्थियो के समान ही परीक्षा एवं एसाइनमेंट दिया जाता है किन्तु उनके प्रस्तुत करने के तरीके एवं समय में बदलाव किया जाता है। तात्पर्य यह है कि समायोजन में पाठ्यक्रम के उद्देश्य पाठ्य सामग्री, पाठ्य के मुख्य धारणा, आँकलन एवं मूल्यांकन के स्तर में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जाता है। समायोजन में मुख्य रूप से शिक्षण प्रशिक्षण विधि, सामग्री, क्रिया कलाप या फिर प्रस्तुत करने के तरीके एवं कार्य पूरा करने के समय में बदलाव किया जाता है। इसमें मुख्यतः शिक्षण प्रशिक्षण के प्रक्रिया, स्वरूप एवं समय में बदलाव किया जाता है।

1.4.2 पाठ्यक्रम संशोधन

पाठ्यक्रम संशोधन से हमारा तात्पर्य पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों में बदलाव से है। अतः वे अनुकूलन जिसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, वैचारिक कठिनाईयों आदि को बदला जाय पाठ्यक्रम संशोधन कहलाता है। पाठ्यक्रम संशोधन थ्वद्यार्थियो को शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर तो प्रदान करता हैं साथ ही शिक्षकों को आकलन एवं मूल्यांकन हेतु आँकलन तत्वों का सावधानी पूर्वक चयन करना अनिवार्य हो जाता है जिससे की छात्र सही प्रदर्शन कर सके। पाठ्यक्रम संशोधन में मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, परीक्षा एवं अन्य परियोजना कार्य में कमी की जाती है, जिससे कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे शिक्षण प्रशिक्षण या फिर सामान्य पाठ्यक्रम में शामिल हो सके। पाठ्यक्रम समायोजन एवं संशोधन को नीचे दिए गए अन्तर से सही प्रकार समझ सकते है।

1.16 पाठ्यक्रम अवयव	समायोजन	संशोधन
उद्देश्य	पाठ्यक्रम के उद्देश्य सबो के लिए बराबर होता है।	आवश्यकतानुसार उद्देश्य कम किया जाता है।
सामग्री	बराबर होता है।	आवश्यकतानुसार कम किया जाता है।
मुख्य अवधारणा	समान होता है।	बदला जाता है।
मुख्य बिन्दु	समान होता है।	बदला जाता है।
शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री एवं समय	बदला जाता है।	बदल भी सकते है या नहीं भी।
मूल्यांकन तत्व	समान होता है।	बदला जाता है।
मूल्यांकन प्रस्तुती या तरीका	बदला जाता है।	बदल भी सकते या नहीं भी।
मूल्यांकन समय	कम ज्यादा हो सकता है।	कम ज्यादा हो सकता है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र01 पाठ्यक्रम अनुकूलन केवल समायोजन और संशोधन के द्वारा नहीं किया जाता है। सही/गलत।

....

....

प्र02 पाठ्यक्रम समायोजन में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कम कर दिया जाता है। सही/गलत।

....

....

प्र03 पाठ्यक्रम संशोधन में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कम कर दिया जाता है। सही/गलत।

....

....

1.5 पाठ्यक्रम अनुकूलन के प्रकार

इस इकाई में मुख्य रूप से नौ प्रकार के अनुकूलन की चर्चा करेंगे। इनमें से किसी एक या एक से अधिक प्रकार के अनुकूल का प्रयोग एक समय पर किसी एक या सभी बच्चों के लिए किया जा सकता है। इन नौ अनुकूलन में से कुछ समायोजन के घटक है और कुछ संशोधन के। बच्चों के आवश्यकतानुसार कई बार हम समायोजन एवं संशोधन एक साथ भी करते है और अलग–अलग भी। पाठ्यक्रम में कौन सा अनुकूलन किया जाय यह कई बातों पर निर्भर करता है जिनमें से कुछ निम्नलिखित है –

- अनुकूलन का सामंजस्य व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना के साथ स्थापित होना चाहिए।
- अनुकूल करने के विचार से अनुकूलन नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों के आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना चाहिए।
- एक बौद्धिक अक्षम बच्चों को सभी नौ प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकतानुसार सबसे उचित एवं उपयोगी अनुकूलन करना चाहिए।
- बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चों के विभिन्नताओं को विभिन्न विधियों द्वारा प्रबंधन किया जाना चाहिए।
- किसी भी पाठ को पढ़ाते समय बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को उसका तरीका निकलना चाहिए।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हमें पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना चाहिएं। विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का वर्णन नीचे किया गया है –

1. निवेश – विभिन्न शैलियों से सीखने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न सामग्रियों के साथ कई अनुभव प्रदान करना चाहिए।

   उदाहरण – ज्यादा से ज्यादा वास्तविक वस्तु का प्रयोग करना। अब स्रव दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। शिक्षण प्रशिक्षण क्रिया कलाप पर आधारित हो।

2. शिक्षण परिणाम – शिक्षार्थी के आँकलन या मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य के लिए विकल्प प्रदान करके सीखने के परिणाम का आँकलन एवं मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

   उदाहरण – लिखित की जगह मौखिक परीक्षा ले सकते है। प्रश्नों के उत्तर का रिकार्डिंग करा सकते है। संचार पुस्तिका का प्रयोग कर सकते है।

3. शिक्षण सामग्री – बच्चों के आवश्यकतानुसार एवं सीखने के क्षमता अनुरूप शिक्षण सामग्री को कम किया जा सकता है या फिर कुछ अंश को हटाया जा सकता है जिससे की बच्चों की आवश्यकता पूर्ति हो सके।

   उदाहरण – पाठ में कठिन शब्द कम कर सकते हैं। विज्ञान या सामाजिक विज्ञान से संबंधित शब्दावली की संख्या कम कर सकते है।

4. समय – शिक्षार्थियों को प्रश्नों की संख्या या प्रकृति को कम करके दिया जा सकता है। उन्हें असाइनमेंट या परीक्षणों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

   उदाहरण – जरूरत के अनुसार किसी बच्चे को कम और किसी कौ ज्यादा समय काम पूरा करने के लिए दिया जा सकता है।

5. कठिनाई स्तर – थ्वद्यार्थियो के सीमाओं और कठिनाई स्तर को समझकर उनको अधिकतम सहयोग एवं सहायता प्रदान करने के लिए उचित सहायता करना चाहिए।

उदाहरण – विशेष बच्चों को गणित का सवाल करने के लिए केलकुलेटर दे सकते है। कार्य निर्देश को आसान बना सकते है।

6. भागीदारी – कक्षा में की गई गतिविधियों एवं क्रियाकलापों में सभी शिक्षार्थियों का सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए।

उदाहरण – जैसे हस्तकला या शिल्पकला में एक बच्चा बनाता है, दूसरा चिपकाता है, तीसरा रंग भरता है।

7. समर्थन का स्तर – थ्वद्यार्थियो को समर्थन उनके कठिनाईयों के स्तर पर निर्भर करता है। यदि थ्वद्यार्थियो के शारीरिक, संज्ञानात्मक या सवेंदी मुद्दों के संदर्भ में कठिनाई है तो उन्हीं मुद्दों में समर्थन करना चाहिए।

उदाहरण – जिन बच्चों को आवश्यकता है इन्हें समान उम्र या अलग उम्र के मित्र शिक्षक दे सकते है। पाठक प्रदान किया जा सकता है।

8. वैकल्पिक लक्ष्य – कई बार थ्वद्यार्थियो को सीखाने का लक्ष्य एवं उद्देश्य बदल दिए जाते है हालांकि शिक्षण सामग्री वही होता है। इसे हम कार्यात्मक पाठ्यक्रम भी कहते है।

उदाहरण – जैसे गणित में एक बच्चे की एक अंक का जोड़ दे सकते है तो दूसरे के दो अंकों का। जैसे सामाजिक विज्ञान में कम क्षमता वाले बच्चे को मानचित्र में राज्य दिखाने कहते है और अधिक क्षमता वाले को राज्य एवं राज्य के राजधानी दोनों।

9. पाठ्यक्रम का प्रतिस्थापना – इच्छित पाठ्यक्रम को एक आसान पाठ्यक्रम में बदल दिया जाता। ऐसा अक्सर विशेष विद्यालय में होता है।

उदाहरण – पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए समय सीमा व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार निश्चित किया जा सकता है। पाठ्य सीखाने की गति को आवश्यकतानुसार कम ज्यादा कर सकते है।

इस तरह शिक्षार्थियों के आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में एक या एक से अधिक प्रकार का अनुकूलन कर सकते है। यह अनुकूलन पाठ्यक्रम समायोजन हो सकता है या फिर पाठ्यक्रम संशोधन या फिर दोनों भी हो सकता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के क्षमता एवं आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम का अनुकूलन अति आवश्यक हो जाता है।

1.6 पाठ्यक्रम अनुकूलन के स्वरूप

पाठ्यक्रम अनुकूलन मुख्यतः विद्यार्थियो के आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों में विभेदन से है। इसमें पाठ्य उद्देश्य पाठ्य सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया, आँकलन, मूल्यांकन तथा भौतिक वातावरण में संशोधन किया जाता है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन मुख्यतः निम्न तरीकों से किया जाता है। प्रथम समायोजन करके तथा द्वितीय संशोधन करके या फिर समायोजन एवं संशोधन दोनों के द्वारा। समायोजन में पाठ्यक्रम के किसी भी घटक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसमें शिक्षण पद्धति, शिक्षण सहायक सामग्री या फिर मूल्यांकन में बच्चों को अपने ज्ञान प्रस्तुत करने का स्वरूप बदला जाता है।

इससे बच्चों की भागीदारी बढ़ जाती है। जबकि संशोधन में बच्चों के आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्य सामग्री या फिर सीखने के स्तर को कम कर दिया जाता है। कई बार विद्यार्थियों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम के कुछ घटक में समायोजन और कुछ में संशोधन किया जाता है जिससे वे शिक्षार्थी के भागीदारी हो सके। अनुकूलन के इन दोनों स्वरूपों के द्वारा ही पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जाता है। अनुकूलन के इन दोनों स्वरूपों के विभिन्न प्रकार की चर्चा इसी इकाई में ऊपर किया जा चुका है।

1.7 अनुकूलन के चरण

पाठ्यक्रम के अनुकूलन की आवश्यकता जहाँ कहीं भी होता है वह विषय विशेषज्ञ, कक्षा शिक्षण एवं संसाधन शिक्षक के समूह द्वारा सहयोगात्मक तरीके से किया जाता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है।

- सामान्य कक्षा की गतिविधियों के दौरान बच्चे के व्यक्तिगत शैक्षिक उद्देश्यों पर जोर देना।
- छात्र के प्रदर्शन की अपेक्षाओं को स्पष्ट करें।
- उस शिक्षण सामग्री को निर्धारित करें जिसे सिखाने की आवश्यकता है।
- निर्धारित करें कि कैसें पढ़ाया जाय।

अर्थात यदि संशोधन के बिना विशेष छात्र सक्रिय रूप से भाग ले सकता है और सामान्य सहपाठियों के समान आवश्यक परिणाम प्राप्त कर सकता है तो अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। यदि विशेष छात्र समान परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता है, तो निम्नलिखित अनुसार उपयुक्त अनुकूलन करने की आवश्यकता है।

- इस तरह के निर्देश की संरचना का चयन करें जिससे की बौद्धिक अक्षम बच्चों के कक्षा की गतिविधियों में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके।
- पाठ के प्रारूप को बदलकर अर्थात गतिविधि पाठ बनाकर बच्चों की भागीदारी बढ़ा सकते है।
- कक्षा में शिक्षार्थियों के अनुरूप आवश्यक विशिष्ट शिक्षण रणनीतियों का चयन करें।
- संशोधित शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करें।
- कसा में उपलब्ध संसाधन का पता करना।
- कक्षा के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करना।

यदि उपर्युक्त रणनीतियाँ प्रभावी नहीं होता है तो वैकल्पिक क्रिया कलाप तैयार करना चाहिए एवं उसी आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए।

अनुकूलन को व्यक्तिगत शिक्षा योजना के साथ सह संबंध करना महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन सिर्फ अनुकूलन करने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियो के पहचाने गए जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा में अनुकूलन आंशिक भागीदारी के सिद्धान्त पर किया जाता है, यानी एक ही गतिविधि के भीतर अलग–अलग उद्देश्यों के साथ छात्र अन्य सभी थ्वद्यार्थियो के साथ काम करता है।

1.8 पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकताएँ

दिव्यांगता व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू0एन0सी0आर0पी0डी0), 2006 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिणाम स्वरूप कक्षाओं की संरचना बदल रही है, कक्षाओं के अलग–अलग स्तर वाले विद्यार्थियो को न तो एक तरीके से पढ़ाया जा सकता है और न ही पढ़ाना चाहिए। अनुकूलन के बिना कक्षा के कुछ विद्यार्थियो को उनके क्षमतानुसार प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाता है साथ ही कुछ बच्चे कभी भी सफलता का अनुभव नहीं कर सकते है। पाठ्यक्रम अनुकूलन में कक्षा के प्रभावी शिक्षण भी शामिल है जो दिव्यांगता बच्चों के साथ–साथ कक्षा के अन्य बच्चों के भी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि प्रभावी अनुकूलन कक्षा में बच्चों के शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों भागीदारी को सुगम बनाता है। अनुकूलन माता–पिता एवं शिक्षकों के साझा सहभागिता को भी बढ़ाता है जिससे कि दोनों मिलकर एक साथ काम कर सके, कार्यान्वयन कर सके तथा मिलकर मूल्यांकन कर सके। पाठ्यक्रम अनुकूलन मुख्य धारा के कक्षा के विभिन्न कठिनाईयों वाले बच्चे को शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन पाठ्यक्रम को सरल बनाने के साथ–साथ पाठ्य सामग्री को कम करने के लिए किया जाता है जिससे कि कठिनाईयों वाले शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक का आत्म साध्य कर सकें। पाठ्यक्रम अनुकूलन सभी थ्वद्यार्थियो को सार्थक एवं गुणपरक सीखने का अनुभव प्रदान करने में मदद करता है। ऐसी स्थिति में जब विभिन्न कठिनाईयों वाले छात्र भी पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को समझने लगते है तो वे अपने आप को अपवर्जित नहीं समझते है। इस तरह हम देखते है कि पाठ्यक्रम अनुकूलन से सभी बच्चों को लाभ पहुँचने के साथ–साथ माता–पिता एवं शिक्षकों के भागीदारी को भी बढ़ाता है। यह थ्वद्यार्थियो के शैक्षिक सहभागिता के साथ–साथ उनके सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ाता है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के संदर्भ में यदि देखा जाय तो, इनके बौद्धिक अक्षमता के स्तर में काफी विभिन्नता होती है साथ ही बौद्धिक अक्षम बच्चों के कार्यात्मक क्षमता में काफी भिन्नता पाई जाती है। अतः इन भिन्नताओं के कारण पाठ्यक्रम का अनुकूलन आवश्यक हो जाता है जिससे की बच्चों की क्षमता एवं आवश्यकता के अनुरूप उन्हें सहायता या सीखने का अवसर प्रदान किया जा सके जिससे कि वे अपने क्षमता का पूर्ण विकास कर सके। पाठ्यक्रम अनुकूलन इन बच्चों को उनके अपने स्तर पर क्रिया कलाप में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी कक्षा में यदि स्लाद् बनाना सिखाना है तो सभी बच्चे सैलेड बनाने से संबंधित सभी कार्य नहीं करेंगे, बल्कि कुछ बच्चे सैलेड बनाने के समान की सफाई करेंगे, कुछ छीलने का काम करेंगे, कुछ काटने का काम करेंगे और फिर कुछ बच्चे उसे मिलाकर लगाने का काम करेंगे। इस तरह सभी बच्चों की भागीदारी क्रियाकलाप में सुनिश्चित किया जा सकता है।

1.9 पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धान्त

पाठ्यक्रम का अनुकूलन करते समय कुछ दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अति आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित है।

- चूँकि अनुकूलन का उद्देश्य सभी शिक्षर्थियों को कुछ सीखने का अवसर प्रदान करना है। अतः अनुकूलन करते समय पाठ्यक्रम के मूल अवधारणा को नहीं बदलना चाहिए।
- अनुकूलन करते समय प्रतिपूरक गतिविधियों की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि बच्चों को नियमित कक्षाओं में सिखाई गई अवधारणाओं की समग्र

तस्वीर मिल सके साथ ही समान अनुभव प्राप्त कर सके। इसमें निर्देशात्मक सामग्री का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों के लिए समान रहना चाहिए।

- पाठ्य सामग्री का समायोजन या संशोधन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की कठिनाईयों को कम करने के साथ–साथ उनके अधिकतम भागीदारी भी सुनिश्चित करने का होना चाहिए।
- पाठ्यक्रम का अनुकूलन सिर्फ अनुकूलन करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए।
- पाठ्यक्रम का अनुकूलन करते समय बच्चों की दिव्यांगताताओं एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने को ध्यान में रखना चाहिए।
- पाठ्यक्रम अनुकूलन में अधिक से अधिक समायोजन करने की कोशिश होनी चाहिए। समयोजन से यदि बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती हो तभी संशोधन करना चाहिए।
- पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी शिक्षार्थियों के लिए निर्देशात्मक सामग्री का उद्देश्य समान रहें।

पाठ्यक्रम का अनुकूलन करते समय इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना अति आवश्यक हो जाता है।

1.10 दिव्यांगता विशिष्ट अनुकूलन

किसी पाठ्यक्रम का अनुकूलन हम बच्चों के आवश्यकता अनुरूप करते है। यदि कक्षा में विशेष बच्चे मौजूद है तो अनुकूलन दिव्यांगताता के श्रेणी के अनुरूप होता है। प्रत्येक श्रेणी के दिव्यांगता बच्चों के कुछ विशिष्ट आवश्यकताएँ होंती है, जिसकी पूर्ति हम उस दिव्यांगताता के अनुसार अनुकूलन करने के उपरान्त ही कर सकते है। उदाहरण स्वरूप यदि कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे मौजूद है तो हमें शिक्षण सामग्री ब्रेल में उपलबध कराना चाहिए, स्पर्शित या उभरा हुआ, गंध तथा स्वाद वाले वस्तु, टेक्टाइल ग्राफ, इलेक्ट्रानिक पाठ, ऑडियो पाठ आदि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। किन्तु यदि कक्षा में श्रवणबाधित बच्चा है तो वास्तविक वस्तुओं, साइन लैंगवेज, लिप रिडिंग, चित्रों का उपयोग, दृष्टिशब्द, शब्दों के फ्लैश कार्ड, मुख्य बिन्दु लिखा हुआ बोर्ड या चार्ट, प्रर्वधन एवं सहायक उपकरण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते है। इस तरह विभिन्न दिव्यांगता विशिष्ट अनुकूलन हम दिव्यांगता के श्रेणी के आधार पर कर सकते है। किन्तु यह स्थिति समावेशी कक्षा में संभव नहीं हो पाता है। जब एक ही समावेशी कक्षा में समान बच्चों के साथ–साथ अन्य दिव्यांगताओं वाले बच्चे भी यदि मौजूद है तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक रचना को अपनाते है जिससे की सभी बच्चों को लाभ पहुँच सके। सीखने के सार्वभौमिक रचना में इस बात पर बल दिया जाता है कि समावेशी कक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटकों का अनुकूलन (समायोजन या संशोधन) इस प्रकार से किया जाय जिससे कि सभी शिक्षार्थी लाभान्वित हो सके। उदाहरण स्वरूप यदि वास्तविक वस्तुओं को सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग करने से सभी बच्चे को समझने में आसानी होगा। उसी तरह यदि शिक्षण सामग्री लिखित के साथ–साथ ऑडियो में प्रस्तुत किया जाता है तो भी सभी के लिए लाभदायक होगा। इस तरह हम सभी घटकों का अनुकूलन आवश्यकतानुसार करें जिससे की सभी बच्चों को लाभ पहुँचे। निम्न अनुकूलन सभी के लिए उपयोगी हैं।

- वातावरण अनुकूलन ।
- बैठने की व्यवस्था ध्यान भटकाने वाली नहीं हो।
- स्पष्ट एवं विशिष्ट निर्देश ।
- समूह गतिविधियों एवं सहकर्मी सहायता।
- छोटे समूह या व्यक्तिगत शिक्षा।
- काम तथा आँकलन के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान।
- प्रौद्योगिक का प्रयोग एवं
- लचीला मूल्यांकन व्यवस्था।

1.11 बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम अनुकूलन

चूँकि बौद्धिक अक्षमता, संवेदी दिव्यांगताता से काफी भिन्न है। संवेदी विकलांग बच्चों के सोचने समझने या फिर बौद्धिक स्तर समान बच्चों के जैसा होता है, जबकि बौद्धिक अक्षम बच्चों के सोचने समझने यानी बौद्धिक स्तर सामान्य बच्चों से कम होता है। अतः इन बच्चों के पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय इस बात पर विशेष रूप से बल दिया जाता है कि अनुकूलन (समायोजन या संशोधन) इस प्रकार कया जाय कि इन बच्चों को पाठ्यक्रम समझने में आसानी हो साथ ही बहु संवेदी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है जिससे की ज्यादा से ज्यादा सूचनाएँ बच्चों तक पहुँच सके। इस तरह से हम देख रहे है कि अन्य संवदी दिव्यांगता बच्चों के तथा बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम अनुकूलन में भिन्नता पाई जाती है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए हम वास्तविक, वस्तुएँ, चित्र, दृष्टिशब्द, फ्लैश कार्ड, अनुकूलित वर्कशीट, स्पर्श सामग्री, रंग कोडिंग, मॉडल, वास्तविक जीवन के अनुभव, व्यवहारिक कार्य आदि का उपयोग कर सकते है। बौद्धिक बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय निम्न बातों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है।

- एक समय पर एक ही अवधारणा सिखाए जाना चाहिए।
- एक समय पर एक ही चरण सिखाने का प्रावधान हो।
- कार्य विश्लेषण का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- बच्चों को अभ्यास करने का प्रावधान हो।
- विभिन्न प्रकार के सहायता जैसे शारीरिक सहायता, शाब्दिक सहायता आदि का प्रावधान है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों को सीखाने में पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है।
- छोटे समूह निर्देश का प्रावधान हो।
- व्यक्तिगत निर्देश का भी अवसर आवश्यक हैं

इन सभी के अलावा ऊपर वर्णित अनुकूल जो सभी के लिए उपयोगी है वह सभी अनुकूलन बौद्धिक अक्षम बच्चों क लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन में सहायक है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र04 पाठ्यक्रम अनुकूलन नौ प्रकार से किया जा सकता है। सही/गलत

....

....

प्र05 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा ब्रैल में परीक्षा लिखना संशोधन का उदाहरण है सही/गलत

....

....

प्र06 प्रतिस्थापना प्रकार का पाठ्यक्रम अनुकूलन मुख्यतः विशेष विद्यालयों में किया जाता है। सही/गलत

....

....

1.12 सारांश

वर्तमान में हमारे देश के विभिन्न शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा के बढ़ावे पर बल देता है। अतः ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम अनुकूलन आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को सभी श्वद्यार्थियो के लिए शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने के साधन के रूप में प्रस्तावित किया। अतः ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम का अनुकूलन आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन से हमारा तात्पर्य पाठ्यक्रम के सभी घटकों में किए जाने वाले समायोजन तथा संशोधन से है, जो सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन मुख्यतः समायोजन एवं संशोधन के द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन नौ प्रकार से किया जाता है जिनमें से प्रतिस्थापन प्रकार का प्रयोग मुख्य रूप से विशेष विद्यालयों में किया जाता है। अलग–अलग श्रेणियों के दिव्यांगता बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनुकूलन भी अलग–अलग होता है। अनुकूलन के कुछ पहलू ऐसे भी होते है जो सभी के लिए समान होता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए किये गये पाठ्यक्रम अनुकूलन से सभी अन्य दिव्यांगता बच्चों के साथ–साथ समान बच्चे भी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते है।

1.13 शब्दावली

पाठ्यक्रम अनुकूलन – अनुकूलन समायोजया और/या संशोधन है जो सभी बच्चों को पाठ्यक्रम तक पहुँचने का अवसर प्रदान करता है।

पाठ्यक्रम समायोजन – समायोजन मुख्य रूप से निर्देशात्मक सामग्रियों के वितरण या फिर शिक्षार्थियों के प्रदशर्न के तरीकों को संदर्भित करता है। इसमें पाठ्य सामग्री या बौद्धिक कठिनाईयों को नहीं बदला जाता है।

पाठ्यक्रम संशोधन – पाठ्यक्रम संशोधन में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठय सामग्री, वैचरिक कठिनाइयों आदि को बदला जाता है।

1.14 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 पाठ्यक्रम अनुकूलन केवल समायोजन और संशोधन के द्वारा नहीं किया जाता है। सही/गलत।

उत्तर–1 गलत।

प्रश्न–2 पाठ्यक्रम समायोजन में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कम कर दिया जाता है। सही/गलत।

उत्तर–2 गलत।

प्रश्न–3 पाठ्यक्रम संशोधन में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कम कर दिया जाता है। सही/गलत।

उत्तर–3 सही।

प्रश्न–4 पाठ्यक्रम अनुकूलन नौ प्रकार से किया जा सकता है। सही/गलत

उत्तर–4 सही

प्रश्न–5 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा ब्रैल में परीक्षा लिखना संशोधन का उदाहरण है सही/गलत

उत्तर–5 गलत

प्रश्न–6 प्रतिस्थापना प्रकार का पाठ्यक्रम अनुकूलन मुख्यतः विशेष विद्यालयों में किया जाता है। सही/गलत

उत्तर–6 सही।

1.15 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 पाठ्यक्रम अनुकूलन की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न–2 पाठ्यक्रम समायोजन एवं पाठ्यक्रम संशोधन के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न–3 पाठ्यक्रम अनुकूलन के आवश्यकताओं को लिखिए।

प्रश्न–4 पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न–5 पाठ्यक्रम अनुकूलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–6 पाठ्यक्रम अनुकूलन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।

1.16 संदर्भ ग्रन्थ

- गुहा.ए. (2016) पाठ्यक्रम अनुकूलन और अनुकूलन के प्रकार, व्याख्यान नोट्स/पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, इन्टरनेशनल वर्कशॉप ऑन इन्क्लूसिव एजुकेशन शॉर्ट ट्रेनिंग इनिशिएटिव, दिसम्बर 2016, रॉंची झारखण्ड।

- बीच, एम. (2020) समायोजन : दिव्यांगता थ्वद्यार्थियो के सहायता (तीसरा संस्करण) टलाहासी, एम एल : असाधारण शिक्षा और छात्र सेवा ब्यूरो, फ्लोरिडा शिक्षा विभाग।

- डी. वरोई. ए (2016, समावेशी शिक्षा, व्याखान नोट्स/पावर प्वाइंट प्रस्तुति, समावेशी शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, लघु प्रशिक्षण पहल, दिसम्बर 2016, रांची झारखंड।

- राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगता संस्थान (2003), बहरे एवं अन्धेपन बच्चों की शिक्षा।

- कोगा.एन. एक एवं हॉल.टी. (2004) पाठ्यक्रम संशोधन वेकफील्ड, एम एः नेशनल सेन्टर ऑन एक्सेसिंग द जनरल करिकुलम।

- मैक. मैकिन, एम0सी0 एवं ऐलेन. एम. बी. (1997) फोकस में बदलाव : एक समावेशी प्राथमिक स्कूल कक्षा के भीतर विविध शिक्षर्थियों को पढ़ाना। शिक्षा में समानता एवं उत्कृष्टता।

- बॉस0सी0एस0 एवं वैगु0 एस0 (1994) स्ट्राटजी फॉर टिचिंग स्टुडेन्ट्स विद लर्निंग एण्ड विहेवियर प्रोबलैम्स, एलिन एवं ब्रेकन, बोस्टन।

- मायरेड्डी वी0 एवं नारायण जे0 (1998) फंक्सनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्ट विद माइल्ड मेन्टल रिटार्डेशन, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।

- वोवरटन टी0 (1992) एसेसेमेन्ट इन स्पेशल एजुकेशन एन अप्लाइड एप्रोच, मैकमिलन न्यूयार्क।

- नारायण, जे0 एवं कुट्टी ए0टी0टी0 (1989) हेन्डबुक फॉर ट्रेनर्स ऑफ द मेन्टली रिटार्डेड प्रसंस प्री प्राइमरी लेवेल, एन0आई0एन0एच0 सिकन्दराबाद।

- डॉल, आर0सी0 (1986), करिकुलम इमप्रुवमेंट : डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रोसेस बोस्टन : एलेन एण्ड बेकन।

- मुरूनालनी, टी (2008) करिकुलम डवलमेंट हैदराबाद नीलकमल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड।

- कैर, जॉन एफ0 (ed.) (1977) चेजिंग द करिकुलम, लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन प्रेस लिमिटेड।

इकाई–11

पूर्व शैक्षणिक पाठ्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम के लिए अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

संरचना–

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम

2.4 पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम के अनुकूलन समायोजन एवं संशोधन

2.5 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम

2.6 शैक्षिक पाठ्यक्रम के अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

2.7 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए सह पाठ्यक्रम

2.8 सह पाठ्यक्रम के अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

2.9 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन के प्रभाव

2.10 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का सार्वभौमिक स्वरूप (डिजाइन)

2.11 सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के सिद्धान्त

2.12 सारांश

2.13 शब्द सूची

2.14 बोध प्रश्न एवं उत्तर

2.15 अभ्यास प्रश्न

2.16 संदर्भ ग्रन्थ

2.1 प्रस्तावना

शिक्षा का लक्ष्य सभी बच्चों के लिए समान होता है, बशर्ते ये लक्ष्य प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित एवं सुव्यवस्थित हों। हम सभी शिक्षक यह भी जानते है कि विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के सीखने में भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुकूलन आवश्यक हैं। पाठ्यक्रम का समायोजन एवं संशोधन छात्रों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम अनुकूलन एक सतत प्रक्रिया है जो बौद्धिक अक्षम बच्चों के सीखने की कठिनाईयों के साथ–साथ छात्रों के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके तहत पाठ्य सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया,

ऑंकलन, मूल्यांकन एवं भौतिक वातावरण को संशोधित या अनुकूलित किया जाता है जिससे की गति विधियों को लचीला बनाया जा सके।

बच्चों के जन्मजात क्षमताएं होती है, जो उनके साथ ही पैदा होता है। कई अनुसंधान ने यह दिखाया है कि मस्तिष्क का अधिकतम विकास जन्म से छह साल की उम्र से पहले होता है। इसलिए भाषा, भावनाओं एवं संवेदी धारणा का विकास इन वर्षों में तीव्र गति से होता है। शुरूआती वर्षों में जबरदस्त विकास के बावजूद बच्चों की अपनी सीमाएँ होती है और खासकर तब जब बच्चे बौद्धिक अक्षम हो। इन बच्चों को अमूर्त और अज्ञात को समझना एवं याद करना बहुत मुश्किल लगता है। चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों की क्षमताएं सीमित होती है। अतः इन्हें पूर्व शैक्षिक कौशल सीखने में काफी कठिनाई होती है। इसीलिए बौद्धिक अक्षम बच्चों को शैक्षिक पूर्व कौशल सीखाने के लिए बच्चों के क्षमता एवं आवश्यकतानुसार इनका समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन करना आवश्यक हो जाता है जिससे की बौद्धिक अक्षम बच्चे अपने क्षमता के अनुसार सीख सके एवं प्रदर्शन कर सके।

2.2 उद्‌देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप अवगत हो सकेंगे –

- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पूर्व शैक्षिक पाठ्‌यक्रम के अनुकूलन की आवश्यकताओं को स्पष्ट सकेंगे।
- पूर्व शैक्षिक पाठ्‌यक्रम का अनुकूलन कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्‌यक्रम का समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन कर सकेंगे।
- बौद्धिका अक्षम बच्चों के लिए सह पाठ्‌यक्रम का अनुकूलन कर सकेंगें।
- समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन के महत्त की व्याख्या कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्‌यक्रम के सार्वभौमिक स्वरूप को वर्णन कर सकेंगे।

2.3 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पूर्व शैक्षिक पाठ्‌यक्रम

बौद्धिक अक्षमता के कारण इन बच्चों का विकास काफी धीमी होती है जो इनके शैक्षिक एवं अनुकूलित व्यवहार में परिलक्षित होता है। पूर्व शैक्षिक पाठ्‌यक्रम समानतया तीन से छः वर्षों के बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। यह उम्र बच्चों के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। पूर्व शैक्षिक पाठ्‌यक्रम में मुख्य रूप से स्वालंबन, भाषा सम्प्रेषण, सामाजिक, पाठ्‌नपूर्व, लेखन पूर्व एवं पूर्व गणीतीय शिक्षण कर बल दिया जाता है। समान बच्चों के तुलना में बौद्धिक अक्षम बच्चों के सीखने की क्षमता कम होती है। साथ ही अक्षमता के स्तर के अनुसार इनके आवश्यकताओं में भी काफी विभिन्नताएं पाई जाती है। अतः इनको अपने आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप सीखने में सहयोग प्रदान करने हेतु पूर्व शैक्षिक पाठ्‌यक्रम का समायोजन संशोधन एवं अनुकूलन करना आवश्यक हो जाता है जिससे कि बौद्धिक अक्षम बच्चे अपने क्षमता अनुरूप, अपने आवश्यकतानुसार क्रिया कलाप सिख सके। पूर्व शैक्षिक पाठ्‌यक्रम सभी बच्चों के लिए भविष्य के शिक्षा एवं विकास के लिए नींव का काम करता है। अतः इस अवस्था में बच्चों के सर्वागीण विकास हेतु यथा संभव प्रयास करना जरूरी है जिससे कि उन्हें सीखने का सबसे अच्छा अवसर मिल सके

और उनका अधिकतम सर्वांगीण विकास हो सके। पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम को कई क्षेत्रों में बाँटा गया है। इन सभी क्षेत्रों के क्रिया कलापों का अनुकूलन बच्चों के उम्र, क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुरूप करना आवश्यक हो जाता है। इन सभी क्षेत्रों के क्रिया कलापों का समायोजन, संशोधन तथा अनुकूलन बच्चों के रूचि एवं क्षमता के अनुसार अलग–अलग हो सकता है।

2.4 पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम का अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

सभी बच्चें अपने आप में विशिष्ट होता है। बौद्धिक अक्षम बच्चे सामान्य बच्चों से कई कारणों में भिन्न होते है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों के बुद्धिलब्धि (सत्तर) से कम होता है चूँकि इन बच्चों के अनुकूलित व्यवहार में कमी पाई जाती है। अतः इन बच्चों को कोई भी क्रिया कलाप विशेष सामग्रियों का प्रयोग कर विशेष विधियों द्वारा सिखाया जाता है। पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को पूर्व शैक्षिक क्रिया कलापों को सिखाया जाता है। पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम में वास्तविक शिक्षण शुरू करने से पहले के क्रिया कलापों को शामिल किया जाता है। इस स्तर पर मूलभूत शैक्षणिक कौशलों का विकास किया जाता है जो बौद्धिक अक्षम बच्चों को भविष्य में शैक्षणिक कौशल सिखने में मदद करता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पूर्व शैक्षणिक पाठ्य क्रम सिखाने के लिए पूर्व शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संशोधन, समायोजन तथा अनुकूलन करना आवश्यक होता है। अनुकूलन बच्चों को सीखने वाले पाठ्यक्रमों में परिवर्तन नही करता है, बल्कि पाठ्यक्रम अनुकूलन सभी छात्रों को सीखने का समान अवसर प्रदान करता है। पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम का अनुकूलन समायोजन या संशोधन के द्वारा किया जाता है। समायोजन में मुख्यतः पाठ्यक्रम के विभिन्न क्रिया कलापों को प्रस्तुत करने के तरीके में परिवर्तन किया जाता है। जिससे कि सभी बच्चों को क्रिया कलापों को पूरा करने का समान अवसर प्रदान करता है। पाठ्य क्रम संशोधन में पाठ्य सामग्री या पाठ्य उद्देश्यों में कमी की जाती है जिससे कि बौद्धिक अक्षम बच्चें भी पाठ्यक्रम के उन क्रियाकलापों को एक सीमित स्तर तक सीख सके।

पूर्व शैक्षणिक स्तर के पाठ्यक्रम का समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन पूर्व प्राथमिक स्तर पर कक्षा के सभी बौद्धिक अक्षम करता है। पूर्व शैक्षणिक पाठ्यक्रम का समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन करने के लिए निम्नलिखित में परिवर्तन किया जा सकता है।

- सीखाने के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में
- शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण विधियों में
- शिक्षण कार्य एवं शिक्षण प्रक्रिया में
- निर्देशात्मक व्यवस्था में तथा
- व्यक्तिगत सहायता में

उपरलिखित में से किसी एक या सभी में परिवर्तन कर पाठ्यक्रम समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन किया जा सकता है।

पूर्व शैक्षणिक पाठ्यक्रम का समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन करते समय निम्नलिखित पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए –

- बौद्धिक अक्षम बच्चों को छोटे समूह में काम करने का अवसर दें।
- उच्च कार्य क्षमता वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों को कम कार्य क्षमता वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों को सहायता देने के लिए जोड़ा बनाना चाहिए।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्य करने के सुविधानुसार बैठने का अवसर प्रदान रकें जिससे उसे क्रिया कलाप करने में आसानी हो। उदाहरण के तौर पर एक मस्तिष्क पक्षाघात बौद्धिक अक्षम बच्चों को उनके लिए बने विशेष प्रकार के कुर्सी पर बैठकर कार्य करने का अवसर प्रदान करें।
- संवेदनशील छात्रों को कक्षा के शांत स्थान पर कार्य करने का अवसर प्रदान करें।
- आसानी से विचलित होने वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों को बोर्ड के करीब या शिक्षक के पास बैठकर काम करने का अवसर दें।
- पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए अधिक से अधिक दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।
- अतिरिक्त आवश्कता वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मॉडल प्रदान करें।
- पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकात्मक अभ्यावेदन के बजाय अधिक से अधिक ठोस सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।
- उपलब्ध तकनीकियों जैसे स्मार्ट बोर्ड, स्ट्रीमिंग विडियो आदि का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए।
- सक्रिय प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता वाले तरीकों का उपयोग करके यह लगातार जाँचते रहना चाहिए कि बच्चे सीखाए जा रहे क्रिया कलाप सीख रहा है या नहीं।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों को उनके सीखने के स्तर और / या हितों के आधार पर विभेदित शिक्षण सामग्री प्रदान करना चाहिए।
- छात्रों को मौखिक निर्देश देने के बजाय सचित्र या ऑडियो रिकार्ड किए गए कार्य चरणों का पालन करना चाहिए।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों को लिखने के बजाय चार्ट को पूरा करके या रूप रेखा तैयार करके सामग्री को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के क्षमता के अनुसार उनके सीखाए जाने वाले घटकों को आवश्यकतनुसार अतिरिक्त शारीरिक, शब्दिक एवं सांकेतिक आदि) सहयोग देना चाहिए।
- बच्चों को खड़ा होकर या फिर बैठकर इच्छानुसार कार्य करने का अवसर देना चाहिए।
- आवश्यकतानुसार छात्रों को कार्य पूरा करने हेतु अतिरिक्त समय देना चाहिए।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों को कैलकुलेटर या अन्य सहायक उपकरण का प्रयोग करने की छूट देनी चाहिए।

- बौद्धिक अक्षम छात्रों को कार्य को छोटे–छोटे टुकड़ों में बॉट कर सिखाना चाहिए।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों को सिखाने के लिए मित्र शिक्षक या फिर कोपरेटिव लर्निंग का प्रयोग किया जा सकता है।
- अधिक से अधिक पुनर्वलन का प्रयोग करना चाहिए।
- इस स्तर पर अधिकतर मूर्त पुनर्वलन का प्रयोग करना चाहिए।
- बच्चों के अभ्यास के लिए कम्प्यूटर सहयित/असिस्टेंड अनुदेश का प्रयोग किया जा सकता है।
- किसी भी क्रियाकलाप में विभिन्न स्तर के बौद्धिक अक्षम छात्रों के कार्यक्रम में अलग–अलग स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित कर सकते है।

ऊपर वर्णित कुछ या सभी बिन्दुओं को शामिल करके बौद्धिक अक्षम छात्रों के पूर्व शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन किया जा सकता है जिससे कि विभिन्न स्तर के बौद्धिक बच्चे शिक्षण प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकेगा।

2.5 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम

इस इकाई के उपइकाई 2.3 में इस बात की चर्चा की गई है कि बौद्धिक अक्षम बच्चे विकासात्मक दृष्टिकोण से सामान्य बच्चे से काफी पीछे होते है। इन बच्चों के सोचने समझने की क्षमता भी अपने उम्र के बच्चे से कम होता है। अतः इन बच्चों के लिए सामान्य विद्यालय में समान्य पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल होता है। इन बच्चों के सीमित क्षमता एवं उनके सीमाओं के करण बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए कार्यात्मक शैक्षिक पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। कार्यात्मक शैक्षिक पाठ्यक्रम से तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसका प्रयोग बच्चे अपने दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, यानी जिसके बिना जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। उदाहरण स्वरूप गिनती करना, पढ़ना, पैसे का लेन–देन करना आदि।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के इन कार्यात्मक शैक्षिक पाठ्यक्रम को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है –

- कार्यात्मक पठन
- व्यावसायिक लेखन एवं
- कार्यात्मक गणित

कार्यात्मक पठन से तात्पर्य छात्रों के उन प्रतिक्रिया से है जो किसी मुद्रित शब्दों के पढ़ने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। पोलीवे एवं पेटन (1993) के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक समायोजन एवं समाज में सफल सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पढ़ना एक कुंजी का काम करता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्यात्मक पठन के अन्तर्गत अपना एवं परिवार के अन्य सदस्यों का नाम पढना, घर एवं स्कूल का पता पढ़ना, कार्यात्मक शब्दों एवं निर्देशों का पढ़ना आदि सिखाया जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के उम्र बौद्धिक स्तर एवं क्षमता के अनुसार कार्यात्मक पठन से संबंधित पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है जिससे भी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

कार्यात्मक लेखन से तात्पर्य ऐसे लेखन से है जिसके द्वारा बौद्धिक अक्षम बच्चे अपने दैनिक क्रिया कलाप को पूरा करने के लिए संचार कर सके। संचार के विभिन्न माध्यमों में से यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यात्मक लेखन के अन्तर्गत बौद्धिक अक्षम बच्चों को अपना एवं परिवार के अन्य सदस्यों का नाम लिखना, घर एवं स्कूल का पता लिखना, कार्यात्मक शब्दों को लिखना आदि सिखाया जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के उम्र, बौद्धिक स्तर, सीखने की क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार कार्यात्मक लेखन से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है।

कार्यात्मक गणित से हमारा तात्पर्य ऐसे गणितीय कौशल से है जिनका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के क्रिया कलाप में अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। उदाहरण के तौर पर गिनती करना, पैसे का लेन देन करना, लीटर, मीटर या किलोग्राम में मापना, समय देखना आदि। बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्यात्मक गणितीय कौशल सिखाते समय उनका उम्र, बौद्धिक स्तर, कार्यात्मक स्तर, कौशल की उपयोगिता आदि का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कार्यात्मक गणितीय कौशल के अन्तर्गत इन बच्चों को गिनती लिखना, करना, समय बताना, लीटर, मीटर, किलोग्राम आदि में मापना, पैसे के पहचान एवं लेन देन करना, जमा, घटाव, आदि करना सिखाया जा सकता है। सामान्य स्कूल में इन बच्चों को लिखना, पढ़ना या गणितीय शिक्षा देने से पूर्व सामान्य पाठ्यक्रम का समायोजन या संशोधन करना आवश्यक हो जाता है जिससे की पाठ्यक्रम इन बच्चों के क्षमता एवं आवश्यकतानुसार हो सके।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र01 फलों का पहचान करना एक पूर्व शैक्षिक क्रियाकलाप है। सही/गलत।

....

....

प्र02 विद्यार्थियों को सीखाने के लिए शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना कहलाता है। समायोजन/संशोधन

....

....

प्र03 बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्यात्मक गणित सीखाते है। सही/गलत

....

....

2.6 शैक्षिक पाठ्यक्रम के अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

विशेष शिक्षक के रूप में आपको विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके उम्र, सीमित क्षमता एवं कार्यात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना पड़ेगा, जिससे विद्यार्थियों के सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन आप समायोजन या संशोधन या फिर दोनों के प्रयोग करके कर

सकते है। विशिष्ट दिव्यांग छात्रों के लिए अलग–अलग तरह से पाठ्यक्रम का समायोजन या संशोधन किया जाता है। इस भाग में हम बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम के अनुकूलन समायोजन या संशोधन या फिर दोनों के प्रयोग से कर सकते है। शैक्षिक पाठ्यक्रम के अनुकूलन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है।

पाठ्यक्रम के घटक	समायोजन	संशोधन
पाठ्यक्रम के उद्देश्य	उद्देश्य को छोटे–छोटे घटकों में बाँटकर उसे प्राप्त करना	उद्देश्यों को कम या छोटा कर देना
विषय वस्तु	विषय वस्तु को आसान बनाना	विषय वस्तु की संख्या या मात्रा कम कर देना
विषय वस्तु के क्षेत्र	विषय वस्तु के सभी क्षेत्र से विषय वस्तु को आसान तरीके से सीखना	विषय वस्तु के कुछ ही क्षेत्र को लेना या फिर कुछ क्षेत्र को छोड़ देना।

इस तरह हमने देखा कि पाठ्यक्रम का अनुकूलन समायोजन या संशोधन या फिर दोनों के प्रयोग करके किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन मुख्यतः तीन तरह से किया जा सकता है –

1. पाठ्यक्रम के कुछ अंश या भाग को छोड़कर या लोप करके।
2. पाठ्यक्रम के कुछ अंश या भाग को बदल या प्रतिस्थापन करके।
3. पाठ्यक्रम के कुछ अंश या भाग का विस्तार या प्रसरण करके।

लोप : पाठ्यक्रम से किसी खास क्षेत्रों या विषय वस्तु को हटाना लोप कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हमारे देश में शिक्षा में तीन भाषा की नीति है अर्थात एक भाषा जिस माध्यम में बच्चों को शिक्षा मिलती है, इसके अलावा दूसरी एवं तीसरी भाषा पढ़ना पड़ता है। किन्तु श्रवण बाधितार्थ छात्रों को भाषा सिखने या पढ़ने में कठिनाई होती है। अतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इन बच्चों को एक भाषा छोड़ने की अनमुति दी गई है। ऐसे बच्चों को तीसरे भाषा पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रंगों का ज्ञान जैसे पाठ को छोड़ दिया जाता है। ये सभी संशोधन के प्रमुख उदाहरण है।

प्रतिस्थापन – जब पाठ्यक्रम के किसी एक विषय वस्तु के जगह पर दूसरे विषय वस्तु को रखा जाता है तो उसे प्रतिस्थापन कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप कुछ बोर्ड में तीसरी भाषा के जग कम्प्यूटर शिक्षा, कार्य अनुभव, आदि रखा जाता है। या फिर शारीरिक दिव्यांग

बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के जगह पर संगीत शिक्षा रखना भी प्रतिस्थापन कहलाता है।

प्रसरण – बच्चों को कोई भी पाठ्यक्रम समझाने के लिए उस पाठ्यक्रम का विस्तार करना प्रसरण कहलाता है। जैसे सामान्य बच्चे कक्षा में पैसे जोड़ घटाव कर सकता है, किन्तु बौद्धिक अक्षम बच्चों को सिखाने के लिए वास्तविक धन एवं खरीददारी का प्रयोग करना भी प्रसरण कहलाता है। यानी यहाँ पर शिक्षक बच्चों को वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम का विस्तार कर दिया है।

इस तरह पाठ्यक्रम का लोप, प्रतिस्थापन या प्रसरण इन तीनों में से कोई एक, दो या फिर तीनों भी किया जा सकता है। इनमें से क्या करना आवश्यक है यह बौद्धिक अक्षम बच्चों के क्षमता पर निर्भर करता है। कोई भी समायोजन या संशोधन सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। अनुकूलन हमेशा छात्रों के कार्यात्मक क्षमता, बौद्धिक स्तर एवं उम्र आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है।

2.7 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए सह पाठ्यक्रम

सामान्य बच्चे अपने खाली समय का उपयोग के लिए योजना बनाते है एवं कई सह पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया कलाप करते है। किन्तु बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी अपने आप से सह पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया कलाप अपने आप नहीं करते है और न ही वे अपने खाली समय के लिए कोई कार्य योजना बनाते है। सह पाठ्यक्रम क्रिया कलापों से तात्पर्य ऐसे क्रिया कलापों या विषय वस्तु से है जो प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से यह शैक्षिक पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। सह पाठ्यक्रम क्रिया कलाप अक्सर कक्षा से बाहर होती है। बच्चे इसमें अधिक से अधिक आनन्द लेते है। उदाहरण स्वरूप एकांकी, ड्रामा आदि। इसमें बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक पाठ्यक्रम से संबंधित क्रिया कलाप कुछ भी नहीं कराया जाता है, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के ग्राह्य एवं अभिव्यक्ति भाषा का विकास होता है। इस तरह बौद्धिक अक्षम बच्चों के उम्र, कार्यात्मक क्षमता एवं बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर सह पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। जैसे भ्रमण करना, एकांकी करना, रंगोली बनाना, लुडो खेलना, पेंटिग करना, नम्बर कार्ड खेलना, आदि कई सह पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया कलाप है जो बौद्धिक अक्षम बच्चों को सिखाया जाता है।

2.8 सह पाठ्यक्रम का अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। यह तभी संभव होगा जब बच्चे शैक्षिक के साथ–साथ सह शैक्षिक एवं अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेगा। बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए इन क्रिया कलापों में भाग लेना और भी मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों को अपने सामान्य साथियों से एकान्त या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पाठ्यक्रम के बीच संतुलन होना आवश्यक हो जाता है। सह शैक्षिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत, एकांकी, डाँस, ड्रामा, विभिन्न प्रकार के खेलकूद आदि सभी आता है। प्रत्येक खेल एवं क्रिया कलाप के कुछ नियम एवं तौर तरीका होता है जिसका पालन उस क्रिया कलाप को करते समय करना पड़ता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए क्रिया कलाप के इन जटिल नियम कानूनों का पालन करना संभव नहीं होता है। अतः इन सह पाठ्यक्रम को आवश्यकतानुसार अनुकूलन समायोजन एवं संशोधन करते हैं जिससे कि बौद्धिक अक्षम बच्चे आसानी से इन क्रिया कलापों में भाग ले सके। इनमें से अनुकूलन हेतु कुछ समायोजन संशोधन निम्न प्रकार है।

- समूह क्रिया कलाप में ज्यादा लोगों का होना। इससे एक खिलाड़ी को जितना काम करना पड़ता है उसमें कमी आ जाती है।

- खेल के नियम कानून में परिवर्तन करना जैसे क्रिकेट में बालिंग करते समय थ्रो बॉल कर सकता है।

- बॉस्केट बॉल खेलते समय बाउनसिंग के नियम में परिवर्तन कर सकते है।

- खेल के नियम को सरल किया जा सकता या फिर संशोधित किया जा सकता है।

- खिलाड़ी की संख्या घटा बढ़ा सकते है।

- खेल के मैदान की सीमा छोटा किया जा सकता है।

इस तरह व्यक्तिगत क्रिया कलाप हो या सामूहिक इनके नियम कानून में बदलाव करके सह पाठ्यक्रम क्रिया कलापों को अनुकूलित बनाया जा सकता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के क्षमता एवं उसके सीमाओं को ध्यान में रखकर सह पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जायेगा।

2.9 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन के प्रभाव

पाठ्यक्रम अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन का बौद्धिक अक्षम बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण पर कई प्रभाव पड़ता है। इनमें से कुछ मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है।

- यू0एन0सी0 आर0पी0डी0 2006 के अनुसार पाठ्यक्रम का अनिवार्य रूप से उचित समायोजन करना आवश्यक है। इससे दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलता है तथा समावेशी शिक्षा में आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है।

- पाठयक्रम के अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन पाठ्य सामग्री को सरल बनाने या फिर कम करने के लिए किया जाता है, जिससे कि जिन शिक्षार्थियों को सीखने में कठिनाई होता है वे पाठ्यक्रम के मुख्य बिन्दु को आसानी से समझ सके।

- पाठ्यक्रम के अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन सभी शिक्षर्थियों के लिए गुणवत्ता एवं सीखने के सार्थक अनुभव सुनिश्चित करता है।

- पाठ्यक्रम के अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन से बौद्धिक अक्षम बच्चे पाठ्यक्रम के किसी भी विषय वस्तु को समझने में अपने आप को अन्य बच्चों से अलग नहीं पाते है।

- इससे बौद्धिक अक्षम बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलता है।

- पाठ्यक्रम का अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन सिर्फ दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि समान शिक्षार्थियों को भी पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को आसानी से समझने का अवसर प्रदान करता है।

इस तरह पाठ्यक्रम के अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन सभी शिक्षार्थियों के विषय वस्तुत को आसानी से समझने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग हो पाता है एवं दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने में मदद करता है। इससे समावेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है जो विद्यार्थियों, माता–पिता, समाज एवं देश सबों के लिए लाभप्रद है।

2.10 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का सार्वभौमिक स्वरूप (डिजाइन)

यूनिवर्सल डिजाइन फॅार लर्निंग (यू0डी0एल0) अर्थात सीखने के सार्वभौमिक स्वरूप एक शैक्षिक ढ़ाँचा है जो कई शोध पर आधारित है। इसमें सिखने के लिए एक लचीले वातावरण के विकास को निर्देशित करता है। इसके द्वारा सीखने के व्यक्तिगत अन्तर को समायोजित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का सार्वभौमिक स्वरूप भी इसी सिद्धान्त पर आधारित है। पाठ्यक्रम का सार्वभौतिक स्वरूप एक नई प्रवृत्तियाँ है। यह सिद्धान्त पर आधारित एक दृष्टिकोण है। पाठ्यक्रम का यह सार्वभौमिक स्वरूप विविध क्षमताओं एवं आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के एक साथ सीखने, पढ़ाने का अवसर प्रदान करता है तथा यह उन विविधता वाले छात्रों को भी एक साथ सीखने पढ़ने का अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम का सार्वभौमिक स्वरूप सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए लाभप्रद नहीं है बल्कि यह सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखता है एवं उनके आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम का यह सार्वभौमिक स्वरूप बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बौद्धिक अक्षम बच्चों में उनके, बौद्धिक अक्षमता, कार्यात्मक क्षमता एवं दिव्यांगता के स्तर के विभिन्नता के कारण इनमें सामान्य बच्चों की तुलना में और भी अधिक विभिन्नता होता है। अतः पाठ्यक्रम का यह स्वरूप इन विभिन्नता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद करता है। इस तरह पाठ्यक्रम का सार्वभौमिक स्वरूप बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों के साथ–साथ अन्य सभी शिक्षार्थियों के आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विषय वस्तु को आसानी से समझने का अवसर प्रदान करता है। यह विभिन्न सिद्धान्तों पर आधारित है।

2.11 सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के सिद्धान्त

सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के विभिन्न सिद्धान्तों पर आधारित है। इनमें से कुछ मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित है।

1. समान उपयोग का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम का विकास, अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन इस तरह से करना चाहिए कि सभी शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने का समान अवसर मिल सके। इसका तात्पर्य यह हैं, कि सभी विद्यार्थी सामग्री के एक ही सेट का उपयोग करने में सक्षम हो। किसी भी विद्यार्थी को वैकल्पिक नोट्स या सामग्री की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

2. लचीलापन का सिद्धान्त – सार्वभौमिक पाठ्यक्रम का यह सिद्धान्त दृष्टिकोण में विविधता एवं लचीलेपन के उपयोग की आवश्यकता पर जोर देता है। समावेशी शिक्षण में खास तौर पर बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशात्मक पद्धतियों की विविधता शामिल है। इसमें किसी खास शिक्षण शैली पर निर्भर रह सकते हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार कई शिक्षण शैलियों का उपयोग किया जा सकना है, जिसे सार्वभौमिक पाठ्यक्रम में समाहित होना चाहिए।

3. सरल व सहज का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त मुख्यतया पाठ्यक्रम के विषय वस्तु एवं मूल्यांकन के संबंध में पारदर्शिता और उपयोग में आसानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पाठ्यक्रम इतनी सहज एवं सरल हो कि सभी शिक्षार्थी आसानी से विषय वस्तु समझ सके खास कर विभिन्न बौद्धिक स्तर के बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी इसे आसानी से समझ सके एवं प्रयोग कर सके।

4. बौधगम्य जानकारी का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त शिक्षार्थियों को एक सुलभ प्रारूप में सभी पाठ्य सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है। किसी भी छात्र के लिए पाठ्य सामग्री प्रदान करने के लिए वैकल्पिक प्रारूप तैयार करना काफी महंगा पड़ता है एवं यह एक समस्याग्रस्त अभ्यास होता है जिससे परिणाम स्वरूप छात्रों के लिए समानता का नुकसान होता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के साथ–साथ सभी में समानता का भाव बना रहे इसके लिए इस सिद्धान्त का पालन करना आवश्यक है।

5. त्रुटि के लिए सहीष्णुता का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि किसी भी पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को भली भांति समझने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता है वह शिक्षार्थी में विद्यमान है या नहीं यह जानना आवश्यक है। चूँकि सभी शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट एवं एक दूसरे से भिन्न होते है, खास कर बौद्धिक अक्षम छात्रों में काफी विभिन्नताएँ पाई जाती है। अतः इन विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को सही तरह से समझने के लिए वांछनीय कौशल को परखना अति आवश्यक है।

6. कम शारीरिक प्रयास का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम को भली–भांति समझने या विषय वस्तु को पूरा करने के लिए अनावश्यक परिश्रम शिक्षार्थी को करने की आवश्यकता न पड़े बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए यह और भी आवश्यक है। ये बच्चे काफी धीमी गति से अपना कार्य करते है। अतः यदि कक्षा में व्यख्यान लिखना पड़े तो इन छात्रों को काफी कठिनाइयाँ होती है इसीलिए छात्रों को व्यख्यान के वीडियो या ऑडियो दिया जा सकता है।

7. आकार और दृष्टिकोण के लिए जगह एवं उसके उपयोग करने का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक एवं विभिन्न दृष्टिकोण क प्रयोग करने का प्रावधान होना चाहिए साथ ही इसका प्रयोग पाठ्यक्रम में सही जगह ही होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि कक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग सही से किया गया तो लाभप्रद होता है किन्तु यदि सही से प्रयोग नहीं हो तो छात्रों के लिए बोझिल भी होता है।

8. शिक्षार्थियों के समुदाय का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त यह कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए `जिसस छात्रों के बीच तथा छात्रों एवं शिक्षकों के बीच सकारात्मक एवं फलदायी संबंधों का विकास हो सके। इनके बीच सकारात्मक वं फलदायी संबंधों विकास हो सके। इनके बीच बातचीत करने का सुवसर प्रदान करना चाहिए। इससे सभी छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित होगा तथा एक दूसरे के मदद के लिए आगे आयेगे जिससे शिक्षा के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगा।

9. निर्देशात्मक वातावरण का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था हो जिससे सभी छात्रों को एक सकारात्मक शैक्षिक अनुभव मिल सके। इसमें सभी सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों को प्रदर्शन करने का समान अवसर मिलना चाहिए। सभी छात्रों को समान एवं सकारात्मक अवसर मिलने से समावेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा तथा दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेशन आसान हो जाएगा।

इस तरह सर्वभौतिक पाठ्यक्रम तैयार करते समय इन सिद्धान्तों का ध्यान रखना आवश्यक है जिससे कि एक प्रभाव एवं लाभप्रद पाठ्यक्रम सभी सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए तैयार हो सके।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र04 पाठ्यक्रम से किसी खास क्षेत्र या किसी खास विषय वस्तु को हटाना कहलाता है। समायोजन/संशोधन

....

....

प्र05 पाठ्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। सही/गलत

....

....

प्र06 पाठ्यक्रम का सार्वभौमिक स्वरूप सभी शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्ता एवं सीखने के सार्थक अनुभव सुनिश्चित नहीं करता है। सही/गलत

....

....

2.12 सारांश

पाठ्यक्रम अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन से सभी दिव्यांग एवं सामान्य विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम का अनुकूलन आवश्यक हो जाता है। इन विद्यार्थियों के लिए पूर्व शैक्षिक, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक सभी पाठ्यक्रमों का अनुकूलन आवश्यक है। यदि इनके आवश्यकताओं एवं कार्यात्मक क्षमताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का अनुकूलन नहीं किया गया तो इन बच्चों को पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को समझना मुश्किल हो जाता हैं। पाठ्यक्रम के सार्वभौमिक स्वरूप सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद होता हैं। यह सभी सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों को सीखने का समान अवसर देता है तथा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है।

2.13 शब्द सूची

लोप – पाठ्यक्रम से किसी खास क्षेत्रों या विषय वस्तु को हटाना लोप कहलाता है।

प्रतिस्थापना – जब पाठ्यक्रम के किसी एक विषय वस्तु के जगह पर दूसरे विषय वस्तु को रखा जाता है तो वह प्रतिस्थापन कहलाता है।

प्रसरण – विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के किसी भी क्षेत्र या विषय वस्तु को समझाने के लिए जब उसका विस्तार किया जाता है तो वह प्रसरण कहलाता है।

सह पाठ्यक्रम – सहपाठ्यक्रम का तात्पर्य ऐसे क्रिया कलापों या विषय वस्तुओं से है जो प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं होता है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से यह शैक्षिक पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है।

2.14 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 फलों का पहचान करना एक पूर्व शैक्षिक क्रियाकलाप है। सही/गलत।

उत्तर–1 सही

प्रश्न–2 विद्यार्थियों को सीखाने के लिए शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना कहलाता है। समायोजन/संशोधन

उत्तर–2 समायोजन

प्रश्न–3 बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्यात्मक गणित सीखाते है। सही/गलत

उत्तर–3 सही

प्रश्न–4 पाठ्यक्रम से किसी खास क्षेत्र या किसी खास विषय वस्तु को हटाना कहलाता है। समायोजन/संशोधन

उत्तर–4 संशोधन।

प्रश्न–5 पाठ्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। सही/गलत

उत्तर–5 सही

प्रश्न–6 पाठ्यक्रम का सार्वभौमिक स्वरूप सभी शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्ता एवं सीखने के सार्थक अनुभव सुनिश्चित नहीं करता है। सही/गलत

उत्तर–6 गलत

2.15 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए किन्हीं दो पूर्व शैक्षिक कौशलों का नाम लिखिए।

प्रश्न–2 पाठ्यक्रम अनुकूलन के किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–3 शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न–4 कार्यात्मक पठन से आप क्या समझते है ? सोदाहरण वर्णन कीजिए।

प्रश्न–5 शैक्षिक पाठ्यक्रम के किन्हीं दो संशोधन का उदाहरण दीजिए।

प्रश्न–6 प्रतिस्थापना से आप क्या समझते है ? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

प्रश्न–7 पाठ्यक्रम के सार्वभौमिक स्वरूप का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–8 सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

2.16 संदर्भ ग्रन्थ

- गद्य.ए. (2016) करिकुलम ऐडेपटेशन एण्ड टाइपस ऑफ एडेपटेशन, लेक्चर नोट्स, इन्टरनेशनल वर्कशॉप ऑन इनकुलुशिव एजुकेशन, दिसम्बर 2016 रांची झारखण्ड

- डी. वरोई ए. (2016) इनकुलुशिव एजुकेशन, लेक्चर नोट्स इन्टरनेशनल वर्कशॉप ऑन इनकुलुशिव एजुकेशन, दिसम्बर 2016 रांची, झारखण्ड
- नेशनल इन्स्टीट्यूट फार द मेन्टली हेन्डीकैपड (2003), एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद डेफ बलाइन्डजेश एण्ड एडिशनल डिसएबिलिटिन
- करिकुलम एकोमोडेशन एण्ड ऐडेपटेशन, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन इनकुसुलिव एजुकेशन क्रॉस डिसएबिलिट, रिहेबिलिटेशन कॉन्सिल ऑफ इण्डिया।
- चार्ल्स आर (1999) अल्टरनेटिव एसेसमेन्ट एण्ड सेकेण्ड लेंगवेज स्टडी ह्वाट एण्ड हवाई।
- इलियट जे0एल, एण्ड डेकन, ई0 (1999) गारनेरिंग द फन्डामेंटल रिसोर्सेज फॉर लर्निंग कम्युनिटी0 इन0जे0
- मेक गायर, जे0एम0 एण्ड स्कॉट एस0एस0 (2006) यूनीवर्सल डिजाइन फॉर इन्स्ट्रक्शन। ऐक्सटेंडिंग द यूनिवर्सल डिजाइन पारूडाइम ् कॉलेज इन्सट्रकान जनरल ऑफ पोस्ट सेकेण्ड्री एजुकेशन एण्ड डिसएबिलिटी।
- एन0सी0ई0आर0टी0 (2014), इन्कुलुडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स प्राइमरी स्टेज नई दिल्ली। बॉस0सी0एस0 एवं वैगु0 एस0 (1994) स्ट्राटजी फॉर टिचिंग स्टुडेन्ट्स विद लर्निंग एण्ड विहेवियर प्रोबलैम्स, एलिन एवं ब्रेकन, बोस्टन।
- मायरेड्डी वी0 एवं नारायण जे0 (1998) फंक्सनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्ट विद माइल्ड मेन्टल रिटार्डेशन, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- वोबरटन टी0 (1992) एसेसेमेन्ट इन स्पेशल एजुकेशन एन अप्लाइड एप्रोच, मैकमिलन न्यूयार्क।

इकाई—12

विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम के लिए अनुकूलन समायोजन एवं संशोधन

संरचना—

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 विद्यालय विषयों में अनुकूलन की आवश्यकता

3.4 बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए स्कूल के विषयों में अनुकूलन समायोजन एवं संशोधन

3.5 विद्यालय विषय पाठ्यक्रम अनुकूलन की रणनीतियाँ

3.6 भाषा विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन

3.7 गणित विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन

3.8 सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन

3.9 विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन

3.10 सारांश

3.11 शब्द सूची

3.12 बोध प्रश्न एवं उत्तर

3.13 अभ्यास प्रश्न

3.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

3.1 प्रस्तावना

विशेष बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप विद्यालय में भी इन विशेष बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अतः इन बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसीलिए स्कूली शिक्षक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क – एन0सी0एफ0 2005) में पाठ्यक्रम को लचीला और समायोजित करने के लिए उपयुक्त बनाने की सिफारिश किया गया है, जिससे की सभी दिव्यांग बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जा सके।

पाठ्यक्रम अनुकूलन को छात्रों के सीखने की विविधता को समायोजित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में समायोजन की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया गया है।

पाठ्यक्रम अनुकूलन को एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जाना चाहिए जो सभी सामान्य, संशोधित एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम या निर्देश में परिलक्षित होना चाहिए। किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में छात्रों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के पूर्ति एवं उनके अधिकतम सीखने पर बल दिया जाता है। चूँकि प्रत्येक शिक्षक, शिक्षार्थी एवं कक्षा की गतिशीलता अद्वितीय होती है। इसीलिए किसी भी कक्षा के लिए आवश्यक अनुकूलन कक्षा के अलग–अलग छात्रों के अनुरूप होता है। इस तरह पाठ्यक्रम अनुकूलन छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने की एक तरीके के रूप में देखा जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों में विभिन्नता काफी अधिक पाई जाती है तथा उनके आवश्यकताए भी काफी अलग–अलग होती है। अतः बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों के इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम का अनुकूलन आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम में शामिल भाषा एवं अन्य विभिन्न विषयों में दक्षता प्राप्त करने के लिए बौद्धिक अक्षम छात्रों की आवश्यताओं में काफी विभिन्नता पाई जाती है। अतः उनके आवश्यकताओं को पूरा करने एवं विभिन्न विषयों को आसान रूप से समझने के लिए विद्यालय विषयों का अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन आवश्यक हो जाता है।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप

- विद्यालय विषयों में अनुकूलन की आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
- स्कूल विषय में अनुकूलन की रणनीतियों का वर्णन कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए भाषा विषय में अनुकूलन कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम छात्रों के लिए अन्य स्कूल विषय का अनुकूलन कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए स्कूल विषयों को अनुकूलन करने के लिए कौशल विकसित कर सकेंगे।
- आवश्यकतानुसार स्कूल विषयों का समायोजन एवं संशोधन कर सकेंगे।

3.3 स्कूल विषयों में अनुकूलन की आवश्यकता

एक शिक्षक के रूप में आप केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राज्य शिक्षा बोर्ड के विभिन्न प्रणालियों से अवगत है। इन शिक्षा प्रणालियों के तहत सामान्य छात्र हो या दिव्यांग उन्हें तीन भाषा के साथ–साथ अन्य विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दिव्यांग बच्चों विशेष रूप से बौद्धिक अक्षम बच्चों को इन विषयों को सीखने में काफी मुश्किलें आती है। ये बच्चे पाँचवीं या छठी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, किन्तु कुछ विषयों में ये बच्चे कक्षा दूसरी या तीसरी का प्रदर्शन कर सकते है। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम का अनुकूलन छात्रों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। एक बौद्धिक अक्षम छात्र सामान्य शिक्षण पद्धति से शिक्षण के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, किन्तु अन्य उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए पाठ्य सामग्री, अनुदेशात्मक प्रथाओं, एवं/या सीखने के वातावरण में अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है। कुछ शिक्षार्थियों को शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्य सामग्री के सभी क्षेत्रों में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इस तरह अनुकूलन पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि सभी को प्रभावित करता है। अनुकूलन प्रत्येक छात्र के सीखने की शैली,

रूची एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इस प्रकार अनुकूलन इन शिक्षार्थियों को सामान्य पाठ्यक्रम, अन्य शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियों तक पहुँचने तथा जो उन्होंने सीखा है उसे प्रदर्शित करने का अवसर देता है। इससे इन शिक्षार्थियों को कक्षा में सफलता का अनुभव प्राप्त होता है, जिससे उसके प्रेरणा एवं सीखने में वृद्धि होती है। जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के परिणामेां में काफी सुधार होता है।

3.4 बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए स्कूल के विषयों में अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

बौद्धिक अक्षम बच्चों में सीखने के विशिष्ट विशेषताएँ होती है। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में काफी धीमी गति से सीखते है तथा बहुत ही सीमित मात्रा में सिखाए गये विषय वस्तु को समझता है। इन बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं को समझने में काफी कठिनाइयाँ होती है। किसी विषय वस्तु को सीखने में इन बच्चों का लंबे समय तक ध्यान केन्द्रित नहीं रहता है। किसी भी जटिल विषय को समझने में इन बच्चों को काफी कठिनाईयाँ होती है। अतः स्कूल के विषयों की जटिलता को कम करने तथा बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों को उनके क्षमता के अनुसार सूचनाएँ प्रदान करने के लिए इन विषयों का अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन करना अति आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठ्य सामग्रियों, पाठ्यक्रम की जटिलता आदि विभिन्न घटकों का अनुकूलन किया जाता है। यह अनुकूलन समायोजन और /या संशोधन किसी भी विधि से किया जा सकता है, जिससे की बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थी अपने क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूल विषयों का अध्ययन कर सके तथा इन विषय वस्तुओं को आसानी से समझ सके। स्कूल के विषयों में अनुकूलन करने से उनकी जटिलता कम हो जाती है तथा इन विषयों के पाठ्यक्रमों को उनके योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप विषयों को ढाला जा सकता है, जिससे कि ये बच्चे इन जटिल स्कूल विषयों को अपने क्षमता के अनुरूप अपनी गति से सीख सके तथा अपने दैनिक जीवन में इन विषयों का प्रयोग कर सके। इस तरह स्कूल विषयों का अनुकूलन इन बौद्धिक अक्षम बच्चों को स्कूल के विभिन्न विषयों के सामान्य पाठ्यक्रम तक पहुँचने का अवसर प्रदान करता है साथ ही इन बच्चों को विद्यालय की मुख्यधारा से जुड़ने में आसानी होती है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र01 पाठ्यक्रम के किसी भी विषय वस्तु को विस्तार करके समझाना .कहलाता है। प्रतिस्थापन/प्रसरण

....

....

प्र02 पाठ्यक्रम के किसी एक विषय वस्तु के जगह पर दूसरे विषय वस्तु रखना कहलाता है। प्रतिस्थापना/लोप

....

....

प्र03 पाठ्यक्रम के किसी खास क्षेत्र या विषय वस्तु को हटाना कहलाता है। लोप/प्रसरण

....

....

3.5 विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम अनुकूलन की रणनीतियाँ

पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धान्तों का वर्णन खण्ड 4 के इकाई 1 मे पहले ही किया जा चुका है। किसी भी विद्यालय विषय का अनुकूलन करते समय इन सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है। इन सिद्धान्तों के आधार पर विद्यालय के विषयों का अनुकूलन के लिए विभिन्न रणनीतियाँ विकसित किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख रणनीतियाँ निम्नलिखित है।

- लोप, प्रतिस्थापन एवं प्रसरणः– किसी भी विद्यालय विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन करने के लिए उसका समायोजन एवं संशोधन करने की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम के समायोजन एवं संशोधन के लिए लोप, प्रतिस्थापन एवं प्रसरण रणनीति का उपयोग कर सकते है। इन रणनीतियों का उपयोग पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठ्यसामग्री या विषय जटिलता के अनुकूलन के लिए किया जा सकता है।

- रेखाचित्रीय संयोजक – रेखाचित्रीय संयोजक "विज़ुअल डिस्पले" में शिक्षक जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते है, जिससे जानकारी को समझाना एवं सीखना आसान हो जाता है (मायेन, वर्गासनएवं व्हेलन, 1996)। इसमें सूचनाओं या विषय के महत्वपूर्ण अवधारणाओं एवं पहलुओं को रेखाचित्रों का उपयोग करके एक स्वरूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है।

- ठस (चंकिंग) – ठस की परिभाषा मुख्यतः विषय वस्तु की सामग्री या संदर्भ के आधार पर अलग–अलग होता है हालाँकि ठस (चंकिंग) मूल रूप से "इकाईयों में संबंधित तत्वों को एक संयोजन करने की प्रक्रिया को कहते है।" (सिल्वेस्टर, 1995)। ठस (चंकिंग) भाषा, कला से संबंधित जैसे पढ़ना, शब्द पहचान करना, आदि कौशल को सुधारने में विशेष रूप से प्रभावी होता है।

- स्मरणात्मक रणनीति – स्मरणात्मक रणनीति स्मृति को बढ़ाने के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाएं है, जिसमें "संज्ञानात्मक क्यूयिंग संरचना" जैसे शब्द, वाक्य या चित्र के रूप में याद करने के लिए प्रभावी संकेत प्रदान करते है। यह रानीति मुख्यतः नई सूचनाओं को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किया जाता है जिससे की सूचनाओं को आसानी से पुनर्प्राप्ति किया जा सके।

- रंग संकेतीकरण (कलर कोडिग) – रंग संकेतीकरण पाठ्यक्रम अनुकूलन के सामान्य रणनीति है। यह मुख्यतः सामान्य दृश्य प्रणाली है जो छात्रों को पाठ्यक्रम में दी गई जानकारियों को पहचानने और वर्गीकरण करने में मदद करता है। बड़े स्तर पर रंग संकेतीकरण से छात्रों को विषय के जानकारियों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करने में मदद मिलती है।

- विषय टब (सबजेक्ट टब) – इसमें वे सभी उपकरण और सामग्री शामिल है जिन्हें छात्र को किसी विषय क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता होती है। इसमें टब को छात्र को मेज के पास रखा जाता है तथा आसानी से समझने के लिए उसके ऊपर अंकितक (लेबल) लगाया जाता है या रंग संकेतीकरण किया जाता है। छात्र अकेले या छोटे समूहों में काम करते समय विषय टब प्रदान करने की स्वतंत्रता का आनन्द लेते है।

इस तरह उपर्युक्त एक या एक से अधिक रणनीतियों का प्रयोग करके विद्यालय विषय के अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन किया जा सकता है। जिससे कि बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों को विषय वस्तु को समझने में आसानी होता तथा अपने क्षमता के अनुसार विद्यालय विषय ग्रहण कर सकता है।

3.6 भाषा विषय का अनुकूलन

भाषा सभी व्यक्तियों के लिए सूचनाओं को ग्रहण एवं विचारों के अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सामान्य शिक्षार्थियों की तुलना में बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों में अन्य विषयों की तरह भाषा सीखने में काफी कठिनाईयाँ होती है। अतः बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थी कोई भी भाषा अपने आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार सीख सके इसके लिए भाषा विषय का अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन आवश्यक है। भाषा विषय का अनुकूलन प्रत्येक छात्र की आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। इस तरह आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार से अनुकूलन कर सकते है। इनमें से कुछ सामान्य प्रकार के अनुकूलन निम्नलिखित है।

- लम्बे पाठ या कहानियों को सार्थक शुरूआत एवं अन्त के साथ छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों को कविताएँ, क्रियाएँ (ऐक्शन) एवं दोहराव के माध्यम से सिखाया जा सकता है।
- बौद्धिक अक्षम छात्रों को कोई भी अवधारणा सीखाने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक गतिविधियों एवं अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- भाषा के कठिन शब्दों के लिए अधिक से अधिक दृश्य या चित्र शब्दकोश का उपयोग किया जा सकता है।
- भाषा विषय के पाठ्यक्रम में चित्र कार्ड का प्रयोग करते समय बिल्कुल विपरीत रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- भाषा संबंधित उद्देश्यों, विषय की जटिलताओं एवं विषय के घटक में भी बच्चों के क्षमता अनुसार परिवर्तन कर सकते है।
- पाठ्यक्रम में भाषा के प्रयोग संबंधी क्रिया कलापों को शामिल किया जा सकता है।
- इन बच्चों के लिए शब्दों एवं वाक्यांशों के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए।
- शिक्षार्थियों के अनुदेश, अतिरिक्त अभ्यास एवं सीखने के प्रदर्शन के लिए प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते है।
- शिक्षार्थियों के क्षमताओं एवं योग्यताओं पर ध्यान देना चाहिए एवं उसी के अनुसार पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना चाहिए।

उदाहरण –

भाषा विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन –

पाठ्यक्रम के घटक	अनुकूलन
पाठ्यक्रम के उद्देश्य संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया का ज्ञान होना	सिर्फ संज्ञा एवं सर्वनाम को जानना
पाठ्य सामग्री संज्ञा सर्वनाम एवं क्रिया के वाक्यों का अध्ययन करना	सिर्फ संज्ञा एवं सर्वनाम के वाक्यों का अध्ययन करना

इस तरह भाषा विषय (हिन्दी, अंग्रेजी या अन्य भाषा) अनुकूलन किया जा सकता है। उपरोक्त अनुकूलन के अलावा छात्रों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य अनुकूलन भी किय जा सकता है जिससे की शिक्षार्थी पाठ्यक्रम से पूर्ण लाभान्वित हो सके।

3.7 गणित विषय का अनुकूलन

अक्सर विद्यालय में यह देखा जाता है कि ज्यादातर छात्रों को गणित विषय में समस्या रहती है। कुछ छात्र गणित को काफी मुश्किल समझता है तथा कई छात्र पूरी कोशिश करने के बावजूद भी गणित विषय में अच्छा नहीं कर पाते है। हालाँकि कुछ गणित विषय में अच्छा भी करते है। दिव्यांग छात्रों को अक्सर गणित विषय में समस्या होती है, क्योंकि इन छात्रों को अधिकतर श्रवण एवं दृश्य प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, साथ ही अल्पकालिक स्मृति में देरी होती है। गणित में आमतौर पर उत्तर देने के लिए कई अनुक्रमिक चरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए छात्र निराश और भ्रमित हो जाते है। अतः छात्रों को उनके आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने एवं गणित विषय को आसानी से सिखाने के लिए गणित विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन आवश्यक हो जाता है। गणित विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन कई प्रकार से किया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख अनुकूलन निम्नलिखित है।

- गणित के पाठ्यक्रम में मुख्य शब्दावली को प्रत्येक अध्याय में अलग से रखा जा सकता है, जिससे कि छात्र इन शब्दावली को आसानी से समझ सके।
- मुख्य शब्दावली के अर्थो को समझाने के लिए गणित विषय के पाठ्यक्रम में उदाहरणों एवं चित्रों को शामिल कर सकते है।
- गणित विषय के अमूर्त अवधारणाओं के लिए पाठ्यक्रम में चित्रों, एवं आरेखों को शामिल कर सकते है।
- पाठ्यक्रम के अलग–अलग अवधारणाओं के लिए पाठ्य सामग्री में रंग संकेतीकरण का उपयोग कर सकते है।
- पाठ्यक्रम के समान समस्याओं को पाठ्यक्रम के तहत एक समूह में रखा जा सकता है।
- गणित विषय के उद्देश्यों में परिवर्तन कर अनुकूलन किया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम की जटिलता को कम किया जा सकता है।

- गणित विषय के पाठ्यक्रम के पाठ्य सामग्री को कर सकते है।

उदाहरण –

गणित विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन –

पाठ्यक्रम के घटक	अनुकूलन
उद्देश्य अग्रन्यन (केरी ओवर) एवं बिन अग्रन्यन (बिना केरी ओवर) के जमा का सवाल हल करना	बिना अग्रन्यन (बिना कोरी ओवर) के जमा का सवाल हल करना।
पाठ्य सामग्रीः अध्याय में अभ्यास के लिए पचास सवाल रखना।	अध्याय में अभ्यास के लए मात्र बीस सवाल हल करवाना।

इस प्रकार गणित विषय के पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों का अनुकूलन आवश्यकतानुसार उपरोक्त तरीकों के साथ–साथ अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है, जिससे कि दिव्यांग बच्चे विशेष रूप से बौद्धिक अक्षम बच्चे आसानी से गणित विषय का अध्ययन कर सके।

3.8 सामाजिक विज्ञान विषय का अनुकूलन

विद्यालय विषयों में से सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। जब हम उन शिक्षार्थियों के बारे में चर्चा करते है जो सीखने में सक्षम नहीं है या अपने सीखे हुए ज्ञान को व्यक्त करने में असमर्थ है, ऐसी अवस्था में यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिक्षार्थियों का यह व्यवहार सिर्फ उनके संवेदी, भौतिक या शारीरिक हानि का परिणाम नहीं है बल्कि ये सीखने की आवश्यकताएं उनके मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले प्रभावों से संबंधित है। शिक्षार्थियों के बौद्धिक अक्षमता उनके कई व्यवहारों में परिलक्षित होता है। अतः इन बच्चों को सामाजिक विज्ञान सीखाने पढ़ाने के लिए इस विषय का अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन करना अति आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन शिक्षार्थियों के आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित है।

- पाठ्यक्रम में सामूहिक गतिविधियों का समायोजन करने से शिक्षार्थियों का क्रियाकलाप में सक्रिय भागीदारी होगी जो अनुभावात्मक सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा।
- सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में रेखाचित्र (ग्राफिक) संयोजक का प्रयोग कर सकते है।
- इन पाठ्यक्रम के चित्रों को भाषा एवं ब्रेल में लेवल और केप्शन लगाकर अनुकूलन कर सकते है।
- सामाजिक विज्ञान के बहुत सी अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में मॉडल व तस्वीर आदि को शामिल किया जा सकता है।

- इस विषय के पाठ्यक्रम में किसी भी जगह या स्मारकों की जानकारी देने के लिए आवश्यक रूप से क्षेत्र दौरा को शामिल कर पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जा सकता है।
- शिक्षार्थियों के आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम के तहत निहित शिक्षण के उद्देश्यों को कम करके भी पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जा सकता है।

उदाहरण –

सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का अनुकूलन :

पाठ्यक्रम के घटक	अनुकूलन
उद्देश्य: देश के सभी राज्यों को मानचित्र में अंकित करना एवं राजधानी लिखना	देश के सभी राज्यों के राजधानी का नाम लिखना।
पाठ्य सामग्री : देश के सभी राज्यों के भौतिक एवं राजनैतिक अध्ययन करना। पर्यावरण का अध्ययन करना।	देश के राज्यों के भौतिक एवं सामाजिक अध्ययन करना।

इस प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों का समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन कर बौद्धिक अक्षम बच्चों को सामाजिक विज्ञान सीखने में मदद कर सकते है।

3.9 विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन

किसी भी विषय वस्तु को सीखने के मुख्यता तीन प्रमुख चरण है सूचना प्राप्त करना, सूचना का प्रसंस्करण करना एवं जानकारी को व्यक्त करना। विद्यालय के विभिन्न विषयों को सीखने के लिए शिक्षार्थी इन्हीं तीन चरणों का उपयोग करते है। विद्यालय के विभिन्न विषयों में से विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। विज्ञान के विभिन्न विधाओं के शिक्षण में प्रयोगात्मक अनुभव अति महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला कार्य के बिना विज्ञान के किसी भी विधा का शिक्षण पूर्ण करना संभव नहीं है। अतः जिस प्रकार बौद्धिक अक्षम एंव अन्य प्रकार के दिव्यांग बच्चों को कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन किया जाता है। उसी प्रकार विज्ञान विषय के प्रयोगशाला कार्य में भी आवश्यक समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन करके इन बच्चों को प्रयोगशाला कार्य पूरा करने में मदद कर सकते है। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों को विज्ञान विषय शिक्षण के लिए विषय के कक्षागत एवं प्रयोगशाला आधारित दोनों ही घटकों का अनुकूलन किया जाना आवश्यक है। विज्ञान विषय पाठ्यक्रम का अनुकूलन छात्रों के आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को अध्यान में रखते हुए कई प्रकार से किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित है।

- विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के जटिल शब्दों को सामान्य या साधारण शब्दों के द्वारा बदला जा सकता है। इस प्रकार के अनुकूलन से शिक्षार्थियों को विषय को समझने में आसानी होगी।

- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चित्र या रेखाचित्र प्रदान करने का प्रावधान कर सकते है।

- पाठ्यक्रम के तहत किसी भी अवधारणाओं या विचारों को क्रमशः एक के बाद एक रखा जाना चाहिए।

- विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

- विज्ञान विषय में किसी भी सूचनाओं को खुद से प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम का अनुकूलन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि शिक्षार्थी सूचनाएँ खूद से प्राप्त कर सके।

- पाठ्यक्रम का चित्रात्मक अभ्यावेदन करके भी पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जा सकता है जिससे की बौद्धिक अक्षम छात्रों को विषय वस्तु समझने में आसानी होगी।

- विज्ञान विषय के प्रयोगशाला संबंधित पाठ्य क्रम में भी सामान्य बदलाव करके पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जा सकता है।

- पाठ्यक्रम में तरल पदार्थ के मायात्मक मापन के लिए (एफ0ओ0एस0एस0) जैसे तरल स्तर संकेतक फ्लोटेशन डिवाइस को शामिल किया जा सकता है।

उदाहरण –

विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन :

पाठ्यक्रम घटक	**अनुकूलन**
उद्देश्य : किसी भी रसायनिक यौगिक का पहचान करना एवं उसका गुण बताना	सिर्फ रसायनिक यौगिक का पहचान करना
यांत्रिक शरीर के संरचनाएँ एवं शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करना।	सिर्फ मानव शरीर के संरचना को समझना
पाठ्य सामग्री : नौ शारीरिक क्रिया प्रणाली का अध्ययन करना	सिर्फ पाँच शारीरिक क्रिया प्रणाली का अध्ययन करना

इस प्रकार कई छोटे–छोटे समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों को विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को समझने एवं अध्ययन करने में मदद प्रदान करता है। विज्ञान के विभिन्न विधाओं जैसे भौतिक, रसायन, जीव एवं जन्तु विज्ञान में अलग अलग प्रकार से आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है। अनुकूलन करते समय शिक्षार्थियों के दिव्यांगता के स्तर, अन्य जुड़े अवस्था आदि को विशेष रूप से

ध्यान में रखना चाहिए, जिससे की शिक्षार्थियों के अवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का अनुकूलन कर सके। पाठ्यक्रम के आवश्यक एवं उपयुक्त समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलन ही बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों को विषय वस्तु का अध्ययन करने में मदद प्रदान करेगा।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र04 पाठ्यक्रम का अनुकूलन, समायोजन और/या संशोधन के द्वारा किया जाता है। सही/गलत।

....

....

प्र05 दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में अधिक समय देना कहलाता है। समायोजन/संशोधन

....

....

प्र06 लोप पाठ्यक्रम संशोधन का विधि नहीं है। सही/गलत

....

....

3.10 सारांश

पाठ्यक्रम अनुकूलन एक गतिशील प्रक्रिया है जो विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का समायोजन, संशोधन एवं अनुकूलित करता है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन शिक्षकों को सभी क्षमताओं वाले बौद्धिक अक्षम एवं अन्य दिव्यांग शिक्षार्थियों का कक्षा में स्वागत करने में सक्षम बनाता है साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र को अपने आवश्यकता, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार विषय वस्तु सीखने का समान अवसर मिलें।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम का अनुकूलन करते समय अनुकूलन के सिद्धान्तों एवं अनुकूलन के रणनीतियो का ध्यान रखना आवश्यक है। अलग–अलग विषय के पाठ्यक्रम का समायोजन, संशोधन एवं अकुकूल अलग–अलग तरीके से किया जाता है। विषय की प्रकृति, शिक्षार्थियों के योग्यता, आवश्यकता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर ही किसी भी विषय के पाठ्यक्रम का अनुकूलन करना चाहिए, जिससे की छात्रों को विषय वस्तु सीखने में आसानी हो।

3.11 शब्द सूची

ठस (चंकिंग) – चंकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय के इकाईयों में संबंधित तत्वों को संयोजित किया जाता है।

स्मरणात्मक रणनीति – स्मरणात्मक रणनीती संज्ञानात्मक क्यूयिंग संरचना का प्रयोग करके स्मृति को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है।

रेखाचित्रीय संयोजक – यह एक विजुअल डिस्पले है जिसमें किसी भी जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए ऐसे तस्वीरों का उपयोग करता है जिससे जानकारी को समझना एवं सीखना आसान हो जाता है।

प्रसरण – विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए जब उसका विस्तार किया जाता है तो वह प्रसरण कहलाता है।

3.12 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 पाठ्यक्रम के किसी भी विषय वस्तु को विस्तार करके समझाना ....कहलाता है। प्रतिस्थापन/प्रसरण

उत्तर–1 प्रसरण

प्रश्न–2 पाठ्यक्रम के किसी एक विषय वस्तु के जगह पर दूसरे विषय वस्तु रखना .... कहलाता है। प्रतिस्थापना/लोप

उत्तर–2 प्रतिस्थापन

प्रश्न–3 पाठ्यक्रम के किसी खास क्षेत्र या विषय वस्तु को हटाना ....कहलाता है। लोप/प्रसरण

उत्तर–3 लोप

प्रश्न–4 पाठ्यक्रम का अनुकूलन, समायोजन और/या संशोधन के द्वारा किया जाता है। सही/गलत।

उत्तर–4 सही।

प्रश्न–5 दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में अधिक समय देना ....कहलाता है। समायोजन/संशोधन

उत्तर–5 समायोजन

प्रश्न–6 लोप पाठ्यक्रम संशोधन का विधि नहीं है। सही/गलत

उत्तर–6 गलत

3.13 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 पाठ्यक्रम अनुकूलन से आप क्या समझते है ? उदाहरण सहित समझाइए।

प्रश्न–2 बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए विषयों में अनुकूलन की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–3 पाठ्यक्रम अनुकूलन के किन्हीं दो रणनीतियों की चर्चा कीजिए।

प्रश्न–4 रेखा चित्रीय संयोजक से आप क्या समझते है ? उदाहरण सहित समझाइए।

प्रश्न–5 सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में किए जाने वाले प्रमुख अनुकूलन का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–6 पाठ्यक्रम अनुकूलन सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। इस कथन की पुष्टि कीजिए।

3.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- दास, आर0सी0 (1985), साइंस टीचिंग इन स्कूल, स्ट्रलिंग पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड
- कुल श्रेष्ठा, एस0पी0 (2007), टीचिंग ऑफ साइंस एण्ड पसरिचा एच0 सूर्या पब्लिकेशन
- जेइदी, एस0एम0 (2004), मॉडर्न टीचिंग ऑफ साइन्स, अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- फ्रेंड, एम0 और वर्सुक, डब्लू0 (2002) इनकुलुडिंग स्टुडेंटस विद स्पेसल नीड्स : ए प्राटिकल गाइड फॉर क्लासरुम टीचर्स बोस्टन, एलिन और बेकन
- इगनू (2011) एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेसल नीड्स, नई दिल्ली, एस0ओ0ई0 इग्नू
- जैनी, आर0 और स्नेल्म, ई0 (2000) मोडी फाइंग स्कूल वर्क, बाल्टोमोर, पोल, ब्रुक्स प्रकाशन कम्पनी
- कनफ्लुऐंस (2016), मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, भारत सरकार आई0जी0 प्रिटर्स, नई दिल्ली।
- अग्रवाल, जे0सी0 (1990) करिकुलम रिफार्मस इन इंडिया नई दिल्ली।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अगस्त (2008), पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन।
- इग्नू (1997) करिकुलम एण्ड इन्स्ट्रक्शन (ब्लाक 1 एवं 2) नई दिल्ली : इग्नू।
- कैर, जॉन एफ0 (ed.) (1977) चेजिंग द करिकुलम, लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन प्रेस लिमिटेड।
- लोनमोन, जे0 (1986), टीचिंग रिटार्डेड लर्नर्स करिकुलम एण्ड मेथडस और इम्प्रूविंग इन्स्ट्रक्शन, बोस्टन : ऐलीन एण्ड बेकन इन्क।
- हेवेट, एफ0एम0 (1994) एजूकेशन आफ एक्सपेशनल लर्नर्स।

  वास्टन : अलीन एण्ड बैकन।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. SE-92

पाठ्यक्रम डिजाइन (प्रारूप) अनुकुलन तथा मूल्यांकन (बौद्धिक अक्षमता)

खण्ड – 5

पाठ्यक्रम मूल्यांकन

इकाई – 13 183

पाठ्यक्रम मूल्यांकन, अवधारणा, प्रकार एवं दृष्टिकोण

इकाई – 14 193

मूल्यांकन में उभरती प्रवृत्तियाँ

इकाई – 15 205

समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों का विभेदित मूल्यांकन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक	
प्रो. के. एन. सिंह.	**कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
विशेषज्ञ समिति	
प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय	**प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
प्रो0 सीमा सिंह	**आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी**
प्रो0 सुषमा पाण्डेय	**आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग डी0डी0यू0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर**
प्रो0 रजनी रंजन सिंह	**आचार्य, विशेष शिक्षा विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ**
डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी	**सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
डॉ0 दिनेश सिंह	**सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
लेखक	
डा. महेश कुमार	**असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**
सम्पादक	
प्रो0. प्रेम शंकर राम सोनकर	**प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**
परिमापक	
प्रो0 रजनी रंजन सिंह	**प्रोफेसर, डॉ. भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)**
समन्वयक	
डॉ. नीता मिश्रा	**परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज.**

सितम्बर, 2019 (मुद्रित)
© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020
ISBN:- 978-93-94487-08-6

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नही है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से कर्नल विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित – 2024

मुद्रक : सिग्नस इन्फार्मेशन सल्यूसन प्रा0लि0, लोढ़ा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

खण्ड परिचय

खण्ड चार में आपने पाठ्यक्रम अनुकूलन के अन्तर्गत, पाठ्यक्रम अनुकूलन, समायोजन तथा संशोधन के बारे में पढ़ा। साथ ही आपने शैक्षिक पूर्व, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पाठ्यक्रमों के अनुकूलन के बारे में पढ़ा। विभिन्न विद्यालय विषयों जैसे भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के समायोजन एवं संशोधन के बारे में भी पढ़ा।

इस खण्ड में आप पाठ्यक्रम मूल्यांकन के विभिन्न पलहुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस खण्ड में कुल तीन इकाई है।

इकाई–13 में पाठ्यक्रम मूल्यांकन के अवधारणा, प्रकार एवं विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा की गई है।

इकाई–14 पाठ्यक्रम मूल्यांकन को नये आयाम की चर्चा की गई हैं इसके अन्तर्गत सरल एवं विस्तृत मूल्यांकन की भी चर्चा की गई है।

इकाई–15 में विभेधित मूल्यांकन की चर्चा की गई है। विभिन्न दिव्यांग शिक्षार्थियों का समावेशी शिक्षा में विभेधित मूल्यांकन के द्वारा कैसे मूल्यांकन किया जाना चाहिए इसकी चर्चा इस इकाई में की गई है।

इकाई–13

पाठ्यक्रम मूल्यांकन, अवधारणा, प्रकार एवं दृष्टिकोण

संरचना–

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 पाठ्यक्रम मूल्यांकन की अवधारणा

1.4 पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकताएँ

1.5 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के उद्देश्य

1.6 पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया

1.7 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रकार

1.8 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के दृष्टिकोण

1.9 सारांश

1.10 शब्द सूची

1.11 बोध प्रश्न एवं उत्तर

1.12 अभ्यास प्रश्न

1.13 संदर्भ ग्रन्थ

1.1 प्रस्तावना

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण प्रशिक्षण के तीन प्रमुख घटकों में से पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण घटक है। चूँकि समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप समाज की आवश्यताएँ भी बदलती रहती है, अतः इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा सिर्फ छात्रों को जानकारी हीं नहीं दी जाती है बल्कि प्राप्त ज्ञान एवं जानकारियों का वे वास्तविक जीवन में कैस प्रयोग करके कुशल जीवन यापन कर सकेंगे यह भी सिखाया जाता है। पाठ्यक्रम बच्चों में समाज के वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप वांछनीय ज्ञान प्रदान करने के साथ–साथ उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन भी करता है। कोई भी पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं अनुरूप बच्चों को ज्ञान प्रदान करने तथा उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है या नहीं यह जानने के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के पश्चात् ही उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जाता है जिससे कि वह व्यक्ति एवं समाज के नवीन आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें साथ ही व्यक्ति को कुशल जीवन यापन करने के साथ–साथ भविष्य की कठिनाईयों का सामना करने के कौशल भी प्रदान करती है जिससे कि वे अपना जीवन सहज एवं

सरल बना सके। इस इकाई में आप पाठ्यक्रम मूल्यांकन संबंधित विभिन्न बिन्दुओं का अध्ययन करेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप समझ सकेंगे–

- पाठ्यक्रम मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन को परिभाषित कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकताओं को बता सकेंगे।
- पाठ्य मूल्यांकन के उद्देश्यों को लिख सकेंगे।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन के दृष्टिकोणों का मूल्यांकन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन के महत्वों की व्याख्या कर सकेंगे।

1.3 पाठ्यक्रम मूल्यांकन की अवधारणा

पाठ्यक्रम का विकास एक सुनिश्चित प्रक्रिया से गुजरती हैं बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा वांछित तरीके से युवाओं को दिशा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना अति आवश्यक हो जाता है। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत् विकास हो रहा है। अतः पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया भी हमेशा परिवर्तन से गुजरती है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन इस परिवर्तन को वैधता एवं विश्वसनीयता प्रदान करने के साथ साथ सही दिशा प्रदान करता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में किया गया परिवर्तन इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ–साथ इसके लंबे समय तक बने रहने का भी संदेश देता है। आज इस तरह के पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है जो बौद्धिक अक्षम बच्चों को तैयार करने के साथ–साथ उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन को सार्थक और उत्पादक रूप से समायोजित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। सामाजिक आश्यकताओं को पूरा करने तथा शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैध एवं विश्वसनीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है और वह तभी संभव होगा जब पाठ्यक्रम एवं उसके विकास की प्रक्रिया का समय–समय पर मूल्यांकन होता रहेगा और उसके अनुरूप पाठ्यक्रम में समय–समय पर आवश्यक बदलाव किया जाएगा।

पाठ्यक्रम मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन सूचनाओं को संग्रह करने से है जिसके आधार पर हम पाठ्यक्रम की उपयोगिकता एवं विश्वसनीयता के बारे में निर्णय कर सकते है। इसमें वे सभी निर्णय शामिल है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम को आगे चलाने या फिर आंशिक या पूर्ण संशोधन किया जाता है। अतः हम कह सकते है कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन पाठ्यक्रम विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। वरथन एवं सेन्डर्स (1987) के अनुसार पाठ्यक्रम मूल्यांकन किसी कार्यक्रम, उत्पाद, योजना, प्रक्रिया, उद्देश्य या पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, प्रभावशीलता या मूल्यों के निर्धारण से है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन मुख्यतः संबंधित शिक्षकों के द्वारा किये गये मूल्यांकन के रूप में देख जाता है। इससे संबंधित शिक्षक बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए किसी पाठ या इकाई या किसी विषय से संबंधित उद्देश्यों एवं अनुभवों का मापन एवं मूल्यांकन करता है कि पाठ्यक्रम किसी खास बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए कितने उपयोगी एवं प्रभावी है। यानी किसी खास बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए विकसित किया गया पाठ्यक्रम उस बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किस हद तक कर सकता है ? चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों में काफी विभिन्नता पाई जाती है अतः इनके लिए मुख्यतः पाठ्यक्रम के दिशा निर्देश तैयार किए जाते है जिसके आधार पर अलग–अलग बच्चे के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और फिर आवश्यकतानुसार उस पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी किया जाता है।

1.4 पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकताएं

बौद्धिक अक्षम बच्चे भी समाज का एक अभिन्न अंग है। इन बच्चों को भी अपने अपने समाज में सुगम जीवन यापन के लिए प्रभावी एवं निपुणता के साथ अपना क्रिया कलाप करना पड़ता है। चूँकि किसी भी समाज की आवश्यकताएँ समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, अतः इन नई आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन अति आवश्यक हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी पाठ्यक्रम में लम्बे समय तक कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाय तो यह पाठ्यक्रम काफी पुरानी हो जायेगी। परिणाम स्वरूप यह नवीन आवश्यकताओं के पूर्ति प्रभावी ढ़ंग से नहीं कर सकेगा। पाठ्यक्रम को नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रभावी बनाने के लिए समय–समय पर इसका मूल्यांकन करना अति आवश्यक हो जाता है जिससे कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार इसे प्रभावी बनाया जा सके। अतः हम कह सकते है कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन पाठ्यक्रम विकास का एक अभिन्न अंग है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जाता है।

- बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करने हेतु पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों हेतु पाठ्यक्रम की व्यवहारिकता को जानने के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों हेतु पाठ्यक्रम प्रभावशाली है या नहीं यह पाठ्यक्रम के मूल्यांकन से पता लगाया जाता है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों हेतु पाठ्यक्रम की उपयोगिता जानने हेतु पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।
- पाठ्यक्रम को समकालीन बनाने हेतु पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।
- पाठ्यक्रम को विस्तृत करने हेतु भी पाठ्यक्रम मूल्यांकन किया जाता है।

1.5 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के उद्देश्य

बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के कई उद्देश्य है। इनमें से प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है।

- चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु सिर्फ दिशा निर्देश दिया रहता है। अतः पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।
- बच्चों के लिए विकसित पाठ्यक्रम में संशोधन करने हेतु भी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के संबंध में निर्णय लेने हेतु पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।
- पाठ्यक्रम की व्यवहारिकता को जानने के लिए भी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।
- पाठ्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है।
- बौद्धिक अक्षक बच्चों की नई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कर संशोधन किया जाता है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों की आवयकतानुसार पाठ्यक्रम है या नहीं यह जानने हेतु इसका मूल्यांकन किया जाता है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के नई व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक व्यवसायिक एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।
- पाठ्यक्रम की विस्तार एवं समसामयिकता बनाए रखने हेतु पाठ्यक्रम मूल्यांकन किया जाता है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र01 पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना आवश्यक है। सही/गलत

....

....

प्र02 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम प्रभावशाली है या नहीं यह पाठ्यक्रम के मूल्यांकन से पता लगाया जाता है। सही/गलत

....

....

प्र03 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम व्यवहारिक है या नहीं यह पाठ्यक्रम मूल्यांकन से पता नहीं चलता है। सही/गलत

....

....

1.6 पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया

पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक चक्रीय प्रक्रिया है जो लगातार चलता रहता है। चूँकि पाठ्यक्रम का निर्माण कई अवस्थाओं से गुजरता है। प्रत्येक अवस्था पर विभिन्न श्रोतों से प्रतिक्रिया प्राप्त होता है और फिर इन प्राप्त प्रतिक्रिया एवं नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाता है। पाठ्यक्रम की चक्रीय प्रक्रिया को नीचे दर्शाया गया है।

पाठ्यक्रम के चक्रीय प्रारूप

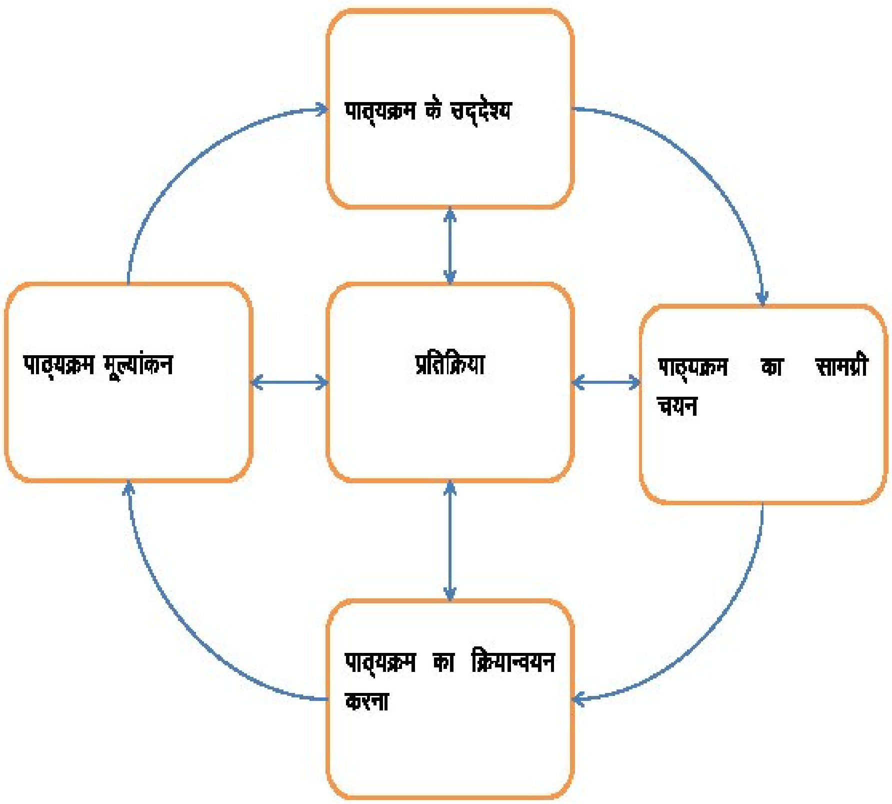

इस तरह हम देखते है कि पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्तर पर प्रतिक्रिया प्राप्त होता है तथा उसके उपरान्त उस स्तर पर आवश्यक संशोधन भी किया जाता है। साथ हीं पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात् मूल्यांकन होता है और फिर आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन कर पाठ्यक्रम के लक्ष्य के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, फिर पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है और अंत में क्रियान्वयन के पश्चात् पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह यह चक्रीय प्रारूप अनवरत चलता रहता है।

1.7 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रकार

बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम के मूल्यांकन मुख्यतः दो प्रकार के होते है। प्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन तथा द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन।

- **निर्माणात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation) :**

निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तर के मूल्यांकन, पाठ्यक्र के विकास एवं क्रियान्वयन के दौरान करता है। इस मूल्यांकन के द्वारा लगातार प्रतिक्रिया मिलता है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। किसी भी पाठ्यक्रम के प्रभाव को देखने एवं पुनः अवलोकन के लिए पूरे वर्ष इन्तजार करने के बजाय निर्माणात्मक मूल्यांकन हमें लगातार प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है साथ ही आवश्यकतानुसार संशोधन कर पाठ्यक्रम को आवश्यकतानुसार बनाया जाता है। जिससे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। निर्माणात्मक मूल्यांकन में बौद्धिक अक्षम बच्चों के अल्पकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षक एवं अभिभावक की प्रतिक्रिया आदि शामिल होते है। जिसके आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाता है।

- **योगात्मक मूल्यांकन :**

निर्माणात्मक मूल्यांकन जो पूरे वर्ष अनवरत् चलता रहता है। इसके विपरीत योगात्मक मूल्यांकन वर्ष के अन्त में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन बेंचमार्क मानकों के विपरीत परिणामों की समीक्षा करके पाठ्यक्रम की सफलता को मापते है। बच्चों के ऊपर पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात् शिक्षार्थियों की अंतिम उपलब्धि योगात्मक मूल्यांकन का संकेत है। योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम के प्रति शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों दोनों के दृष्टिकोणों को आंका जा सकता है।

1.8 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के दृष्टिकोण

पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामग्री एवं प्रक्रियाओं को लागू करने के प्रभावों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन को एक व्यापक और निरन्तर प्रयास माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन किसी भी पाठ्यक्रम से संबंधित आँकड़े इकठ्ठा करने की प्रक्रिया है, जिसके आधार पर उस पाठ्यक्रम के बारे में आवश्यक संशोधन से संबंधित निर्णय लिया जाता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन को कोई भी व्यक्ति किस दृष्टिकोण से देखता है, वह उसके दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक सुझाव पर निर्भर करता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकाणों में से कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण निम्नलिखित है।

- **वैज्ञानिक दृष्टिकोण**

पाठ्यक्रम मूल्यांकन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। इस दृष्टिकोण में वैज्ञानिक तरीकों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों द्वारा उत्पन्न मात्रात्मक आँकड़ों का उपयोग करने पर केन्द्रित है। इसमें सांख्यिकीय विश्लेषण की अनुमति होती है। साथ ही सफलता के स्तर को निर्धारित करने के लिए परिणामों की तुलना की जाती है। यह तुलना निर्णय लेने का आधार होता है। चूँकि छात्र क्षमताओं एवं शिक्षण क्षमताओं में काफी विविधता पाई जाती है अतः यह मानना मुश्किल है कि सभी छात्रों को समान चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

- **व्यवहारवादी दृष्टिकोण :**

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत व्यवहारवादी एक अनुक्रमित अभिविन्यास से मूल्यांकन का अनुमान लगाता है। इसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाता है तथा इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक गतिविधियों का

प्रर्दशन किया जाता हैं। इस दृष्टिकोण में आंकड़ों के गुणात्मक विश्लेषण पर बल दिया जाता है। इसके विपरीत वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मात्रात्मक विश्लेषण पर बल दिया जाता है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र04 पाठ्यक्रम की उपयोगिता का पता पाठ्यक्रम मूल्यांकन से नहीं चलता है। सही/गलत

....

....

प्र05 निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम मूल्यांकन का दृष्टिकोण नहीं सही/गलत

....

....

प्र06 योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रकार है। सही/गलत

....

....

1.9 सारांश

समाज में हो रहे अनवरत् बदलाव, विषय में ज्ञान का वृद्धि तथा समाज की बदलती जरूरतों आदि के कारण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है, जिससे कि पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं बदलाव किया जा सके। छात्र, शिक्षक, माता–पिता या अभिभावक प्राचार्य एवं अन्य संबंधित व्यक्ति पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अहम भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन मुख्यतः दो प्रकार के है, निर्माणात्मक एवं योगात्मक। किसी भी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन वैज्ञानिक दृष्टिकोण या व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम जिन सिद्धान्तों के आधार पर विकसित किया जाता है उसी सिद्धान्त पर उनके पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी किया जाना आवश्यक है। चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक आदि क्षेत्रों में विकसित किया जाता है। अतः इन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन भी इन्हीं क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक है।

1.10 शब्द सूची

पाठ्यक्रम : पाठ्यक्रम एक नियोजित एवं निर्देशित अनुभव है जो विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है।

पाठ्यक्रम मूल्यांकन : पाठ्यक्रम के सबल एवं दुर्बल पक्षों का पहचान कर पाठ्यक्रम के विकास में सुधार करना पाठ्यक्रम मूल्यांकन कहलाता है।

निर्माणात्मक मूल्यांकन : पाठ्यक्रम के विकास एवं क्रियान्वयन के दौरान पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तरों का मूल्यांकन करना निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है।

योगात्मक मूल्यांकन : वर्ष के अन्त में पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है।

1.11 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना आवश्यक है। सही/गलत

उत्तर–1 सही।

प्रश्न–2 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम प्रभावशाली है या नहीं यह पाठ्यक्रम के मूल्यांकन से पता लगाया जाता है। सही/गलत

उतर–2 सही।

प्रश्न–3 बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम व्यवहारिक है या नहीं यह पाठ्यक्रम मूल्यांकन से पता नहीं चलता है। सही/गलत

उत्तर–3 गलत

प्रश्न–4 पाठ्यक्रम की उपयोगिता का पता पाठ्यक्रम मूल्यांकन से नहीं चलता है। सही/गलत

उत्तर–4 गलत

प्रश्न–5 निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम मूल्यांकन का दृष्टिकोण नहीं सही/गलत

उत्तर–5 सही

प्रश्न–6 योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रकार है। सही/गलत

उत्तर–6 सही

1.12 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 पाठ्यक्रम की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न–2 पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए।

प्रश्न–3 पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न–4 पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–5 निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अन्तर स्पष्ट करें।

प्रश्न–6 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन कीजिए।

1.13 संदर्भ ग्रन्थ

- नारायण, जे, (संपादित) (1999) स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीट, एल0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
- बी0एड0 (एस0ई0डी0ई0) नोट एम0पी0 भोज खुला विश्वविद्यालय, भोपाल।

- हेवेट एफ0एम0 (1974), ऐजुकेशन ऑफ इकस्पेशनल लर्नर, बोस्टन, ऐलेन एवं बेकन।
- फोस्टरिंग डेवलपमेन्ट इन अरली इयर, अवेयरनेस कम ट्रेनिंग पॉकेज इन डिसवलिटी, मेन्टल रिटार्डेशन (इग्नू)
- बाइन, डी (1988) हेन्डी कैप्ड चिल्ड्रेन इन डवलपिंग कन्ट्रीज, एसेसमेंट, करिकुलम एण्ड इन्सट्रक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबर्टा, अलबर्टा।
- बॉस0सी0एस0 एवं वैगु0 एस0 (1994) स्ट्राटजी फॉर टिचिंग स्टुडेन्ट्स विद लर्निंग एण्ड विहेवियर प्रोबलैम्स, एलिन एवं ब्रेकन, बोस्टन।

इकाई—14

मूल्यांकन में उभरते प्रवृत्तियाँ

संरचना–

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 मूल्यांकन के विभिन्न आयाम

2.4 मूल्यांकन के प्रकार एवं मॉडल

2.5 संदर्भ, निविष्ट, प्रक्रिया एवं उत्पाद मॉडल

2.6 उद्देश्य केन्द्रित मॉडल

2.7 सामाजिक प्रस्थिति मॉडल

2.8 मूल्यांकन के उभरते प्रवृत्तियाँ

2.9 सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन

2.9.1 सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन के महत्व

2.10 श्रेणी करण प्रणाली

2.10.1 प्रत्यक्ष श्रेणीकरण प्रणाली

2.10.2 अप्रत्यक्ष श्रेणीकरण प्रणाली

2.11 सारांश

2.12 शब्द सूची

2.13 बोध प्रश्न एवं उत्तर

2.14 अभ्यास प्रश्न

2.15 संदर्भ ग्रन्थ

2.1 प्रस्तावना

किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की एक अहम भूमिका होती है। पाठ्यक्रम के द्वारा कोई भी शिक्षक बच्चों के सर्वागीण विकास का अभिकल्पना करता है। यहाँ छात्रों के सिर्फ बौधिक ही नहीं बल्कि उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, व्यवसायिक आदि कौशलों के विकास का भी अभिकल्पना करता हैं। अर्थात पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों को सार्थक एवं उत्पादक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। अतः पाठ्यक्रम के मूल्यांकन करते समय इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने की

आवश्यकता हैं, कि पाठ्यक्रम सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में सक्षम है, या फिर कुछ ही योग्यताओं को विकसित करने में योगदान देता है।

जिस तरह समय एवं आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम बदलता रहता है उसी तरह पाठ्यक्रम मूल्यांकन के तरीके भी बदलते रहते है। किसी भी पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में उन छात्रों का जिन पर वह पाठ्यक्रम क्रियान्वयित किया गया है उसका मूल्यांकन अति आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम कितना प्रभावी है तथा वह निहित उद्देश्यों को पूरा कर पाया या नहीं वह छात्रों के मूल्यांकन से पता चलता हैं चूँकि वर्तमान में छात्रों के मूल्यांकन करते समय केवल कुछ ही योग्यताओं को मापा जाता है जो अपर्याप्त होता है। अतः यह मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों की ओर प्रगति का सम्पूर्ण तस्वीर नहीं प्रस्तुत कर पाती है। ऐसे में कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर पाया यह कहना मुश्किल हो जाता है या फिर पाठ्यक्रम वर्तमान परिपेक्ष में प्रभावी है या नहीं यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। इस दशा में शिक्षार्थी के बहुआयामी मूल्यांकन संकल्पना आवश्यक हो जाता है, जिससे की पाठ्यक्रम का भी सही मूल्यांकन हो सके एवं उसका वास्तविक स्वरूप परिलक्षित हो सके।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप समझ सकेंगे –

- मूल्यांकन के विभिन्न आयामों का वर्णन कर सकेंगे।
- मूल्यांकन के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकेंगे।
- मूल्यांकन के उभरते प्रवृतियों की व्याख्या कर सकेंगे।
- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकताओं एवं महत्त्वों को रेखांकित कर सकेंगे।
- शिक्षक निर्मित परीक्षण की व्याख्या कर सकेंगे।
- श्रेणीकरण प्रणाली का वर्णन कर सकेंगे।

2.3 मूल्यांकन के विभिन्न आयाम

शिक्षा उद्देश्य बहु आयामी होता है, जिससे की बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण भी उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिससे बच्चों का सभी क्षेत्रों में अधिकतम विकास हो सके। कोई पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे रहा है या नहीं यह जानने के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता हे। चूँकि पाठ्यक्रम बच्चों के विकास के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, अध्यात्मिक आदि विभिन्न आयामों को प्रभावित करता है। अतः पाठ्यक्रम के मूल्यांकन भी इन विभिन्न आयामों में करना आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हम विभिन्न स्तर पर करते है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित करने के स्तर पर, पाठ्य सामग्री का चयन करने के स्तर पर पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के स्तर पर या फिर मूल्यांकन स्तर पर। हमें प्रत्येक स्तर पर प्रतिक्रिया प्राप्त होता है और उस प्रतिक्रिया के आधार पर हम प्रत्येक स्तर पर संशोधन करते है। अतः पाठ्यक्रम के इन विभिन्न स्तरों पर सुनिश्चित करना होगा कि यह बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों को

पूरा कर सकता है या नहीं। इस तरह पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में उन विभिन्न आयामों को शामिल किया जाना आवश्यक हो जाता है जिन आयामों में बच्चों का विकास अपेक्षित है।

2.4 मूल्यांकन के प्रकार एवं मॉडल

ऊपर के अनुच्छेद में जैसा कि वर्णन किया गया है कि मूल्यांकन बहुआयामी होता हैं। चूँकि पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अतः प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन होना भी आवश्यक हो जाता है। मूल्यांकन की चली आ रही परम्परागत प्रक्रिया को देखें तो यह स्पष्ट रूप से दीखता है कि परम्परागत मूल्यांकन प्रक्रियाएं केवल कुछ ही क्षेत्रों में या फिर कुछ ही योग्यताओं को मापने का काम करती है। अन्य योग्यताएं अनआंकलित रह जाती है। अतः यह मूल्यांकन अपर्याप्त होता है तथा बच्चों के सर्वागीण विकास का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करने में असक्षम रहता है। मूल्यांकन के इस अपर्याप्तता का मुख्य कारण यह है कि हम मुख्य रूप से मात्रात्मक मूल्यांकन पर बल देते है। मूल्यांकन मुख्यतः दो तरह का होना चाहिए मात्रात्मक एवं गुणात्मक। दोनों ही मूल्यांकन एक दूसरे का पूरक है। एक के अभाव में दूसरा अधूरा रह जाता है। बच्चों के सर्वागीण विकास के विभिन्न क्षेत्रा में से कुछ क्षेत्र ऐसे है जिसमें मात्रात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है तथा कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ गुणात्मक मूल्यांकन की आश्यकता होती है। कई बार एक ही क्षेत्र में भी गात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन से ही किसी बच्चों के सर्वागीण विकास का महत्व नहीं रहता है बल्कि उसमें गुणात्मक विकास भी वांछनीय होता हैं। गुणात्मक विकास के अभाव में पाठ्यक्रम का उद्देश्य अधूरा रह जाता है और फिर उसे पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम का संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, जिससे की बच्चों में मात्रात्मक विकास के साथ–साथ गुणात्मक विकास भी हो सके। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार विभिन्न मॉडल को प्रस्तुत करते है, जिसका वर्णन आगे के अनुच्छेद में किया गया है।

2.5 संदर्भ, विशिष्ट, प्रक्रिया एवं उत्पाद (CIPP) मॉडल

संदर्भ, निविष्ट, प्रक्रिया एवं उत्पाद Context, Input, Process and Product (CIPP) मॉडल डैनिएल एल स्टफलबीम के द्वारा दिया गया है इसलिए CIPP मॉडल को स्टफलबीम मॉडल भी कहा जाता है। यह मॉडल पाठ्यक्रम के समग्र प्रभाव को निर्धारित करने के लिए रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन पर निर्भर करता है। इस मॉडल के अनुसार मूल्यांकन कर्ता सबसे पहले पृष्ठभूमि निर्धारित करता है जिसमें नवाचारों को लागू किया जा सकता है। कोई पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कर उसमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिए संदर्भ की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू निविष्ट हैं। इसके तहत यह निर्धारित किया जाता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का उपयोग के लिए जानकारी दी जाती है। तत्पश्चात् पाठ्यक्रम क्रियान्वयन में प्रतिक्रिया का प्रावधान किया जाता है। अन्त में पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्ण होने के बाद व्यवस्थित रूप से आंकड़े प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि को मापने के आंकड़े की व्यख्या की जाती है जिससे यह पता चलता है कि पाठ्यक्रम को जारी रखा जाय या फिर उसमें किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता है। इस तरह इस मॉडल में उत्पाद एवं निविष्ट के आधार पर पाठ्यक्रम के प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते है। इसलिए इसे संदर्भ निविष्ट प्रक्रिया एवं उत्पाद मॉडल कहा जाता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए यह एक प्रभावी मॉडल माना जाता है। जिसमें संदर्भ निविष्ट, प्रक्रिया एवं उत्पाद सभी सम्मिलित है।

2.6 उद्देश्य केन्द्रित मॉडल

उद्देश्य केन्द्रित मॉडल राल्फ टायलर के द्वारा दिया गया है इसलिए इसे टायलर मॉडल भी कहा जाता है। टायलर मॉडल का केन्द्र बिन्दु उद्देश्य है अतः इसे उद्देश्य केन्द्रित मॉडल भी कहा जाता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के इस मॉडल में टायलर का मानना है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पहले से निर्धारित किये गये व्यवहारिक उद्देश्यों के साथ शुरू करना आवश्यक है। उन उद्देश्यों को सीखने की सामग्री एवं संभावित छात्र व्यवहार दोनों में निर्दिष्ट करना चाहिए। इन व्यवहारों को उत्पन्न या प्रोत्साहित करने के लिए उन परिस्थितियों को पहचाने जो छात्रों को उद्देश्यों में सन्निहित व्यवहार व्यक्त करने का अवसर दें। उदाहरण स्वरूप यदि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में अभिव्यक्ति भाषा का विकास करना है एवं अभिव्यक्ति भाषा का मूल्यांकन करना चाहते है तो अभिव्यक्ति भाषा को बढ़ावा देने वाले परिस्थितियों का पहचान करें। तत्पश्चात् विभिन्न उपयुक्त मूल्यांकन उपकरणों का निर्माण या चयन कर उसका उपयोग करें एवं इन उपकरणों से प्राप्त परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन कर पाठ्यक्रम की कमजोरियों एवं मजबूतियों का निर्धारण किया जाता है। अन्त में इन परिणामों के आधार पर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किया जाता है। इस मॉडल के कई लाभ है जिनमें से कुछ निम्नलिखित है।

- यह मॉडल समझने एवं लागू करने में आसान है।
- यह तर्क संगत एवं व्यवस्थित है।
- इसमें छात्रों के प्रदर्शन के साथ–साथ पाठ्यक्रम के मजबूतियों एवं कमजोरियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- इसमें मूल्यांकन, विश्लेषण एवं संशोधन की सतत चक्र पर जोर दिया जाता है।

  कोई भी मॉडल सभी दृष्टि से सम्पन्न नहीं होता है। उसमें कुछ न कुछ कमियाँ रहती ही है। इस मॉडल की कुछ कमियाँ निम्नलिखित है।

- इस मॉडल में इस बात का सुझाव नहीं दिया गया है कि कैसे उद्देश्यों के लिए स्वंम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- इस मॉडल में मानकों को जोड़ने या मानकों को विकसित किये जाने संबंधित कोई सुझाव नहीं दिया गया है।
- इसमें प्रारम्भिक आकलन की आवश्यकताओं का कोई चर्चा नहीं किया गया है। यानी उद्देश्यों की पूर्व कथन से पूर्व आंकलन की कोई बात नहीं कहीं गई है।
- इस मॉडल में पूर्व मूल्यांकन एवं बाद के मूल्यांकन पर अनावश्यक बल दिया गया है।

2.7 सामाजिक परिस्थिति मॉडल

पाठ्यक्रम मूल्यांकन का यह मॉडल हिल्डा टाबा के द्वारा दिया गया इसलिए इस मॉडल को हिल्डा टाबा मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में पाठ्यक्रम प्रक्रिया के कारण एवं प्रभाव के संबंध पर बल दिया गया है। इसमें अध्ययन सामग्री का नियंत्रित प्रयोग किया जाता है तथा छात्रों के उपलब्धि पर प्रभाव देखा जाता है। इसमें अलग–अलग अध्ययन सामग्री तैयार किया जाता है जिसे अलग–अलग छात्रों के समूह पर उसका

क्रियान्वयन किया जाता है। तत्पश्चात् पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह मूल्यांकन के उपरान्त उसमें आवश्यक संशोधन किया जाता है।

2.8 मूल्यांकन के उभरते प्रवृतियाँ

ऊपर के अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन दोनों ही आवश्यक है। किसी एक के अभाव में दूसरा अधूरा है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मूल्यांकन का तात्पर्य सिर्फ उपलब्धि के मापने से नहीं है, बल्कि उस उपलब्धि के गुणवत्ता को जांचना भी मूल्यांकन का ही कार्य है। अतः मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सिर्फ पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन से जो बच्चों ने उपलब्धि हासिल की है उसी का मूल्यांकन न करें बल्कि उस उपलब्धि का गुणवत्ता कितनी है, यह भी मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह का मूल्यांकन तभी संभव होगा जब हम मात्रात्मक मूल्यांकन के साथ–साथ गुणात्मक मूल्यांकन पर बल देगें। मूल्यांकन के इस वृहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल्यांकन के प्रवृत्तियों में समय–समय पर काफी बदलाव आते रहे है।

वर्तमान में मूल्यांकन के इन वृहत एवं सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मूल्यांकन के कई नई प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आए है। इन प्रवृत्तियों में कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार है।

- सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन
- शिक्षक निर्मित परीक्षण
- श्रेणी करण प्रणाली

ये सभी मूल्यांकन प्रणाली सार्वभोम मूल्यांकन की ओर अग्रसित होता है, जिसमें मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करने की कोशिश की गई है। मूल्यांकन के इन उभरते हुए विभिन्न प्रवृत्तियों की चर्चा हम आगे के अनुच्छेद में विस्तार से करेंगे।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र01 मात्रात्मक मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही/गलत।

....

....

प्र02 मूल्यांकन के दौरान छात्रों को प्रदर्शन को किन दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है।

....

....

प्र03 मूल्यांकन के संदर्भ, निविष्ट एवं उत्पाद (CIPP) मॉडल किसके द्वारा किया गया है?

....

....

2.9 सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन

सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन से तात्पर्य है लगातार चलने वाली विस्तृत मूल्यांकन पद्धति। इसमें सतत से हमारा तात्पर्य मूल्यांकन की समय से है। इस मूल्यांकन में मूल्यांकन का कोई समय सुनिश्चित नहीं होती है। यह लगातार पूरे वर्ष चलने वाली प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो पाठ्यक्रम में अन्तर्निहित होता है। यह औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी तरीके से किया जाता है। विस्तृत का तात्पर्य यहाँ पर मूल्यांकन के विभिन्न आयामों से है। इस पद्धति में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, अध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ–साथ इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के मूल्यांकन सम्मिलित है। अतः इसे विस्तृत कहा जाता है। इसके साथ ही इस मूल्यांकन में विभिन्न व्यक्ति जैसे शिक्षक, छात्र, सहकर्मी, माता–पिता, समुदाय आदि शामिल होते हैं। अतः इसे बहु आयामी भी कहा जाता है।

इस तरह हम कह सकते है कि सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन एक बहु आयामी मूल्यांकन पद्धति है जो पूरे वर्ष एक नियमित अवधि पर चलता है। इसमें छात्रों के विभिन्न आयामों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन शिक्षक, छात्र, सहकर्मी माता–पिता समुदाय आदि के द्वारा किया जाता है। सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन लचीलापन कार्यक्षमता, जवाबदेही एवं अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त पर आधारित है। इस मूल्यांकन पद्धति में छात्रों के सीखने के वातावरण जैसे परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं संसाधनों का ध्यान भी मूल्यांकन करते समय रखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस मूल्यांकन में उन सभी घटकों का ध्यान रखा जाता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाठ्यक्रम के प्रभाविकता को प्रभावित करता है। इन सभी घटकों के अभाव में पाठ्यक्रम का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह मूल्यांकन पद्धति वास्तविक स्थिति पर आधारित है।

2.9.1 सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन के महत्व

वर्षों से मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए लगातार कई सुझाव आते रहे है। इन सभी सुझावों के फलस्वरूप सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन एक व्यापक रूप रेखा के साथ तैयार किया गया है। सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन के घटक पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली की कठोरता एवं छात्रों के तनाव को कम करने के साथ साथ बच्चों को विभिन्न आयामों में पूर्ण भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे बच्चों के व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, संज्ञानात्मक भावात्मक आदि विभिन्न आयामों में अधिकतम विकास होता है। इसके साथ ही रचनात्मक मूल्यांकन गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभाती है। इस तरह सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण महत्वों को नीचे दर्शाया गया है।

- यह मूल्यांकन पूरे वर्ष एक निर्धारित समयावधि के बाद होते रहता है।
- इस मूल्यांकन में विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है।
- इस मूल्यांकन में शिक्षक छात्र, माता–पिता, समुदाय आदि कई व्यक्ति शामिल होते है।
- इस मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया जाता है।

- चूँकि यह मूल्यांकन पूरे वर्ष चलता रहता है। अतः बच्चों में मूल्यांकन का तनाव कम हो जाता है।
- यह मूल्यांकन बच्चों के भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोड़ देता है।
- यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तरों में तुरन्त सुधार करने का एक अवसर प्रदान करता है।
- इसमें समय एवं धन का बचाव होता है क्योंकि इसमें लगातार सुधार होता रहता है।
- यह कक्षा में छात्रों के उपस्थिति एवं अवधारणा को बढ़ावा देता है।
- यह कक्षा के आनन्द को बढ़ाने में मदद करता है।
- यह छात्रों के गहन सोच को बढ़ाता है।
- इसे समग्र मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है।

2.10 श्रेणी करण प्रणाली

श्रेणीकरण प्रणाली मूल्यांकन की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। श्रेणी करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रणाली में छात्रों के प्रदर्शन एवं प्रवीणता के आधार पर उनको कुछ क्षमता में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें विशिष्ट प्रतीकों या अंकों का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक तथा अन्य सभी हितधारकों द्वारा सामान्य रूप से समझा जाता है।

श्रेणी करण मुख्यतः दो प्रकार के होते है –

2.10.1 प्रत्यक्ष श्रेणी करण

इस श्रेणीकरण में मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्राप्त धारणाओं के आधार पर विशिष्ट व्यवहार के रूप में व्यक्त कुछ संकेतों का उपयोग करके सीधे श्रेणी में व्यक्त किया जाता है। इसलिए इसे प्रत्यक्ष श्रेणी करण कहा जाता है। इस श्रेणी करण में शिक्षार्थियों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन को गुणात्मक शब्दों में मूल्यांकन किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा संज्ञानात्मक एवं गैर संज्ञानात्मक सीखने के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

किसी उत्तर के श्रेणी अंक को महत्व (वेटेज) से गुणा कर उत्तर के भारित श्रेणी अंक प्राप्त किया जाता है। सभी भारित श्रेणी अंक के योग को महत्व (वेटेज) के योग से विभाजित कर औसत श्रेणी अंक Grade Point Average (GPA) प्राप्त किया जाता है। इन सभी विषयों के औसत श्रेणी के योग का औसत निकाल कर संचयी श्रेणी बिन्दु Camulative Grade Point Average (CGPA) निकाला जाता है।

2.10.2 अप्रत्यक्ष श्रेणी करण

अप्रत्यक्ष श्रेणी करण में हमेशा की तरह पहले उत्तरों के लिए अंक प्रदान किया जाता है और फिर इन अंकों को श्रेणी में बदला जाता है। चूँकि इस प्रणाली में अप्रत्यक्ष रूप से

अंकों को श्रेणी में बदला जाता है इसलिए इस प्रणाली को अप्रत्यक्ष श्रेणीकरण प्रणाली कहा जाता है। अप्रत्यक्ष श्रेणी करण प्रणाली मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है –

- आदर्श संदर्भित (Norm referenced) श्रेणी करण : इस प्रणाली में छात्रों के श्रेणी का निर्धारण पूर्ण मानक के बजाय कुल समूह में उसके सापेक्ष श्रेणी के आधार पर किया जाता है।

  चूँकि श्रेणी सापेक्ष प्रदर्शन पर आधारित है अतः छात्र का श्रेणी उसके स्वंम के प्रदर्शन तथा समूह के प्रदर्शन दोनों पर निर्भर करता है।

- मानक संदर्भित (Criterion referenced) श्रेणी करण : इस प्रणाली में छात्रों का श्रेणी करण पूर्ण मानक के आधार पर किया जाता है। यह मानक संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रणाली में छात्रों के श्रेणी उसके स्वंम के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

दोनों ही श्रेणी करण पद्धति अपने आप में महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का श्रेणी करण उपयुक्त है यह उस उद्‌देश्य पर निर्भर करेगा जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि समूह मे सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन करना चाहते है तो आदर्श संदर्भित श्रेणीकरण अपनाना चाहिए, लेकिन प्रत्येक छात्र ने क्या हासिल किया यह जानने के लिए मानक संदर्भित श्रेणीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र04 राल्फ टायलर मॉडल किस पर केन्द्रित है ?

....

....

प्र05 सामाजिक परिस्थिति मॉडल किसके द्वारा दिया गया है।

....

....

प्र09 श्रेणी करण के किन्हीं दो प्रकार के नाम लिखिए।

....

....

2.11 सारांश

किसी भी पाठ्‌यक्रम की प्रभावशीलता को जानने लिए पाठ्‌यक्रम के विभिन्न आयामों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। कोई भी पाठ्‌यक्रम छात्र के व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक आदि विभिन्न क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देती है यह जानने के लिए इन विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार से किया जाता है। मूल्यांकन के विभिन्न मॉडल है। इनमें से संदर्भ, निविष्ट, प्रक्रिया एवं उत्पाद (CIPP) मॉडल जो कि डैनियल,

एल0 स्टफलबीम द्वारा दिया गया है, राल्फ टायलर का उद्देश्य केन्द्रित मॉडल तथा हिल्डा टाबा का सामाजिक परिस्थिति मॉडल प्रमुख है। वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न उभरते प्रवृत्तियों में से सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली तथा श्रेणी करण प्रणाली प्रमुख है। श्रेणी करण मुख्यतः दो प्रकार के होते है। प्रत्यक्ष श्रेणीकरण तथा अप्रत्यक्ष श्रेणीकरण। अप्रत्यक्ष श्रेणी करण आदर्श संदर्भित एवं मानक संदर्भित दोनों ही तरीकों से किया जाता है।

2.12 शब्द सूची

मात्रात्मक मूल्यांकन : मात्रात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे मूल्यांकन पद्धति से है जिसमें मूल्यांकन के परिणाम को मात्रात्मक क रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

गुणात्मक मूल्यांकन : गुणात्मक मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य ऐसे मूल्यांकन पद्धति से है जिसमें मूल्यांकन के परिणाम को मात्रात्मक के बजाय गुणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सतत् एवं विस्तृत मूल्यांकन : यह एक बहु आयामी मूल्यांकन पद्धति है जिसमें शिक्षक, छात्र, माता–पिता एवं समुदाय सभी शामिल होते है तथा इसमें सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन पूरे वर्ष एक निश्चित समय अवधि के अन्तराल पर चलता रहता है।

श्रेणी करण प्रणाली : यह मूल्यांकन की वह प्रणाली है जिसमें छात्रों के प्रदर्शन एवं प्रवीणता के आधार पर कुछ क्षमता में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रत्यक्ष श्रेणी करण : श्रेणी करण की वह प्रक्रिया जिसमें मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्राप्त धारणाओं के आधार पर विशिष्ट व्यवहार के रूप में व्यक्त कुछ संकेतों का उपयोग करके सीधे श्रेणी में व्यक्त किया जाता है, प्रत्यक्ष श्रेणीकरण कहलाता है।

अप्रत्यक्ष श्रेणीकरण : श्रेणी करण की वह प्रक्रिया जिसमें पहले उत्तरों के लिए अंक प्रदान किया जाता है और फिर इन अंकों को श्रेणी में बदला जाता है अप्रत्यक्ष श्रेणी करण कहलाता है।

2.13 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 मात्रात्मक मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही/गलत।

उत्तर–1 सही

प्रश्न–2 मूल्यांकन के दौरान छात्रों को प्रदर्शन को किन दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है।

उत्तर–2 मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है।

प्रश्न–3 मूल्यांकन के संदर्भ, निविष्ट एवं उत्पाद (CIPP) मॉडल किसके द्वारा किया गया है?

उत्तर–3 डैनियल एल0 स्टफलबीम के द्वारा।

प्रश्न–4 राल्फ टायलर मॉडल किस पर केन्द्रित है ?

उत्तर–4 उद्देश्य केन्द्रित है।

प्रश्न–5 सामाजिक परिस्थिति मॉडल किसके द्वारा दिया गया है।

उत्तर–5 हिल्डा टाबा के द्वारा।

प्रश्न–6 श्रेणी करण के किन्हीं दो प्रकार के नाम लिखिए।

उत्तर–6 प्रत्यक्ष श्रेणी करण एवं अप्रत्यक्ष श्रेणी करण।

2.14 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 मूल्यांकन के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–2 विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–3 सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन के महत्वों को लिखिए।

प्रश्न–4 संदर्भ, निविष्ट, प्रक्रिया एवं उत्पाद (CIPP) मॉडल से आप क्या समझते है ?

प्रश्न–5 आदर्श संदर्भित एवं मानक संदर्भित श्रेणी करण में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न–6 अप्रत्यक्ष श्रेणी करण की व्याख्या कीजिए।

2.15 संदर्भ ग्रन्थ

- क्रौ, आई0डी, एवं क्रौ0 ए0 (1962), शिक्षा का परिचय, यूरेशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- माथुर, एस0 एस0 (1981), शिक्षण कला, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
- भिन्न, आत्मानन्द (1985), शिक्षण कला, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- स्पीयर्स, एच0 (1953), टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल, प्रैंटिस हाल, न्यूयार्क।
- मैकमिलन, जे0एच0 (2004), कक्षा मूल्यांकन : प्रभावी निर्देश के लिए सिद्धान्त और अभ्यास (तीसरा संस्करण), रोस्टन, एलेय एवं बेकन।
- नारायण, जे, (संपादित) (1999) स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीट, एल0आई0एम0एच0 सिकन्रादाबाद।
- हेवेट एफ0एम0 (1974), ऐजुकेशन ऑफ इकस्पेशनल लर्नर, बोस्टन, ऐलेन एवं बेकन।
- फोस्टरिंग डेवलपमेन्ट इन अरली इयर, अवेयरनेस कम ट्रेनिंग पॉकेज इन डिसवलिटी, मेन्टल रिटार्डेशन (इग्नू)
- बाइन, डी (1988) हेन्डी कैप्ड चिल्ड्रेन इन डवलपिंग कन्ट्रीज, एसेसमेंट, करिकुलम एण्ड इन्सट्रक्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबर्टा, अलबर्टा।
- एन्ड्रेशन डी0सी0 (1989) इवाल्युएटिंग करिकुलम प्रयोजल, ए क्रिटिकल गाइड0 विलय, न्यूयार्क।

- हॉवेल के0 डब्लू एण्ड मॉर हेड एम0के0 (1987) : करिकुलम बेस्ड इवेलुएशन फॉर स्पेशल एण्ड रिमेडियल एजुकेशन।
- वोवरटन टी0 (1992) एसेसेमेन्ट इन स्पेशल एजुकेशन एन अप्लाइड एप्रोच, मैकमिलन न्यूयार्क।
- टाबा, हिल्डा (1962), करिकुलम डवलपमेंट, थ्योरी एण्ड प्राक्टिस न्यूयार्क हारकोर्ट।
- डॉल, आर0सी0 (1986), करिकुलम इमप्रुवमेंट : डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रोसेस बोस्टन : एलेन एण्ड बेकन।
- टेलर, आर0 डब्लू0. (1949) बेसिक प्रिंसपल्स ऑफ करिकुलम एण्ड इन्स्ट्रक्शन चिकागो : यूनिवर्सिटी आफ चिकागो प्रेस।

इकाई–15

समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों का विभेदित मूल्यांकन

संरचना–

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 विभेदित मूल्यांकन की अवधारणा

3.4 विभेदित मूल्यांकन की आवश्यकताएँ

3.5 विभेदित मूल्यांकन के विभिन्न स्तर

3.5.1 शैक्षणिक लचीलापन

3.5.2 अनुकूलन।

3.5.2 (अ) समायोजन

3.5.2 (ब) संशोधन

3.6 विभेदित मूल्यांकन के प्रयोग में शिक्षकों का निर्णय

3.7 बौद्धिक अक्षम छात्रों के विभेदित मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ

3.8 रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से दी गई जानकारी विभेदित मूल्यांकन से प्रभावित होती है

3.9 विभेदित मूल्यांकन एवं आवश्यकताओं के स्तर में कमी

3.10 विभेदित मूल्यांकन के लाभ

3.11 सारांश

3.12 शब्द सूची

3.13 बोध प्रश्न एवं उत्तर

3.14 अभ्यास प्रश्न

3.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची

3.1 प्रस्तावना

शिक्षक अपने कक्षा के छात्रों में हमेशा काफी विभिन्नताएं देखते है। कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं अलग–अलग होती है। शिक्षक इन छात्रों की आवश्यकताओं की

पूर्ति करने का पूरा कोशिश करता है। कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अनेक उपाय है। इनमें से विभेदित मूल्यांकन भी एक उपाय है, जिससे कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, जहाँ विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के साथ–साथ बौद्धिक अक्षम छात्र भी कक्षा में मौजूद हो वहाँ विभेदित मूल्यांकन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप समझ सकेंगे –

- विभेदित मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
- विभेदित मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कर सकेंगे।
- विभेदित मूल्यांकन की आवश्यकताएं एवं मापदंड का मूल्यांकन कर सकेंगे।
- विभेदित मूल्यांकन का लाभों को बता सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों छात्रों के लिए अपनाए जाने वाले विभेदित मूल्यांकन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे।
- अनुकूलित रिपोर्ट कार्ड के उपयोगिता का औचित्य बता सकेंगे।

3.3 विभेदित मूल्यांकन की अवधारणा

समावेशी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न क्षमताओं एवं आवश्यकताओं वाले छात्रों को एक साथ पढ़ने लिखने का अवसर मिलता है। इस व्यवस्था में विभिन्न दिव्यांग छात्रों के साथ–साथ बौद्धिक अक्षम बच्चे भी शामिल रहते है। इन विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों की आवश्यकताएं अलग–अलग होती है। अतः इन बच्चों के क्षमता योग्यता एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में इन बच्चों का मूल्यांकन भी उनके क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। इसीलिए समावेशी व्यवस्था में हमें विभेदित मूल्यांकन की आवश्यकताएँ होती है। विभेदित मूल्यांकन शब्द का उपयोग मुख रूप से मूल्यांकन प्रथाओं पर शैक्षणिक विभेद के प्रभावों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विभेदित मूल्यांकन में समरूपता (Equity) का मूल्य निहित होता है। विभेदित मूल्यांकन शिक्षकों को अपने छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं के मद्देनजर उनके शिक्षण प्रशिक्षण एवं हस्तक्षेप की बेहतर योजना बनाने की अनुमति प्रदान करता है। छात्रों के सीखने के अलग–अलग दृष्टिकोण से उनमें भेदभाव नहीं होता है, बल्कि मूल्यांकन के मूलभूत मूल्यों को छोड़ने के कारण उनमें भेद–भाव उत्पन्न होता है। अतः मूल्यांकन के मूलभूत मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें न्याय और समानता शामिल है। इस प्रकार समावेशी व्यवस्था में छात्रों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित मूल्यांकन का उपयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है।

3.4 विभेदित मूल्यांकन की आवश्यकताएं

परम्परागत या पुरानी मूल्यांकन प्रणाली छात्रों के व्यक्तिगत हितों, प्राथमिकताओं एवं समर्थन की आवश्यकताओं का परवाह नहीं करता है। यह मूल्यांकन प्रणाली अक्सर सभी छात्रों के साथ एक ही तरीके से व्यवहार करती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में खास

कर बौद्धिक अक्षम बच्चों के मूल्यांकन हेतु यह प्रणाली जटिल, अधिक समय लेने वाला तथा अक्षम है। यह मूल्यांकन प्रणाली विभिन्न आवश्यकताओं एवं क्षमताओं वाले छात्रों का मूल्यांकन करने में असक्षम है। अतः ऐसी स्थिति में मूल्यांकन के एक नए प्रणाली का विकास होता है जिसे विभेदित मूल्यांकन प्रणाली कहा जाता है। विभेदित मूल्यांकन प्रणाली में विभिन्न आवश्यकताओं एवं क्षमताओं वाले छात्रों का मूल्यांकन उनके आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। इस प्रणाली के द्वारा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बौद्धिक अक्षम बच्चों का भी मूल्यांकन करना आसान हो जाता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है प्रत्येक छात्रों की आवश्यकताएं अलग–अलग होती है बौद्धिक अक्षम बच्चों के संदर्भ में देखे तो उनकी आवश्यकताएं और भी भिन्न होती है। अतः इन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम उनके आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाता है या फिर आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में समावेशन, संशोधन एवं अनुकूलन किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए जब पाठ्यक्रम का विकास अलग–अलग उनके आवश्यकतानुसार किया गया है या फिर पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार समावेशन, संशोधन एवं अनुकूलन किया गया है ऐसी स्थिति में मूलयांकन प्रणाली एक नहीं हो सकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा प्रणाली में बौद्धिक अक्षम बच्चें एवं उनके पाठ्यक्रम में मूल्यांकन के लिए विभेदित मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि इन बच्चों के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन या सुधार किया जा सके।

3.5 विभेदित मूल्यांकन के विभिन्न स्तर

समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विभेदित मूल्यांकन विशेष रूप से बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए कई स्तर पर क्रियान्वित होती है। इनमें से कुछ प्रमुख स्तर निम्नलिखित है जिन स्तरों पर विभेदित मूल्यांकन क्रियान्वित की जाती है।

- शैक्षणिक लचीलापन
- अनुकूलन
  - समावेशन एवं
  - संशोधन।

3.5.1 शैक्षणिक लचीलापन

शैक्षणिक लचीलापन का उपयोग मुख्य रूप से सभी छात्रों को विकल्प प्रदान करने के लिए किया जाता है। विकल्प प्रदान करते समय शिक्षकों को यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उन विकल्पों का चयन न करें जिससे मूल्यांकन की दक्षताएं, आवश्यकताएं, कार्यों की कठिनाईयाँ या मूल्यांकन मानदंडों को प्रभावित करता है। शैक्षणिक लचीले पन से शिक्षकों को उन छात्रों विशेष रूप से बौद्धिक अक्षम छात्रों की जरूरतों पर विचार करने का अवसर मिलता है, जिन पर यदि तुरन्त कार्रवाई नहीं की जाए तो उनके असफल होने का डर रहता है। साथ ही शैक्षणिक लचीलापन अधिक उन्नत छात्रों के लिए संवर्धन की पेशकश भी करता है। इस तरह शिक्षक सभी छात्रों को उचित एवं विविध चुनौतियाँ प्रदान करता है।

उदाहरण स्वरूप एक योग्यता से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप करना, प्रश्नों का उत्तर देना या फिर समस्याओं का समाधान करना शैक्षणिक लचीलेपन के अन्तर्गत आता है।

3.5.2 अनुकूलन

छात्रों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन संबंधित क्रियाकलाप में शामिल होने के तरीके को बदलना अनुकूलन कहलाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विशेष बच्चों खासकर बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है। अनुकूलन निम्न प्रकार से करते है। समायोजन या/और संशोधन के द्वारा।

3.5.2 (अ) समायोजन

समायोजन अनुकूलन करने के वह तरीका है जिसमें किये जाने वाले कार्यों के कठिनाई स्तर, लक्षित की गई आवश्यकताओं या फिर मूल्यांकन के मानदंड को प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण स्वरूप दृष्टिबाधित छात्रों के ब्रेल या फिर कम दृष्टि वाले छात्रों को बड़े अक्षरों वाले प्रिंट सामग्री पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना। बौद्धिक अक्षम बच्चों को मौखिक संचार माध्यम के बजाय वैकल्पिक संबंधित संचार माध्यम से दिशा निर्देश देना आदि।

3.5.2 (ब) संशोधन

संशोधन अनुकूलन करने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। यह ऐसी असाधारण उपाय है, जिसमें समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अध्ययनरत् विशेष छात्र खास तौर पर बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए सीखने एवं मूल्यांकन की स्थितियों की प्रकृति को बदल दिया जाता है। इसका वर्णन छात्रों के व्यक्तिगत शिक्षा योजना में उल्लेखित रहता है। इसमें छात्रों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कठिनाई स्तर, लक्ष्य की गई दक्षताओं एवं मूल्यांकन मानदंडों में संशोधन का बदलाव किया जाता है। ऐसी स्थिति में छात्रों एवं उनको माता पिता को अध्ययन के प्रमाणन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाना आवश्यक हो जाता है, जिसमें संशोधन शामिल किया गया हो। संशोधन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है।

- अन्य छात्रों की तुलना में बौद्धिक अक्षम छात्रों को कम एवं छोटा कार्य देना। जैसे सामान्य छात्रों को निबन्ध एवं बौद्धिक अक्षम बच्चों को अनुच्छेद लेखन हेतु देना।
- समस्या के समाधान करने के लिए शिक्षक द्वारा जानकारी की पहचान करने में सहायता प्रदान करना।

इस तरह हम देखते है कि विभेदित मूल्यांकन द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं वाले छात्रों एवं पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन कर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे बौद्धिक अक्षम छात्रों के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

3.6 विभेदित मूल्यांकन के प्रयोग में शिक्षकों का निर्णय

जिस तरह शिक्षक किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक उसी तरह शिक्षक मूल्यांकन व्यवस्था के भी अभिन्न अंग होते है। विशेष छात्र खास तौर पर बौद्धिक अक्षम बच्चों के मूल्यांकन में शिक्षकों का निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। किसी भी बच्चों का मूल्यांकन निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होता है। यदि शिक्षक ने बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय उसमें कोई आवश्यक अनुकूलन, समायोजन या फिर संशोधन किया है तो उस बच्चे का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होगा। अतः छात्रों के साथ विभेदित मूल्यांकन प्रयोग होगा या नहीं यह छात्रों के आवश्यकतानुसार उसके संबंधित शिक्षक ही निर्धारण करेंगे।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन आवश्यक हो जाता है। शिक्षक को छात्रों के माता–पिता एवं स्कूल के संबंधित कर्मचारियों के साथ मिलकर इन बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार करना चाहिए। आवश्यकतानुसार उसमें अनुकूलन, समायोजन तथा संशोधन भी करना चाहिए। मूल्यांकन करने से पूर्व भी शिक्षक को यह देखना आवश्यक हो जाता है कि मूल्यांकन की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक छात्रों के आवश्यकताओं के आधार पर विभेदित मूल्यांकन का उपयोग करता है। मूल्यांकन के लिए विभेदित मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करना है या नहीं यह जानने के लिए शिक्षक छात्र के सीखने की प्रक्रिया का निरीक्षण करता है और फिर उसके आधार पर वह निर्णय लेता है कि इनके लिए विभेदित मूल्यांकन आवश्यक है या नहीं।

3.7 बौद्धिक अक्षम छात्रों के विभेदित मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ

सभी छात्र अपने आप में एक दूसरे से भिन्न होते है। विशेष बच्चों में खास तौर पर बौद्धिक अक्षम बच्चों में यह विभिन्नता और भी ज्यादा होता है। इन विभिन्नताओं के कारण इनकी आवश्यकताएँ भी अलग–अलग होती है। अतः इन छात्रों के लिए विभेदित मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण इनके आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप यदि दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में ब्रेल को शामिल किया जा सकता है। किन्तु यदि बच्चा अल्पदृष्टि है तो बड़े अक्षरों वाला प्रिंट का प्रयोग मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया बौद्धिक अक्षम छात्रों के व्यक्तिगत शिक्षा योजना में शामिल रहता है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण उनके आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है या फिर सामान्य पाठ्यक्रम में इन छात्रों के आवश्यकतानुसार अनुकूलन, समायोजन या संशोधन किया जाता है। अतः इन बच्चों के लिए विभेदित मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विभेदित मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित विद्यालय के शिक्षक, संबंधित कर्मचारी, माता–पिता एवं छात्र के सहयोग से निर्धारित किया जाता है। अलग–अलग छात्र के लिए विभेदित मूल्यांकन की प्रक्रिया अलग–अलग हो सकती है। कोई एक व्यक्ति विभेदित मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करता है। उन बच्चों से संबंधित सभी व्यक्ति के सहयोग से प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। बौद्धिक अक्षमता के स्तर इनके लिए निर्धारित कार्यक्रम एवं उनके क्षमता भी विभेदित मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र01 समावेशी शिक्षा व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए विभेदित मूल्यांकन आवश्यक है। सही/गलत

....

....

प्र02 विभेदित मूल्यांकन पद्धति में छात्रों के क्षमता, योग्यता एवं आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। सही/गलत

....

....

प्र03 बौद्धिक अक्षम छात्रों के लिए किन–किन स्तर पर विभेदित मूल्यांकन क्रियान्वित होती है।

....

....

3.8 रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से दी गई जानकारी विभेदित मूल्यांकन से प्रभावित होती हैं

किसी भी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के मूल्यांकन के बाद छात्र एवं उसके माता–पिता को बच्चों के प्रगति के बारे में सूचना दी जाती है। शिक्षकों का यह जिम्मेदारी होता है कि बच्चों के माता–पिता को सूचित करें कि उनके बच्चे का प्रगति सभी छात्रों के लिए निर्धारित की गई आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। यदि किसी छात्र को अनुकूलन, समायोजन या संशोधन से लाभ पहुँचता है तो इसकी भी जानकारी उनके माता–पिता को देना आवश्यक हो जाता है। इस तरह समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विशेष छात्रों के लिए विभेदित मूल्यांकन व्यवस्था किया जाता है, जिससे की छात्र अपनी पूरी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन कर सके। चूँकि अलग–अलग छात्रों के लिए विभेदित मूल्यांकन प्रक्रिया में अलग–अलग तरह के परिवर्तन छात्रों के आवश्यकतानुसार किया जाता है। विभेदित मूल्यांकन में की गई इस परिवर्तन को छात्रों के रिपोर्ट कार्ड में वर्णन किया जाता है। साथ ही किस प्रकार का अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन किया गया है यह भी उस छात्र के रिपोर्ट कार्ड में वर्णन किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक छात्र के रिपोर्ट कार्ड की जानकारी एक जैसा नहीं होकर अलग–अलग होती है। अतः यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से माता–पिता एवं छात्र को दी गई जानकारी विभेदित मूल्यांकन से प्रभावित होता है।

3.9 विभेदित मूल्यांकन एवं आवश्यताओं के स्तर में कमी

इस इकाई के अनुच्छेद 3.5 में इस बात का वर्णन कियो गया है कि विभेदित मूल्यांकन का क्रियान्वयन अलग–अलग स्तर पर किया जाता है। जिनमें शैक्षणिक लचीलापन तथा अनुकूलन (समायोजन एवं संशोधन) शामिल है। इस अनुच्छेद में विभिन्न स्तरों का वर्णन विस्तार से किया गया है। विभिन्न स्तरों के क्रियान्वयन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक लचीलापन एवं समायोजन में आवश्यकताओं को कम नहीं किया जाता है। इनमें सभी छात्रों को उचित विकल्प प्रदान किया जाता है। जबकि संशोधन में स्थिति एवं प्रकृति को बदल दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सिर्फ संशोधन में आवश्यकताओं के स्तर को कम कर दिया जाता है।

विभेदित मूल्यांकन में आवश्यकता को कम करने से सभी स्तर के छात्रों के पढ़ाई के प्रमाणन प्रभावित होता है। यही कारण है कि विभेदित मूल्यांकन करते समय छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग का चयन करना चाहिए जो छात्र के योग्यता एवं व्यवसायिक हित में उचित हो।

3.10 विभेदित मूल्यांकन के लाभ

विभेदित मूल्यांकन छात्रों शिक्षकों एवं प्रशासकों सभी के लिए लाभप्रद होता है। इनके विभिन्न लाभों का वर्णन निम्नलिखित है।

- छात्रों के सीखने की आवश्यकताओं को लक्ष्य बनाना :

समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के सीखने की क्षमता भिन्न–भिन्न होती है। इन विशिष्ट समूह के छात्रों के सीखने की जरूरतों के आधार पर विभेदित मूल्यांकन का निर्णय किया जाता है। शिक्षक इन छात्रों के लिए विशेष रूप से विभेदित निर्देशों के आस पास एक विभेदित मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करने का कोशिश करता है शिक्षक प्रत्येक शिक्षण मानक से एक या दो संबंधित संकेतको का चयन करता है, जिसके आधार पर मानकों में अन्तर किया जाता है। इस प्रकार छात्रों के सीखने की आवश्यकताएं एवं शिक्षकों के द्वारा इन विशिष्ट क्षेत्रों का चयन करना छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ाता है।

- शिक्षक के व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देना :

विभेदित मूल्यांकन में शिक्षक मूल्यांकन के लिए कार्य प्रणाली निर्धारित करता है यह शिक्षक को छात्रों के जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षकों के भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का भी विस्तार करता है जिससे छात्रों के सीखने की क्षमता बढ़ाया जा सके। शिक्षक कई बार अपने कार्यक्रम का वीडियो बनाकर या फिर छात्रों के सर्वेक्षण का उपयोग करते है, जिससे परोक्षरूप से स्वमूल्यांकन होता है। शिक्षक विभेदित प्रणाली में सहकर्मी पर्यवेक्षक, कोच एवं संरक्षक के रूप में काम करते है। इस तरह ये सभी क्रिया कलाप शिक्षक के व्यवसायिक विकास को बढ़ाता है।

- विद्यालय के वातावरण में सुधार :

विभेदित मूल्यांकन शिक्षकों एवं मूल्यांकन कर्ताओं के बीच सहयोग के लिए कई अवसरों का समर्थन करता है तथा समग्र भागीदारी को बढ़ावा देता है। चूँकि शिक्षक सीखने तथा एकीकृत प्रथाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते है जिससे सबों के बीच विश्वास का निर्माण होता है। इसमें सहकर्मी पर्यवेक्षक सामग्री साझा करने के साथ–साथ सहायता भी करते है। अतः यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय के वातावरण में सुधार लाता है। इसके साथ साथ विभेदित मूल्यांकन के अन्य लाभ निम्नलिखित है।

- छात्रों के क्षमता पर आधारित पाठ्यक्रम के आधार पर होता है।
- इसमें अभिव्यक्ति के विभिन्न अवसर प्रदान करते है।
- इस मूल्यांकन में छात्रों के क्षमता अनुरूप मूल्यांकन किया जाता है।
- इसमें आवश्यकतानुसार विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है।
- इस विधि में प्रत्येक बच्चे को अपने तरीकों से सीखने का अवसर मिलता है।
- प्रत्येक छात्र किस तरह से सीखेगा इसमें वर्णित रहता है।
- इसमें बोझिल शिक्षण दिनचर्या का कोई स्थान नहीं होता है।
- शिक्षकों को लचीलापन अपनाने का अवसर प्रदान करता है।

- यह छात्र एवं शिक्षक दोनों के लिए लाभप्रद होता है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नो के उत्तर लिखिए –

प्र04 अनुकूलन कैसे किया जाता है ?

....

....

प्र05 समायोजन में शैक्षणिक उद्देश्यों या शिक्षण सामग्री को कम कर दिया जाता है। सही/गलत

....

....

प्र06 किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए समान्य एवं दिव्यांग छात्रों के लिए न्यूनतम अंक अलग–अलग रखना समायोजन कहलाता है।

....

....

3.11 सारांश

प्रत्येक छात्र एक दूसरे से भिन्न होते है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामान्य बच्चों के साथ–साथ विशेष बच्चे भी होते है। इन विशेष बच्चों में विभिन्नताएं और भी काफी होती है। खासतौर पर बौद्धिक अक्षम बच्चों में क्योंकि इनके बौद्धिक अक्षमता स्तर में काफी विभिन्नताएं पाई जाती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अनेक उपाय है जिनमें से विभेदित मूल्यांकन भी एक है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का विकास उनके आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है या निर्मित पाठ्यक्रम में आवश्यक अनुकूलन (समायोजन या संशोधन) किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब बच्चों के आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में समायोजन या संशोधन किया गया हो तो मूल्यांकन प्रणाली एक जैसा रखना औचित्य नहीं होता है। ऐसी अवस्था में विभेदित मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। विभेदित मूल्यांकन में शिक्षकों की भूमिका अहम होता है क्योंकि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षकों द्वारा किया जाता है अतः विभेदित मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगा इसका भी निर्धारण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना औचित्य होगा। विभेदित मूल्यांकन बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को प्रभावित करता है। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड में वर्णन करना आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार के अनुकूलन, समायोजन तथा संशोधन से किस छात्र को लाभ पहुँचा है। विभेदित मूल्यांकन प्रक्रिया बौद्धिक छात्रों के साथ–साथ शिक्षकों एवं विद्यालय के लिए भी लाभप्रद होता है।

3.12 शब्द सूची

समावेशी शिक्षा व्यवस्था : ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सामान्य बच्चों के साथ–साथ विशेष बच्चों को पढ़ाया जाता है समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहलाता है।

विभेदित मूल्यांकन : वह मूल्यांकन पद्धति जिसमें विभिन्न छात्रों के मूल्यांकन उनके क्षमताओं, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार की जाय विभेदित मूल्यांकन कहलाता है।

अनुकूलन : किसी भी क्रिया कलाप में की गई आवश्यक समायोजन और संशोधन अनुकूलन कहलाता है।

समायोजन : अनुकूलन करने की वह प्रक्रिया जिसमें कार्यों के कठिनाई स्तर, लक्षित आवश्यकताएं तथा मूल्यांकन मानदंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

संशोधन : अनुकूलन करने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चों के सीखने एवं मूल्यांकन मानदंड को बदल दिया जाता है संशोधन कहलाता है।

3.13 बोध प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न–1 समावेशी शिक्षा व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए विभेदित मूल्यांकन आवश्यक है। सही/गलत

उत्तर–1 सही

प्रश्न–2 विभेदित मूल्यांकन पद्धति में छात्रों के क्षमता, योग्यता एवं आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। सही/गलत

उत्तर–2 सही।

प्रश्न–3 बौद्धिक अक्षम छात्रों के लिए किन–किन स्तर पर विभेदित मूल्यांकन क्रियान्वित होती है।

उत्तर–3 शैक्षणिक लचीलेपन एवं अनुकूलन (समायोजन तथा संशोधन) स्तर पर

प्रश्न–4 अनुकूलन कैसे किया जाता है ?

उत्तर–4 अनुकूलन समायोजन या संशोधन के द्वारा किया जाता है।

प्रश्न–5 समायोजन में शैक्षणिक उद्देश्यों या शिक्षण सामग्री को कम कर दिया जाता है। सही/गलत

उत्तर–5 गलत

प्रश्न–6 किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए समान्य एवं दिव्यांग छात्रों के लिए न्यूनतम अंक अलग–अलग रखना समायोजन कहलाता है।

उत्तर–6 सही/गलत।

3.14 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न–1 विभेदित मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न–2 विभेदित मूल्यांकन की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–3 शैक्षणिक लचीलापन से आप क्या समझते है ? सह–उदाहरण वर्णन कीजिए।

प्रश्न–4 समायोजन एवं संशोधन में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न–5 विभेदित मूल्यांकन के प्रयोग में शिक्षकों के भूमिका का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–6 बौद्धिक अक्षम छात्रों के लिए विभेदित मूल्यांकन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न–7 विभेदित मूल्यांकन पद्धति से छात्रों को होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न–8 विभेदित मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से दी गई जानकारियों को कैसे प्रभावित करती है ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

3.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- कर्निगी पॉलिसी ब्रीफ (2014) शिक्षकों का मूल्यांकन अधिक रणनीतिक : स्ट्रीम लाइन मूल्यांकन प्रणालियों के लिए प्रदर्शन परिणामों का उपयोग करना।
- जॉनसन, सुसान मूरे (2012), इसके दोनों तरीके : व्यक्तिगत शिक्षकों एवं उनके स्कूलों की क्षमता का निर्माण, हवार्ड शैक्षिक समीक्षा, स्प्रिंग।
- डेविड, एच0 (2004) माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में दिव्यांग छात्रों का सामाजिक समावेश मिसौरी राज्य विश्वविद्यालय। स्प्रिंग फील्ड मिसौरी। ऑनलाइन।
- फिट्ज़पैट्रिक, जे0एल0सैंडर्स, जे0 आर0 एवं वर्थन, बी0 आर0 (2004) कार्यक्रम मूल्यांकन : वैकल्पिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक दिशा निर्देश।
- हालहन, डी0पी0, कौफमैन, जे0एम0 (2008) असाधारण शिक्षार्थी विशेष शिक्षा का परिचय (9वां संस्करण) बोस्टन, पीयरसन।
- गोसलिन, जे0 (2012), विभेदित मूल्यांकन अंडरग्रेजुएट कक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन मोडैलिटी, मनोविज्ञान लर्निंग एवं टिचिंग, 11 (2).
- हॉवेल के0 डब्लू एण्ड मॉर हेड एम0के0 (1987) : करिकुलम बेस्ड इवेलुएशन फॉर स्पेशल एण्ड रिमेडियल एजुकेशन।
- भरवद, जे0ए0 (2010), करिकुलम इवाल्युएशन, इन्टरनेशनल रिसर्च जरनल, सितम्बर, 1 (1) 72–74.
- डॉल, आर0सी0 (1986), करिकुलम इमप्रुवमेंट : डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रोसेस बोस्टन : एलेन एण्ड बेकन।
- एन्ब्रेशन डी0सी0 (1989) इवाल्युएटिंग करिकुलम प्रयोजल, ए क्रिटिकल गाइड0 विलय, न्यूयार्क।
- www.ncdc.go.ug
- www.undp.org
- www.nou.ac.in

Notes

Notes